छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर

पन्द्रहवॉ वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 01.04.2019 से 31.03.2020

61, जल विहार कॉलोनी, रायपुर छ.ग.
फोन एवं फैक्स नं. 0771–2445621
ई.मेल– staayog48@gmail.com

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम भारत के लोग, भारत को एक [1][**सम्पूर्ण प्रभुत्व–सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य]** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता,**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त करने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और [राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवम्बर, 1946 ई. को (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

We THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly relsolved to constitute India into a [3][SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political ;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity ; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [4][integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री

Bhupesh Baghel
CHIEF MINISTER

मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, रायपुर, 492002, छत्तीसगढ़
फोनः +91 (771) 2221000, 2221001
ई–मेल : cmcg@nic.in

Mantralaya, Mahanadi Bhawan,
Atal Nagar, Raipur, 492002, Chhattisgarh
Ph.: +91 (771) 2221000, 2221001
E-mail : cmcg@nic.in
Do.No. 200/H.CM/ Date : 11/2/2020

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा वर्ष 2019–20 प्रतिवेदन का प्रकाशन किया जा रहा हैं, जिसमें समाज के कल्याण एवं विकास हेतु किए गए कार्यों का ब्यौरा होगा। अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कुशलता से करते हुए उनके अधिकारों के संरक्षण तथा जीवन स्तर उन्नयन के कार्य प्राथमिकता से करना हमारा कर्तव्य है।

आयोग द्वारा प्रकाशित किया जा रहा प्रतिवेदन अपने उद्देश्यों में सफल हो, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(भूपेश बघेल)

मान. जी. आर. राना.
अध्यक्ष
छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर

छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग,
61, जल विहार कॉलोनी, रायपुर छ.ग.
फोन एवं फैक्स नं. 0771–2445621
मो. नं.–9827555287
ई.मेल– staayog48@gmail.com

अग्रेषण

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सुगम और सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिए समय–समय पर उपलब्ध कराये गये कार्मिकों तथा वित्तीय व्यवस्था के लिए मैं छत्तीसगढ़ शासन का हृदय से आभारी हूं।

मैं छत्तीसगढ़ की समस्त जनता का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने इस आयोग को निरंतर शिकायत/सुझाव प्रेषित कर आयोग की कार्यप्रणाली में विश्वास व्यक्त किया है। मैं छत्तीसगढ़ के समस्त जिलाधिकारियों/पुलिस अधीक्षकों/विभागाध्यक्षों का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आयोग में दर्ज शिकायतों के निराकरण में सहयोग प्रदान किया है।

आयोग के उपाध्यक्ष श्री विकास मरकाम तथा सचिव श्री एच.के.सिंह उईके व मेरे निज सचिव श्री जय सिंह राज व आयोग के अन्य सहयोगियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग कल्याणार्थ एक साकारात्मक वातावरण बनाने में हर कदम पर मेरा साथ दिया।

शासन ने मुझे आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो जवाबदेही सौंपी हैं उसके सम्यक व सार्थक निर्वहन के लिए मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूं। मै सभी समाज के साथ अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान, विकास एवं उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश में तत्पर रहने का प्रयास करता रहा हूं और करता रहूंगा।

आयोग के पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं!

(जी.आर. राना)

मान. विकास मरकाम
उपाध्यक्ष
छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर

छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग,
61, जल विहार कॉलोनी, रायपुर छ.ग.
फोन एवं फैक्स नं. 0771–2445621
मो. नं.–99815–10414
ई.मेल– staayog48@gmail.com

संदेश

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पंद्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। प्रतिवेदन किसी भी संस्था के वर्ष भर की गतिविधियों का दर्पण होता है।

अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग समुदाय का होने के नाते मेरा हार्दिक प्रयास रहा है कि, जनजाति वर्गों को होने वाली असुविधाओं को हम जल्द से जल्द समाप्त करें एवं आयोग के माध्यम जनजाति वर्गों के स्वर को और भी बुलंद बना सके।

जनजाति वर्गों के हितार्थ शासन स्तर पर संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन–जन तक पहुंचे ऐसा प्रयास आयोग को करना चाहिए एवं आयोग जनजाति वर्गों के हित प्रहरी के रूप में सदैव अपनी साकारात्मक भूमिका का निर्वहन करता रहेगा।

जनप्रतिनिधि के रूप में आयोग को और सशक्त बनाने हेतु मेरा समर्थन सदैव प्राप्त रहेगा। अशेष शुभकामनाओं सहित ....

(विकास मरकाम)

डी.डी. सिंह
भा.प्र.से.
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर,
छत्तीसगढ़–492002
दूरभाष कार्यालय –0771–2221310, 2221104
0771–2510360
E-Mail : ddsinghias1961@gmail.com

शुभकामना संदेश

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा पंद्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2019–20 का प्रकाशन किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा आदिवासियों के जीवन स्तर में उनके हितों एवं अधिकारों तथा सम्मान दिलाने के लिए शिक्षा, समानता, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य सभी क्षेत्रों के विकास के लिए आयोग द्वारा भारत के संविधान के अनुरूप विभिन्न योजनाएं/नियम/अधिनियम बनाई जाती है, जिसका क्रियान्वयन एवं समस्याओं के निराकरण में जनजाति आयोग द्वारा निःसंदेह सराहनीय कार्य किया जा रहा है।

मुझे खुशी है कि आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता के साथ आयोग एवं शासन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शासन के नियम–निर्देश सुविधाओं एवं योजनाओं का लाभ देने में यह प्रतिवेदन का प्रकाशन सराहनीय प्रयास है।

प्रतिवेदन के प्रकाशन पर हार्दिक शुभकामनाएं !

(डी.डी. सिंह)

शम्मी आबिदी
आई.ए.एस.
संचालक

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक 4 डी. भूतल, इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
दूरभाष : 0771 - 2263708 (का.)
फैक्स : 0771 -2262558 (का.)
ई-मेल : ctd.cg@nic.in

अर्ध्दशासकीय पत्र क्र. / 1152
रायपुर, दिनांक 18/06/2020

''शुभकामना संदेश''

हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक हितार्थ तथा आयोग द्वारा शासन के नियम–निर्देश अनुसार संचालित सुविधाओं, योजनाओं, कियाकलाप, कार्यवाही एवं अनुशंसा की जानकारी तैयार कर वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन किया जा रहा है।

राज्य गठन के बाद से ही आयोग द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण हेतु किए गए प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय हैं। इसके फलस्वरूप अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों में अभिवृद्धि हुई है। आज समाज के लगभग सभी क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय का सशक्त प्रतिनिधित्व दिखाई देता है।

आशा है इस वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से जनजातियों के हितार्थ लागू अधिनियमों/नियमों एवं विभिन्न योजनाओं की जानकारी आमजन को प्राप्त हो सकेगी।

इस वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं .....।

(शम्मी आबिदी)
संचालक
आ.जा. तथा अनु.जा. विकास
नवा रायपुर, अटल नगर

एच.के. सिंह उईके
सचिव
छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर

छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग,
61, जल विहार कॉलोनी, रायपुर छ.ग.
फोन एवं फैक्स नं. 0771–2445621
मो. नं.–94242–16008
6263225650
ई.मेल– staayog48@gmail.com

प्राक्कथन

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अपने गठन उपरान्त अपने मूल उद्देश्यों के क्रियान्वयन में समर्पित रहा है। आयोग के माननीय अध्यक्ष व माननीय सदस्यों द्वारा आयोग के कार्यालयीन परिवार के साथ अपने साझा प्रयासों से राज्य के जनजाति वर्ग समुदाय की अनेक समस्याओं पर पहल की तथा शसन स्तर पर आयोग द्वारा की गई अनेकोनेक अनुशंसाओं को शासन ने सकारात्मक रूप लेते हुए स्वीकार किया है।

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति का यह पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन अपनी संपूर्ण गतिविधियों का विवरण शासन के समक्ष रख रहा है तथा राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितार्थ शासन स्तर पर जितने भी महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित हैं उनका व्यापक प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से उन विषयों को इस प्रतिवेदन के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जनजाति समाज के मुखिया/प्रतिनिधियों व अन्य प्रमुख कार्यालयों में निःशुल्क वितरित कराने का कार्य भी कर रहा है।

मैं आयोग के अपने विभागीय सहयोगियों एवं विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सहयोग के बिना एक सजग हित–प्रहरी आयोग की भूमिका का निर्वहन करना संभव नहीं होता ।

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पंद्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन पर अप्रतिम शुभकामनाएं सम्प्रेषित है .....

(एच.के. सिंह उइके)

छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का पन्द्रहवॉ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष–2019–20

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय सूची	पृ.क्र.
अध्याय–01	छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सामान्य परिचय	13–14
अध्याय–02	आयोग की सामान्य संरचना एवं अमला व विभागीय संगठन	15–23
अध्याय–03	आयोग के कार्य एवं शक्तियॉ	24
अध्याय–04	छत्तीसगढ़ राज्य में घोषित अनुसूचित जनजातियों की सूची	25–30
अध्याय–05	प्रास्थिति प्रमाण–पत्र (जाति प्रमाण पत्र) जारी करने, सत्यापित करने तथा निरस्त करने आदि के संबंध में दिशा–निर्देश	31–38
अध्याय–06	संवैधानिक प्रावधान एवं महत्वपूर्ण नियम–अधिनियम	39–47
अध्याय–07	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध (पांचवी अनुसूची क्षेत्र)	48–49
अध्याय–08	**(अ)** पंचायत उपबंध अधिनियम, 1996 (पेसा एक्ट)	50–51
	(ब) वन अधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006	52–53
अध्याय–09	**(अ)** अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989	54–61
	(ब) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम–1995 के नियम– साथ राहत एवं सहायता संबंधित अधिसूचना	62–71
अध्याय–10	भू–राजस्व संहिता, 1959–विधि एवं नियम	72–146
अध्याय–11	आयोग को प्राप्त आवेदन पत्रों पर लिए गये प्रमुख निर्णय एवं पत्रक । आलोच्य अवधि के निराकृत (प्रमुख) प्रकरण।	147–164
अध्याय–12	छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक आपदा से पीड़ित के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के प्रावधान में शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान	165–171
अध्याय–13	अनुसूचित जनजाति वर्गों के हितार्थ प्रसारित छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण परिपत्र	172–173
अध्याय–14	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के हितार्थ संचालित योजनाऍ	174–180
अध्याय–15	शासन के विभागों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति हित में संचालित योजनाएं	181–189
अध्याय–16	छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में वित्तीय आबंटन एवं व्यय विवरण	190

पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 की धारा 13 के अनुपालन में छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अपने क्रियाकलापों एवं गतिविधियों से संबंधित वित्तीय वर्ष 2019–20 के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

(जी.आर. राना)

अध्यक्ष

(केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्तं)

छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग,

रायपुर (छ.ग.)

(एच.के. सिंह उइके)

सचिव

छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग,

रायपुर (छ.ग.)

अध्याय–01

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सामान्य परिचय

भारत के संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों के अन्वेषण और अनुश्रवण तथा ऐसे रक्षोपायों की कार्य प्रणाली के मूल्यांकन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य विधानसभा से पारित मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम–1995 के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में भी अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर द्वारा दिनांक–02.09.2002 को छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण अधिसूचना जारी की गई, जिसमें कमांक/डी–4490/479/2002/आजावि विभाग की अधिसूचना डी–4226/479/2002/आजावि, दिनांक–16.08.2002 को अतिष्ठित करते हुए एवं मध्यप्रदेश पुर्नगठन अधिनियम–2002 (कमांक–28, सन्–2000) की धारा–79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाया गया है, अर्थात–

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश 2002 है।
   (दो) यह 01.11.2000 के प्रथम दिन से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा।
2. उपांतरणों के अध्याधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द मध्यप्रदेश जहां कहीं भी आए हो, के स्थान पर शब्द ''छत्तीसगढ़'' एवं शब्द भोपाल जहां कहीं भी आए हो, के स्थान पर शब्द ''रायपुर'' स्थापित किया जाए, जिसमें मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम–1995 एवं मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम–1997 प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना कमांक–186/2000, रायपुर दिनांक–12.11.2000 में अरूण कुमार मुख्य सचिव द्वारा आदेश जारी करते हुए श्री एस0एस0 मूर्ति, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों, राज्यपाल एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित वर्तमान, सामाजिक, आर्थिक विकास के और कल्याणकारी कार्यकमों का गुणात्मक मूल्याकंन करना उसमें आवश्यक सुधार लाना अथवा नए कार्यकम लागू करना आवश्यक हो गया है।

अतः एतद् द्वारा राज्य शासन, छ0ग0 राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करता है। आयोग द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हित संवर्धन के लिए उपयुक्त नीतिगत संभावनाएॅ भी की जावेगी। आयोग स्वप्रेरणा से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित किन्ही भी मामलों का संज्ञान ले सकेगा और ऐसे मामलों में निष्कर्षों पर शासन को प्रतिवेदन देगा। आयोग अपना प्रथम प्रतिवेदन तीन माह में देगा।

राज्य शासन एतद् द्वारा श्री राजेन्द्र पामभोई, विधायक, विधानसभा क्षेत्र, बीजापुर, दंतेवाड़ा को उनके कार्यभार सम्भालने की तिथि से आयोग का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त करते हुए पद की गरिमा को देखते हुए राज्य शासन अनुसूचित जनजाति आयोग के मान0 अध्यक्ष को '' केबिनेट मंत्री'' का समकक्ष घोषित किया गया।

आयोग में तीन से अनाधिक अन्य सदस्य होंगे। अन्य सदस्य होने तक राज्य शासन के प्रमुख सचिव, सचिव, अनुसूचित जनजाति को पदेन रूप से आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। पूर्व में अनुसूचित जनजाति आयोग में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के शिकातयों पर संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही की जाती रही है। वर्ष–2007 में पिछड़ा वर्ग आयोग एवं अनुसूचित जाति आयोग पृथक अस्तित्व में आने से इन वर्गों के शिकायतों पर सुनवाई एवं कार्यवाही उन्हीं आयोग में होने लगा है। आज भी पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्राप्त शिकायतों को संबंधित अयोग को प्रेषित की जाती है।

मान. श्री जी.आर. राना, अध्यक्ष, एवं मान. श्री विकास मरकाम **उपाध्यक्ष** एवं सदस्य के कुशल नेतृत्व में आयोग अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करते हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्राप्त शिकायतों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए आयोग के अधिनियम–1995 की धारा–9 एवं 10 को संज्ञान में लेकर पंजीबद्ध योग्य प्रकरण को उभय पक्षों के कथन, साक्ष्य, दस्तावेजों के आधार पर कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को प्रेषित की जाती है।

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्तमान कार्यालय 61–जलविहार कॉलोनी, रायपुर में शासकीय भवन के अभाव में किराये पर संचालित है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक संस्था के रूप में अपने अस्तित्व के **लगभग 18 वर्ष** का समय पूर्ण कर लिया है।

आयोग का कार्यक्षेत्र व्यापक है और उसमें अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास से संबंधित सुरक्षात्मक तथा समस्या निवारण दोनों सम्मिलित है। इस वार्षिक प्रतिवेदन में आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष में की गई गतिविधियों, सुनवाईयां व शासन को भेजी गई संस्तुतियों व सुझावों को एक अभिलेख के रूप में समाहित किया है। इसके साथ ही शासन द्वारा आयोग की संस्तुतियों पर की गयी कार्यवाही व अनुसूचित जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण शासनादेशों को संकलित कर इसमें सम्मिलित किया गया है।

आयोग द्वारा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की शिकायतों को उपयुक्त स्तर के संबंधित प्राधिकारियों को उचित निष्कर्ष और सिफारिशों के साथ तत्काल कार्यवाही के लिए भेजी जाती है। आयोग द्वारा सीमित संसाधनों में अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक हितों के संरक्षण के लिए यथासंभव कार्यवाही की गई है।

आयोग द्वारा शिकायतों के सफल निराकरण निक्षेपण में छ.ग. शासन के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवों, अपर सचिवों, समस्त विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों का भरपूर सहयोग आयोग को प्राप्त होते आया है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारों का संरक्षण होता रहे इसके लिए आयोग ने अपने आपको दृढ़ हितप्रहरी संस्था के स्वरूप में संस्थापित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजाति वर्ग के सर्वोत्तम लाभ व उनके अधिकारों के हितार्थ निरन्तर अपनी गतिविधियॉ बढ़ाने की ओर अग्रसर है।

अध्याय–02

आयोग की सामान्य संरचना एवं अमला व विभागीय संगठन

अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना (संक्षिप्त विवरण)

छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हितार्थ छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम–1995 के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना वर्ष–2000 में की गई। आयोग में माननीय अध्यक्ष सहित तीन सदस्यीय संरचना की गयी। वर्ष **2019–20** की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्रमांक	पदनाम	नाम	अवधि
1	अध्यक्ष	श्री देवलाल दुग्गा	05.06.2013 से 04.06.2016 तक
		श्री जी.आर. राना	15.07.2016 से 14.07.2019
2	उपाध्यक्ष	श्री विकास मरकाम	16.03.2018 से 16.05.2019
3	सदस्य	श्री रामकिशुन सिंह	08.08.2011 से 07.08.2014 तक
		श्री सुखदेव तांती	08.08.2011 से 07.08.2014 तक
		श्री रामकिशुन सिंह	17.05.2016 से 27.10.2018 तक
		श्री विकास मरकाम	17.05.2016 से 05.03.2016 तक
4	संचालक सदस्य	श्री चन्द्रकांत उइके	05.11.2015 से 11.05.2017 तक
		श्री जी.आर. चुरेन्द्र	12.05.2017 से 01.09.2018 तक
		श्री पी.एस. एल्मा	01.09.2018 से 24.12.2018 तक
		श्री एलेक्स पॉल मेनन,	24.12.2018 से 14.06.2019
		श्री नीरज कुमार बंसोड़	14.06.2019 से 05.08.2019
		श्री मुकेश कुमार बंसल	19.07.2019 से 07.03.2020 तक
5	सचिव	बद्रीश सुखेदेव	13.01.2011 से 01.09.2016 तक
		एच.के. सिंह उइके	26.08.2016 से निरंतर

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर का अमला

क्रमांक	नाम	पदनाम	कार्यालय	निवास/मो.
1	श्री जी.आर. राना	अध्यक्ष(केबिनेट मंत्री दर्जा)	0771–2445621	9425214787
2	श्री विकास मरकाम	उपाध्यक्ष(राज्यमंत्री दर्जा)	0771–2445621	99815-10414
3	श्री एच.के. सिंह उइके	सचिव	0771–2445621	94242-16008
4	श्री एम.के. भुवाल	सहा.अनुसंधान अधिकारी	0771–2445621	98261-55612
5	श्री रजनीश कुमार उरांव	निज सहायक	0771–2445621	97700-36447
6	श्रीमती रूबी मण्डल	सहा.ग्रेड–2	0771–2445621	94241-84022
7	श्री संजय गायकवाड़	सहा.ग्रेड–3	0771–2445621	95899-11375 89820-56470
8	श्री झड़ीराम साहू	सहा.ग्रेड–3	0771–2445621	98937-22452
9	श्री टेकराम साहू	दफ्तरी	0771–2445621	98277-36300

अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय व राष्ट्रीय आयोग का पता व दूरभाष
भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली

6/7 मंजिल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

फोन नं.–011–23381652

मान. श्री जुएल उरांव

मंत्री

जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली, दूरभाष–011–23388482, 23381499

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

छठवीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली

फोन नं.–011–24624714, 011–24635721, 24649495

मान0 श्री नंदकुमार साय

अध्यक्ष

मो.नं.–94252–70444

राष्ट्रीय जनजाति आयोग का राज्य कार्यालय

राष्ट्रीय जनजाति आयोग का मध्यप्रदेश कार्यालय, श्यामलाहिल्स भोपाल (म.प्र.)

छ.ग. राज्य में कलेक्टर कार्यालय रायपुर के पीछे

सहायक निदेशक, श्री दास मो.नं.–097701–37977

रायपुर दूरभाष–0771–2443335

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग मान0 मंत्री, सांसद एवं विधायकगण (लोकसभा, राज्य सभा व विधानसभा)

मुख्यमंत्री (छ.ग. शासन)	मान. श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन	पाटन विधानसभा	मानसरोवर आवासीय परिसर, भिलाई–3 ग्राम–कुरूदडीह, पोस्ट बटंग, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग(छ.ग.) मो.नं. 942452–36733	मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाईन, रायपुर दूरभाष– 2331001
मंत्री (छ.ग. शासन)	मान. डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम, कैबिनेट मंत्री, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सहकारिता,	प्रतापपुर विधानसभा	ग्राम व पोस्ट–प्रतापपुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.) मोबाईल– 9826816232, 9826116232	डी–7 एवं डी–8 शंकर नगर रायपुर (छ.ग.) दूरभाष–2430005, 4035778 मो.नं.–9425234565
	मान. कवासी लखमा, कैबिनेट मंत्री, छ.ग. शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) उद्योग,	कोन्टा विधानसभा	ग्राम–नागारास, पो.–सोनाकुकानार, तह. –कोन्टा, जिला–सुकमा(छ.ग.) दूरभाष–0789–4200020 मोबाईल–94252–60144	सी–5, सिविल लाईन्स, शंकर नगर, रायपुर
	श्रीमती अनिला भेंडिया केबिनेट मंत्री, छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण	डौंडीलोहारा विधानसभा	वार्ड क्रमांक 13, संजय नगर, डौंडी लोहारा, जिला–बालोद(छ.ग.) मोबाईल–94255–95345 94241–17254	सी–3, फारेस्ट कॉलोनी, राजातालाब, रायपुर
सांसद एवं मंत्री भारत सरकार	मान. श्री विष्णु देवसाय	रायगढ़ लोकसभा	ग्राम–बगिया, पो. –बंदचुंवा, बगीचा, जिला–जशपुर	7 लोदी इस्टेट, नई दिल्ली, 011–24652472
सांसद (राज्यसभा)	मान. श्री रामविचार नेताम	राज्यसभा	ग्राम व पो. सनावल, तह– रामानुजगंज, जिला–बलरामपुर मो.– 46156000	फ्लेट नं.–601, स्वर्ण जयंती, सदन, डीलक्स, बिशम्बर दास मार्ग नई दिल्ली, 90131,
सांसद (लोकसभा)	मान. श्री दिनेश कश्यप	बस्तर लोकसभा	ग्राम व पोस्ट– भानपुरी, फरसागुड़ा, तह–जगदलपुर, जिला–दंतेवाड़ा मो.नं.–09425261613	22, जनपथ, नई दिल्ली– 01123782357–23782156
	मान. श्री कमलभान सिंह मरावी	सरगुजा लोकसभा	ग्राम पोस्ट– जगमला, तह– लखनपुर, जिला–सरगुजा मो.नं.–23094624	140, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली– 23094624
	मान. श्री विक्रम उसेंडी	कांकेर लोकसभा	घोटूलबेड़ा–2, तालअनन्तगढ़, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर	बी–5, एमएस. फ्लेट, बी.के.एस. मार्ग, नई दिल्ली 94252–63044

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मान0 विधायकगण (विधानसभा)

क.	निर्वाचन क्षेत्र क्र. / नाम	सदस्य का नाम	स्थाई पता व दूरभाष / मो.नं.	रायपुर का पता व दूरभाष
1	01–भरपुर–सोनहट	मान. श्री गुलाब कमरो	वार्ड क्र.–04, ग्राम–साल्ही, पोस्ट–कठौतिया, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया(छ.ग.) मोबाइल–9926117198, 7049675333	द्वारा–श्री त्रिभुवन प्रसाद शर्मा, पिता– स्व. शत्रुहन प्रसाद शर्मा, म.नं.–एल / 10, वार्ड नं. –27, डॉ भीमराव आम्बेडकर वार्ड, दुबे कालोनी, मोवा, रायपुर (छ.ग.)
2	04– प्रेमनगर	मान. श्री खेलसाय सिंह	ग्राम–शिवपुरी,पोस्ट–भुनेश्वरपुर, तहसील–रामानुज नगर,जिला–सुरजपुर (छ.ग.) पिन–487333 मोबाईल–94242–49006, 9009622800	सी–2 / 20, आनन्द नगर, रायपुर (छ.ग.)
3	06–प्रतापपुर	मान. डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम	ग्रा. व पो.–प्रतापपुर,जिला–सरगुजा(छ.ग.) मोबाईल– 9826816232, 9826116232	डी–7 एवं डी–8 शंकर नगर रायपुर(छ.ग.)
4	07–रामानुजगंज	मान. श्री बृहस्पत सिंह	वार्ड क्र.–2 जेल रोड, रामानुजगंज, पोस्ट व तहसील–रामानुजगंज, जिला–बलरामपुर(छ.ग.) पिन–497290, मोबाईल–9926139362, 926105315	डी–6, सिविल लाईन्स, रायपुर
5	08–सामरी	मान. चिन्तामणि महराज	वार्ड–40, गहिरा गुरू आश्रम, भाथुपारा, पो–अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा(छ.ग.) मोबाइल– 96173–70471	श्री माता निलयन्स 11 / 6 सेक्टर–3, अग्रसेन भवन मार्ग, उद्या सोसाइटी, टाटीबन्ध, रायपुर
6	09–लुण्ड्रा	मान. डॉ. प्रीतम राम	100, मडुवापारा, ग्राम व पोस्ट–राजपुर, तहसील–अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा मोबाइल–99772–67877	एफ–3, शिवाजी पार्क विधानसभा रोड, रायपुर
7	11–सीतापुर	मान. श्री अमरजीत भगत	1, शिवशक्ति भवन,बौरी पारा, शिवमंदिर के पास,अंम्बिकापुर, जिला–सरगुजा(छ.ग.) मोबाइल–94255–82024, 98261–90768	आवास क्र. 23, मौलश्री विहार, पुरैना, रायपुर
8	12–जशपुर	मान. श्री विनय कुमार भगत	ग्राम–सरनाटोली, सन्नारोड, तहसील–जशपुर, जिला–जशपुर(छ.ग.) मोबाइल–9329441415, 9340771918	भगत सर्विस सेंटर (पेट्रोल पम्प), पुलिस थाना के सामने बोरियाकला, रायपुर
9	13–कुनकुरी	मान. श्री यू.डी. मिंज	ग्राम–तपकरा रोड पोस्ट–कुनकुरी, तहसील–कुनकुरी,जला–जशपुर(छ.ग.) मोबाइल–9303332200, 9425530489	द्वारा–परेश मिंज, ए–43, कैपिटल सिटी, फेज–01, अम्बूजा माल के पीछे सड्डू, रायपुर(छ.ग.)
10	14–पत्थलगांव	मान. श्री रामपुकार सिंह ठाकुर	ग्राम– वार्ड नं.–14 मकान नं.–18 पोस्ट–पत्थलगांव, जिला–जशपुर (छ.ग.) मोबाइल–9993728866	
11	15–लैलूंगा	मान. श्री चक्रधर सिंह सिदार	ग्राम–गौटियापारा, पोस्ट– कटकलिया, तहसील– लैलूंगा, जिला–रायगढ़ मोबाईल–9753377747	मकान नं.–42, मौलश्री विहार, 36 सिटी मॉल के पीछे, रायपुर

12	19–धरमजयगढ़	मान. श्री लालजीत सिंह राठिया	ग्राम–बोकरामुड़ा, वृन्दावन, पोस्ट–रीलो, तहसील–धरमजयगढ़, जिला–रायगढ़(छ.ग.) पिन–496665, मोबाइल–99778–15873, 8103990025	एम.आई.जी.–44, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सड्डू, रायपुर
13	20–रामपुर	मान. श्री ननकी राम कंवर	ग्राम–बंधवाभांठा, पो.– सरगबुंदिया, तहसील–करतला, जिला–कोरबा(छ.ग) मोबाईल– 9425224718,	आवास क्र. 45, विधायक आवासीय कालोनी, 36 मॉल के पीछे, रायपुर
14	22–कटघोरा	मान. श्री पुरूषोत्तम कंवर	ग्राम व पोस्ट– हरदीबाजार, तहसील–पाली, जिला–कोरबा(छ.ग.) पिन–495446 , मोबाईल–9827918833	
15	23–पाली–तानाखार	मान. श्री मोहित राम केरकेट्टा	ग्राम–पोलमी, पोस्ट–सिल्ली, तहसील–पाली, जिला–कोरबा(छ.ग.) मोबाईल–9827180954	म.नं.–201, आदित्य हाईट्स, एस.एम.सी. हॉस्पीटल, अशोका रतन के पास, व्ही. आई.पी. रोड विधानसभा रोड, रायपुर
16	40–बसना	मान. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह	राजमहल, पोस्ट–सरायपाली, तहसील–सरायपाली, जिला–महासमुद(छ.ग.) मोबाईल नं. 9425250322	
17	55–बिन्द्रानवागढ़	मान. श्री डमरूधर पुजारी	मुनगापदर, तहसील–मैनपुर, जिला–गरियाबंद(छ.ग.) पिन–493891,मोबाइल–9009203333	
18	56–सिहावा	मान. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव	ग्राम–आमगांव, पोस्ट–घुरावड़, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी(छ.ग.) मोबाईल–9977833920	
19	60–डौंडीलोहारा	मान. श्रीमती अनिला भेंडिया	वार्ड क्र.–13, संजय नगर डौंडीलोहारा, जिला–बालोद (छ.ग.) मो.नं.–94255–95345, 9424117254	सी–3, फारेस्ट कॉलोनी, राजा तालाब, रायपुर
20	73–खैरागढ़	मान. श्री देवव्रत सिंह	म.नं.–1, कमल विलास महल, पोस्ट–खैरागढ़, जिला–राजनान्दगांव (छ.ग.)मोबाइल–9406222222	
21	78–मोहला–मानपुर	मान. श्री इन्द्रशाह मंडावी	ग्राम–भोजटोला रोड, पोस्ट–मोहला, तहसील–मोहला, जिला–राजनांदगांव, (छ.ग.) मोबाईल–9425229071	द्वारा– श्री के.आर. ठाकुर, बी–94, सूर्या अपार्टमेंट, कटोरा तालाब, रायपुर
22	79–अंतागढ़	मान. श्री अनुप नाग	ग्राम– वार्ड क्र. 08, अंतागढ़ तहसील पारा, पोस्ट– अंतागढ़ तहसील–अंतागढ़ जिला–कांकेर(छ.ग.) मोबाईल–9424288889	
23	80–भानुप्रतापपुर	मान. श्री मनोज सिंह मण्डावी	ग्राम– तेलगरा, पोस्ट– लखनपुरी, तहसील–चारामा, जिला–कांकेर(छ.ग.) पिन–494336, मोबाईल–94242–88889	ए–1, पलाश विहार, न्यू पुरैना, महावीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

24	81—कांकेर	मान. श्री शिशुपाल शोरी	ग्राम व पोस्ट—डुमाली, तहसील—कांकेर, जिला—कांकेर(छ.ग.), ई—6/10, सिविल लाईन्स, कांकेर	आवास क्र.—के/8, सेक्टर—2, अग्रोहा कालोनी रायपुरा, रायपुर
25	82—केशकाल	मान. श्री सन्त राम नेताम	ग्राम—पलना, पोस्ट—मारेगपुरी, तहसील— विश्रामपुरी, जिला—कोण्डागांव(छ.ग.) मोबाईल—94255—11350, 8103485026	द्वारा— श्री शशिकान्त दीक्षित, मकान नं.—488, मातृछाया के सामने, प्रियदर्शनी, नगर, रायपुर
26	83—कोण्डागांव	मान. श्री मोहन मरकाम	भेलवापदर पारा, तहसील एवं , जिला—कोण्डागांव (छ.ग.) दूरभाष—07786—243313 मोबाईल—94252—58240	
27	84—नारायणपुर	मान. श्री चंदन कश्यप	ग्राम— करन्दोला, पो—भानपुरी, जिला—बस्तर(छ.ग.) मोबाइल—9424291978	
28	85—बस्तर	मान. श्री लखेश्वर बघेल	नयापारा (नवभारत प्रेस के सामने) जगदलपुर, जिला—बस्तर (छ.ग.) पिन—494001 दूरभाष—07782—221244 मोबाइल—94060—70700	सी—1, सिविल लाईन्स (शांति नगर) नहर के किनारे, रायपुर
29	87—चित्रकोट	मान. श्री दीपक बैज	गाम—उसरीबेड़ा, पोस्ट व तहसील—लोहण्डीगुड़ा, जिला—बस्तर (छ.ग.)पिन—494010 दूरभाष—07859—288401 मोबाईल—94060—77448, 8817277727	हर्ष रेसिडेंसी, क्वाटर नं.—2, जगदलपुर, मार्ग, देवपुरी, रायपुर
30	88—दंतेवाड़ा	मान. श्री भीमा मण्डावी	ग्राम व पोस्ट—गदापाल, तहसील—दंतेवाड़ा, जिला—दंतेवाड़ा(छ.ग.) पिन—494552, मोबाईल—9425267900	मकान नं.—89, छ.ग. गृह मण्डल कॉलोनी, बोरिया कला, रायपुर
31	89—बीजापुर	मान. श्री विक्रम मंडावी	ग्राम—बाजारपारा, पोस्ट— भैरमगढ़, तहसील—भैरमगढ़, जिला—दंतेवाड़ा(छ.ग.) पिन—494552 मोबाईल— 9424111105, 6660937050	
32	90—कोन्टा	मान. श्री कवासी लखमा	ग्राम—नागारास, पोस्ट— सोनाकुकानार, तहसील—कोन्टा, जिला—सुकमा(छ.ग.) दूरभाष—0789—4200020, 94252—60144	सी—5, सिविल लाईन्स, शंकर नगर, रायपुर

जिला पंचायत में अनुसूचित जनजाति वर्ग के मान0 अध्यक्ष

क्र.	अध्यक्ष	कार्यालय दूरभाष / फैक्स	निवास दूरभाष / मोबाईल	निवास का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री अशोक जगत	-	96913-41537	जिला–बस्तर
2	श्रीमती कलावती मरकाम	-	70244-64260	जिला–कोरिया
3	श्रीमती फुलेश्वरी सिंह	07774-220679	99774-70238	जिला–सरगुजा
4	श्रीमती पुष्पा नेताम	-	94252-16176	जिला–बलरामपुर
5	श्रीमती गोमती साय	07763-223633	78791-67898	जिला–जशपुर
6	श्री देवी प्रसाद टेकाम	07759-226438	97534-101225	जिला–कोरबा
7	श्रीमती शुभद्रा सलाम	07868-223483	-	जिला–कांकेर
8	श्रीमती सरस्वती गोटा	07781-252288	75874-94211	जिला–नारायणपुर
9	श्री नरेन्द्र नेताम	-	94255-96125	जिला–कोण्डागांव
10	श्रीमती जबिता मंडावी	-	78699-77116	जिला–बस्तर
11	श्रीमती कमला विनय नाग	-	78980-14303	जिला–दंतेवाड़ा
12	श्री हरीश कवासी	-	94062-81777	जिला–सुकमा
13	श्रीमती जमुना सकनी	-	94077-20046	जिला–बीजापुर

छत्तीसगढ़ के नगर पालिका निगम में अनुसूचित जनजाति वर्ग के महापौर

क्र.	मेयर का नाम	सभापति का नाम	निवास मो.नं. / दूरभाष	निकाय का प्रकार	निकाय का नाम	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	डॉ. अजय कुमार तिर्की	श्री शफी अहमद	96173-49988	नगर निगम	अंबिकापुर	जिला–सरगुजा

छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के मान. मंत्री जी एवं वरिष्ठ अधिकारीगण (मंत्रालय)

अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कार्यालय दूरभाष–फैक्स	निवास दूरभाष/मो.
(1)	(2)	(3)
मान. डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम, कैबिनेट मंत्री, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सहकारिता,	2510904 2221104	2331326 4035778
श्री डी.डी. सिंह सचिव	2510360	9977473000
श्री डी.डी. कुंजाम संयुक्त सचिव,	2263099 2510864	2100895 94061-70774
श्री एम.एम. मिंज संयुक्त सचिव	2510351	9425510782
श्री टी.आर. शोरी वित्तीय सलाहकार	2510486	91795-39539
श्री अनुपम त्रिवेदी, ओ.एस.डी.	-	94064-03962
श्रीमती एमरेंसिया खेस्स अवर सचिव	2510008	94064-03316
श्री अजय वरूड़कर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,	2510750	94242-27675
श्री सुरेश दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,	2510751	94255-08944

छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के मान. मंत्रीजी के कार्यालय/निवास के प्रमुख अधिकारी व स्टॉफ

अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कार्यालय दूरभाष–फैक्स	निवास दूरभाष/मो.
(1)	(2)	(3)
श्रीमती गायत्री नेताम ओ.एस.डी	—	94255-46142
श्री राजेश सिंह ओ.एस.डी	—	98261-71799
श्री महेन्द्र शुक्ला मान. मंत्री जी के निज सचिव	2510904	9425520419
श्री अजय सोनी मान. मंत्री जी के निज सहायक	2221104	9926563233
श्री वर्मा निज स्थापना में	-	94255-23623
श्री बी.आर साहू निज स्थापना में	-	

संचालनालय, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक विकास विभाग के अधिकारीगण

अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कार्यालय दूरभाष–फैक्स	निवास दूरभाष / मो.
(1)	(2)	(3)
श्री डी.डी. सिंह आयुक्त	2263708	9977473000
श्री एलेक्स पॉल मेनन, संचालक	2263778	9685330000
श्री ए.के. द्विवेदी वित्त नियंत्रक	-	99776-89327
श्री एफ. मिंज संयुक्त संचालक(वित्त)	-	94060-1630
श्री एस.एल. पन्ना, उपायुक्त,	-	94790-57230
श्री संजय गौड़ उपायुक्त,	2263056	94242-27137
श्री जितेन्द्र गुप्ता उपायुक्त,	2263099	94060-70188
श्री ए.आर. नवरंग, उपायुक्त,	2263713	98267-65136
श्री प्रज्ञान सेठ उपायुक्त,	-	98262-19728
श्री माखन सिंह ध्रुव सहायक आयुक्त,	-	94255-95096
श्री बी.आर. साहू सहायक संचालक	-	94076-50458
श्री डी.डी. तिग्गा निज सचिव	2262708	98271-63348

अध्याय–03

आयोग के कार्य एवं शक्तियॉ

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम–1995 के धारा–9–1 एवं 2 के अंदर आयोग का कृत्य एवं धारा–10 के अंतर्गत आयोग की शक्तियॉ समाहित है, जो इस प्रकार है–

(9) 1. आयोग का यह कृत्य होगा कि वह :–

(क) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करें।

(ख) किन्हीं विशिष्ट जनजातियों या जनजाति समुदायों या ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को संविधान (अनुसूचित जनजातियों) आदेश 1950 में सम्मिलित करने के लिये कदम उठाने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश करना।

(ग) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी को तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में जो ऐसे कार्यक्रमों के लिये जिम्मेदार है, सुधार हेतु सुझाव दे।

(घ) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के संबंध में सलाह दे।

(ड़) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करे, जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाये।

2. आयोग की सलाह साधारणतः राज्य सरकार पर आबद्धकर होगी तथापि जहां सरकार सलाह को स्वीकार नहीं करती है वहॉ वह उसके लिये कारण अभिलिखित करेगी।

आयोग की शक्तियॉ–

(10) आयोग की धारा–9 की उपधारा–1 के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत् किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियॉ होगी अर्थात–

(क) राज्य के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षण करना।

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना।

(ड़) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षण के लिये कमीशन निकालना, और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये।

अध्याय—4

छत्तीसगढ़ राज्य में घोषित अनुसूचित जनजातियों की सूची

छ.ग. राज्य में अनुसूचित जनजाति के सूची में अंग्रेजी शब्द के हिन्दी रूपांतरण में आने वाले सभी शब्दों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत मात्रात्मक जानकारी

भारत सरकार के राजपत्र 1976 में प्रकाशन सूची (म.प्र. राज्य पुर्नगठन 2000) आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के अनुसार			छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उच्चारणगत/लेखन/ध्वन्यात्मक (Phonetic Value) विभेद को उल्लेखित जातियों के साथ मान्य की गई है। (सामान्य प्रशासन) का क्रं. एफ–13-6/2006/आ.प्रा-/1-3, दिनांक 30.12.2017			भारत राजपत्र 1976 एवं (सामान्य प्रशासन) का क्रं. एफ–13-6/2006/आ.प्रा-/1-3, दिनांक 30.12. 2017 द्वारा मान्य जातियां
क्र.	अंग्रेजी	हिन्दी	क्र.	अंग्रेजी	हिन्दी	हिन्दी
1	Agariya	अगरिया			–	अगरिया
2	Andh	आन्ध			–	आन्ध
3	Baiga	बैगा			–	बैगा
4	Bhaina	भैना			–	भैना
5	Bharia, Bhumia, Bhuinhar, Bhumia, Bhumiya, Bharia, Paliha, Pando	भारिआ, भूमिआ, भुईआर, भूमियां, भूमिआ, भारिया, पालिहा, पांडो	1 2 3 4	Bhuinhar Bharia, Bharia, Bhumia, Bhumiya, Bhumia, Pando	– भुइहर, भुइंहर भरिया, भारीया भुईया, भुईयां, भुय्या, भूईया, भूईयॉ, भूयॉ, भूय्या, भियां, – पंडो, पण्डो, पन्डो	भारिआ, भूमिआ, भुईआर, भुइहर, भुइंहर भूमियां, भरिया, भारीया भूमिआ, भुईया, भुईयां, भुय्या, भूईया, भूईयॉ, भूयॉ, भूय्या, भियां, भारिया, पालिहा, पांडो, पंडो, पण्डो, पन्डो
6	Bhattra	भतरा				भतरा
7	Bhil, Bhilala, Barela, Patelia	भील, भिलाला, बरेला, पटलिया				भील, भिलाला, बरेला, पटलिया
8	Bhil Mina	भील मीना				भील मीना
9	Bhunjia	भंजिया	5	Bhunjia	भुजिया,	भंजिया, भुजिया,
10	Biar, Biyar	बिआर, बीआर	6	Biar, Biyar	ब्यार	बिआर, ब्यार बीआर
11	Binjhwar	बिंझवार				बिंझवार
12	Birhul, Birhor	बिरहुल, बिरहोर				बिरहुल, बिरहोर
13	Damor, Damaria	दमोर, दामरिया				दमोर, दामरिया
14	Dhanwar	धनवार	7	Dhanwar	धनुवार, धनुहार	धनवार, धनुवार, धनुहार

भारत सरकार के राजपत्र 1976 में प्रकाशन सूची (म.प्र. राज्य पुर्नगठन 2000) आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के अनुसार			छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उच्चारणगत/लेखन/ध्वन्यात्मक (**Phonetic Value**) विभेद को उल्लेखित जातियों के साथ मान्य की गई है। (सामान्य प्रशासन) का क्रं. एफ–**13-6/2006/**आ.प्रा-**/1-3,** **दिनांक 30.12.2017**			भारत राजपत्र 1976 एवं (सामान्य प्रशासन) का क्रं. एफ–**13-6/2006/**आ.प्रा-**/1-3,** **दिनांक 30.12. 2017** द्वारा मान्य जातियां
क्र.	**अंग्रेजी**	**हिन्दी**	**क्र.**	**अंग्रेजी**	**हिन्दी**	**हिन्दी**
15	Gadaba,	गडाबा	8	Gadaba, Gadba	गदबा,	गडाबा, गदबा,
	Gadba	गडवा				गडवा
16	Gond,	गोंड,	9	Gond,	गोंड़, गोड	गोंड, गोंड़, गोड
	Arakh,	अरख,				अरख,
	Arrakh,	आरख				आरख
	Agaria,	अगरिया,				अगरिया,
	Asur,	असुर,				असुर,
	BadiMaria,	बड़ी मारिया,				बड़ी मारिया,
	Bada Maria,	बड़ा मारिया,				बड़ा मारिया,
	Bhatola,	भटोला,				भटोला,
	Bhimma,	भीमा,				भीमा,
	Bhuta,	भुता,				भुता,
	Koilabhuta,	कोइलाभुता,				कोइलाभुता,
	Koliabhuti,	कोइलाभुती,				कोइलाभुती,
	Bhar,	भार,				भार,
	Bisonhorn	बिसोनहार्न				बिसोनहार्न
	Maria,	मारिया,				मारिया,
	Chota Maria,	छोट मारिया,				छोट मारिया,
	Dandami,	दंडामी,				दंडामी,
	Maria,	मारिया,				मारिया,
	Dhuru,	धुरू,				धुरू,
	Dhurwa,	धुरवा,				धुरवा,
	Dhoba,	धोबा,				धोबा,
	Dhulia,	धुलिया,	10	Dhulia,	ढुलिया, ढोलिया, ढोलीया,	धुलिया, ढुलिया, ढोलिया, ढोलीया,
	Dorla,	डोरला,	11	Dorla,	दोरला,	डोरला, दोरला,
	Gaiki,	गायकी,				गायकी,
	Gatta,	गट्टा,				गट्टा,
	Gatti,	गट्टी,				गट्टी,
	Gaita,	गैटा,				गैटा,
	Gond, Gowari,	गोंड, गोवारी,				गोंड, गोवारी,
	Hill Maria,	हिल मारिया,				हिल मारिया,
	Kandra,	कंडरा,	12	Kandra,	कंडरा, कडंरा, कड़ंरा	कंडरा, कंडरा, कडंरा, कड़ंरा
	Kalanga,	कलंगा,				कलंगा,
	Khatola,	खटोला,				खटोला,
	Koitar,	कोइतर,				कोइतर,

भारत सरकार के राजपत्र 1976 में प्रकाशन सूची (म.प्र. राज्य पुर्नगठन 2000) आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के अनुसार			छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उच्चारणगत/लेखन/ध्वन्यात्मक (Phonetic Value) विभेद को उल्लेखित जातियों के साथ मान्य की गई है। (सामान्य प्रशासन) का क्रं. एफ-13-6/2006/आ.प्रा-/1-3, दिनांक 30.12.2017			भारत राजपत्र 1976 एवं (सामान्य प्रशासन) का क्रं. एफ-13-6/2006/आ.प्रा-/1-3, दिनांक 30.12. 2017 द्वारा मान्य जातियां
क्र.	अंग्रेजी	हिन्दी	क्र.	अंग्रेजी	हिन्दी	हिन्दी
	Koya, Khirwar, Khirwara, Kucha Maria,	कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया,				कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया,
	Kuchaki Maria, Madia, Maria, Mana, Mannewar, Moghya, Mogia, Monghya, Mudia, Muria, Nagarchi, Nagwanshi,	कुचाकी मारिया, माडिया, मारिया, माना मन्नवार, मोघ्या, मोगिया, मोंघ्या मुडिया, मुरिया, नगारची, नागवंशी,	13	Nagwanshi,	नगवंसी/नगवन्सी, नगबंसी, नगवासी, नगवंशी, नागवंशी, नगबंशी, नंगवसी, नागबंसी, नगवसी, नागवंसी, नांगवसी, नगबासी, नगबन्सी, नागवन्सी, नागबंसि, नागबसि, नगबसी,	कुचाकी मारिया, माडिया, मारिया, माना मन्नवार, मोघ्या, मोगिया, मोंघ्या मुडिया, मुरिया, नगारची, नागवंशी, नगवंसी/नगवन्सी, नगबंसी, नगवासी, नगवंशी, नागवंशी, नगबंशी, नंगवसी, नागबंसी, नगवसी, नागवंसी, नांगवसी, नगबासी, नगबन्सी, नागवन्सी, नागबंसि, नागबसि, नगबसी,
	Ojha, Raj, Sonjhari Jhareka, Thatia, Thotya, Wade Maria, Vade Maria, Daroi	ओझा, राज, सोन्झारी, झरेका, थाटिया, थोटया, बाडे माडिया, वडेमाडिया, दराई				ओझा, राज, सोन्झारी, झरेका, थाटिया, थोटया, बाडे माडिया, वडेमाडिया, दराई
17	Halba, Halbi	हलबा, हलबी	14	Halba,	हल्बा, हल्वा	हलबा, हल्बा, हल्वा हलबी
18	Kamar	कमार				कमार
19	Karku	कारकू				कारकू
20	Kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa,	कवर, कंवर, कौर, चेरवा,				कवर, कंवर, कौर, चेरवा,

भारत सरकार के राजपत्र 1976 में प्रकाशन सूची (म.प्र. राज्य पुर्नगठन 2000) आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के अनुसार			छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उच्चारणगत/लेखन/ध्वन्यात्मक (**Phonetic Value**) विभेद को उल्लेखित जातियों के साथ मान्य की गई है। (सामान्य प्रशासन) का क्रं. एफ–**13-6/2006/**आ.प्रा-**/1-3,** **दिनांक 30.12.2017**			भारत राजपत्र 1976 एवं (सामान्य प्रशासन) का क्रं. एफ–**13-6/2006/**आ.प्रा-**/1-3,** **दिनांक 30.12. 2017** द्वारा मान्य जातियां
क्र.	अंग्रेजी	हिन्दी	क्र.	अंग्रेजी	हिन्दी	हिन्दी
	Rathia, Tanwar, Chattri	राठिया, तनवर, छत्री	15	Tanwar,	तंवर, तवर,	राठिया, तनवर, तंवर, तवर, छत्री
21	Khairwar, Kondar	खैरवार, कोंदर	16	Khairwar,	खेरवार, खरवार,	खैरवार, खेरवार, खरवार, कोंदर
22	Kharia	खरिया				खरिया
23	Kondh,	कोंध,	17	Kondh,	कोंद, कोन्द	कोंध, कोंद, कोन्द
	Khond, Kandh	खोंड, कांध				खोंड, कांध
24	Kol	कोल				कोल
25	Kolam	कौलम				कौलम
26	Korku, Bopchi, Mouasi, Nihal, Nahul, Bondhi, Bondeya	कोरकू, बोपची, मवासी, निहाल, नाहुल, बौंधी, बौंडेया				कोरकू, बोपची, मवासी, निहाल, नाहुल, बौंधी, बौंडेया
27	Korwa, Kodaku	कोरवा, कोडाकू	18	Kodaku	कोड़ाकू	कोरवा, कोडाकू, कोड़ाकू
28	Majhi	मांझी	19	Majhi	माझी	मांझी, माझी
29	Majhwar	मझवार				मझवार
30	Mawasi	मवासी				मवासी
31	Munda	मुंडा				मुंडा
32	Nagesia, Nagasia	नगेसिया, नागासिया				नगेसिया, नागासिया
33	Oraon, Dhanka, Dhangad	उरांव, धानका, धनगढ़	20	Dhangad	धांगड़	उरांव, धानका, धनगढ़, धांगड़
34	Pao	पाव				पाव
35	Pardhan, Pathari, Saroti	परधान, पथारी, सरौती	21	Pathari,	पठारी,	परधान, पथारी, पठारी, सरौती

भारत सरकार के राजपत्र 1976 में प्रकाशन सूची (म.प्र. राज्य पुर्नगठन 2000) आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के अनुसार			छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उच्चारणगत/लेखन/ध्वन्यात्मक (**Phonetic Value**) विभेद को उल्लेखित जातियों के साथ मान्य की गई है। (सामान्य प्रशासन) का क्रं. एफ–**13-6/2006/**आ.प्रा-**/1-3,** **दिनांक 30.12.2017**			भारत राजपत्र 1976 एवं (सामान्य प्रशासन) का क्रं. एफ–**13-6/2006/**आ.प्रा-**/1-3,** **दिनांक 30.12. 2017** द्वारा मान्य जातियां
क्र.	**अंग्रेजी**	**हिन्दी**	**क्र.**	**अंग्रेजी**	**हिन्दी**	**हिन्दी**
36	Pardhi: Bahelia, Bahellia, Chita Pardhi, Langoli, Pardhi, Phans Pardhi, Shikari, Takankar, Takia [in (1) Basrar, Chhindwara, Mandla, Raigarh, Seoni and Surguja district (2) Baihar tahsil of Balaghat district, (3) Betul and Bhainsdehi tahsils of Betul district, (4) Bilaspur and Katghora tahsils of Bilaspur district, (5) Durg and Balod tahsils of Durg district, (6) Chowki, Manpur and Mohala Revenue Inspectors' Circles of Rajnandgaon district, (7) Murwara, Patan and Sihora tahsils of jabalpur district, (8) Hoshngabad and Sohagpur tahsils of Hoshangabad district, and Narsimhapur district, (9) Harsud tahsil of Khndwa district, (10) Bindra-Nawagarh, Dhamtari and	पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली, पारधी, फांस पारधी, शिकारी, टकनकर, टाकिया (बस्तर, छिन्दवाड़ा, मंडला, रायगढ़, सिवनी, सरगुजा जिले में, बालाघाट जिले की मैहर तहसील, बैतूल जिले की भैंसदेही, बैतूल तहसील, दुर्ग, बिलासपुर जिले की बिलासपुर तहसील, दुर्ग जिले की ओर बालौद तहसील में राजनांदगांव जिले की चौकी भीनपुर और मोहला राजस्व निरीक्षक मंडल में जबलपुर जिले की मुरवारा, पाटन, सीहोरा तहसील में होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद, सोहागपुर तहसील में नरसिंहपुर जिला, खंडवा जिले की हरसूद तहसील में, रायपुर जिले की बिन्द्रानवागढ़ धमतरी और महासमुंद तहसील में)				पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली, पारधी, फांस पारधी, शिकारी, टकनकर, टाकिया (बस्तर, छिन्दवाड़ा, मंडला, रायगढ़, सिवनी, सरगुजा जिले में, बालाघाट जिले की मैहर तहसील, बैतूल जिले की भैंसदेही, बैतूल तहसील, दुर्ग, बिलासपुर जिले की बिलासपुर तहसील, दुर्ग जिले की ओर बालौद तहसील में राजनांदगांव जिले की चौकी भीनपुर और मोहला राजस्व निरीक्षक मंडल में जबलपुर जिले की मुरवारा, पाटन, सीहोरा तहसील में होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद, सोहागपुर तहसील में नरसिंहपुर जिला, खंडवा जिले की हरसूद तहसील में, रायपुर जिले की बिन्द्रानवागढ़ धमतरी और महासमुंद तहसील में)

भारत सरकार के राजपत्र 1976 में प्रकाशन सूची (म.प्र. राज्य पुर्नगठन 2000) आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के अनुसार			छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उच्चारणगत/लेखन/ध्वन्यात्मक (**Phonetic Value**) विभेद को उल्लेखित जातियों के साथ मान्य की गई है। (सामान्य प्रशासन) का क्रं. एफ–**13-6/2006/**आ.प्रा-**/1-3**, दिनांक **30.12.2017**			भारत राजपत्र 1976 एवं (सामान्य प्रशासन) का क्रं. एफ–**13-6/2006/**आ.प्रा-**/1-3**, दिनांक **30.12. 2017** द्वारा मान्य जातियां
क्र.	**अंग्रेजी**	**हिन्दी**	**क्र.**	**अंग्रेजी**	**हिन्दी**	**हिन्दी**
	Mahasamund tahsils of Raipur district]					
37	Parja	परजा				परजा
38	Sahariya, Saharia, Seharia, Sehria Sosia, Sor	सहारिया, सहरिया, सेहरिया, सहरिया,सोसिया, सोर				सहारिया, सहरिया, सेहरिया, सहरिया,सोसिया, सोर
39	Saonta, Saunta	साओंता, सौंता				साओंता, सौंता
40	Saur	सौर				सौर
41	Sawar, Sawara	सावर, सवरा	22	Sawara	सौरा, सौवरा, सौंरा, संवरा, सहरा, सॅवरा, सॉवरा,	सावर, सवरा, सौरा, सौवरा, सौंरा, संवरा, सहरा, सॅवरा, सॉवरा,
42	Sonr	सोनर				सोनर

अध्याय–5

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र (जाति प्रमाण पत्र) जारी करने, सत्यापित करने तथा निरस्त करने आदि के संबंध में दिशा–निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक/एफ13–22/2012/आ.प्र./1–3 नया रायपुर, दिनांक 24.09.2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छत्तीसगढ़

विषय :– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण–पत्र) जारी करने, सत्यापित करने तथा निरस्त करने आदि के संबंध में ।

वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के हजारों अधिकारी/कर्मचारी तथा उनके परिवार छत्तीसगढ़ राज्य से मध्यप्रदेश राज्य तथा मध्यप्रदेश राज्य से छतीसगढ़ राज्य में प्रवासित हुए थे, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी सम्मिलित थे, फलस्वरूप जाति प्रमाण–पत्र जारी करने संबंधी दिशा निर्देशों के कुछ नीति निर्देशक तत्वों यथा मूल निवास, स्थानीय निवास तथा प्रवर्जन आदि विषयों पर कतिपय शंकाएं उत्पन्न हो रही थीं। इसके अतिरिक्त राज्य का क्षेत्रफल पहले की तुलना में कम होने तथा राजधानी एवं राज्य सरकार आमजन की पहुंच सहज एवं सुलभ होने से विभिन्न जाति एवं जनजाति संगठनों द्वारा जाति प्रमाण–पत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर आने वाली कठिनाईयों की ओर भी राज्य सरकार ध्यान आकर्षित किया जा रहा था । फलस्वरूप इन सब विषयों पर इस विभाग के द्वारा समय–समय पर यथानुसार निर्देश जारी किए गए हैं।

इस दौरान राज्य सरकार के ध्यान में यह भी आया कि कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा फर्जी जाति प्रमाण–पत्र के माध्यम से शासकीय सेवाओं में आरक्षित पदों पर नौकरियां प्राप्त कर ली गई हैं, जिसके कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के वास्तविक हकदार संविधान प्रदत्त सुविधाओं से वंचित हुए हैं। ऐसे लोगों के विरूद्ध जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति के माध्यम से जॉच एवं अनुसंधान उपरांत निर्णय पारित किए गए तथा उनमें से कुछ को शासकीय सेवा से भी बर्खास्त किया गया परन्तु विशिष्ट कानूनी प्रावधानों के अभाव के कारण ऐसी मिथ्या तथा फर्जी प्रमाण पत्र धारकों के द्वारा कानूनी अड़चने पैदा कर कार्यवाही को विलंबित किया जा रहा था ।

इन सब परिस्थितियों पर समुचित विचार–विमर्श के उपरांत राज्य शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के

प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 पारित करवाया गया जिसे आगे अधिनियम 2013 कहा गया है। और उक्त अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रामीणकरण का विनियमन) नियम, 2013 भी जारी किया गया है, जिसे आगे नियम 2013 कहा गया है।

उक्त अधिनियम एवं नियम में परम्परा अनुसार विधिक भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, जिसे समझने में संभवतः कहीं–कहीं कठिनाई हो सकती है, अतः उक्त अधिनियम एवं नियम का सार सरल भाषा में जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है। ये निर्देश जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आमजन के लिए सहज रूप से समझने की सुविधा के उद्देश्य से अनुपूरक व्यवस्था के रूप में जारी किए जा रहे हैं। किन्हीं कानूनी कार्यवाहियों के संदर्भ में ये निर्देश सुसंगत नहीं होंगे और विशिष्ट बिन्दुओं पर कोई विवाद होने पर उसका समाधान उक्त अधिनियम 2013 एवं नियम 2013 के प्रावधानों के तहत ही किया जावेगा। तद्नुसार उपर्युक्त विषय पर निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं।

निर्देश :–

आवेदन–पत्र का स्वरूप एवं प्रस्तुति

1. अधिनियम 2013 की धारा 3 एवं नियम 2013 के नियम 3(1) के अंतर्गत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में आवेदक आवेदन पत्र स्वयं या च्वाईस सेंटर या सामान्य सेवा केन्द्र(Common Service Centre) के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।
2. नियम 2013 के नियम 3(1) एवं 3(2) के प्रावधान सामान्यत तौर पर सभी आवेदकों के संबंध में लागू होने परन्तु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र की सबसे अधिक एवं प्राथमिक रूप से आवश्यकता वास्तव में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ही होती है, इसे दृष्टिगत रखते हुए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–46/25–2/2011/आ.जा.वि. दिनांक 26 नवम्बर 2011 के द्वारा तथा इस विभाग परिपत्र दिनांक 12 दिसम्बर 2011 द्वारा संबंधित विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा ही आवेदन–पत्र उपलब्ध कराये जाने सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित किये जाने तथा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरांत स्कूलों के माध्यम से ही संबंधित विद्यार्थी को वितरित किये जाने अध्ययनरत विद्यार्थियों को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत उसी आधार पर उनके अन्य भाई एवं बहनों को भी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी किये जाने आदि के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए थे। उपर्युक्त निर्देशों का पालन करते हुए पुनः समस्त विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा इस संबंध में यह धन रखा जावे कि सामाजिक पारिस्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों को न बुलाया जाए। आवश्यक होने पर केवल उनके पिता/अभिभावक/पालक को ही बुलाया जाए।

जाति प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन –पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण–पत्र) नियम, 2013 के नियम 3 (3) के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदन पत्र के साथ किन–किन दस्तावेजों को संलग्न किया जाना है। उक्त दस्तावेजों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. शपथपत्र
2. पटवारी द्वारा जारी वंशवृक्ष
3. Cut off date (राष्ट्रपति अधिसूचना की तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि, यथास्थिति) के पूर्व से, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में निवास करने से संबंधित दस्तावेज।
4. मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में आबंटन आदेश तथा Cut off date के पूर्व से वर्तमान मध्यप्रदेश की भौगोलिक सीमा में निवास करने से संबंधित दस्तावेज (म.प्र. से छत्तीसगढ़ आए शासकीय कर्मचारियों की संतानों के संबंध में)
5. निम्नांकित में से कोई दस्तावेज।
   - (क) पूर्वजों के राजस्व दस्तावेज (मिसल)
   - (ख) जमाबंदी (सर्वे) या गिरदावरी,
   - (ग) राज्य बंदोबस्त,
   - (घ) अधिकार अभिलेख (1954),
   - (ड) जनगणना (1931),
   - (च) वन विभाग की जमाबंदी,
   - (छ) नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (1949)
   - (ज) जन्म या मृत्यु पंजी,
   - (झ) यदि पिता अथवा पूर्वज शिक्षित थे, तो दाखिल खारिज पंजी,
   - (ञ) पिता, पूर्वज अथवा रिश्तेदार को पूर्व में जारी प्रमाण पत्र,
   - (ट) जहां जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजों का प्रमाण उपलब्ध न हो तो सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में पारित संकल्प,
6. आवेदक के पिता का पूर्व वर्ष का आय प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए),
7. डाक टिकट सहित पूर्ण एवं स्पष्ट लिखा हुआ लिफाफा।

छात्रवृत्ति हेतु जाति/आय/निवास प्रमाण-पत्र

क्रमांक 107/साप्रवि/2001/1-3 **रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर, 2001**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पिता/पति का नाम..निवासी ग्राम/नगर.................. विकासखण्ड ....तहसील.....................जिला....................संभाग.... ....जो.....................अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह.........................जाति/जनजाति अनुसूचित जाति/जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक....................पर अंकित है।

संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत शासन की अधिसूचना दिनांक 30/08/1995 के अनुसार इनकी जाति..............है जो पिछड़ा वर्ग की सूची में क्रमांक........में दर्ज है।

दिनांक...................

हस्ताक्षर
सरपंच/पटवारी/पार्षद
का नाम/पदनाम
(सील)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, डी.के.एस.भवन, रायपुर

क्रमांक 107/साप्रवि/2001/1-3 **रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर, 2001**

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़

विषय :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के उम्मीद्वारों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये प्रमाण पत्र जारी किया जाना।

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीद्वारों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु जारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आने वाली कठिनाई पर राज्य शासन द्वारा विचार किया गया। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीद्वारों को छात्रवृत्ति हेतु जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये पटवारी/सरपंच तथा शहरी क्षेत्रों में पार्षदों को अधिकृत किया जाये। तद्नुसार छात्रवृत्ति हेतु जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये पटवारी/सरपंच तथा शहरी क्षेत्र में पार्षदों को अधिकृत किया गया है।
2. जाति प्रमाण-पत्र तथा आय प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 01.08.1996 को निर्देश जारी किये गये है। अतः संबंधित पटवारी/सरपंच/पार्षद उक्त निर्देशों में निहित प्रावधानों के अंतर्गत ही जाति प्रमाण-पत्र छात्रवृत्ति प्रयोजन के लिये जारी कर सकते है।
3. जाति प्रमाण-पत्र महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसका संधारण भली-भांति किया जाना चाहिये। जैसा कि राजस्व प्रकरणों को दर्ज किया जाता है। उसी तरह से जाति प्रमाण-पत्रों को भी दर्ज किया जाना चाहिये।
4. छात्रवृत्ति हेतु जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप संलग्न है। छात्रवृत्ति प्रयोजन के लिये जारी प्रमाण-पत्र या आय प्रमाण-पत्र केवल छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये मान्य होगा व अन्य सुविधाओं के लिये मान्य नहीं होगी।

   संलग्न :-एक

(डॉ. इंदिरा मिश्र)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक 108/सैप्रवि/2001/1-3 **रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर, 2001**

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य सचिव के उप सचिव
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, रायपुर
3. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
4. संचालक, नगरीय प्रशासन, रायपुर (छ.ग.)
5. संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर (छ.ग.)

अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 3816/आरा./1228/25-2 **नया रायपुर, दिनांक 08.05.2013**

प्रति,

कलेक्टर,
जिला..........................(समस्त)
छत्तीसगढ़

विषय :- जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की सरलीकृत प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार करने के संबंध में।

--००--

1. राज्य में पात्र आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में होने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए इसकी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विधानसभा में अधिनियम पारित किया गया है तथा इसे प्रभावशील करने के लिए नियम बनाये जा रहे हैं।

2. अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में अधिसूचना तथा सम्यक नियम पृथक से जारी किये जायेंगे। आम जनता में प्रचार-प्रसार करने हेतु इसके मुख्य बिन्दुओं की जानकारी संलग्न पत्र में दी गई है। तदनुसार सरलीकृत प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार कराये तथा नवीन प्रक्रिया को अमल में लाने हेतु प्रशासनिक तैयारी करें।

संलग्नः- सरलीकृत प्रक्रिया

(मनोज कुमार पिंगुआ)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग

जाति प्रमाण–पत्र जारी करने की सरलीकृत प्रक्रिया के मुख्य बिन्दु

आवेदन करने की प्रक्रिया

- ❖ आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शपथ–पत्र एवं अन्य दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। डाक अथवा च्वाइस सेंटर के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकेगा।
- ❖ आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को अनिवार्यतः पावती उपलब्ध करायी जायेगी।

जाति प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया

- ❖ जाति प्रमाण–पत्र 01 माह में जारी किया जायेगा। पूर्व में यह अवधि 06 माह निर्धारित थी।
- ❖ कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्कूलों के माध्यम से जाति प्रमाण–पत्र जारी किये जा रहे हैं। इसकी जांच औचक (रैंडम) पद्धति से की जाएगी।
- ❖ इस सेवा को निकट भविष्य में छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया जायेगा।
- ❖ अस्थाई जाति प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारी द्वारा ही अस्थाई जाति प्रमाण–पत्र करने के बाद आवेदक का आवेदन–पत्र स्थाई जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी को अग्रेषित किया जायेगा। पुनः आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।
- ❖ जिन छात्र–छात्राओं के पिता, भाई–बहनों को विधिवत परीक्षण कर जाति प्रमाण–पत्र जारी किये हैं, उन्हें संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
- ❖ स्थानीय निकायों के चुनाव एवं सभी चुनाव, जहां आरक्षण लागू है एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा अस्थाई जाति प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।
- ❖ सरपंचों और पार्षदों द्वारा केवल प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल में प्रवेश तथा प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति के लिए ही अस्थायी जाति प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा, जो ०६ माह के लिए वैध होगा।
- ❖ जाति प्रमाण–पत्र हिन्दी के अलावा मांग किये जाने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित अंग्रेजी प्रारूप में भी जारी किया जा सकेगा।

सबूत विषयक प्रक्रिया

- ❖ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों की 1950 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में मूल निवास की स्थिति देखी जायेगी, किन्तु यदि उनके पास अपनी जाति को सिद्ध करने के लिए 1950 के पूर्व के दस्तावेज नहीं है, तो भी उनका आवेदन लेने से न तो इंकार किया जायेगा और न ही उसे निरस्त किया जायेगा। जाति प्रमाण–पत्र का आवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गयी जांच के आधार पर ही प्रमाण–पत्र जारी अथवा निरस्त किया जायेगा।
- ❖ जाति के संबंध में सबूत हेतु अभिलेख उपलब्ध नहीं होने पर ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में दिये गये साक्ष्य को भी आधार माना जा सकेगा। इसके अतिरिक्त संबंधित जाति के स्थानीय लोगों की गवाही को भी सबूत माना जायेगा। आवेदक अथवा उसके पालक द्वारा दिये गये शपथ–पत्र को भी साक्ष्य के रूप में विचार किया जा सकेगा।

सत्यापन की प्रक्रिया

- ❖ सरकारी नौकरी तथा व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आवेदन–पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन के साथ ''जाति प्रमाण–पत्र सत्यापन समिति'' द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
- ❖ जिले में जारी किये गये जाति प्रमाण–पत्र में से लगभग 10% उम्मीदवारों के जाति प्रमाण–पत्रों को औचक (रैण्डम) पद्धति से चयन कर सत्यापित किया जायेगा। शासकीय नौकरी अथवा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए चयनित सफल उम्मीदवारों में यदि किसी की जाति प्रमाण–पत्र संदेहास्पद होने की शिकायत प्राप्त होगी, अथवा नियुक्तियां या संस्था प्रमुख को संदेहास्पद प्रतीत होगा, तो केवल उसके प्रमाण–पत्र का सत्यापन कराया जायेगा।
- ❖ छानबीन की प्रक्रिया में जाति प्रमाण–पत्र गलत/फर्जी पाये जाने पर धारकों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था में विशिष्ट विधि के अभाव में गलत/फर्जी जाति प्रमाण–पत्र का लाभ लेने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करना कठिन था, जबकि गलत/फर्जी जाति प्रमाण–पत्र जारी करने वाले शासकीय अधिकारी के विरूद्ध विभागीय एवं दाण्डिक कार्यवाही कर दी जाती थी जिसके कारण जाति प्रमाण–पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहते थे। नये कानून में सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही के लिए संरक्षण की व्यवस्था की गयी है। सिर्फ घोर लापरवाही अथवा मिलीभगत अथवा जालसाजी आदि के मामलों में ही अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

अध्याय–6

संवैधानिक प्रावधान एवं महत्वपूर्ण नियम–अधिनियम

क्र.	जनजातियों के संवैधानिक हितों/अधिकारों के प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण	संविधान की अनुच्छेद
1	मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियॉ।	अनुच्छेद–13, 13 (3) (क)
2	समता के अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियॉ।	अनुच्छेद–14
3	धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के अधार पर विभेद का प्रतिषेध।	अनुच्छेद–15
	अनुसूचित जनजातियों के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करने का प्रावधान है तथा इनके उन्नति के लिए विशेष उपबंध (आरक्षण) बनाने का प्रावधान है।	अनुच्छेद–15(4)
4	इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।	अनुच्छेद–16(4क)
	इस अनुच्छेद की कोई बाद राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को, जो खंड (4) या खंड (4क) के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही है, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।	अनुच्छेद–16(4ख)
5	वाक्–स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण।	अनुच्छेद–19
6	मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध।	अनुच्छेद–23
7	राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।	अनुच्छेद–38
8	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।	अनुच्छेद–46
9	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध है।	अनुच्छेद–244(1)
	73 वॉ संविधान संशोधन द्वारा पांचवी अनुसूची पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 पेशा कानून के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों के सरपंच पद पर जनपद पंचायतों/जिला पंचायतों के अध्यक्ष पद तथा उक्त पंचायतों के कुल 50 प्रतिशत से अधिक पंच/जनपद सदस्य/जिला पंचायत सदस्य आदि पद आदिवासियों के लिए आरक्षित है।	अनुच्छेद–244(1)
	अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि (कानून) का स्पष्ट प्रावधान है अर्थात् इन क्षेत्रों में भूमि का अंतरण और आबंटन, बैंकिंग सिस्टम, शांति एवं प्रशासन इत्यादि संबंधी प्रशासनिक कार्य गैर आदिवासी क्षेत्रों से अलग होगा।	अनुच्छेद–244(1)5
	छठी अनुसूची के उपबंध (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए होंगे)	अनुच्छेद–244(2)
10	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए भारत की संचित निधि से राज्य सरकार को अनुदान राशि देने का प्रावधान है।	अनुच्छेद–275(1)
11	लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।	अनुच्छेद–330
12	राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।	अनुच्छेद–332
13	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग – (1) अनुसूचित जन जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाने के लिए अनुसूचित जन जातियों के लिए एक आयोग होगा ।	अनुच्छेद 338
14	अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कारण के बारे में संघ का नियंत्रण	अनुच्छेद–339
15	भारत के प्रत्येक राज्य में निवासरत (आदिवासी) अनुसूचित जनजाति की सूची महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया है।	अनुच्छेद–342

जनजातियों के संवैधानिक हितों/अधिकारों के प्रावधानों का सारगर्भित विवरण

01. अनुच्छेद 13 – मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां – **(1)** इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियॉ उस मात्रा तक शून्य होंगी, जिस तक वे इस भाग के उपबन्धों से असंगत हैं।

(2) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खण्ड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होंगी।

(3) इस अनुच्छेद में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''विधि'' के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है;

(ख) ''प्रवृत्त विधि'' के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधान–मण्डल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधन के प्रारम्भ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होंगी।

02. अनुच्छेद 14 – विधि के समक्ष समता – राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

03. अनुच्छेद 15 – धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध–

(1) राज्य, किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

(2) कोई नागरिक केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर –

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या

(ख) पूर्णतः या भागतः राज्य–निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

(4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

(5) अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में संदर्भित राज्य द्वारा असंयोजित हों या न हों शिक्षण संस्थाओं में सम्मिलित होने वाली प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं में उनके प्रवेश से संबंधित विशिष्ट उपबंध जहॉ तक सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के नागरिकों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लाभ का संबंध है, अनुच्छेद 19 के खण्ड 1 के उपखण्ड(छ) में या इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य सरकार को विशेष उपबंध बनाने से रोक सकेगी।

04. अनुच्छेद 16– लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता – (1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

(2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्‌भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

4(क) इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में राज्य के अधीन सेवा में पदों के वर्गों या किसी भी वर्ग की परिणामिक वरिष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए किसी प्रावधान को निर्मित करने के लिए राज्य को कोई भी चीज नहीं रोकेगी जो राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं या नौकरियों में पर्याप्त रूपेण प्रतिनिधित्व नहीं किए जाते हैं ।

4(ख) इस अनुच्छेद में की कोई बात राज्य को किसी वर्ग की बिना भरी हुई रिक्तियों पर विचार करने से नहीं रोकेगी जो उस वर्ष में खण्ड (4) एवं 4(क) के अधीन आरक्षित है एवं जिन्हें भर दिया जाना था, जिसे आगामी रिक्तियों के अनुसार भरा जाना हो। रिक्तियों को उस वर्ष रिक्तियों के साथ नहीं माना जायेगा जो वर्ष की रिक्तियों से संबंधित है, एवं जो पचास प्रतिशत के विनिश्चय से संदर्भित है एवं जो उस वर्ष सम्पूर्ण आरक्षित संख्या से संदर्भित हो।

(5) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबन्ध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो।

05. अनुच्छेद 19– वाक्–स्वातन्त्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण–

(1) सभी नागरिकों को–

(क) वाक्–स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति– स्वातन्त्र्य का,

(ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का,

(ग) संगम या संघ बनाने का,

(घ) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अवाध संचरण का,

(ङ.) भारत के राज्य क्षेत्र के भाग में निवास करने और बस जाने का, और

(छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, या कारबार करने का, अधिकार होगा।

(2) खण्ड (1) के उपखंड (क) की कोई बात उक्त उपखण्ड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध–उद्‌दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।

(3) उक्त खण्ड के उपखण्ड (ख) की कोई बात उक्त उपखण्ड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखण्डता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।

(4) उक्त खण्ड के उपखण्ड (ग) की कोई बात उक्त उपखण्ड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखण्डता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।

(5) उक्त खण्ड के उपखण्ड (घ) और उपखण्ड (ड.) की कोई बात उक्त उप–खण्डों द्वारा दिये गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।

(6) उक्त खण्ड के उपखण्ड (छ) की कोई बात उक्त उपखण्ड द्वारा दिये गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहॉं तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी और विशिष्टया उक्त उपखण्ड की कोई बात–

(1) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हताओं से, या

(2) राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारबार, उद्योग या सेवा, नागरिकों का पूर्णतः या भागतः अपवर्जन करके या अन्यथा, चलाए जाने से, जहां तक कोई विद्यमान विधि सम्बंध रखती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या इस प्रकार सम्बन्ध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।

06. **अनुच्छेद 23 – मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध–** (1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या उनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

07. **अनुच्छेद 38– राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा–** (1) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।

(2) राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।

08. **अनुच्छेद 46– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि –** (1) राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

09. **अनुच्छेद 244– अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन –** (1) पांचवी अनुसूची के उपबन्ध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे।

(2) छठी अनुसूची के उपबन्ध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे।

10. अनुच्छेद 275– कुछ राज्यों को संघ से अनुदान – (1) ऐसी राशियॉ जिनका संसद विधि द्वारा उपबन्ध करे, उन राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जिन राज्यों के विषय में संसद यह अवधारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है और भिन्न–भिन्न राज्यों के लिए भिन्न–भिन्न राशियॉ नियत की जा सकेंगी :

परन्तु किसी राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी और आवर्ती पूंजी और आवर्ती राशियां संदत्त की जाएंगी जो उस राज्य को उन विकास स्कीमों के खर्चों को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों जिन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने या उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में लिया जाय :

11. अनुच्छेद 330– लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण–

(1) लोकसभा में–

(क) अनुसूचित जातियों के लिए,

(ख) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए, और

(ग) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए, स्थान आरक्षित रहेंगे।

(2) खण्ड (1) के अधीन किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, लोक सभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की या उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य का या संघ राज्यक्षेत्र की कुल जनसंख्या से है।

(3) खण्ड (2) में किसी बात के होते हुए भी, लोकसभा में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस राज्य को आबंटित स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो उक्त स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।

स्पष्टीकरण– इस अनुच्छेद में और अनुच्छेद 332 में, '' जनसंख्या'' पद से ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत ऑकड़े प्रकाशित हो गए हैं:

परन्तु इस स्पष्टीकरण में अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तकसन [1][2026] के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह [1][2001] की जनगणना के प्रति निर्देश है।

12. अनुच्छेद 332– राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण– (1) प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे।

(2) असम राज्य की विधानसभा में स्वशासी जिलों के लिए भी स्थान आरक्षित रहेंगे।

(3) खण्ड (1) के अधीन किसी राज्य की विधासभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो यथास्थिति, उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य के भाग की अनुसूचित जनजातियों की जिसके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।

(3क) खण्ड (3) में किसी बात के होते हुए भी सन 2001 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के आधार पर, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, और नागालैंड राज्यों की विधानसभाओं में स्थानों की संख्या के, अनुच्छेद 170 के अधीन, पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक, जो स्थान ऐसे किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे वे–

(क) यदि संविधान (सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम 1987 के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐस राज्य की विद्यामान विधानसभा में (जिसे इस खण्ड में इसके पश्चात विद्यमान विधानसभा कहा गया है) सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा धरित हैं, तो एक स्थान को छोड़कर सभी स्थान होंगे ; और

(ख) किसी अन्य दशा में, उतने स्थान जिनकी संख्या का अनुपात, स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की (उक्त तारीख को यथाविद्यमान) संख्या का अनुपात विद्यमान विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या से है।

[2][(3ख) खण्ड (3) में किसी बात के होते हुए भी, सन [3][2026] के पश्चात की गई पहली जनगणना के आधार पर त्रिपुरा राज्य की विधानसभा में स्थानों की संख्या के अनुच्छेद 170 के अधीन, पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक, जो स्थान उस विधान सभी में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे वे उतने स्थान होंगे जिनकी संख्या अनुपात, स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की, संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनयम, 1992 के प्रवृत्त होने की तारीख को यथाविद्यमान संख्या का अनुपात उक्त तारीख को उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से है।]

(4) असम राज्य की विधान सभी में किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो उस जिले की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।

(5) असम के किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों के निर्वाचन–क्षेत्रों में उस जिले के बाहर का कोई क्षेत्र समाविष्ट नहीं होगा।

13. अनुच्छेद 338–(राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग – (1) अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाने के लिए अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा ।

(2) संसद द्वारा इस निमित्त बनायी गयी किसी भी विधि के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवम तीन अन्य व्यक्ति से मिलकर बनेगा। सेवा की शर्तें तथा इस प्रकार से नियुक्त किय गये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के पद की अवधि ऐसी होगी जैसा अध्यक्ष नियम द्वारा अवधारित करें ।)

(3) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य को नियुक्त करेगा।

(4) आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह,–

(क) अनुसूचित जातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबन्धित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे।

(ख) अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करें ;

(ग) अनुसूचित जातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे ;

(घ) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे ;

(ड.) ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए, तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करे ;

(च) अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(6) राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(7) जहां कोई ऐसा प्रतिवेदन, या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है तो ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उस राज्य के विधान–मण्डल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारियों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृत के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(8) आयोग को खण्ड (5) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय, विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वे सभी शक्तियों होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात –

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना अैर हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना।

(ड.) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ;

(च) कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा, अवधारित करें ।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रेरित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।

[1][(10)]इस अनुच्छेद में, अनुसूचित जातियों के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसके अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश, जिनको राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के खण्ड (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और आंग्ल–भारतीय समुदाय के प्रति निर्देश भी है।

अनुच्छेद 338–क. नये अनुच्छेद 338–क का अन्तःस्थापन अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग –

(1) अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में जाना जाने वाला अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा।

(2) संसद द्वारा इस निमित्त बनायी गयी किसी भी विधि के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और सेवा की शर्तें तथा इस प्रकार नियुक्त किये गये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के पद की अवधि ऐसी होगी जैसा अध्यक्ष नियम द्वारा अवधारित करे।

(3) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवम अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर एवम मुद्रा के अधीन वारण्ट द्वारा की जायेगी।

(4) आयोग को स्वयं अपनी प्रक्रिया को नियमित करने की शक्ति होगी।

(5) यह आयोग का कर्तव्य होगा;

(क) इस संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या सरकारी किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबन्धित रक्षोपायों से सभी मामलों का अन्वेषण करना तथा मानीटर करना तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्य को उन्नत करना ;

(ख) अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों एवम रक्षोपायों से वंचित कर दिये जाने की बाबत विशिष्ट परिवादों की जांच करना ;

(ग) अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा सलाह देना अैर संघ एवम किसी राज्य के अधीन उनके विकास की उन्नति को ऊंचा करना ; (घ) राष्ट्रपति को उन सभी के रक्षोपायों के कार्य करने पर वार्षिक तथा ऐसे अन्य समयों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिसे वह ठीक समझे ;

(ड.) उन अध्युपायों के बारे में ऐसी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना जिन्हें अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण एवम सामाजिक विकास के लिए उन सभी रक्षोपायों एवम अन्य अध्युपायों के प्रभावकारी संचालन के लिए संघ एवम किसी राज्य द्वारा ग्रहण किया जायेगा ; और

(च) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण एवम विकास के ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जिन्हें राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अध्यधीन रहत हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(6) राष्ट्रपति ऐसी सिफारिशों में से किसी के न ग्रहण किये जाने के कारणें तथा संघ से संबंधित सिफारिशें यदि कोई हों तो उन्हें ग्रहण की उन पर की गयी या की जाने के लिए प्रस्तावित की गयी कार्यवाही पर का स्पष्टीकरण देने वाले एक ज्ञापन के साथ–साथ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष ऐसी सभी रिपोर्टों को अधिकथित करवायेगा।

(7) जहॉ रिपोर्ट या उसके किसी भाग का संबंध किसी भी मुद्दे से होता हों जिससे राज्य सरकार संबंधित हो वहॉ ऐसी रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि राज्य के राज्यपाल को अग्रेषित की जायेगी जो ऐसी सिफारिशों में से किसी के भी न ग्रहण किये जाने के कारणों तथा राज्य से संबंधित सिफारिशें यदि कोई हों तो उस पर की गयी या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही को स्पष्ट करने वाले एक ज्ञापन के साथ–साथ राज्य के विधान मण्डल के समक्ष अधिकथित करवायेगा।

(8) आयोग खण्ड (5) के निर्देशित किये गये किसी भी मामले या उपखण्ड (ख) में निर्देशित किये गये किसी परिवाद की जांच करने के दौरान एक वाद का विचारण करने वाली एक सिविल न्यायालय की और विशेष तौर पर निम्नलिखित मामलों की बाबत शक्तियॉ रखेगा, अर्थात –

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समय करने उसकी हाजिर को प्रवर्तनीय बनाने तथा शपथ पर उसका परीक्षण करने ;

(ख) किसी दस्तावेज की खोज करने तथा उसको पेश करने की अपेक्षा करने ;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करने ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि को अधिग्रहण करने;

(ड.) साक्षियों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के लिए आयोग जारी करने ;

(च) किसी अन्य मामले जिसे राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें।

(9) संघ एवं प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जन जातियों को प्रभावित करने वाले सभी बड़ी पालिसी पर आयोग से परामर्श करेगा।

14. अनुच्छेद–339. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कारण के बारे में संघ का नियंत्रण –

(1) राष्ट्रपति, राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति, आदेश द्वारा, किसी भी समय कर सकेगा और इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष समाप्ति पर करेगा।

आदेश में आयोग की संरचना, शक्तियॉ और प्रक्रिया परिनिश्चित की जा सकेगी और उसमें ऐसे आनुषंगिक या सहायक उपबंध समाविष्ट हो सकेंगे जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या वांछनीय समझे।

(2) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निदेश में आवश्यक बताई गई स्कीमों के बनाने और निष्पादन के बारे में है।

15. अनुच्छेद 342– अनुसूचित जनजातियां –

(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहॉ वह राज्य है वहॉ उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा।

(2) संसद, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खण्ड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खण्ड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

अध्याय–07

पांचवी अनुसूची

[अनुच्छेद 244(1)]

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबन्ध

भाग–क

साधारण

1. **निर्वचन** – इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, '' राज्य '' पद के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, और मिजोरम राज्य नहीं हैं।
2. **अनुसूचित क्षेत्रों में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति**– इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर है।
3. **अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन**– ऐसे प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार अपेक्षा करे, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक होगा।

भाग–ख

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण

4. जनजाति सलाहकार परिषद –

(1) ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं और यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे तो, किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं, किन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, एक जनजाति सलाहकार परिषद् स्थापित की जाएगी जो बीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से यथाशक्य निकटतम तीन चौथाई उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे।

परन्तु यदि उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या जनजाति सलाहकार परिषद् में ऐसे प्रतिनिधियों से भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम है तो शेष स्थान उन जनजातियों के अन्य सदस्यों से भरे जाएंगे।

(2) जनजाति सलाहकार परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की अनूसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसको राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।

(3) राज्यपाल–

(क) परिषद् के सदस्यों की संख्या को, उनकी नियुक्ति की और परिषद् के अध्यक्ष तथा उसके अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की रीति को

(ख) उसके अधिवेशनों के संचालन तथा साधारणतया उसकी प्रक्रिया को, और

(ग) अन्य सभी आनुषंगिक विषयों को, यथा स्थिति, विहित या विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा।

5. **अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि** – (1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद का या उस राज्य के विधान–मण्डल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे और इस उप पैरा के अधीन दिया गया कोई निर्देश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो।

(2) राज्यपाल किसी राज्य में किसी ऐसे क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा जो तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है। विशिष्टितया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम –

(क) ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अन्तरण का प्रतिषेध या निर्बंधन कर सकेंगे :

(ख) ऐसे क्षेत्र के जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आबंटन का विनियमन कर सकेंगे ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारबार करने का विनियमन कर सकेंगे।

(3) ऐसे किसी विनियम को बनाने में जो इस पैरा के उप पैरा (2) में निर्दिष्ट है, राज्यपाल संसद के या उस राज्य के विधानमण्डल के अधिनियम का या किसी विद्यमान विधि का, जो प्रश्नगत क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा।

(4) इस पैरा के अधीन बनाए गए सभी विनियम राष्ट्रपति के समक्ष तुरन्त प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक यह उन पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा।

(5) इस पैरा के अधीन कोई विनियम तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक विनिमय बनाने वाले राज्यपाल ने जनजाति सलाहकार परिषद् वाले राज्य की दशा में ऐसी परिषद् से परामर्श नहीं कर लिया है।

भाग–ग
अनुसूचित क्षेत्र

6. **अनुसूचित क्षेत्र** – (1) इस संविधान में '' अनुसूचित क्षेत्र पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करें ।

(2) राष्ट्रपति किसी भी समय आदेश द्वारा –

(क) निदेश दे सकेगा कि कोई सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई विनिर्दिष्ट भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा ;

(कक) किसी राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्र को उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात बढ़ा सकेगा ;

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र में, केवल सीमाओं का परिशोधन करके ही, परिवर्तन कर सकेगा,

(ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर या संघ में किसी नए राज्य के प्रवेश पर या नए राज्य की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को, जो पहले से किसी राज्य में सम्मिलित नहीं हैं, अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग घोषित कर सकेगा,

(घ) किसी राज्य या राज्यों के संबंध में इस पैरा के अधीन किए गए आदेश या आदेशों को विखण्डित कर सकेगा और संबंधित राज्य के राज्यपालन से परामर्श करके उन क्षेत्रों को, जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, पुनः परिनिश्चित करने के लिए नए आदेश कर सकेगा,

और ऐसे किसी आदेश में ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध हो सकेंगे जो राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हों, किन्तु जैसा उपर कहा गया है उसके सिवाय इस पैरा के उप पैरा (1) के अधीन किए गए आदेश में किसी पश्चातवर्ती आदेश द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

भाग–घ
अनुसूचित का संशोधन

7. **अनुसूची का संशोधन** – (1) ससंद , समय–समय पर विधि द्वारा, इस अनुसूची के उपबन्धों में से किसी का, परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में, संशोधन कर सकेगी और जब अनुसूची का इस प्रकार संशोधन किया जाता है तब इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस प्रकार संशोधित ऐसी अनुसूची के प्रति निर्देश है।

(2) ऐसी कोई विधि, जो इस पैरा के उपपैरा (1) में उल्लिखित है, इस संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।

अध्याय–8

(अ) पंचायतों के उपबंधों का (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 कमांक 40/1996 (केन्द्रीय कानून) का सारांश

(पेसा एक्ट)

पंचायतों के उपबंधों का (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996, 1996 कमांक 40/1996 (केन्द्रीय कानून)– [राष्ट्रपति की स्वीकृति 24 दिसम्बर 1996 को प्राप्त हुई तथा भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–दो, अनुभाग–1 दिनांक 24–12–1996 (पृष्ठ 1–3) पर प्रकाशन हुआ (M.P. Law, Times 1997 पार्ट V, Pages 85–87)]

01. इस कानून में 5 धारायें हैं,

02. अनुसूचित क्षेत्र से अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद 244 के क्लाज (1) विनिर्दिष्ट क्षेत्र से है।

03. संविधान के नौवे भाग (Part IX) के पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को धारा–4 में उपबन्धित अपवादों (Exception) तथा उपान्तरणों (Modifications)के अध्यधीन अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार इस कानून के द्वारा किया गया है।

04. **A-** धारा 4 में राज्य विधान निर्माताओं से यह अपेक्षा की गई है कि वे पंचायत पर विधान बनाते समय समुदायगत संसाधनों, रीति–रिवाजों, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं और परम्पराओं प्रबन्ध सम्बन्धी प्रथाओं के अनुरूप विधान बनाने का ख्याल रखें इसके असंगत (inconsistent) विधि नहीं बनायें।

B- एक गांव इकाई के तौर पर सामानयतः ऐसे लोगों की बस्ती होती है जिसमें रीति रिवाज आदत, चलन के समुदाय और पुरवा, खेड़ा (hamlet) के समुदाय होते हैं और जो अपने मामलों की व्यवस्था/प्रबंन्ध अपने परम्परागत और प्रथा के आधार पर करते हैं।

C- प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होती है जिसमे ऐसे व्यक्ति लिये जाते हैं जिनके नाम ग्राम सतर की पंचायत के लिए निर्वाचक नामावली में होते हैं।

D- प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परम्पराओं और रीति रिवाजों का परिरक्षण करने और उनकी सांस्कृतिक पहिचान, समुदायगत संसाधनों और विवादों के निपटाने के रीति गत तरीकों को सुरक्षित (to safe guard) रखने के लिए सुरक्षित सक्षम होगी।

E- **(A)** इससे पहिले कि कोई पंचायत ग्राम सतर पर किन्हीं योजनाओं, कार्यक्रमों या परियोजनाओं को क्रियान्वयन के लिए हाथ में ले–ग्रामसभा ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अनुमोदन करेगी।

(B) और ग्राम सभी ही गरीबी उपशमन और अन्य कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों के रूप में व्यक्तियों की पहिचान एवं चयन करने के लिए जिम्मेवार होगी।

F- क्लॉज (ई) में विर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए पंचायत द्वारा निधि की उपयोगिता के लिए ग्रामसभा से प्रमाण–पत्र लेने के लिए ग्राम स्तर की प्रत्येक पंचायत अपेक्षा करेगी।

G- पंचायत में संविधान के नौंवे भाग में दिये गये आरक्षण को जिस समुदाय के लिए चाहा गया है उस पंचायत में समुदाय गत आबादी का अनुपात क्या है यह भी ग्राम सभा देखेगी और अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण करायेगीः

परन्तु यह कि अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण कुल सीटों की संख्या के आधे (One half of the total number of seat) से कम नहीं होगा।

परन्तु यह और भी कि समस्त स्तरों की पंचायतों के चेअर परसन (Chairpersons) की समस्त सीटें अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित की जायेंगी।

H- ऐसी अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को राज्य सरकार उस दशा में नामांकित कर सकेगी जबकि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या जिला सतर पर पंचायत में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है परन्तु यह कि उस पंचायत में निर्वाचित होने वाले कुल सदस्यों के 1/10 दशमांश से अधिक ऐसा नामांकन नहीं होगा।

I- अनुसूचित क्षेत्र में भूमि अर्जन के मामले में ग्राम सभा तथा पंचायतों से समुचित स्तर पर विकास परियोजनाओं के लिये भूमि अर्जित करने के पूर्व परामर्श किया जायगा और ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनः व्यवस्थापन तथा पुनर्वास के पूर्व भी परामर्श किया जायगा। वास्तविक योजना और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए राज्य स्तर पर समन्वय स्थापित किया जायगा।

J- अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकाय की योजना और प्रबन्धन समुचित स्तर पर पंचायतों को सौंपा जायगा।

K-L- नीलामी द्वारा गौण खनिजों के दोहन के लिये रिआयत के मंजूरी के लिये समुचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की पूर्व सिफारिशों (अनुशंसाओं) को आदेशात्मक बनाया जायगा। इसी प्रकार पूर्वेक्षण लायसेन्स या गौर खनिजों के खनन पट्टों के लिये अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अनुशंसा ग्राम सभा या पंचायतों की आदेशात्मक बनाई जायेगी अर्थात पूर्व अनुशंसा ली जाना अनिवार्य होगा।

M- अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां (Powers) और प्राधिकार यथा आवश्यक देते समय ध्यान रखना होगाह कि वे स्वायतशासी संस्था के रूप में कार्य करने के योग्य हो सकें, राज्य विधायनी शक्ति यह सुनिश्चित करेगी कि समुचित स्तर पर पंचायतों और ग्रामसभा को विशेष रूप से इस बात के लिए सुनिश्चित किया जाए कि वे–

1. किन्हीं मादक पदार्थों के उपयोग और विक्रय को बलपूर्वक प्रतिषेध कर सकें या उनका विनियमन और प्रतिबंध लगा सकें ;
2. लघु वन उपज का स्वामित्व रख सकें ;
3. अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रामण को रोकने की शक्ति हो और अनुसूचित जनजाति की अवैध अन्य संक्रामित भूमि के प्रत्यावर्तन (Chairperson) करने की समुचित कार्यवाही कर सकें ;
4. गांव की मंडियों की प्रबन्धन की शक्ति हो चाहे जिस नाम से उसे पुकारा जाय;
5. अनुसूचित जनजातियों को रूपया उधार देने वालों के उपर नियंत्रण रखने के प्रयोग की शक्ति हो ;
6. सभी सामाजिक खण्डों में संस्थाओं और कृत्यकारियों के उपर नियंत्रण रखने के प्रयोग की शक्ति हो;
7. स्थानीय योजनाएं और ऐसी योजनाओं के संधानों पर जिसमें जनजाति की उपयोजनाएं शामिल होंगी–नियंत्रण रखने की शक्ति हो।

N- राज्य विधायन द्वारा पंचायतों को शक्तियां तथा प्राधिकार उन्हीं स्वायत्तशासी के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए देते समय यह सुनिश्चित करने का संतुलित संरक्षण रखाज ायगा कि उच्चतर स्तर की पंचायतें निम्नतर स्तर की पंचायतें या ग्राम सभा की शक्तियों और प्राधिकारों को हाथ में नहीं लें।

O- अनुसूचित क्षेत्रों में जिलास्तर की पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था को स्वरूप देते समय राज्य विधायिका संविधन की छटवीं अनुसूची के पैटर्न(Pattern) को अनुगमन करने का प्रयास करेगी।

05. वर्तमान कानूनों और पंचायतों का बना रहना– (निरंतरता) इस कानून द्वारा अपवादों तथा उपान्तरणों के साथ संविधान के नौवें (IX) भाग में किसी बात के होते हुए भी इस कानून पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने की तारीख के ठीक पहले–अनुसूचित क्षेत्रों में कानून के पंचायतों से संबंधित प्रावधान जो भाग (IX) (नौ) के प्रावधानों केक असंगत हों ऐसे अपवादों तथा उपान्तरणों के साथ उस समय तक प्रवृत्त बनें रहेंगे जबह तक कि सक्षम विधायन द्वारा या सक्षम अन्य प्राधिकार द्वारा उसे संशोधित या निरस्त नहीं कर दिया जाता है या/और जब तक कि राष्ट्रपति की सहमति इस कानून पर प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति हो जाय :

परन्तु यह कि ऐसी तारीख के ठीक पूर्व जब तक वर्तमान पंचायतें उनकी पदावधि समाप्ति तक बनी रहेंगी जब तक कि उस राज्य की विधानसभा द्वारा संकल्प के अधीन उसे भंग नहीं किया जाता है जहां राज्य परिषद भी हो वहां दोनो विधानसभा/परिषद द्वारा संकल्प पारित नहीं किया जाता है।

(ब)

वनाधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मानयता) अधिनियम–2006

FRA 2006

Forest Right Act

FRA 2006 (Forest Right Act) वनाधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006

01. अधिनियम एवं नियम की विस्तृत जानकारी वन क्षेत्र के सभी निवासियों को भली–भांति अवगत हो।
02. अधिनियम, 2006 के तारतम्य में 2008 में नियम बनाये गये की भी जानकारी क्रमांक–1 अनुसार अवगत हो ।
03. वनों की सुरक्षा, जैव विविधता का संरक्षण, खाद्यान्य सुरक्षिता की जिम्मेदारी वन क्षेत्र के सभी समुदायों के समय में लाया जावे।
04. **अ.** 13 दिसम्बर, 2005 के पहले से वन भूमि पर काबिज वन भूमि का उपयोग खेती के लिए करने वालों को व्यक्तिगत अधिकार–पत्र दिया गया अथवा नहीं ।
ब. वन क्षेत्र से व्यक्तिगत रूप में वन को क्षति पहुंचाये बगैर वनोपज का दोहन और जीवनोपयोगी वनोपज का संग्रहण किये जाने की विधि बताया जावे।

2. सामुदायिक वन अधिकार– आरक्षित वन, संरक्षित वन, अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय वनों पर

अधिकार प्राप्त करने के प्रावधान हैं।

वन अधिकार मांगने की व्यवस्था निम्नानुसार है–

1. ग्राम सभा स्तर पर ग्राम वन अधिकार समिति (परम्परागत पारा, टोला एवं पृथक बसाहट वाले मोहल्ला के सभी मतदाता मिलकर बहुमत से अपने गांव की **'' वन अधिकार समिति '' का गठन करेगी।)**

2. उप विभागीय स्तर पर '' उप विभागीय वन अधिकारी समिति'' का गठन होगा।

3. जिला स्तर पर '' जिला वन अधिकार समिति'' का गठन किया जायेगा जो वन अधिकार की मांग पर अंतिम स्वीकृति प्रदान करेगी।

3. वन अधिकार के कियान्वयन के उपबंध निम्नानुसार है –

1. सामुदायिक वन अधिकार की धारा–3.1(a) से (m)

सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार–धारा–3.1 (i)

2. ग्राम के शासकीय विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता अनुसार वन भूमि को हस्तांतरित करने का अधिकार–धारा–3.2

3. पुराने समय से किये जा रहे विस्तार के अधिकार को जारी रखा जाना– धारा–3.1 (b)

4. इमारती लकड़ी के अलावा अन्य सभी वनोपजों पर मालिकाना अधिकार– संग्रहण करना, विक्रय करना अथवा प्रसंस्करण करना–धारा 3.1 (c)

5. तालाब, नदियों से मछली मारना, भोज्य जीव जमा करना, पालतू पशु चराना, एवं घूमंतू जातियों को वन उपयोग के अधिकार–धारा 3.1 (d)

6. आदिम जातियों की बसाहट को सामुदायिक पद्धति से मालिकाना अधिकार प्रदत्त किया जाना–धारा 3.1 (e)

7. वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने का अधिकार–धारा3.1 (h)

8. सामुदायिक वन संसाधन के पुनर्निर्माण, सुरक्षा संवर्धन एवं प्रबंधन का अधिकार धारा–3.1 (i)

9. जैव विविधता का उपयोग तथा अपने परम्परागत ज्ञान(बौद्धिक संपदा के स्वामित्व अधिकारी–धारा–3.1 (k)

उपरोक्त अधिनियम, नियम, उपबंधो के लाभ हेतु कियान्वयन का भौतिक सर्वेक्षण, उपलब्धियों का सत्यापन एवं कियान्वयन में कमी के कारणों को जाना जावे।

संबंधितों को तत्काल लाभ पहुंचाये जाने के लिए सघन प्रयास किए जावे। अधिनियम के प्रचार–प्रसार, प्रशासनिक, सामाजिक एवं हितबद्ध निवासियों की (शासन, जिला, उपखण्ड, ब्लाक एवं पंचायत स्तर पर) पृथक–पृथक समिति (टोली) बनाया जाकर कार्यारंभ किये जाने की आवश्यकता है।

अध्याय–9

(अ)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधन अधिनियम 2015 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 यथा संशोधन नियम 2016 संप्रेषण विषयक।

भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सरंक्षण के लिए उल्लेखित प्रावधान के तहत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातिं के व्यक्तियों के साथ गैर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार की मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से अपमान, दुर्व्यवहार प्रताड़ना के रोकथाम एवं उनकी रक्षा के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का प्रावधान है।

गैर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के साथ उक्त घटना कारित करता है तो निकटतम थाना एवं अनुसूचित जाति, जनजाति विशेष थाना में लिखित शिकायत/एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। एफआईआर दर्ज नहीं होने की स्थिति में पुलिस अधीक्षक के पास लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं । साथ ही जिस किसी थाना के अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है उनके विरूद्ध विशेष थाना में अधिनियम की धारा–4 के तहत कार्यवाही हेतु अपील की जा सकती है। गैर जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध दण्ड का प्रावधान है। थाना एवं विशेष थाना द्वारा घटना पर सुनवाई नहीं होने की स्थिति में सीधे मान. अनुसूचित जनजाति आयोग या मान. विशेष न्यायालय में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष थाना में प्रकरण दर्ज होने के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 यथा संशोधित नियम 2016 के तहत राहत योजना का प्रावधान किया गया है। जिसमें घटना सही होने पर पीड़ित पक्ष या उनके आश्रितों को कम से कम 25 प्रतिशत मान. न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत होने के बाद 50 प्रतिशत तथा न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर 25 प्रतिशत या अलग–अलग प्रकरणों के आधार पर अलग–अलग राहत राशि देने का प्रावधान किया गया हैं। पीड़ित पक्ष या उनके आश्रितों द्वारा कलेक्टरश आदिवासी विकास, या सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास से लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अत्याचार निवारण अधिनियम एवं नियम के निराकरण एवं कार्यवाही हेतु राज्य एवं जिला स्तर समिति बनाई गई है। जिसमें जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सहायक आयुक्त, जन प्रतिनिधियों की समिति के द्वारा राहत योजना के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, गृह मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मंत्री एवं विधायक की समिति द्वारा समीक्षा की जाती है।

अत्याचार निवारण अधिनियम राहत योजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 14 अप्रेल 2016 में अधिसूचना के माध्यम से नवीन राहत योजना का उपबंध एवं मापदंड तैयार किया गया है जो इस प्रकार है :–

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 (क्रमांक 33 सन् 1989) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (क्र. 1 से 2016 द्वारा दिनांक 26.01.2016 से यथा संशोधित

(11 सितम्बर, 1989)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए [1][विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों] का ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनका पुर्नवास का तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

अध्याय–1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) '' अत्याचार '' से धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध अभिप्रेत है;

(ख) '' संहिता '' से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) अभिप्रेत है ;

3[खख] '' आश्रित '' से पीड़ित का ऐसा पति या पत्नी, बालक, माता–पिता, भाई और बहिन जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण–पोषण के लिए पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित हैं ;

(खग) '' आर्थिक बहिष्कार '' से निम्नलिखित अभिप्रेत है,–

(1) अन्य व्यक्ति से भाड़े पर कार्य से संबंधित संव्यवहार करने या कारबार करने से इंकार करना; या

(2) अवसरों का प्रत्याख्यान करना जिनमें सेवाओं तक पहुंच या प्रतिफल के लिए सेवा प्रदान करने हेतु संविदाजन्य अवसर सम्मिलित है ; या

(3) ऐसे निबंधनों पर कोई बात करने से इंकार करना जिन पर कोई बात, कारबार के सामान्य अनुक्रम में सामान्यतया की जाएगी; या

(4) ऐसे वृत्तिक या कारबार से संबंधों से प्रतिविरत रहना, जो किसी अन्य व्यक्ति से रखे जाएं

(खघ) ''अनन्य विशेष न्यायालय'' से इस अधिनियम के अधीन अपराधों का अनन्य रूप से विचारण करने के लिए धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय अभिप्रेत हैं;

(खङ) ''वन अधिकार'' का वह अर्थ होगा, जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की धारा–3 की उपधारा (1) में है;

(खच) ''हाथ से मैल उठाने वाले कर्मी'' का वह अर्थ होगा, जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा–2 की उपधारा (1) के खंड (छ) में उसका है;

(खछ) ''लोक सेवक'' से भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा–21 के अधीन यथापरिभाषित लोक सेवक और साथ ही तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लोक सेवक समझा गया, कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है और जिनमें, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन उसकी पदीय हैसियत में कार्यरत कोई व्यक्ति सम्मिलित है;

(ग) ''अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों'' के वही अर्थ हैं जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में है;

(घ) ''विशेष न्यायालय'' से धारा–14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है;

(ङ) ''विशेष लोक अभियोजक'' से विशेष लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट लोक अभियोजक या धारा–15 में निर्दिष्ट अधिवक्ता अभिप्रेत है;

1 [(ङक) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से उपबाद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ङख) ''सामाजिक बहिष्कार'' से कोई रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उससे प्राप्त करने के लिए या ऐसे सामाजिक संबंधों से प्रतिविरत रहने के लिए, जो अन्य व्यक्ति से बनाए रखे जाएं या अन्य व्यक्तियों से उनको अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने के इंकार करना अभिप्रेत है;

(ङग) ''पीड़ित'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा–2 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन 'अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति' की परिभाषा के भीतर आता है तथा जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने के परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावानात्मक या धनीय हानि या उसकी संपत्ति को हानि वहन या अनुभव करता है और जिसके अंतर्गत उसके नातेदार विधिक संरक्षक और विधिक वारिस भी है;

(ङघ) ''साक्षी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन अपराध से अंतर्विलित किसी अपराध के अन्वेषण, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित है या कोई जानकारी रखता है या आवश्यक ज्ञान रखता है और जो ऐसे मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान जानकारी देने या कथन करने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित है या अपेक्षित हो सकेगा और जिसमें ऐसे अपराध का पीड़ित सम्मिलित है;

1 [(च) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है और, यथास्थिति, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में परिभाषित हैं। वही अर्थ होना समझा जाएगा, जो उन अधिनियमितियों में है।]

(2) इस अधिनियम में किसी अधिनियमित या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का अर्थ किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसी अधिनियमित या ऐसा उपबन्ध प्रवृत्त नहीं है यह लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रति निर्देश है।

अध्याय–2

अत्याचार के अपराध

3 **अत्याचार के अपराधों के लिए दंड**–[2] [(1) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के मुख में कोई अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या ऐसे सदस्य को ऐसे अपराध अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा;

(ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा दखलकृत परिसरों में या परिसरों के प्रवेश–द्वार पर मल–मूत्र, मल, पशु–शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा;

(ग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से उसके पड़ोस से मल–मूत्र, कूड़ा, पशु–शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करेगा;

(घ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को जूतों की माला पहनाएगा या नग्न या अर्द्ध नग्न घुमाएगा;

(ङ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य पर बलपूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जैसे व्यक्ति के कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुण्डन करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना, जो मानव गरिमा के विरूद्ध है;

(च) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जे में या उसको आबंटित या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसको आबंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या ऐसी भूमि को अंतरित करा लेगा;

(छ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को उसकी भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि या परिसरों या जल या सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों सहित उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा या उसकी फसल को नष्ट करेगा या उसके उत्पाद को ले जाएगा;

स्पष्टीकरण– खंड (च) और इस खंड के प्रयोजनों के लिए ''सदोष'' पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,–

(अ) व्यक्ति की इच्छा के विरूद्ध;

(आ) व्यक्ति की सहमति के बिना;

(इ) व्यक्ति की सहमति से, जहां ऐसी सहमति, व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके व्यक्ति हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति का भय दिखाकर, अभिप्राप्त की गई है; या

(ई) ऐसी भूमि के अभिलेखों को बनाना;

(ज) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को 'बेगार' करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ श्रम करने के लिए तैयार करेगा;

(झ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मानव या पशु–शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रो को खोदने के लिए विवश करेगा;

(ञ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करने के लिए तैयार करेगा या ऐसे प्रयोजन के लिए ऐसे सदस्य का नियोजन करेगा या नियोजन को अनुज्ञात करेगा;

(ट) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को, किसी देवदासी के रूप में पूजा, मंदिर या किसी अन्य धार्मिक संस्थान की देवी, मूर्ति या पात्र के समर्पण को या वैसी ही किसी अन्य प्रथा को निष्पादित या संवर्धन करेगा या पूर्वोक्त कार्यों को अनुज्ञात करेगा;

(ठ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को, निम्नलिखित के लिए मजबूर या अभित्रस्त या निवारित करेगा–

   (अ) मतदान न करने या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या विधि द्वारा उपबंधित से भिन्न रीति से मतदान करने;

   (आ) किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन फाइल न करने या ऐसे नामनिर्देशन को प्रत्याहृत करने; या

   (इ) किसी निर्वाचन में अभयर्थी के रूप में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के नामनिर्देशन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेंगे;

(ड) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी ऐसे सदस्य को, जो संविधान के भाग 9 के अधीन पंचायत या संविधान के भाग 9 क के अधीन नगरपालिका का सदस्य या अध्यक्ष या किसी अन्य पद का धारक है, उसके सामान्य कर्तव्यों या कृत्यों के पालन में मजबूर या अभित्रस्त या बाधित करेगा;

(ढ) मतदान के पश्चात् अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उपहति या घोर उपहति या हमला करेगा या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करेगा या अधिरोपित करने

की धमकी देगा या किसी ऐसी लोक सेवा के उपलब्ध फायदों से, निवारित करेगा, जो उसको प्राप्य है;

(ण) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने या विधि द्वारा उपबंधित रीति से मतदान करने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करेगा;

(त) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरूद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दांडिक या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करेगा;

(थ) किसी लोक सेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ सूचना देगा जिससे ऐसा लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति करने या क्षुब्ध करने के लिए करेगा;

(द) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त करेगा;

(ध) लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली—गलौच करेगा;

(न) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा सामान्यतया धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करेगा, हानि पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए ''वस्तु'' पद से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत मूर्ति, फोटो और रंगचित्र है;

(प) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के किसी सदस्यों के विरूद्ध शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं की या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या चिन्हों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा, अभिवृद्धि करेगा या अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा;

(फ) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करेगा;

(ब) (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री को साशय, यह जानते हुए स्पर्श करेगा कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, जबकि स्पर्श करने का ऐसा कार्य, लैंगिक प्रकृति का है और प्राप्तिकर्ता की सहमति के बिना है;

(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी स्त्री के बारे में, यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, लैंगिक प्रकृति के शब्दों, कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करेगा;

स्पष्टीकरण—उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए, ''सहमति'' पद से कोई सुस्पष्ट स्वैच्छिक करार अभिप्रेत है, जब कोई व्यक्ति शब्दों, अंगविक्षेपों या अमौखिक संसूचना के किसी रूप में विनिर्दिष्ट कार्य में भागीदारी की रजामंदी को संसूचित करता है;

परंतु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कोई स्त्री, जो लैंगिक प्रकृति के किसी कार्य में शारीरिक अवरोध नहीं करती है, केवल इस तथ्य के कारण लैगिंक क्रियाकलाप में सहमति के रूप में नहीं माना जएगा;

परंतु यह और कि स्त्री का, अपराधी के साथ सहित, लैंगिक इतिहास, सहमति विवक्षित नहीं करता है या अपराध को कम नहीं करता है;

(भ) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले किसी स्त्रोत, जलाशय या किसी अन्य स्त्रोत के जल को दूषित या गंदा करेगा जिससे वह ऐसे प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए वह साधारणतया उपयोग किया जाता है;

(म) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से इंकार करेगा या ऐसे सदस्य को लोक समागम के ऐसे

स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने से निवारित करने के लिए बाधा पहुंचाएगा जिसमें जनता या उसके किसी अन्य वर्ग के सदस्यों को उपयोग करने और पहुंच रखने का अधिकार है;

(य) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसका गृह, ग्राम या निवास का अन्य स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या मजबूर करवाएगा;

परन्तु इस खंड की कोई बात किसी लोक कर्तव्य के निर्वहन में की गई किसी कार्रवाई को लागू नहीं होगी;

(यक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को निम्नलिखित के संबंध में किसी रीति से बाधित या निवारित करेगा,—

(अ) किसी क्षेत्र के सम्मिलित संपत्ति संसाधनों का या अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से कब्रिस्तान या श्मशान—भूमि का उपयोग करना या किसी नदी, सरिता, झरना, कुंआ, तालाब, कुंड, नल या अन्य जलीय स्थान या कोई स्नान घाट, कोई सार्वजनिक परिवहन, कोई सड़क या मार्ग का उपयोग करना;

(आ) साईकिल या मोटर साईकिल आरोहण या सवारी करना या सार्वजनिक स्थानों में जूते या नए कपड़े पहनना या विवाह की शोभा यात्रा निकालना या विवाह की शोभा यात्रा के दौरान घोड़े या किसी अन्य यान पर आरोहण करना;

(इ) जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए खुले किसी पूजा स्थल में प्रविष्ट करना या जाटरस सहित किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक शोभा यात्रा में भाग लेना या उसको निकालना;

(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या लोक मनोरंजन या किसी अन्य लोक स्थान में प्रविष्टि होने या जनता के लिए खुले किसी संस्था में सार्वजनिक उपयोग के लिए अभिप्रेत कोई उपकरण या वस्तुएं; या

(उ) किसी वृत्तिक में व्यवसाय करना या किसी ऐसी उपजीविका, व्यापार, कारोबार या किसी नौकरी में नियोजन करना, जिसमें जनता या उसके किसी वर्ग के अन्य लोगों को उपयोग करने या उस तक पहुंच का अधिकार है;

(यख) जादू—टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा; या

(यग) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति या कुटुंब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या उसको धमकी देगा,

वह, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो पॉच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।]

(2) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है—

(i) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है, दोषसिद्ध करना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा; और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है तो वह व्यक्ति, जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, मृत्यु दंड से दंडनीय होगा;

(ii) मिथ्या साक्ष्य देगा और गढ़ेगा उससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है किन्तु सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, दोषसिद्ध कराना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा;

(iii) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय है;

(iv) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा;

(v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध [1][किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरूद्ध यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी सम्पत्ति ऐसे सदस्य की है], वह आजीवन कारावास से, और जुर्माने से दंडनीय होगा;

[2][(v क) अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरूद्ध, यह जानते हुए करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या वह सम्पत्ति ऐसे सदस्य की है, वह ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।]

(vi) यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किये जाने के किसी साक्ष्य को, अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई जानकारी देना जो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड से दंडनीय होगा; या

(vii) लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा।

[1]**[4.कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड**—(1) कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों को जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लोक सेवक के कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,—

(क) पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को, सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाना और उसको लेखबद्ध करना;

(ख) इस अधिनियम और अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को रजिस्टर करना और अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन उसको रजिस्टर करना;

(घ) पीड़ितों या साक्षियों के कथन को अभिलिखित करना;

(ङ) अन्वेषण करना और विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में साठ दिन की अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल करना तथा विलंब, यदि कोई हो, लिखित में स्पष्ट करना;

(च) किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को सही रूप से तैयार, विरचित करना तथा उसका अनुवाद करना;

(छ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किसी अन्य कर्तव्य का पालन करना;

परंतु लोक सेवक के विरूद्ध इस संबंध में आरोप, प्रशासनिक जांच की सिफारिश पर अभिलिखित किए जाएंगे।

(3) लोक सेवक द्वारा उपधारा (2) में निर्दिष्ट कर्तव्य की अवहेलना के संबंध में संज्ञान विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा लिया जाएगा और लोक सेवक के विरूद्ध दांडिक कार्रवाइयों के लिए निर्देश दिया जाएगा।

5. **पश्चात्वर्ती दोषसिद्ध के लिए वर्धित दंड**— कोई व्यक्ति, जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध हो चुका है, दूसरे अपराध या उसके पश्चात्वर्ती किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा।

6. **भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना**,— इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारतीय दंड संहित (1860 का 45) की धारा 34, अध्याय 3, अध्याय4, अध्याय 5, अध्याय 5क, धारा 149 और अध्याय 23 के उपबंध, जहां तक हो सकें, इस अधिनियम के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं।

7. **कतिपय व्यक्तियों की सम्पत्ति का समपहरण**— (1) जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है वहां विशेष न्यायालय, कोई दंड देने के अतिरिक्त, लिखित रूप में आदेश द्वारा, यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति
की कोई सम्पत्ति, स्थावर या जंगम, या दोनों जिनका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है, सरकार की समपहृत हो जाएगी।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां उसका विचारण करने वाला विशेष न्यायालय ऐसा आदेश करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसकी सभी या कोई सम्पत्ति, स्थावर या जंगम या दोनों, ऐसे विचारण की अवधि के दौरान, कुर्क की जाएंगी और जहां ऐसे विचारण का परिणाम दोषसिद्ध है वहां इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति उस सीमा तक समपहरण के दायित्वाधीन होगी जहां तक वह इस अध्याय के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने की वसूली के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

8. **अपराधों के बारे में उपधारणा**.— इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में यदि यह साबित हो जाता है कि,—

(क) अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन अपराध करने के [1][अभियुक्त व्यक्ति द्वारा या युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में कोई वित्तीय सहायता की है] तो विशेष न्यायालय, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है;

(ख) व्यक्तियों के किसी समूह ने इस अध्याय के अधीन अपराध किया है, और यदि यह साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या किसी अन्य विषय के बारे किसी विद्यमान विवाद का फल है तो यह उपधारणा की जाएगी कि यह अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था।

2 [(ग) अभियुक्त, पीड़ित या उसके कुटुंब का व्यक्तिगत ज्ञान रखता था, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि जब तक अन्यथा साबित न हो, अभियुक्त को पीड़ित की जाति या जनजातीय पहचान का ज्ञान था।]

9. **शक्तियों का प्रदान किया जाना**— (1) संहिता में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो वह—

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के निवारण के लिए, उससे निपटने के लिए, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, किसी जिले या उसके किसी भाग में, राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे जिले या उसके भाग में संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियॉ या, यथास्थिति, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, और विशिष्टतया किसी विशेष न्यायालय के समक्ष व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अन्वेषण पर अभियोजन की शक्तियॉ प्रदान कर सकेगी।

(2) पुलिस के सभी अधिकारी और सरकार के अन्य सभी अधिकारी इस अधिनियम के या उसके बधीन बनाये गए किसी नियम, स्कीम या आदेश के उपबंधों के निष्पादन में उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी की सहायता करेंगे।

(3) संहिता के उपबंध, जहॉ तक हो सके, उपधारा (1) के अधीन किसी अधिकारी द्वारा शक्तियों के प्रयोग के संबंध में लागू होंगे।

(ब)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 यथा संशोधन नियम 2016

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 330 ,रायपुर, बुधवार दिनांक 24 अगस्त 2016—भाद्रपद 2, शक 1938

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2016

अधिसूचना

क्रमांक / एफ–17–106 / 2009 / 25–2–अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

उक्त नियमों में,

नियम 7 '' राहत एवं सहायता '' में उल्लिखित अपराध का नाम और राहत की न्यूनतम राशि संबंधी अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :–

'' अनुसूची ''

उपाबंध –1

(अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) देखिये)

राहत राशि के लिए मापदंड

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>अपराध का नाम</th><th>राहत की न्यूनतम राशि</th></tr>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना {अधिनियम की धारा 3 (1)(क)}</td><td rowspan="5">पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। पीड़ित व्यक्ति को संदाय निम्नानुसार किया जाए–
(i) क्रम संख्या (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्या (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत,
(ii) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है तब 50 प्रतिशत
(iii) जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्याक (1) (4) और (5) के लिए 25 प्रतिशत।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>मल–मूत्र, मल, पश, शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना {अधिनियम की धारा 3 (1)(ख)}</td></tr>
<tr><td>3</td><td>क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा करना {अधिनियम की धारा 3 (1)(ग)}</td></tr>
<tr><td>4</td><td>जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न घूमाना {अधिनियम की धारा 3 (1)(घ)}</td></tr>
<tr><td>5</td><td>बल पूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे कपड़ा उतारना, बलपूर्वक सिर का मुडंन करना, मूंछे हटाना, चेहेरे या शरीर को पोतना {अधिनियम की धारा 3 (1)(ङ)}</td></tr>
</table>

6	भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना {अधिनियम की धारा 3 (1)(च)}	पीड़ित व्यक्ति को 1 लाख रूपये। जहां आवश्यक हो वहां संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खर्चे पर भूमि या परिवार या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जायेगी। पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार संदाय किया जाएगा– (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत (i i) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत (i i i) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
7	भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत वन अधिकार भी है, के साथ हस्तक्षेप करना {अधिनियम की धारा 3 (1)(च)}	
8	बेगार या अन्य प्रकार के बलातश्रम या बंधुआ श्रम {अधिनियम की धारा 3 (1)(ज)}	पीड़ित व्यक्ति को 1 लाख रूपये। संदाय निम्नानुसार प्रदाय किया जायेगा– (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत (i i) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत (i i i) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
9	मानव या पशुशवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना {अधिनियम की धारा 3 (1)(झ)}	
10	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना {अधिनियम की धारा 3 (1)(ञ)}	
11	अनुसूचित जाति या अनुसूचिज जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समपर्ण का संवर्धन करने {अधिनियम की धारा 3 (1)(ट)}	
12	मतदान करने या नामनिर्देशन फाईल करने से निवारित करना {अधिनियम की धारा 3 (1)(ठ)}	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार प्रदाय किया जाएगा– (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत (i i) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत (i i i) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
13	पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या अभित्रस्त करना या उनमें व्यवधान डालना {अधिनियम की धारा 3 (1)(ड)}	
14	मतदान के पश्चात् हिंसा और सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण {अधिनियम की धारा 3 (1)(ढ)}	
15	किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना {अधिनियम की धारा 3 (1)(ण)}	
16	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्रवाइयॉ संस्थित करना {अधिनियम की धारा 3 (1)(त)}	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत (i i) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत (i i i) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
17	किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना {अधिनियम की धारा 3 (1)(थ)}	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत (i i) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत (i i i) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
18	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास {अधिनियम की धारा 3 (1)(द)}	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत (i i) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत (i i i) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
19	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली–गलौच करना {अधिनियम की धारा 3 (1)(ध)}	
20	धार्मिक मानी जानी वाली या अति श्रृद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अपवित्र करना {अधिनियम की धारा 3 (1)(न)}	
21	शत्रुता, घृणा, वैमनस्य की भावनाओं में अभिवृद्धि करना {अधिनियम की धारा 3 (1)(प)}	
22	अतिश्रृद्धा से माने–जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों	

	द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना {अधिनियम की धारा 3 (1)(फ)}	
23	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना {अधिनियम की धारा 3 (1)(ब)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत (i i) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत (i i i) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
24	भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ख (1860 का 45) स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2)(फक)}	(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आंख, कान, नाक और मुंह के प्रकार्य ह्रास और शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रूपए, (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में जला हुआ है, चार लाख पंद्रह हजार रूपये, (ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है, को पचासी हजार रूपए।
		इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। मद (क) से (ग) के निबंधानुसार संदाय निम्नानुसार किया जाएगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत (i i) चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत
25	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3 (2)(Vक)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत (i i) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत (i i i) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
26	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत (i i) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत (i i i) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
27	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ख (1860 का 45) निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2) (Vक)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत (i i) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत (i i i) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
28	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ग (1860 का 45) दृश्यरतिकता {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा –(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत (i i) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत (i i i) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध

		किये जाने पर 40 प्रतिशत।
29	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 घ (1860 का 45) पीछा करना {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा –(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत (i i) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत (i i i) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 40 प्रतिशत।
30	भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ख (1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौराना मैथुन {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा – (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत (i i) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत (i i i) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
31	भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ग (1860 का 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)}	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा – (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50 प्रतिशत (i i) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत (i i i) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
32	भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है {अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)}	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (i i) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत (i i i) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
33	जल को दूषित या गंदा करना {अधिनियम की धारा 3(1)(भ)}	सामान्य सुविधा जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय की जाने वाली प्रकृति की सामुदायिक आस्तियों को सृजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए
34	लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से इनकार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने में बाधा पहुंचाना {अधिनियम की धारा 3(1)(म)}	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रूपए और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च। संदाय निम्नानुसाार किया जाएगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (i i) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत (i i i) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
35	गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना {अधिनियम की धारा 3(1)(य)}	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए की राहत

		तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय में आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष सिद्ध किये जाने पर 25 प्रतिशत।
36	निम्नलिखित के संबंध में, किसी रीति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को बाधा डालना या निवारित करना – (अ) क्षेत्र के सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग {अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)}	(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या किसी नदी, धारा, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रूपये की राहत। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर ।
	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना {अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)}	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर ।
	(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस जिसे अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उसमें भाग लेना। {अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(इ)}	(इ) अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस जिसे अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उसमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर ।

	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग {अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(ई)}	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं के उपयोग की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर ।
	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारोबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिसमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार है। {अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(उ)}	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारोबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिसमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर ।
37	डायन होने या जादु–टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना {अधिनियम की धारा 3(1)(यख)}	पीड़िता को एक लाख रूपए और उसके अनादर बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय। (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर ।
38	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना {अधिनियम की धारा 3(1)(यग)}	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा।
39	मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना {अधिनियम की धारा 3(2)(i) और (ii)}	पीड़ित को चार लाख पचास हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा– (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर ।
40	भारतीय दंड संहिता की धारा (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष से उससे अधिक के	पीड़ित और या उसके आश्रितों को चार लाख रूपए। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि

	कारावास से दंडनीय है। {अधिनियम की धारा 3(2)}	अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार प्रदाय किया जाएगा– (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर ।
41	भारतीय दंड संहिता की धारा (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूचित में विनिर्दिष्ट है, जो ऐसे दंड से दंडनीय है जैसा ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में विनिर्दिष्ट किया गया है। {अधिनियम की अनूसूचित के साथ पठित धारा 3(2)(va)}	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रूपए। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार प्रदाय किया जाएगा– (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर ।
42	लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना। {अधिनियम की धारा 3(2)(vii)}	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार प्रदाय किया जाएगा– (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किये जाने पर ।
43	निःशक्तता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16–18/97–एनआई तारीख 1 जून, 2001 में यथा प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए अंतविर्शिट विभिन्न निःशक्तताओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है।	
	(क) शत–प्रतिशत अक्षमता	पीड़ित को आठ लाख और पच्चीस हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा– (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ख) जहां अक्षमता शत–प्रतिशत से कम है किंतु पचास प्रतिशत से अधिक है।	पीड़ित को चार लाख और पच्चास हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा– (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ग) जहां अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है।	पीड़ित को दो लाख और पच्चास हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा– (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
44	बलात्संग या सामूहिक बलात्संग (i) बलात्संग {भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 375}	पीड़ित को पांच लाखरूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा– (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत

		(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत
	(i) सामूहिक बलात्संग {भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376घ}	पीड़ित को आठ लाख और पच्चीस हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा– (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत
45	हत्या या मृत्यु	पीड़ित को आठ लाख और पच्चीस हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा– (i) शव परीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशत (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
46	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों को अतिरिक्त अनुतोष।	पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष या अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगा– (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रूपए की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय महंगई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुंब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरंत क्रय द्वारा आवश्यक हो, कर उपबंध :
		(ii) पीड़ित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण–पोषण। बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा। (iii) बर्तनों, चांवल, गेंहू, दालों, दलहन आदि तीन मास की अवधि के लिए उपलब्ध।
47	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना।	ईटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
डी.डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव

अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत् आवेदन एवं कार्यवाही

किसी भी गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के साथ लड़ाई, झगड़ा, मारपीट, गाली–गलौच, हत्या बलात्कार, धमकी, भूमि पर कब्जा या अन्य अमानवीय अपराध करने की कोशिश करता है या अपराध करता है तो अत्याचार निवारण अधिनियम–1989 के तहत शिकायत् तत्काल करना चाहिए–

1– ऐसे अपराधों पर तत्काल शिकायत निकटतम चौकी/थाना में किये जाने का प्रावधान/नियम है।

2– यदि थाना प्रभारी रिपोर्ट लिखने से मना करता है तो लिखित सूचना देना चाहिए। सूचना की एक प्रति में पावती प्राप्त करनी चाहिए।

3– यदि थाना प्रभारी/मुंशी द्वारा जिला आजाक थाना में जाने की बात करता है तो भी थाना में शिकायत देकर प्रति पावती प्राप्त करनी होगी।

4– यदि थाना प्रभारी/मुंशी द्वारा रिपोर्ट लेने या लिखने से मना करता है तो तत्काल उसी समय डाक रजिस्ट्री या कोरियर के माध्यम से रिपोर्ट भेजनी चाहिए कि कब, कहॉ, किस समय और कैसे घटना घटा, इसके लिए कौन–कौन जिम्मेदार है का उल्लेख करते हुए यह शिकायत करनी होगी की पीड़ित आवेदक/आवेदिका द्वारा किस तिथि को, कितने समय, किस थाना में रिपोर्ट लिखने गया/गयी थी। कौन थाना प्रभारी/मुंशी थाना में थे और किसने रिपोर्ट लेने/लिखने से इंकार किया था, भेजते हुए पावती भी लेना चाहिए यदि घटना की रिपोर्ट तथा थाना द्वारा लेने से इंकार किया की जानकारी उसी तिथि, समय में पुलिस अधीक्षक को भी भेजनी होगी।

5– घटना की जानकारी यदि थाना प्रभारी/मुंशी/पुलिस उप अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक के साथ–साथ उप पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के अवर/उप/विशेष/प्रमुख/अपर मुख्य सचिव को भी भेजना चाहिए तथा पावती भी डाक/कोरियर के माध्यम से प्राप्त करनी चाहिए।

6– यदि पीड़ित मोबाईल, वाट्सअप, कंट्रोल रूम का नम्बर, ई–मेल न हो तो इसके माध्यम से भी घटना की शिकायत थाना के मुंशी/थाना प्रभारी, उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गृह विभाग के अपर, उप, संयुक्त, विशेष प्रमुख, अपर मुख्य सचिव के मोबाईल नम्बर मैसेज, वाट्सअप, ई–मेल पर घटना की जानकारी समय, तिथि आदि की जानकारी के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते, सूचना दे सकते है।

7– यदि इन सभी अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट लेने से इंकार करते है तो उन्हें तथा मैसेज, वाट्सअप, ई–मेल पर कार्यवाही नहीं करते है तो इनकी उन्ही नम्बरों से दूरभाष पर भी घटना की जानकारी दे सकते है। जिसमें दिनांक, समय अंकित हो जाता है तथा मैसेज, वाट्अप एवं ई–मेल की जानकारी भी दूरभाष पर दे सकते है, जो पीड़ित पक्ष के सबूत के रूप में भी दोषी के विरूद्ध काम आ सकता है।

8– आजकल पुलिस विभाग में पुलिस कंट्रोल रूम के साथ एक दूरभाष नम्बर भी दिया जाता है, जिस पर घटना की जानकारी लैंडलाईन में बताकर या उनके मोबाईल पर दे सकते है।

9– यदि इन सभी अधिकारियों ने रिपोर्ट लिखने, लेने से इंकार करता है या रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी कार्यवाही नहीं करता है तो विशेष न्यायालय, जिला न्यायालय में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा–4 के तहत् कार्य जवाबदार अधिकारियों के द्वारा कार्य पर

लापरवाही, गैर जिम्मेदारी के लिए वाद लाना चाहिए। सभी रिपोर्ट की प्रति मैसेज, वाट्सअप, ई–मेल, विडियो ग्राफी, फोटोशुट की एक प्रति भी स्पष्ट रूप से रखे।

10— विशेष थाना में यह भी आवश्यक रूप से पीड़ित अधिवक्ता या शासन के अधिकृत या स्वयं अपनी बात रख सकते है, कि घटना के समय यदि रात्रि में या दिन में घर के अंदर या बाहर, घर परिवार या समाज, पड़ोसी द्वारा देखे जाने पर इसका उल्लेख आवश्यक करना चाहिए। यदि घटना का गवाह गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति है तो कथन बदलने, मुकरने आदि की बात सामने आ जाने की संभावना हो सकती है। ऐसी स्थिति में हो सके तो रू. 100/— गैर न्यायिक स्टाम्प देकर कथन करा लेनी चाहिए यदि सम्भव हो सके तो नोटरी भी करा लेनी चाहिए।

11— यदि ऐसी घटनाओं पर पुलिस अधिकारी या अन्य विषय पर विभागीय अधिकारी द्वारा अपनी बातों से मुकरने या संजीदगी से कार्य करने में लापरवाही बरतते है या आपके अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता द्वारा भी बेईमानी या धोखाधड़ी करता या विरोधियों या उनके अधिवक्ता से सांठगांठ करने की जानकारी होने पर मान. सक्षम न्यायालय में मान. न्यायधीश महोदय के समक्ष शिकायत अवश्य करनी चाहिए, ताकि मान0 न्यायालय से अन्य अधिवक्ता की व्यवस्था करने हेतु निवेदन भी करनी चाहिए।

अध्याय–10

भू–राजस्व संहिता– 1959

क्र.	जनजातियों के संवैधानिक हितों/अधिकारों के प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण	धारा
1	छ.ग. भू–राजस्व संहिता 165 एवं 170 (ख) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के भूमि को गैर आदिवासी द्वारा अंतरण नहीं किया जा सकता, अर्थात छलपूर्वक खरीदी बिक्री या भू–अर्जन नहीं किया जा सकता है।	
	➢ धारा–108 अधिकार अभिलेख	**धारा–108**
	➢ धारा–109 **अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट की जाएगी**	**धारा–109**
	➢ धारा–110 क्षेत्र पुस्तक तथा अन्य सुसंगत भू–अभिलेखों में अधिकार अर्जन बाबत् नामांतरण।	**धारा–110**
	➢ धारा–113 लेखन संबंधी गलतियों का शुद्धिकरण।	**धारा–113**
	➢ धारा–129 सर्वेक्षण संख्यांक	**धारा–129**
	➢ धारा–165 अंतरण के अधिकार।	**धारा–165**
	➢ धारा–170–ख आदिम जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमि का जो कपट द्वारा अंतरित की गई थी प्रतिवर्तन।	**धारा–170**
	➢ धारा–172 भूमि का व्यपवर्तन	**धारा–172**

भू–राजस्व संहिता, 1959

108. अधिकार–अभिलेख [1]**[**(1) प्रत्येक ग्राम के लिए अधिकार–अभिलेख उन नियमों के अनुसार तैयार किया जाएगा तथा रखा जाएगा जो कि इस संबंध में बनाए गए हों और ऐसे अभिलेख में निम्नलिखित विशिष्टियां सम्मिलित होंगी –

(क) समस्त भूमि स्वामियों के नाम उनके द्वारा धारित सर्वेक्षण संख्यांकों या भू–खण्ड संख्यांकों तथा उनके सिंचित या असिंचित क्षेत्रफल सहित ;

(ख) समस्त मौरूसी कृषकों तथा सरकारी पट्टेदारों के नाम, उनके द्वारा धारित सर्वेक्षण संख्याांकों या भू–खण्ड संख्यांकों तथा उनके सिंचित या असिंचित क्षेत्र फल सहित ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के अपने–अपने हितों का प्रकार तथा उनकी सीमा और उनसे संलग्न शर्तें या दायित्व, यदि कोई हो ;

(घ) ऐसे व्यक्तियों द्वारा देय लगान या भू–राजस्व, यदि कोई हो; और

(ङ.) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो कि विहित की जाएं।

[2]**[**(2) उपधारा (1) में वर्णित अधिकार–अभिलेख [3][राजस्व सर्वेक्षण **]** के दौरान या जब कभी भी राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसा निदेश दें, तैयार किया जाएगा। **]**

109. अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट की जाएगी– (1) कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में कोई अधिकार या हित [4][* * * **]** विधिपूर्वक अर्जित करता है, अपने द्वारा ऐसा अधिकार अर्जित किए जाने की रिपोर्ट ऐसे अर्जन की तारीख से छह मास के भीतर पटवारी को मौखिक रूप से या लिखित में करेगा, और पटवारी ऐसी रिपोर्ट के लिए लिखित अभिस्वीकृति रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को विहित प्रारूप में तत्काल देगा :

(2) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है, अपने द्वारा ऐसे अधिकारों के अर्जन की लिखित रिपोर्ट, ऐसे अर्जन की ताहरीख के छह मास के भीतर, तहसीलदार को भी कर सकेगा।

1. वसियत–वसियत–सबूत–साक्ष्य के द्वारा साबित की गयी– इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष–बगैर किसी विधिक त्रूटि के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप न्यायानुमत नहीं। 1 वसीयत, जिस्टर्ड, दोषवाहन के द्वारा सम्यक, रूप से साबित की गयी–बिना किसी दबाव के निष्पादित की गयी–वसीयकर्ता वसीयत करने के समय में पूर्णरूपेण स्वस्थ्यचित्त–हस्ताक्षरों के बजाय निशान अंगूठा लगाया गया–वसीयत संदेहपूर्ण नहीं। वसीयत, साबित करने का भार वसीयतधारी पर है। वसीयतकर्ता द्वारा उत्तरदान ग्रहीतागण (वसीयता दारान) अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण) के पक्ष में वसीयत का निष्पादन–वसीयत सन्देह से परे साबित–अधीनस्थ न्यायालयों के तथ्य एवं आदेश समवर्ती अपील मंसूख। वसीयत निष्पादित करने के द्वारा स्वयं उपार्जित संपत्ति का अंतकरण–ऐसा अंतकरण विधिक–स्वयं उपार्जित संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए न्यायिक अधिकारी का प्रतिसंहरण सिविल न्यायालय के द्वारा संपादित किया जाना चाहिए। वसीय, वसीयत सादे कागत पर लिखी गयी–अपंजीकृत–एक पुत्री के द्वारा प्रस्तुत–वसीयत के आधार पर वैध नहीं।

2. **वसियतनामा**—वसियतनामा—अपंजीकृत वसीयत में भूमि का विवरण नहीं—वसीयत के साक्षी द्वारा वसीयकर्ता की दिमागी हालत ठीक न होने का कथन—वसीयत प्रथम दृष्टतया प्रमाणित नहीं।

(क) सहखातेदार के रूप में अन्य व्यक्ति का नाम संयोजित किया जाना— जब संयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति से कय किया जाना प्रमाणित नहीं है तथा यह प्रमाणित है कि पंजीकृत विलेख के माध्यम से सम्पत्ति का कय किया गया है तब सहखाते के रूप में अन्य व्यक्ति का नाम संयोजित नहीं किया जा सकता।

3. **वसियत पैतृक संपत्ति**— वादग्रस्त संपत्ति पैतृक संपत्ति, भूमि स्वामी के अधिकारों में वसीयतकर्ता के नाम में दर्ज—वसीयकर्ता अपनी वसीयत करने में सक्षम—एक रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामांकन एक विधिक अनिवार्यता है। वसीयती संपत्ति वसीयकर्ता का स्वत्व नहीं—साबित करने का भार आपत्ति उठाने वाले व्यक्ति पर है—भार का निर्वहन करने में असफल रहा—ऐसी संपत्ति का नामनान्तरण वैध है।

4. **वसियत का रजिस्ट्रेशन**— यद्यपि वसीयत का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं फिर भी रजिस्टर्ड वसीयत का अपंजीकृत वसीयत से अधिक महत्व है।

5. **खसरा में परिवर्तन**— जब सम्बद्ध भू—स्वामी की जानकारी या सहमति से खसरा में परिवर्तन दर्शित नहीं किया गया है तो अल्पकालिक परिवर्तन मामले को प्रभावित नहीं करता है।

6. **अपील में अतिरिक्त दस्तावेज**— सि.प्र.सं. 1908 आदेश 41 नियम 27—अपील में अतिरिक्त दस्तावेज—बगैर आवेदन अभिलेख पर लेना अवैध।

7. वादग्रस्त सम्पत्ति—पति के नाम भूमि— विवादित संपत्ति—भूमि पति के नाम में भूमि स्वामी के अधिकारों में दर्ज—पत्नी परिवारिक न्यायालय में 1.50 लाख रू. के संदाय की रसीद पर अपने अपने हक का परित्याग—पति के स्थान में पत्नी के नाम में नामांकन संभव नहीं।

8. हितबद्ध पक्षकार— वादग्रस्त भूमि पर कोई विधिक हक नहीं—हितबद्ध पक्षकार नहीं हो सकता है। हितबद्ध पक्षकार सूचित नहीं किया गया। यह संहिता के प्रावधानों का उललंघन है। नामांकन अवैध।

राजस्व निरीक्षक के द्वारा नामान्तरकण के विरूद्ध हितबद्ध पक्षकार होने का स्वयं का दावा करते हुए उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील दाखिल की गयी। केवल एक हितबद्ध पक्षकार होने का स्वयं का दावा करते हुए उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील दाखिल की गयी। केवल एक हितबद्ध पक्षकार होने का उल्लेख करते हुए पर्याप्त नहीं है। स्वयं को मृतक का निकट संबंधी होना साबित करना यह आवश्यक है। बगैर स्वयं को एक हितबद्ध पक्षकार होने को साबित किए हुए अपील पोषणीय नहीं है।

9. भू—स्वामी की रखैल— भू—स्वामी की मृत्यु के पश्चात उसकी रखैल कोई अधिकार अंतरित नहीं कर सकती और उसके द्वारा निष्पादित विकय विलेख से केता को कोई हक अर्जित नहीं होता।

10. भूमि का विभाजन एवं नामान्तरण— जब धारक की मृत्यु अनेक वारिसों को छोड़कर हो जाती है तथा पहले से ही कुछ भूमि दो पुत्रों के नाम थी, समस्त भूमि धारक की मृत्यु के पश्चात् सभी वारिसों के अंश के अनुसार विभाजित एवं नामांतरित की जानी चाहिए।

11. नामान्तरणकरण— वसीयत के आधार पर दो वसीयतें प्रस्तुत की गयीं। एक वसीयत पूर्वतर दिनांक की दूसरी पश्च दिनांक की आम अनुमान है कि पश्च दिनांक वसीयत वैध है। पूर्विक वसीयत पंजीकृत, सन्देह से परे। नामान्तरकरण ऐसी एक वसीयत पर आधरित वैध है।

हितबद्ध व्यक्ति को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बगैर किया गया नामांतरण प्रारम्भतः अकृत एवं शून्य है। जब अपंजीकृत वसीयत के आधार पर पुष्टि हेतु कोई पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तब नामान्तरण सम्भव नहीं है। जब वादग्रस्त भूमि पैतृक है और मृतक के भाई के वारिस जीवित हैं तब वे

नामांतरण के हकदार हैं। जब विनिमय का सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है, विनिमय का पंजीकरण आवश्यक है, वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व विनिमय के आधार पर स्पष्ट न होने के कारण नामांतरण नहीं किया जा सकता। जब वसीयतकर्ता की स्वअर्जित सम्पत्ति का कोई प्रमाण नहीं है तथा वसीयत संदेह के परे नहीं है तब निचले न्यायालयों का निष्कर्ष विधि सम्मत न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है तथा पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु मामला गुणदोष के आधार पर निस्तारण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। जब पंजीकृत विक्रय विलेख के निष्पादन के 31 वर्ष पश्चात नामांतरण हेतु आवेदन किया गया है तो ऐसा आवेदन संदेह उत्पन्न करता है। नामान्तरकरण, कब्जे के आधार पर नहीं किया जा सकता है। नामान्तरकरण हेतु विधिक स्वत्व को अध्याप्त करना आवश्यक है।

नामान्तरकरण का उद्देश्य राजस्व अभिलेख को अद्यतन परिशुद्ध रखना है। विधि के द्वारा अर्जित हक समाप्त नहीं होगा यदि नामान्तरकरण नहीं किया गया । नामांतरण– पूर्व का नामांतरण, प्लाट नं. 465 की भूमि श्रीमती सुभद्रा बाई के द्वारा वर्ष 1971 में अकेले खरीदी गयी थी। अतः यह भूमि श्रीमती सुभद्रा बाई की स्वअर्जित संपत्ति मानी जायेगी जिसका नामांतरण वर्ष 1994 में हुआ। इस नामांतरण को किसी भी न्यायालय में आक्षेपित नहीं किया गया, इसलिए यह अंतिम हो चुका है। ऐसे पूर्व में हुए नामांतरण की पीछे सामान्यतः राजस्व अधिकारियों को नहीं जाना चाहिए। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 आदिवासी व्यक्तियों पर लागू नहीं होते। आदिवासी व्यक्ति की भूमि पुत्री नामांतरण की मांग नहीं कर सकती। स्वर्गीय मथुरा को अपीलार्थी पुत्र है एवं प्रत्यर्थिनी पुत्री है। उभय पक्ष उरांव अनुसूचित जनजाति के हैं, उनमें वैयक्तिक विधि लागु होगी। धर्म संजाति का निर्धारण नहीं होता है। उद्देश्य, नामांतरण का उद्देश्य अभिलेख को अद्यतन रखना है। नामांतरण स्वत्व प्रदान नहीं करता। यह विधिता विधि के अनुसार अर्जित स्वत्व को मान्यता देता है। नामांतरण भू–अभिलेख शुद्ध रखने की प्रक्रिया है। नामांतरण न किए जाने से कानून द्वारा अर्जित स्वत्व नष्ट नहीं होता है। जब ग्राम पंचायत का प्रस्ताव अवैध रूप से पारित है तब नामांतरण अवैध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

जहां मामले की परिस्थितियों में वसीयत पूरी तरह से मान्य किया जाना सम्भव नहीं है तथा वसीयत संदेह के परे साबित नहीं है वहां ऐसे वसीयत के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता। जहां विक्रेता को स्वत्व नहीं प्राप्त है विधिक अधिकार के बगैर पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा भूमि का अंतरण एवं नामान्तरण के लिये क्रेता को स्वत्व अर्जित नहीं है। भूमि का वैध अंतरण होना नामांतरण हेतु आवश्यक है। जब वसीयत के आधार पर नामांतरण में वसीयत असंदिग्ध रूप से साबित नहीं है तब नामांतरण सम्भव नहीं है। जहां सम्पत्ति स्वअर्जित थी या पैतृक थी, वयीयत के आधार पर विचार नहीं किया गया तथा वसीयत सद्भाविक एवं सामान्य परिस्थितियों में लिखा गया परिलक्षित नहीं होता था वहां सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकपक्षीय कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत नहीं है। जब वादग्रस्त भूमि संयुक्त नाम से दर्ज है और एक खातेदार के वारिसों द्वारा सम्पूर्ण भूमि का विक्रय किया गया है तब क्रेता के नाम पर नामांतरण सम्भव नहीं है। जब पक्षकारों के बीच स्वत्व के संबंध में विवाद हो तथा राजस्व न्यायालय मामले का निराकरण करने अक्षम हो तो निराकरण सिविल न्यायालय में ही सम्भव है। जब हितबद्ध व्यक्ति को सूचना नहीं दी गयी है तब ऐसे नामांतरण में कभी हस्तक्षेप किया जा सकता है और समयसीमा वर्जित नहीं है। जहां भूमि पिता के नाम दर्ज थी और उसके एक पुत्र द्वारा बंटवारा दिखाकर नामांतरण हेतु आवेदन किया गया है, न तो उद्घोषणा जारी किया गया और न ही हितबद्ध पक्षकार को सूचना ही दी गयी, ऐसी स्थिति में नामांतरण अवैध है। जहां वादग्रस्त भूमि पैतृक है और संयुक्त खाते में दर्ज है तथा खातेदारों की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति का नाम संयुक्त खाते में राजस्व निरीक्षक द्वारा सम्मिलित किया गया है, राजस्व निरीक्षक को सम्पत्ति में किसी व्यक्ति का उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है।

जहां पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर हितबद्ध पक्षकार को सूचना नहीं दी गयी है, नियम 27 के आज्ञापक प्रावधान का पालन न किये जाने के कारण नामांतरण आरम्भतः शून्य है।जहां न तो नियम का अनुपालन किया गया है और न ही उद्घोषणा ही जारी किया गया है तथा मामले में हितबद्ध व्यक्ति को नोटिस भी नहीं दी गयी है। वहां नामांतरण आरम्भतः शून्य है। जहां वादग्रस्त भूमि पिता के नाम दर्ज थी

तथा पिता द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा हस्तांतरित की गयी थी वहां पिता का स्वत्व समाप्त होने के कारण पुत्र नामांतरण का हकदार नहीं है। जब पंजीकृत वसीयत के साक्षियों द्वारा वसीयत की पुष्टि होती है और वसीयत संदेह के परे है तब ऐसे वसीयत के आधार पर नामांतरण विधि के अनकूल है। प्रमाणीकरण अधिकारी के द्वारा अपंजीकृत बंदोबस्त दस्तावेज के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया। सूचना एवं उद्घोषणा संबंधी दस्तावेज अभिलेख संलग्न नहीं। ऐसे दस्तावेज के द्वारा कोई स्वत्व सृजित नहीं किया गया। इसलिए ऐसा नामांतरण मंसूख कर दिया गया। जब इकरारनामा कोरे कागज पर लिखा है और पंजीकृत नहीं है तथा प्रमाणित नहीं है तब नामांतरण वैध नहीं है। हितबद्ध व्यक्ति को सूचना नहीं दिया गया है तो नामांतरण आदेश के विरूद्ध अपील परिसीमा वर्जित नहीं है और अपील दाखिल करने हेतु विलम्ब क्षमा जाना उचित है। नामांतरण मामले में गोदनामा से संबंधित आपत्ति किये जाने की दशा में मामला गुणदोष के आधार पर विचार किये जाने योग्य है। जब वसीयत अपंजीकृत है और साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित है तब ऐसी वसीयत के आधार पर स्वत्व प्राप्त है और नामांतरण किया जा सकता है। जब वादग्रस्त भूमि का विक्रय विचारण के दौरान किया गया है तथा क्रेता आवश्यक पक्षकार है तब उसे पक्षकार बनाये बगैर पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। जहां क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की अदायगी नहीं की गयी है वहां नामांतरण संभव नहीं है। मृतक से कोई सम्बंध दर्शित किये बगैर प्रतिवादी के पक्ष में नामांतरण होने पर आदेश शून्य है। जब अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर बंटवारा में गलत प्रविष्टि सुधारने की अपेक्षा की गयी हो और भूमि का मूल्य 100 रूपये से अधिक है तब नामांतरण नही किया जा सकता। जहां मृतक की दो पुत्रियों में से एक पुत्री द्वारा दूसरे को सूचना दिये बगैर अपीलार्थी पुत्री द्वारा अपना नाम नामांतरित कराया गया हो तो ऐसा आदेश विधिक रूप से गलत है। नामांतरण कालावधि, नामांतरण आवेदन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं। 1949 के पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण का आवेदन पत्र दाखिल किया गया। पंजीकृत विक्रय विलेख के संबंध के संबंध में कोई शंका नहीं । परिणामतः नामांतरण आदेशित किया गया। नामान्तरकरण, वादग्रस्त भूमि पर बगैर विधिक अधिकार को अध्याप्त किए हुए नामांतरकरण के लिए आवेदन दाखिल कर दिया गया। नामान्तरकरण पर विचार–विमर्श किया जाना अनुचित। स्वत्व विधि के द्वारा अर्जित किया जाता है। नामान्तरकरण बगैर स्वत्व के किया गया। ऐसी भूमि पर कोई विधिक अधिकार उद्भुत नहीं होता है। नामान्तरकरण, वसीयत के आधार पर । वसीयतकर्ता का नाम, नामान्तरकरण के आवेदन के दिनांक को अभिलेख में दर्ज नहीं। नामांतरकरण संभव नहीं। नामान्तरकरण, रजिस्टर्ड विक्रय के आधार पर 28 वर्ष के बाद किया गया। यह उल्लेख करना पर्याप्त नहीं है कि यह सन्देह उत्पन्न करता है। तथ्यों को साबित करना यह आवश्यक है जिस पर सन्देह आधारित है। नामान्तरकरण, वादग्रस्त संपत्ति पैतृक संपत्ति। नामान्तरकरण के लिए सभी पुत्रगण अधिकारी हैं। ऐसी संपत्ति का अन्तरण पिता के द्वारा एक पुत्र के पक्ष में किया गया । दस्तावेज अपंजीकृत–अन्तरण अवैधानिक–नामान्तरकरण अवैध। व्यक्ति जो 1960 में तहसीलदार के आदेश के अंतर्गत पक्का कृषक के अधिकार अर्जित किये हैं उसे राजस्व अभिलेख में कार्यान्वित नहीं किया गया है, 12 वर्ष के पश्चात् भले ही पश्चातवर्ती क्रेता कोई हक न प्राप्त करता हो, नामांतरण उसके पक्ष में शून्य होगा। नामान्तरकरण, राजस्व निरीक्षक के नामान्तरकरण के आदेश के दिनांक से 14 वर्षों के बाद एक विलंबित अपील दाखिल की गयी। वसीयत पर आधारित नामान्तरकरण के मामले में मात्र उद्घोषणा का अप्रकाशन नामान्तरकरण के आदेश को अपास्त करने का आधार नहीं बनाया जावेगा। इसके अलावा जब अपीलार्थी ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार होना साबित नहीं किया है एवं राजस्व निरीक्षक ने वसीयतनामा देखा, पढ़ा एवं लौटा दिया हो। नामान्तरकरण संबंधी मामला–उद्घोषणा एवं नोटिस– उनमें से दोनों की विषय–वस्तु एवं प्रयोजन भिन्न–भिन्न–इश्तिहार से आम जनता को सूचना दी जाती है एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाती है। एवं जबकि नोटिस के द्वारा आपत्तियां पक्षकारों से आमंत्रित की जाती हैं। दोनों भिन्न–भिन्न दिनांकों को वहन करती थी। दोनों दस्तावेजों पर पक्षकार का हस्ताक्षर–यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि पक्षकारों को कोई जानकारी नहीं थी। नामान्तरण का वसीयत के आधार पर आवेदन किया गया। वसीयत का उक्त कार्यवाही में सिद्ध किया जाना आदेशात्मक हैं । सव्यापक साक्षी उपलब्ध–वसीयत (इच्छा–पत्र) के लेखक का बयान आवश्यक नहीं। रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर वसीयत का निष्पादन साक्ष्य के द्वारा साबित। नामान्तरकरण वैद्य। वसीयत के आधार पर वसीयत अपंजीकृत वसीयत प्रस्तुत नहीं की गयी।

सत्यापन के गवाहान परीक्षित नहीं किए गए। वसीयत विधिकतः साबित नहीं की गयी। नामान्तरण ऐसी एक वसीयत के आधार पर किया गया।

12. नामान्तरण का दावा – जहां नामान्तरण के समय विवादित भूमि पर हक का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा आपत्ति नहीं उठायी गयी है वहां अत्यधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् नामांतरण का दावा नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में यह धारित किया गया कि पिता पैतृक भूमि का विक्रय अपने हिस्से की सीमा तक ही कर सकता है। दत्तक ग्रहण के आधार पर नामांतरण का दावा किये जाने पर नामांतरण पंजिका पर प्रविष्टि, अविवादित मानकर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हितबद्ध व्यक्ति को नोटिस किया जाना आज्ञापक है, ऐसे दावे का विनिश्चय साक्ष्य लिये जाने के पश्चात ही किया जा सकता है।

(क) नामान्तरण कार्यवाही – जहां हितबद्ध पक्षकारों को नामांतरण के पूर्व पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा उन्हें सुना भी नहीं गया है वहां नामांतरण कार्यवाही पूर्णतया अकृत एवं शून्य है।

13. नामान्तरण की शक्ति – ऐसे मामले में नामान्तरण की शक्ति जहां व्यपवर्तन आवश्यक है । भू–अभिलेख अधीक्षक को प्रदान की गयी हो तो ऐसी शक्ति का प्रयोग उसके द्वारा किया जाना होता है तथा शेष नामांतरण मामलों का विनिश्चिय तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

14. नामान्तरण आदेश – हितबद्ध व्यक्ति को नोटिस दिये बगैर मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित नामांतरण आदेश अपास्त किया जाना उचित है और अपीलीय आदेश वैध है। आवेदक के पक्ष में विल, अनुप्रमाणक साक्षी द्वारा साबित किये जाने पर ऐसे सकारण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। जहां नामान्तरण नियम 27 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है नामांतरण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है और पक्षकारों को सिविल न्यायालय से स्वत्व का निर्णय कराने का निर्देश त्रूटिपूर्ण है। इस तथ्य को छिपाकर नामांतरण आवेदन प्रस्तुत किया गया कि पूर्व से चल रहे सिविल वाद में आवश्यक पक्षकार थे, ऐसे आवेदन पर पारित आदेश विधिक रूप से त्रूटिपूर्ण है। उपबंधों का अनुसरण किये बगैर नामांतरण आदेश शून्य है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) कटघोरा जिला कोरबा द्वारा निम्न न्यायालय को इस निर्देश के साथ मामला प्रतिप्रेषित किया गया, उसका अनुपालन नहीं किया गया। तथ्यों को छिपाकर एवं हितबद्ध पक्षकारों को बिना सूचना एवं जानकारी दिए अवैध रूप से निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया गया जो शून्य है। मामला स्पष्ट निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया जिसमें उभयपक्ष उचित अवसर प्राप्त करेगा। दस्तावेजों साक्ष्य एवं अपने हित से संबंधित सभी पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। परिणामतः अपील अस्वीकार की गयी। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश बहाल रखा जाता है। नामांतरकरण राजस्व निरीक्षक के द्वारा पारित किया गया। केवल वसीयत की सम्पत्ति को वादग्रस्त भूमि निरूपित करते हुए नामांतरकरण के विरूद्ध अपील दाखिल की गयी। अपीलीय न्यायालय ने नामान्तरकरण के आदेश को वसीयत संपत्ति एवं दान के जरिये प्राप्त संपत्ति दोनों के विरूद्ध अपास्त कर दिया। ऐसा आदेश गंभीर अनियमितता की परिधि के अन्दर आता है। अपीलीय अथार्टी केवल वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में आदेश पारित कर सकता है। अविवादित भूमि के संबंध में आदेश का पारित किया जाना विधि के विपरीत है। अपीलीय न्यायालय का आदेश अपास्त कर दिया गया। जब नामांतरण कर ईप्सा बिल के आधार पर की गयी किन्तु मूल विल न तो प्रस्तुत किया गया और न ही साबित किया गया, नामांतरण का आदेश नहीं दिया जा सकता।

(क) प्रतिकुल कब्जे के आधार पर नामान्तरण – स्वत्व का निर्धारण, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है, राजस्व न्यायालय को स्वत्व का निर्धारण करने की अधिकारिता नहीं है और स्वत्व निर्धारण कराने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने की दशा में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता।

15. नामांकन – नियम 27 नियम का अनुपालन नहीं किया गया। नामांकन आरम्भतः शून्य एवं अकृत। नामांकन पंजीकृत किया गया। नामांकन नियमों का नियम 27 का अनुपालन नहीं किया गया। उद्‌घोषणा जारी नहीं की गयी। नामांकन प्रारंभतः शून्य एवं अकृत था। तथ्यों से यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि सन् 1935 से 1949 तक जेल विभाग के नाम दर्ज रही जबकि प्रथम बार अपीलार्थी ने नामांकन के लिए आवेदन किया। आवेदक ने विवादित भूमि को विधिकतः अध्याप्त नहीं किया था। आवेदन खारिज कर दिया गया।

अपीलार्थीगण के पूर्वज के द्वारा प्रत्यर्थीगण के पिता को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांकित 18.07. 1988 के द्वारा विवादित भूमि का विक्रय कर दिया गया था । विचारण न्यायालय ने धारा 109 एवं 110 के अधीन नामांकन के नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के बाद आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी ने अपील का मुख्य आधार बनाया कि नामांकन के लिए प्रत्यर्थीगण के द्वारा लगभग 40 वर्षों के विलंब के बाद आवेदन नहीं प्रस्तुत किया गया था एवं विचारण न्यायालय आवेदन को छिपाते हुए आदेश पारित कर दिया गया।

नामांकन वादग्रस्त संपत्ति मां के नाम में दर्ज– एक पक्षकार ने उसके पक्ष में वसीयत का दावा किया वसीयत के लेखक का साक्ष्य नहीं लिया गया–वसीयत गवाह के द्वारा साबित नहीं की गयी– ऐसी एक वसीयत के आधार पर नामांकन वैध नहीं–दोनों पक्ष मृतक की पुत्रियां–दोनो लड़कियों के नाम पर संयुक्त रूप से नामांकन अवैध नहीं। नामांकन आवेदन रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख के आधार पर प्रस्तुत किया गया–तहसीलदार ने गुणावगुण के आधार पर आदेश पारित कर दिया– आदेश के विपरीत निगरानी की गयी–विचारण–न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षकारों को अपना मामला प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया– नामांकन की कार्यवाहियां–विचारण–न्यायालय की अधिकारिता–सीमांकन का स्थगित किया जाना–नामांकन की कार्यवाहियां स्थगित नहीं की जा सकतीं– मामले की परिस्थितियां हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करती हैं– विचारण न्यायालय ने उभय पक्षों को तर्कसंगत अवसर को प्रदान करते हुए मामले को शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण हेतु आदेश पारित किया गया।रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख के आधार पर नामांकन वादग्रगस्त भूमि का विभाजन पहले से ही हो चुका था। विक्रेता को केवल अपने हिस्से की भूमि के अन्तरण का अधिकार था। क्रेता के पक्ष में उतनी ही भूमि का नामांकन हो सकता है जितनी कि विक्रेता को अन्तरण करने का अधिकार था ।

नामांकन के माामले में प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया गया। हितबद्ध पक्षकार सुनवाई किये जाने का अवसर नहीं प्रदान किया गया। विवादित भूमि सरकार के पक्ष में निहित हो गयी। आदेश आक्षेपित नहीं किया गया। मामला अब भी पुनः खोला जा सकता है। नामांकन रजिस्टर में प्रविष्टि–हितबद्ध पक्षकारों पर नोटिस की तमीली नहीं। इश्तहार के प्रकाशन का उल्लेख लेकिन विज्ञप्ति की प्रति इसकी अभिपुष्टि में संलग्न नहीं। ऐसी प्रविष्टि को मान्यता प्रदान करना यह उचित नहीं। नामांकन, संयुक्त जोत दो संयुक्त खातेदार उनमें से दोनों ने इच्छा–पत्रों का निष्पादन किया। एक खातेदार के द्वारा निष्पादित इच्छा–पत्र रजिस्टर्ड। अन्य खातेदार के द्वारा निष्पादित इच्छा–पत्र अपंजीकृत। दोनों इच्छा–पत्र साक्ष्य के द्वारा साबित कर दिए गए। दोनों वसीयतदार नामांकन के हकदार। मृतक पक्षकार बनाया गया। आदेश के पारित होने के पूर्व नोटिस तामील नहीं की गयी।

उद्‌घोषणा प्रकाशित नहीं की गयी। नोटिस नहीं जारी की गयी। नामांकन आदेश आरंभतः शून्य। खारिज किया गया। नामांकन, सिविल न्यायालय की डिक्री के आधार पर। अपील में डिक्री आक्षेपित नहीं की गयी। डिक्री अंतिम हो जाती हैं । राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी है। निः सन्तान भूमि स्वामी की– संपत्ति पैतृक एकमात्र बहन उत्तराधिकारी, नामांकन की हकदार है।

16. नामांकन हेतु आदेश– नामांकन, विक्रेता मृतक, मृतक के उत्तराधिकारीगण पक्षकार नहीं बनाएं गए। पक्षकारों असंयोजन अथवा दुस्संसयोजन की गयी नामांकन की कार्यवाहियां अवैधानिक। नामांकन हेतु आवेदन–विक्रय के 36 वर्ष के पश्चात–विलंब अत्यधिक एवं असाधारण–विलंब के कारण नामांकन की

कार्यवाहियां रोकी नहीं जा सकती है। दस्तावेज की प्रमाणिकता के संबंध में सन्देह उठाता है। नामांकन का आवेदन पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर दिया गया। विक्रय कपटपूर्ण ढंग से कराया गया। तहसीलदार के द्वारा नामांकन अस्वीकार कर दिया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी को अपील की गयी। उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार के आदेश को बहाल रखा। द्वितीय अपील राजस्व परिषद के समक्ष की गयी। अवधारित किया गया। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समकक्ष निष्कर्ष। उनमें कोई गभीर विधिक त्रूटि नहीं की गयी। उपखण्ड अधिकारी का आदेश वैध, बहाल रखा गया। अपील खारिज कर दी गयी।

17. नामांकन का मामला– विवादित भूमि पैतृक–मृतक के दो उत्तराधिकारी–गण, दोनो लड़कियां, संयुक्त नामान्तरण की हकदार। नामांकन–आदेश के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी के सक्षम अपील–अपील पर जोर न देने के कारण खारिज–धारा 32 के अंतर्गत मामले के पुनस्थापन हेतु आवेदन–अवधारित किया गया, संहिता में आदेश के विरूद्ध अपील के लिए प्रावधान–धारा 32 के अधीन आवेदन पोषणीय नहीं।

नामांकन नियम–नियम27 नामांकन का मामला–हितबद्ध पक्षकार को सूचना दी जानी चाहिए एवं सुनवाई किए जाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए–बगैर हितबद्ध पक्षकार की सुनवाई किए हुए नामांकन की कार्यवाहियां शून्य हो जाती है– नामांकन–आरम्भतः शून्य है–ऐसा नामांकन किसी भी समय में खोला जा सकता है। उत्तराधिकार के आधार पर नामांकन हेतु आवेदन–आवेदन स्वीकार कर लिया गया–नामांकन कर दिया गया–अपील में कथित आदेश उपखण्ड अधिकारी के द्वारा बहाल– राजस्व परिषद् के समक्ष आदेश के विरूद्ध अपील में अभिनिर्धारित किया गया, अपालार्थी के द्वारा उठाया गया तर्क अस्वीकरणीय–विचार के लिए कोई विधिक बिन्दु नहीं–उपखण्ड अधिकारी के वैध आदेश मे हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं–अपील खारिज कर दी गयी। नामांकन का मामला–आदेश 14 वर्ष से पारित किया गया–आक्षेपित नहीं किया गया–ऐसे दीर्घ विलंब के बाद अपास्त नहीं किया जा सकता है। नामांतरण हेतु आवेदन–पिता की मृत्यु दिनांक विवादित–उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए साक्ष्यों एवं दस्तावेजों को बुलाकर परीक्षण किया जाना आवश्यक।

नामांकन का मामला–हितबद्ध पक्षकारों को सूचना नहीं दी गयी। नामांकन नियमों का अनुपालन नहीं किया गया। नामांकन आरम्भतः दोषपूर्ण। नामांकन अवैध। ऐसे नामांकन में किसी भी समय में हस्तक्षेप किया गया जा सकता है। वसीयत के आधार पर नामांकन हेतु दो पृथक आवेदन। विवाद–ग्रस्त भूमि दोनों मामलों में वहीं एक पक्षकारान भी वही। दोनो मामलों की कार्यवाही संयुक्त रूप से की जानी चाहिए थी। नामांकन नियमों का नियम 27, नामांकन की कार्यवाहियों में अनुसरित नहीं किया गया। उद्घोषणा एवं नामांकन के बीच कम से कम 30 दिनों का समय प्रदान किया जाना चाहिए था जो एक भी मामले में नहीं दिया गया था, उद्घोषणा जारी नहीं की गयी थी। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष खारिज कर दिए गए। उभय पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद गुणावगुणों पर निस्तारित किए जाने को मामला प्रतिप्रेषित किया गया। नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर–वसीयत वसीयत सादे कागज पर लिखी गयी एवं अपंजीकृत थी– एक पुत्री के द्वारा प्रस्तुत की गयी–दूसरी पुत्री को न तो पक्षकार बनाया गया न ही सुनवाई किए जाने का अवसर ही प्रदान किया गया, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत–नामान्तरकरण ऐसी एक वसीयत के आधार पर नहीं किया जा सकता है। नामांकन का 11 वर्षों के बाद आक्षेप किया गया। उद्घोषणा जारी नहीं की गयी। हितबद्ध पक्षकार को सूचना नहीं दी गयी। नामांकन की कार्यवाहियां अवैध। नामांकन आरम्भतः शून्य एवं अकृत। हस्तक्षेप किया जा सकता है। समय सीमा का कोई वजन नहीं। 17 वर्षों के बाद आक्षेपित किया गया। उद्घोषणा जारी नहीं की गयी। हितबद्ध पक्षकार की सुनवाई नहीं की गयी। धारा 110 एवं नियम 27 के प्रावधानों एवं इसके अन्तर्गत विरचित नियम 27 का अनुपालन नहीं किया गया। नामांकन आरम्भतः शून्य एवं अकृत। ऐसे नामांकन में हस्तक्षेप किसी भी स्तर पर किसी भी समय में किया जा सकता है। कोई भी पक्षकार तकनीकी आधारों पर केवल अपने स्वत्व एवं स्वामित्व से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मामला गुणावगुणों पर निर्णीत किए जाने को, नैसर्गिक

न्याय के सिद्धान्तों का अनुसरण करने एवं पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, सनिर्देश किए जाने को प्रतिप्रेषित किया गया। निगरानी खारिज कर दी गयी।

(क) करारनामा के आधार पर स्वत्व– करार विलेख के आधार पर सहखातेदार के रूप में नाम दर्ज कराया जाना विधि सम्मत है, किन्तु न्यायालय में करारनामे की मूल प्रति प्रस्तुत किया जाना चाहिए, करारनामा जो सादे कागज पर अभिलिखित है उससे स्वत्व या हक अर्जित नहीं हो सकता।

18. नामांकन करार पर आधारित– नामांकन करार पर आधारित–करार के आधार पर नामांकन नहीं किया जा सकता है।

19. नामांकन विनियम विलेख पर आधारित रजिस्ट्रेशन अनिवार्य– विनिमय विलेख के आधार पर भूमिका मूल्य 100 रू. अधिक। दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

20. राजस्व–निरीक्षण–नामान्तरकरण अधिकार– राजस्व निरीक्षक को नामान्तरकरण की शक्ति(डाइवर्जन) प्रदत्त नहीं। नामान्तरकरण आदेश पारित। ऐसा एक आदेश बगैर अधिकारिता के है। आदेश आरम्भतः शून्य एवं अकृत।

21. नजूल भूमि का नामान्तरकरण– यथा संशोधित छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता(संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर नजूल भूमि का नामान्तरकरण–अपील में कलेक्टर ने नजूल अधिकारी के आदेश को खारिज कर दिया। कलेक्टर के मामले को, पक्षकारों को सुनवाई किए जाने के अवसर को प्रदान करने के बाद गुणावगुणों पर निर्णीत किए जाने को प्रतिप्रेषित कर दिया। आदेश के विरूद्ध अपील की गयी। अवधारित किया गया, कलेक्टर को स्वयं साक्ष्य लेने के बाद गुणावगुणों पर मामले को विनिश्चित कर देना चाहिए था। कलेक्टर का आदेश अधिकारिता विहीन होने के कारण खारिज कर दिया गया। अपील स्वीकार कर ली गयी।

(क) '' नजूल भूमि –वसीयत के आधार पर नामांतरण '' – नजूल भूमि सीट नं. 42 प्लाट नं. 465 क्षेत्रफल 2648, वर्गफीट अकेले सुभद्रा बाई के नाम में दर्ज रही। नजूल भूमि सीट नं.–42 प्लाट नं.–436 क्षेत्रफल 1325 वर्गफीट सुभद्रा बाई, मदनलाल उर्फ मुरलीधर, सदनलाल एवं मोती लाल के नाम संयुक्त रूप से दर्ज थी। सुभद्रा बाई ने उपरोक्त दोनों भूमि के संबंध में एक वसीयत निष्पादित किया। उसके नाम में भूमि अभिलेख के अनुसार जिसका 883 वर्गफीट श्रीमती चित्रलेखा उर्फ मुनू आवेदक नं. 2 को दिया गया था एवं शेष भूमि संयुक्त नाम में दर्ज रही जिसमें से 465 वर्गफीट सुभारंजनी आवेदक नं. 1 को दी गयी थी एवं शेष भूमि 860 वर्गफीट उसके पुत्रों मदन, सदन एवं मोती लाल को दी गयी। नजूल अधिकारी के समक्ष दो पुत्रों के द्वारा आपत्ति की गयी। वसीयत के आधार पर नजूल अधिकारी रायगढ़ के द्वारा नामांकन आदेश पारित किया गया। अपर कलेक्टर रायगढ़ के समक्ष क्षुब्ध पक्षकार के द्वारा एक अपील दाखिल की गयी। कलेक्टर ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को बहाल रखा। इसलिए यहां द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी। अवधारित– अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि विवादित भूमि संयुक्त परिवार की संपत्ति है, अतः रजिस्टर्ड वसीयत विधि के विपरीत है। गवाहान के प्रतिपरीक्षण का अवसर नहीं दिया गया, इस मामले में 1996 एम.पी.एल.जे.772 उद्धृत किया गया। प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि सुभद्राबाई की संपत्ति का नामांकन वर्ष 1994 में किया गया है जो न्यायालय में आक्षेपित नहीं किया गया था, इसलिए यह अंतिम हो गया हैं तद्नुसार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा समवर्ती आदेश पारित किया गया इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नजूल अधिकारी के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्लाट नं. 465 की भूमि सुभद्राबाई द्वारा खरीदी गयी, फलतः उसको मानी जायेगी। प्लाट नं. 436 की भूमि संयुक्त रूप से खरीदी गयी। यह दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पाया गया। स्वयं अर्जित संपत्ति के अंतरण में कोई विधिक बाध्यता नहीं है। पूर्व में हुए नामांतरण के पीछे सामान्यतः राजस्व अधिकारियों को नहीं जाना चाहिए, इस न्याय के दृष्टांत से मैं सहमत हूं।1989 रा.नि.377–अतिरिक्त जिलाधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं, अतः वह बहाल रखा जाता है। हस्तक्षेप अपील अस्वीकार कर दी गयी।

22. द्वितीय अपील– द्वितीय अपील–आपसी विभाजन एवं हक के परित्याग के विलंब के आधार पर नामांकन आवेदन। परित्याग विलेख अपंजीकृत। तहसीलदार ने विभाजन एवं परित्याग के विलेख को वैध तौर पर स्वीकार करने के बाद आवेदक के पक्ष में नामांकन किया। प्रथम अपील में उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार के आदेश को वैध पाया एवं इसे बहाल रखा। राजस्व परिषद् के समक्ष द्वितीय अपील। अवधारित किया गया साक्ष्य का मूल्यांकन करने में उभय अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया गया। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश बहाल रखे गए। अपील खारिज कर दी गयी। वादग्रस्त भूमि कब्जे के आधार पर पश्चातवर्ती क्रेता के पक्ष में कब्जे के आधार पर नामांकन, विकृत, आदेश के विरूद्ध राजस्व परिषद् के समक्ष अपील, अभिनिर्धारित किया गया, उपखण्ड अधिकारी के निष्कर्ष विधिक बिन्दुओं एवं साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित, निष्कर्ष का खण्डन नहीं किया गया। उपखण्ड अधिकारी का आदेश वैध। अपील खारिज कर दी गयी। अपीलार्थी को कोई हक प्राप्त नहीं। अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं रहा, एक हितबद्ध पक्षकार नहीं है। अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। अपील खारिज कर दी गयी।

23. नामांकन परिसीमा अधिनियम– परिसीमा अधिनियम, 1963, धारा 5, नामांकन प्रक्रिया का अनुपालन नहीं कि गया। नामांकन रजिस्ट्रीकृत किया गया। नामांकन में हस्तक्षेप इसकी सूचना पर किया जा सकता है। परिसीमा कोई वर्जन नहीं है। जहां रजिस्टर पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं, आदेश आरम्भतः शून्य होने के कारण हस्तक्षेप वांछित नहीं है। तथा परिसीमा वर्जित नहीं है। विलंब क्षमा के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र समय सीमा से बाहर मानकर मामला खारिज किया गया। मामले में गुणावगुण के आधार पर आदेश भी पारित नहीं किया गया। आदेश, सम्मानीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा मार्ग दर्शित सिद्धान्त के अनुसार नहीं। अतः ऐसे आदेश के वैध न होने के कारण निरस्त किया गया। ए.आई.आर. 1987 एम.पी.1987 एम.पी. 1353 । (अनुसरित)

परिसीमा अधिनियम की धारा 5 दिनांक 23.06.1981 को पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 09.12. 1997 को (को लगभग 17 वर्ष बाद) प्रथम अपील दाखिल की गयी। प्रथम अपील के साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन पत्र दाखिल किया गया। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब के बारे में स्थिति अस्पष्ट है। विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी कब और कैसे हुयी तथा इतनी लंबी अवधि के बाद अपील दाखिल करने का तर्कसंगत कारण प्रत्यर्थीगण के द्वारा दर्शित नहीं किया था । धारा 5 के अनुसार प्रत्येक दिन का विवरण दिया जाना चाहिए। दिनांक 23.06.1981 के आदेश की जानकारी दिनांक 05.12.1997 को ज्ञात एवं प्रस्तुंत संबंधित तर्क को विश्वसनीय नहीं समझा जा सकता था ।

24. नामांकन प्रकरण– नामांकन प्रकरण उपखण्ड अधिकारी के द्वारा तहसीलदार का आदेश खारिज कर दिया गया, मामला विधिक बिन्दुओं पर विवेचना करने के बाद एवं उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निष्कर्ष निकालने के लिए प्रतिप्रेषित किया गया। प्रतिप्रेषण आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन अनुपालन नहीं किया गया। यह अधीनस्थ न्यायालयों के लिए प्रतिप्रेषण आदेश में प्रदत्त निर्देशों का पालन करना यह आदेशात्मक है। उपखण्ड अधिकारी ने ऐसे आदेश को खारिज करने में एवं पुनः आदेशात्मक निर्देशों के अनुपालन करने के लिए इसे प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक त्रूटि नहीं की है। उपखण्ड अधिकारी का आदेश वैध, बहाल रखा गया। निगरानी खारिज कर दी गयी।

25. वसीयत के आधार पर नामांकन– एक अपंजीकृत वसीयत। गवाहान के परस्पर विरोधी साक्ष्य। वसीयत गवाहान के द्वारा विधिकतः साबित नहीं की गयी। अन्य वसीयत, पंजीकृत, साबित की गयी। खण्डित नहीं की गयी यह विधिकतः मान्यता प्रदान की जावेगी। अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष। हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं की गयी। अपील खारिज कर दी गयी।

26. नामांतरण प्रमाणित न किया जाना– राजस्व निरीक्षक द्वारा सगे भाइयों के बीच पारस्परिक विभाजन के आधार पर नामांतरण(दाखिल खारिज) प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उसके क्षेत्राधिकार के परे है।

27. हक का त्याग– हक का त्याग पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से केवल किया जा सकता है। मात्र सादे कागज पर लेखन के द्वारा हक समाप्त नहीं होता है।

(क) '' हक का हस्तांतरण– विधि के अनुसार विवादित भूमि के हक का हस्तांतरण विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक से पूर्ण होता है। बगैर नामांकन के यह उपधारित नहीं किया जा सकता है कि विवादित भूमि पर प्रत्यर्थी हक को अर्जित नहीं करता है बल्कि यह उपधारित किया जायेगा कि प्रत्यर्थी ने विवादित भूमि पर हक को अर्जित कर लिया था। जब अपीलार्थी के पितामह का नाम राजस्व अभिलेख में था।

28. नामान्तरण–विभाजन के आधार पर– विभाजन के आधार पर नामांतरण के लिये नामांतरण के पूर्व संहिता की धारा 178 के अधीन बंटवारा होना आवश्यक है।

29. '' पंजीकृत बैनामा–नामान्तरण '' – कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.1981 के अनुसार वादग्रस्त भूमि को विक्रय की अनुमति प्राप्त करने के बाद अपीलार्थी के पिता/पति के पक्ष में एक रजिस्टर्ड बैनामा निष्पादित किया गया। विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरण अधिकारी के द्वारा दिनांक 23.06.1981 के द्वारा राजस्व अभिलेख में प्रविष्ट दर्ज की गयी। अतिरिक्त तहसीलदार बागबाहरा के उक्त आदेश दिनांक 23.06.1981 के विरूद्ध प्रत्यर्थी के द्वारा दिनांक 19.12.1997 के उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील धारा 5 के आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र में विलंब के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी, यह भी उल्लेख नहीं किया गया कि प्रत्यर्थी को निम्न न्यायालय के आदेश की जानकारी कब हुयी और कैसे हुयी एवं इस प्रकार इतनी लंबी अवधि की अपील करने का प्रत्यर्थी के द्वारा तर्कसंगत कारण नहीं स्थित रखी जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी महासमुंद का आदेश निरस्त किया जाता है।

30. '' नामान्तरण–अनुसूचित जनजाति के वैयक्ति विधि के अनुसार '' – हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, धारा 2(2) स्वर्गीय मथुरा प्रसाद का अपीलार्थी पुत्र एवं प्रत्यर्थिनी पुत्री है। उभयपक्ष उरांव अनुसूचित जनजाति के हैं उसमें वैयक्तिक विधि लागू होगी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिकार अधिनियम की धारा 2(2) की प्रयोज्यता। आदिवासी व्यक्तियों में अप्रयोज्य। उरांव अनुसूचित जनजाति के वैयक्तिक विधि के अनुसार नामांतरण होगा। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नहीं किया जायेगा। धर्म से जाति निर्धारित नहीं की जा सकती है।

31. नामान्तरण एवं बंटवारे का आदेश – संशोधन पंजी में जो पृथक कार्यवाहियां हैं, एक ही नामांतरण एवं बंटवारा का आदेश पारित नहीं किया जा सकता ।

32. नामान्तरण की सहखातेदार को सूचना देना – जहां सहखातेदार को सूचना नहीं दी गयी है वहां नामांतरण आरम्भ से ही शून्य एवं अकृत है, इसमें हस्तक्षेप कभी भी किया जा सकता है।

33. नामान्तरण आदेश रद्द करना– पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण आवेदन रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि पंजीकृत विक्रय विलेख शून्य घोषित करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय में नहीं, बल्कि सिविल न्यायालय को है।

34. पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामांतरण– जहां प्रथम वसीयत विधिक रूप से पंजीकृत साबित है और द्वितीय वसीयत अपंजीकृत संदेहास्पद है तब प्रथम वसीयत के आधार पर नामांतरण सही है।

35. अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर नामांतरण— अपंजीकृत इकरारनामें के आधार पर नामांतरण हेतु अपंजीकृत इकरारनामा को प्रमाणित किया जाना चाहिए, इसके अभाव में कार्यवाही नहीं की जा सकती। जब अपंजीकृत वसीयत विधि अनुसार साबित नहीं है तथा साक्षियों के कथन विरोधाभासी हैं जब ऐसे वसीयत के आधार पर नामांतरण आदेश प्रथम अपील में अपास्त किया जायेगा और संयुक्त नामांतरण आदेश में हस्तक्षेप वांछित नहीं है।

36. नामांतरण कार्यवाही शून्य होना— इस धारा के उपबंध एवं नियम 27 का अनुपालन न किये जाने की दशा में नामांतरण कार्यवाही आरम्भतः शून्य है और परिसीमा वर्जित नहीं है।

37. विक्रय विलेख के आधार नामांतरण— 1949 के रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण के लिए एक आवेदन 51 वर्ष के बाद दाखिल किया गया। विक्रय विलेख सन्देहास्पष्ट नहीं है। नामान्तरण के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश सूक्ष्म विश्लेषणयुक्त बहुत स्पष्ट एवं वैध। अतः बहाल रखा गया। उपखण्ड अधिकारी का आदेश वैध नहीं अतः मंसूख कर दिया गया। अपील स्वीकार की गयी।

38. विधवा का अधिकार— पति की भूमि प्राप्त करने का विधवा का अधिकार है तथा ग्राम की सम्पत्ति भी विवादित होने पर तहसीलदार का क्षेत्राधिकार समाप्त नहीं हो जाता और इसलिए मामला तहसील न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

39. '' स्वत्व '' — स्वत्व की अध्यापित कानून से होता है। नामांतरण न किए जाने से कानून द्वारा अध्याप्त स्वत्व नष्ट नहीं होता है। स्वत्व, नामांतरण, वैध दस्तावेज के द्वारा स्वत्व के सृजन के आधार पर ही नामान्तरण हेाता है। किसी अवैध दस्तावेज से स्वत्व को सृजन नहीं होता है। इसलिये ऐसे दस्तावेज के आधार पर किया गया नामांतरण आदेश खारिज किए जाने के योग्य है।

40. '' उद्घोषणा एवं सूचना '' — उद्घोषणा एवं सूचना अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, प्रेमनगर द्वारा कोई उद्घोषणा अथवा सूचना जारी करना नहीं पाया जाता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं विधान के विपरीत है। इसकी पुष्टि अभिलेख के प्रेक्षण से स्पष्टतः हुयी। परिणामतः निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया।

41. '' इकरारनामा '' — इकरारनामा अपंजीकृत, प्रत्यर्थिनी के पिता द्वारा अपनी पुत्री प्रत्यर्थिनी तेरसा को कुछ जमीन देने के बाबत एक इकारनामा लिखा गया। संपत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ऐसे इकरार नामा के आधार पर स्वस्व का अन्तरण नहीं होता है, इसलिए उपरोक्त इकरारनामा के आधार पर भी प्रत्यर्थिनी का नाम इसमें लिखित भूमि पर नामान्तरण दर्ज नहीं किया जा सकता है।

42. '' पैतृक संपत्ति पुरूष बच्चों का न्यागत '' — उभयपक्ष उरांव अनुसूचित जनजाति के हैं। अपीलार्थी स्वर्गीय मथुरा का अपीलार्थी पुत्र है एवं प्रत्यथिर्नी पुत्री है। आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाली जातियों में पिता की मृत्यु के बाद अपने वैयक्तिक विधि के अनुसार पिता की संपत्ति पुरूष बच्चों पर न्यायत होती है। वैयक्तिक विधि के अनुसार ही नामांतरण कार्यवाही का निर्देश दिया गया। स्वर्गीय मथुरा उरांव अनुसूचित जनजाति के थे अतः उसकी मृत्यु के बाद वैयक्तिक विधि के अनुसार उनके नाम पर दर्ज होगी एवं उसकी पुत्री प्रत्यर्थिनी के नाम पर नहीं होगी। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैध होना नहीं पाया गया जो बहाल नहीं रखा जा सकता है। अतः उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पारित आदेश अस्वीकार कर दिया गया। हस्तगत एक अपील स्वीकार की जाती है।

43. '' अंश '' — स्वयं उपार्जित संपत्ति अंश का पाना। इसका निराकरण सिविल न्यायाल से कराना चाहिए।

44. '' सिविल न्यायालय '' – स्वअर्जित संपत्ति पर हिस्सा प्राप्त करने का न्यायिक अधिकार का पूर्तिसंहरण व्यवहार न्यायालय से संपादित कराना चाहिए। व्यवहार न्यायालय का निर्णय अपीलार्थी के एक सिलिव वाद नं. 149/A–97 सिविल न्यायाधीश वर्ग । खैरागढ़ में दाखिल किया जो न्यायालय के द्वारा दिनांकित 08.01.2003 को खारिज कर दिया जाता है। इस निर्णय में राजस्व अधिकारी का नामांकन वैध किया जाता है। सिविल न्यायालय की अधिकारिता राजस्व न्यायालय की उपेक्षा वरिष्ठतर है एवं सिविल न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी है एवं राजस्व न्यायालय में अनुपालित किया गया। समवर्ती निष्कर्ष, अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष समवर्ती है, इसलिये इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

45. '' निष्पादन सबूत आवश्यक '' – साक्ष्य अधिनियम, धारा 47 एवं 67 निष्पादन सबूत आवश्यक अपेक्षायें संस्थापित। प्रदर्शक के रूप में विलेखों को जिसे चिन्हांकित करना, उसे साबित किए जाने की अनुमति देना नहीं होता है।

46. '' सम्पत्ति–प्रकार एवं अन्तर '' – सम्पत्ति –प्रकार एवं अन्तर–स्वअर्जित संपत्ति एवं पैतृक संपत्ति। श्रीमती सुभद्रा द्वारा अकेले प्लाट नं. 465 की भूमि वर्ष 1971 में खरीदी गयी इसमें अन्य कोई खातेदार अथवा संयुक्त रूप से खरीदी की गयी। इसका कोई तथ्य अंकित नहीं इसलिए वह भूमि श्रीमती सुभद्रा बाई की मानी जाएगी। स्वअर्जित संपत्ति को जिसे देना या नहीं देना यह अधिकार स्वत्वधिकार के विवेक पर नियत करता है, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है कि ऐसी संपत्ति को परिवार के सभी सदस्यों को वाद हिस्सा दें। यह धारक के उपर निर्भर करता है कि वह संपत्ति का अन्तरण किस प्रकार करे। इसलिए कोई विधिक बाध्यता नहीं हैं। वह जिस प्रकार से चाहे अपनी सम्पत्ति का अन्तरण कर सकता है। प्लाट नं. 436 की भूमि संयुक्त रूप से खरीदी गयी। इसलिए परिवार की संयुक्त संपत्ति है। ऐसी संपत्ति अपने हिस्से की वसीयत के द्वारा अन्तरण विधि विरूद्ध नहीं है।

47. '' आवश्यक पक्षकार '' – आवश्यक पक्षकार, विवादित भूमि का भू–स्वामी दरियाब सिंह था। किन्तु प्रत्यर्थी दरियाव सिंह को विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया।

48. '' अधिकार अथवा हित का विधिकतः अर्जन '' – संहिता की धारा 109 विधिक हित या अधिकार के अर्जन से संबंधित है जिसके अधीन पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा भूमि के हस्तांतरण हेतु विधि अपेक्षित माध्यम है। भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिए क्रय की गयी है तब धारा 110 के अधीन सारवान, आपत्ति ऐसी भू–संपत्ति पर हक या हित के बारे में दाखिल न हो।

अवधारित, इस मामले में संबंधित भूमि को आवेदकगण ने पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा क्रय किया था । इसी आधार पर तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांकित 28.05.2002 के अनुसार नामांकन किया। जहां तक वैधानिकता के प्रश्नों का संबंध है, नामांकन वैध है।

49. '' तीस वर्ष पुराना दस्तावेज विधिक मान्यता प्राप्त '' – भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 धारा 90, 30 वर्ष से अधिक का पुराना दस्तावेज, ऐसा दस्तोवज स्वयं में विधि की मान्यता को हासिल किया। वर्ष 1949 के पंजीबद्ध विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण आवेदन पत्र । विक्रय विलेख सन्देहरहित एवं कूटरचित नहीं। फलतः नामांतरण आदेशित।

50. '' विक्रय विलेख '' – विक्रय विलेख, वर्ष 1949 का पंजीबद्ध विक्रय विलेख। विक्रय विलेख को आक्षेपित नहीं किया गया। विक्रेता की मृत्यु के बाद नामांतरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। विक्रय विलेख सन्देहास्पद नहीं। नामान्तरण का एक आदेश पारित किया गया।

51. अवैध दस्तावेज–नामांतरण – दस्तावेज, अपंजीकृत बन्दोबस्त दस्तावेज ऐसे दस्तावेज से स्वत्व का सृजन नहीं होता एवं स्वत्व का अन्तरण भी नहीं होता है। स्वत्व का अन्तरण वैध दस्तावेज से होता है। अवैध दस्तावेज से किया गया नामांतरण विधि के अनुसार नहीं। इसलिए नामांतरण मंसूख कर दिया गया।

52. बंदोबस्त दस्तावेज– बंदोबस्त दस्तावेज– इस दस्तावेज के द्वारा स्वत्व का अन्तरण होता है। अतः भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 सहपठित धारा 49 के अधीन पंजीकृत होना आवश्यक। ऐसा दस्तावेज अपंजीकृत फलतः वैध दस्तावेज नहीं। अतः इस प्रकार के बन्दोबस्त दस्तावेज के आधार पर पारित आदेश खारिज कर दिया गया।

53. '' आदेश अपंजीकृत बंदोबस्त दस्तावेज– आदेश अपंजीकृत बंदोबस्त दस्तावेज–ऐसे दस्तावेज के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित। ऐसा दस्तावेज अपंजीकृत होने से वैध दस्तावेज नहीं। इस दस्तावेज के द्वारा स्वत्व का अन्तरण नहीं हो सकता है। परिणामतः ऐसे दस्तावेज के आधार पर पारित आदेश खारिज।

54. समयसीमा–' विलंब ' – परिसीमा अधिनियम 1963, धारा 5, उपखण्ड अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी की अपील उक्त धारा के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र समयसीमा से बाहर होने के कारण खारिज कर दिया गया। मामले में गुणावगुण के आधार पर भी आदेश पारित नहीं। केवल दो दिन के विलंब के कारण मामला खारिज कर दिया गया, क्योंकि उपरोक्त धारा के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी का आदेश सम्मानीय उच्च न्यायालय के द्वारा मार्गदर्शित सिद्धान्तों के अनुसार नहीं। अतः ऐसा आदेश खारिज कर दिया गया।

55. प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा नियम का अनुपालन नहीं – इस धारा के अधीन निर्मित नियमों का पालन प्रमाणीकरण अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया। संहिता की धारा 110 के अधीन निर्मित नियमों के अनुसार अर्जित किए गए हक के आधार पर नामांतरण किया जाना चाहिए। प्रमाणीकरण अधिकारी के द्वारा एवं उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पारित आदेश उपरोक्त नियम के आधार पर न होने के कारण वैध नहीं। परिणामतः ऐसा आदेश रद्द कर दिया गया। अपील स्वीकार की गयी।

56. '' आपसी विभाजन–अभिलेख दुरूस्तीकरण– उपखण्ड अधिकारी बलौदाबाजार के इस निर्णय से असहमत कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में विधिकतः अर्जित करते हुए निश्चयात्मक सबूत सारवान साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण आवेदन पत्र विचारणीय नहीं। वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी नं. 1 के नाम से 5.12.1964 दिनांकित पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसार क्रय की गयी थी। विधिकतः अर्जन के लिए पंजीकृत विक्रय विलेख उचित माध्यम है। उपखण्ड अधिकारी का मत उचित नहीं है कि आवेदन पत्र का प्रयोजन वादग्रस्त भूमि का विभाजन है। आवेदन पत्र का आशय केवल पूर्व में हुए पारस्परिक बंटवारा के अनुसार अभिलेख का शुद्धिकरण हैं ऐसी स्थिति में जिलाधीश के द्वारा उपखण्ड अधिकारी के आदेश को अस्वीकार करने में कोई विधिक त्रूटि नहीं की गयी। जिलाधीश का आदेश हस्तक्षेप नहीं है।

57. '' विधि पूर्वक अधिकार अर्जित–शक्ति का प्रयोग– विधि पूर्वक अधिकार को अर्जित करने वाले व्यक्ति के संबंध में ही प्राधिकारी द्वारा धारा 109 के अधीन ही शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है–ऐसे अर्जन के दिनांक से छः माह के अन्दर ही ऐसा आवेदन भी प्रस्तुत किया जायेगा।

भू–राजस्व संहिता, 1959, धारा–110 में जनजातियों के प्रावधानिक विषय

[110. क्षेत्र–पुस्तक तथा अन्य सुसंगत भू–अभिलेखों में अधिकार अर्जन बाबत नामांतरण–(1) पटवारी अधिकार के प्रत्येक ऐसे अर्जन को, जिसकी कि रिपोर्ट उसे धारा 109 के अधीन की गई हो या जो ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त प्रज्ञापन पर से उसकी जानकारी में आए, उस रजिस्टर में दर्ज करेगा जो कि उस प्रयोजन के लिए विहित किया गया।

(2) पटवारी अधिकार अर्जन संबंधी समस्त ऐसी रिपोर्ट, जो उपधारा (1) के अधीन उसे प्राप्त हुई हों, उन रिपोर्टों के उसे प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर तहसीलदार को प्रज्ञापित करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन पटवारी से प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर, तहसीलदार उसे विहित रीति में ग्राम में प्रकाशित करवाएगा और उसकी लिखित प्रज्ञापना उन समस्त व्यक्तियों को, जो कि उसे नामांतरण में हितबद्ध प्रतीत होते हों तथा साथ–ही ऐसे अन्य व्यक्तियों एवं प्राधिकारियों को भी देगा जो कि विहित किए जाएं।

(4) तहसीलदार हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, क्षेत्र–पुस्तक तथा अन्य सुसंगत भू–अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि करेगा।]

1–नामांतरण–क्षेत्र और प्रकृति नामांतरण भू–अभिलेख शुद्ध करने की प्रकिया है इससे किसी हक का सृजन नहीं होता। विधि द्वारा अर्जित हक को विधि मान्य रूप से अभिलिखित करना ही नामांतरण है। यह हक का निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है। नामांतरण प्रविष्टि का उद्देश्य आधिपत्य धारी व्यक्ति से भू राजस्व संग्रहित करने में राज्य को मदद करने का होता है, नामांतरण भूमि पर कोई स्वत्व प्रदान नही करता है। स्वत्व तो स्वामी द्वारा अंतरिती के हित में विधिवत स्टाम्प पर निष्पादित पंजीकृत विलेख से प्राप्त होता है। नामांतरण की कार्यवाही दस्तावेजों के अद्यतन करने की कार्यवाही है। राजस्व अधिकारियों की जानकारी में जैसे ही यह बात आ जाती है कि भूमि–स्वामी की मृत्यु हो गई है। भू–अभिलेख को शुद्ध करना उनका दायित्व हो जाता है, क्योंकि मृत व्यक्ति को स्वामी के रूप में अभिलेख में रखना उचित नहीं है। इस कार्यवाही के अंतर्गत अवयस्क का अभिभावक कौन होगा यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। किसी व्यक्ति के नाम पर अभिलेख में जिस प्रकार का हित अभिलिखित होता है मृतक के स्थान पर स्वत्व अर्जन करने वाले व्यक्ति को वही अधिकार और स्थिति प्राप्त होता है जो मृतक को प्राप्त थी।

(क) नामांतरण का मामला–हितबद्ध पक्षकार को न तो सूचना दी गयी न ही उसकी सुनवाई की गई–अपीलीय एवं निगरानी न्यायालयों के द्वारा नामांकन आदेश का अपास्त किया जाना विधिक एवं उचित है। इस प्रकार तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उनके द्वारा पारित आदेश को स्थित रखने में अपर आयुक्त द्वारा कोई भूमि नहीं की गयी है। अतः अपर आयुक्त का आदेश विधिसंगत होने से हस्तक्षेपनीय नहीं है।

2–नामांतरण का आदेश कौन कर सकता है–नायब तहसीलदार को नामांतरण का अधिकार अधिसूचना कमांक 13688 द्वारा दिया गया है। राजस्व न्यायालय को स्वत्व के आधार पर नामांतरण के प्रश्न के निराकरण का अधिकार है। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रकरण में निहित प्रश्न सरल है या जटिल है। नायब तहसीलदार को नये और पुराने नियम–15 के अंतर्गत अभिलेख को जांच करने और दुरूस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पीड़ित पक्षकार द्वारा आवेदन पत्र देने पर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की जांच करने और उसे दुरूस्त करने का अधिकार और दायित्व राजस्व न्यायालय को है। राजस्व निरीक्षक के द्वारा किये गये त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को नायब तहसीलदार शुद्ध कर सकता है। सिविल कोर्ट के द्वारा घोषणात्मक आज्ञप्ति द्वारा स्वत्व प्राप्त होने पर राजस्व न्यायालय उसे प्रभावशील करने के लिये बाध्य होते हैं। जिलाध्यक्ष को नामांतरण संबंधी आदेश करने का अधिकार नहीं है।

3–नामांतरण सिर्फ एक बार– सिद्धांत तो यह है कि नामांतरण सिर्फ एक बार होता है, परंतु यदि कपट द्वारा और प्रतिपक्ष को सूचना दिये बिना नामांतरण किया गया हो तो उसे अनदेखा किया जा सकता है और दुबारा नामांतरण किया जा सकता है। यदि पहले किये गये नामांतरण को चुनौती नहीं दी गई है तो ऐसा नामांतरण अंतिम हो जाता है और पूर्व के नामांतरण को रद्द किये बिना कोई नया नामांतरण नहीं हो सकता। जहॉ राजस्व निरीक्षक के द्वारा नामांतरण किया गया है वहां व्यक्ति पक्षकार किया गया है। वहां व्यक्ति पक्षकार तहसीलदार को आवेदन कर सकता है और तहसीलदार ऐसे नामांतरण आदेश को निरस्त कर सकता है, परंतु नये नामांतरण के लिये अलग से आवेदन पत्र देना आवश्यक है। उस पर उद्घोषण और सूचनायें जारी करना और नियमानुसार नामांतरण करना आवश्यक होगा। एक ही वाद कारण के लिये एक बार नामांतरण हो जाने के पश्चात् पुनः आवेदन संचालित किये जाने योग्य नहीं है। पिछला नामांतरण कपटपूर्वक हुआ था इस तथ्य की जांच भी नहीं की जा सकती। एक व्यक्ति का नाम यदि नामांतरण द्वारा सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा दर्ज कर दिया गया है पुनः उसी वादकारण पर नामांतरण की कार्यवाही नये सिरे से नहीं हो सकती। हितबद्ध व्यक्ति को सूचना दिये बिना नामांतरण कर दिया गया है तो पुनः प्रारंभ किया जा सकता है। मान्य सिद्धांत यह कि एक बार किये गये नामांतरण को पश्चात्वर्ती नामांतरण कार्यवाही अपेक्षित नहीं किया जा सकता। अपील, निगरानी या व्यवहार वाद के माध्यम से ही पूर्व के नामांतरण को पुनर्द्धाप्ति किया जा सकता है। अगर अपील या निगरानी में किसी नामांतरण को चुनौती नहीं दी गई तो नायब तहसीलदार पुनः नामांतरण की कार्यवाही प्रारंभ नहीं कर सकता। व्यक्ति पक्षकार को व्यवहार वाद प्रस्तुत करना चाहिये। एक प्रकरण में व्यवहार न्यायालय द्वारा निषेधातमक या कुर्की आदेश के बावजूद भूमि स्वामी ने भूमि बिक्री कर दी और क्रेता ने नामांतरण करा लिया यह धोखा देकर कराया गया नामांतरण था। नीलाम क्रेता द्वारा दुबारा नामांतरण के आवेदन में पूर्व के नामांतरण को बाधा नहीं माना गया।

विक्रेता के जीवनकाल में क्रेता ने नामांतरण नहीं कराया। विक्रेता के मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी नामांतरण करा अभिलेख में दर्ज कर दिये गये। क्रेता को व्यवहार वाद लाना चाहिये। पुनः नामांतरण कराने का कारण उत्पन्न नहीं होता क्योंकि विक्रेता की मृत्यु हो चुकी है। एक बार नामांतरण होने के बाद नामांतरण अधिकारी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना धारा 32 के अंतर्भूत अधिकार का प्रयोग करते हुए नामांतरण को पुनः प्रारंभ नहीं कर सकता। भूमिस्वामी के मृत्यु के बाद विधवा के नाम नामांतरण हुआ मृतक के पुत्रियों ने विरोध नहीं किया। विधवा ने पुत्री को दान पत्र लिख दिया बाद में दान पत्र को निरस्त भी कर दिया। यह माना गया कि दान प्रतिसंहरण पत्र अवैध दस्तावेज होता है। दानग्रहीता के पक्ष में नामांतरण किया जा सकता है। जहां नामांतरण विधिक प्रक्रिया का पालन कर किया जाता है। वहां पर नामांतरण अंतिम हो जाता है। स्वत्व के विवाद का निराकरण व्यवहार न्यायालय से ही हो सकता है। परन्तु, राजस्व न्यायालय को इस बात की जांच करने का अधिकार है कि क्या पूर्व का नामांतरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रक्रिया का पालन करने के बाद किया गया विशेष कर पटवारी या राजस्व निरीक्षक द्वारा साठगाठ करके या धोखा देकर किये गये नामांतरण के मामले में राजस्व न्यायालय प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थिति पर विचार कर नामांतरण को पुनः प्रारंभ कर सकता है। नामांतरण के समय तहसीलदार का कर्तव्य होता है कि वह सभी हिताधिकारियों को सूचित करे। यदि एक उत्तराधिकारी को आवेदन पर नामांतरण पुनः खोला जा सकता है।

4–आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में विलंब–आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में विलंब धारा 109 में स्वत्व अर्जन की रिपोर्ट 6 माह के भीतर प्रस्तुत करने का प्रावधान है। धारा के परंतुक में अवश्यक या निरहित व्यक्ति के अभिभावक को ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत किया गया है। नामांतरण के लिये 6 माह की अवधि कोई परिसीमा अवधि नहीं है। 6 माह के बाद भी प्रतिवेदन देने पर नामांतरण किया जा सकता है, परन्तु हितबद्ध पक्षकारों को सूचना देना आवश्यक होगा। कोई हित भू–राजस्व संहिता, 1959 के प्रभावशील होने के पूर्व अर्जित किया गया हो उसके लिये इस धारा के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। परंतु यदि विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में आवेदक साक्ष्य द्वारा न्यायालय को संतुष्ट कर दे तो नामांतरण किया जा सकता है। अधिनियम के प्रभावशील होने के पूर्व स्वत्व का अर्जन

हुआ हो तो विलंब से प्रस्तुत किये गये आवेदन पर धारा 119 के अंतर्गत शास्ति की जा सकती है। परंतु 6 माह से अधिक विलंब होने के कारण नामांतरण करने से इंकार नहीं किया जा सकता। भले ही स्वत्व का अर्जन अधिनियम के प्रभावशील होने के पहले किया गया हो, परंतु नामांतरण से इंकार नहीं किया जा सकता।

5—नामांतरण का अधिकार कब उत्पन्न होता है—स्वत्व एवं कब्जा—सामान्यतः सिद्धांत यह है कि वैध स्वत्व के अर्जन पर ही नामांतरण का अधिकार प्राप्त होता है। पंजीकृत पत्र, दान पत्र, वसीयत या धारा 164 के अंतर्गत पर्सनल लॉ के अनुसार उत्तराधिकार में स्वत्व का अर्जन आदि वैध स्वत्व के अर्जन हैं, जिसके आधार पर नामांतरण का दावा किया जा सकता है। कब्जे के आधार पर कोई स्वत्व का अर्जन नहीं होता। विपरीत आधिपत्य के आधार पर स्वत्व का अर्जन सिर्फ व्यवहार न्यायालय से प्राप्त आज्ञप्ति के आधार पर होता है। राजस्व न्यायालय विपरीत स्वत्व के आधार पर नामांतरण आदेश नहीं कर सकते। कब्जे के आधार पर स्वत्व की आज्ञप्ति व्यहवार न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है और आज्ञप्ति के आधार पर ही स्वत्व अर्जन का दावा किया जा सकता है। सिर्फ कब्जा चाहे वह कितनी अवधि का क्यों न हो वैध स्वत्व के अर्जन के बिना नामांतरण का अधार नहीं हो। विक्रय करार के आधार पर प्राप्त कब्जा के आधार पर स्वत्व का सृजन नहीं होता और नामांतरण नहीं किया जा सकता।

किसी ऐसे दस्तावेज के आधार पर नामांतरण चाहा गया जो कि स्वत्व का अंतरण नहीं करता उसके आधार पर नामांतरण नहीं हो सकता। एक ऐसे अभिभावक द्वारा जो कि वैध अभिभावक नहीं है कोई हक छोड़ पत्र लिखा पत्र लिख दिया जाता है तो उसे हक अर्जित लिख दिया जाता है तो उसे हक अर्जित नहीं होता। धारा 165 (6) के प्रावधान के विपरीत भूमि क्रय करने वाला क्रेता स्वत्व अर्जन नहीं करता। धोखाधड़ी और झूठ के आधार पर नामांतरण और बंटवारे का आदेश प्राप्त कर लेने से स्वत्व अर्जन नहीं होता। ऐसा आदेश शून्य माना जाता है। नामांतरण के लिये कब्जे का आधार पर्याप्त नहीं होता। आवेदक को सिद्ध करना होता है कि उसने धारा 185 के अंतर्गत दखल कब्जा पाया। अभिलेख में नामांतरण का हो जाना स्वत्व का अर्जन नहीं है और यह स्वत्व का साक्ष्य भी नहीं है। स्वत्व को वैध रूप से अर्जित होना चाहिये। अपंजीकृत व्यवस्था पत्र द्वारा स्वत्व का अर्जन नहीं होता और नामांतरण नहीं किया जा सकता। सिर्फ कब्जे के आधार पर नामांतरण हेतु विधिक हक का अर्जन आवश्यक है। लेकिन नामांतरण स्वयं ही कोई स्वत्व प्रदान नहीं करता। अभिलेख को अद्यतन रूप से शुद्ध रखना नामांतरण का उद्देश्य होता है। बिना विधिक अधिकार अर्जन किये और बिना हक के किये गये नामांतरण से हक प्राप्त नहीं होता। जहां पर सभी पुत्र नामांतरण के अधिकारी हैं पिता द्वारा अपंजीकृत दस्तावेज से एक पुत्र के पक्ष में किया गया अंतरण अवैध है अतः नामांतरण ही विधि विरूद्ध है। व्यवस्था पत्र को कोई वैध अंतरण नहीं माना जाता। उसके आधार पर स्वत्व का अंतरण नहीं होता। ऐसे दस्तावेज से राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया नामांतरण अवैध है। पूर्व के विभाजन का अभिस्वीकृति पत्र पंजीकृत नहीं है। विभाजन और अभिस्वीकृति पत्र का पंजीयन आवश्यक नहीं है। कब्जा तो सिद्ध कर दिया जाये परंतु स्वत्व विवादास्पद हो तो नामांतरण नहीं किया जा सकता। कब्जे को स्वत्व के साथ संलग्न होना चाहिए और स्वत्व वैध रूप से अर्जित होना चाहिये। अवैध विक्रय पत्र से भी नामांतरण नहीं हो सकता।

(क) नामांतरण मामले का पुनः खोलना—नामांकन मामला को पुनः खोलना—मृतक भू—स्वामी के केवल एक ही उत्तराधिकारी का नाम नामांकित किया गया था—तहसीलदार मामला पुनः खोल सकता है एवं शेष उत्तराधिकारियों के नाम के लिए नामांतरण करने का आदेश पारित कर सकता है।

6—नामांतरण के लिये दावे का आधार नामांतरण के लिए वैध—नामांतरण के लिये दावे का आधार नामांतरण के लिये वैध स्वत्व का अर्जन आवश्यक है। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर स्वत्व का अर्जन होता है। परंतु धोखाधड़ी का सहारा लेकर विक्रय विलेख का निष्पादन किया गया हो तो स्वत्व का अर्जन नहीं होता। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व न्यायालय नामांतरण कर सकते हैं। पंजीकृत विक्रय पत्र की वैधता की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है। क्षुब्ध व्यक्ति धारा 111 के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय में जा सकता है। राजस्व न्यायालय को देखना चाहिए कि आवेदक को

नामांतरण के लिये विधिक तौर से स्वत्व अर्जन हुआ है या नहीं कोई भी विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य और अवैध घोषित न कर दिया जाये वह स्वत्व के अर्जन का पर्याप्त माना जाता है। इसी प्रकरण में विक्रेता ने आपत्ति की थी विक्रय पत्र नहीं है अतः नामांतरण न किया जाये। न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया कि पंजीकृत विक्रय पत्र की जांच राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती, नामांतरण किया जाएगा। नीलाम विक्रय में क्रेता द्वारा अर्जित स्वत्व से नामांतरण किया जा सकता है। पंजीकृत प्रलेख की वैधता की जांच राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। पंजीकृत गोद पत्र के आधार पर नामांतरण किया जाना चाहिये। विक्रेता को विवादित भूमि बंटवारे में प्राप्त हुआ था। विभाजन आदेश के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया गया। ऐसी भूमि के विक्रय का पूर्ण अधिकार विक्रेता को है अतः क्रेता का नामांतरण होगा। पुजारी ने अपने व्यक्तिगत मंदिर के नाम में भूमि क्रय किया। क्रय एवं विक्रय की तारीख में व्यवस्थापक के तौर पर कलेक्टर का नाम प्रविष्ट नहीं है। विक्रय की मंजूरी कलेक्टर से लेने की आवश्यकता नहीं है। पुजारी द्वारा किये गये विक्रय से नामांतरण किया जा सकेगा। पंजीकृत विक्रय पत्र के संबंध में विक्रेता ने कथन किया कि उसे प्रतिफल नहीं देना लिखा गया है विस्तृत साक्ष्य आवश्यक नहीं है।

पूर्व मृत पुत्र की विधवा द्वारा क्रेता के विरूद्ध नामांतरण में आपत्ति की गई कि श्वसुर द्वारा बेची गई भूमि में उसका भी हिस्सा है। राजस्व न्यायालय द्वारा आपत्तिकर्ता का हक हिस्सा घोषित नहीं किया जा सकता इसलिये केता का नामांतरण किया जाएगा। रजिस्ट्रीकर्ता समझौता विलेख की जांच किये बिना नामांतरण नहीं किया जा सकता। नामांतरण स्वत्व के आधार पर किया जाएगा परंतु रजिस्ट्रीकृत विक्रय पत्र का संव्यवहार विक्रय है या बंधक, इस बात की जांच राजस्व न्यायालय कर सकता है। स्वत्व सिद्ध करने के लिये विक्रय पत्र पेश किया गया वहॉ पक्षकार को यह नहीं कहा जा सकता कि वह विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से संशोधित कराये। हिन्दु विधि में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत कोई हत्यारा मृतक की संपत्ति के उत्तराधिकार में नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिये 361 के पक्ष में नामांतरण भी नहीं किया जा सकता। अविभाजित संपदा का क्रेता अविभक्त संपदा में खरीदे हुये भाग पर संयुक्त रूप से स्वत्व अर्जन करता है। संयुक्त संपत्ति के दान और अंतरण में कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिये ऐसे संपत्ति का अंतरिती नामांतरण का हकदार होता है। सशर्त और अपंजीकृत दान पत्र से स्वत्व का अर्जन नहीं होता। बंधक के संबंध में न्यायालय को यह देखना होता है कि धारा 165 (2) (3) का अनुपालन हुआ है या नहीं दस्तावेज के छः साल बाद नामांतरण नहीं किया जा सकता।

व्यवहार न्यायालय की डिक्री सही है या गलत यह देखने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। डिक्री के आधार पर नामांतरण किया जाएगा। आपसी बंटवारे के आधार पर पक्षकार अलग–अलग कब्जे में है। एक हिस्सेदार के अंश को खरीदने वाले के पक्ष में नामांतरण किया जाएगा। सिविल कोर्ट द्वारा यदि प्रार्थी को गोदपुत्र घोषित किया गया है तो वैसी डिक्री गोदनामे का लक्ष्य होगा। परंतु यह नामांतरण का आधार नहीं होगा। कई सहखातेदारों में से एक ने समस्त भूमि का विक्रय कर दिया। व्यवहार न्यायालय ने व्यवहार वाद में सहखातेदार द्वारा विक्रय को वैध घोषित कर दिया। राजस्व न्यायालय विक्रेता के होकर भी क्रेता का नामांतरण करने के लिये बाध्य है। ऐसे सहखातेदार जो सिविल न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, उनके शेयर पर क्रेता का नामांतरण नहीं किया जा सकता। पंजीकृत विक्रय पत्र, पंजीकृत दान पत्र, पंजीकृत वसीयतनामा तथा धारा 164 एवं स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति बंटवारे के हिस्से में संयुक्त या पृथक रूप से स्वत्व का अर्जन हो या व्यवहार न्यायालय की स्वत्व संबंधी आज्ञप्ति हो वहां धारा 110 के अंतर्गत नामांतरण का दावा किया जा सकेगा। राजस्व न्यायालय वैध स्वत्व के अर्जन के आधार पर नामांतरण करेंगे। स्वत्व के प्रश्न का निराकरण राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। सिविल न्यायालय द्वारा ही निपटाया जा सकता है। तहसीलदार का नामांतरण आदेश न्यायिक आदेश नहीं होता। धारा 111 के अंतर्गत सिविल वाद के अधीन होता है। उसके आदेश से हक का विनिश्चय नहीं होता। राजस्व अधिकारी के आदेश को सिविल वाद में पूर्व न्याय के रूप में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता।

7–स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होने पर राजस्व न्यायालयों का कर्तव्य–स्वत्व के प्रश्नों पर राजस्व न्यायालय का निष्कर्ष संक्षिप्त हो सकता है। व्यक्ति पक्षकार आदेश के विरूद्ध सिविल कोर्ट से अनुतोष प्राप्त कर सकता है। राजस्व न्यायालय को यह जांच करने का अधिकार है कि स्वत्व अर्जन से संबंधित दस्तावेज संपत्ति पर स्वत्व प्रदान करता है या नहीं। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण किया जा सकता है। बशर्ते ऐसे पंजीकृत विक्रय पत्र के विरूद्ध परिस्थितियां सिद्ध न कर दी जावे। जहां पर विक्रय पत्र को निष्पादक एक अनपढ़ ग्रामीण महिला है और यह साक्ष्य आता है कि क्रेता ने किसी दूसरे दस्तावेज के बहाने या बंधक पत्र के बहाने विक्रय पत्र निष्पादित करा लिया ऐसे विक्रय पत्र से स्वत्व का अर्जन नहीं होगा।

संक्षिप्त प्रकार के स्वत्व के प्रश्नों का निराकरण राजस्व न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिये। पक्षकारों को सिविल कोर्ट जाने का निर्देश नहीं दिया जाना चाहिये। जहां दानपत्र के आधार पर नामांतरण चाहा गया है वहॉ पर दान पत्र की वैधता के संबंध में राजस्व न्यायालय को निष्कर्ष देना चाहिये। स्वत्व के प्रश्नों के निराकरण करते समय राजस्व न्यायालय सिविल कोर्ट की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। स्वत्व की घोषणा नहीं करेंगे, विशिष्ट पालन या संविदा के निरस्तीकरण जैसे गंभीर प्रश्नों का निराकरण नहीं करेंगे। राजस्व न्यायालय सिर्फ किसे स्वत्व प्राप्त है और वह नामांतरण लायक है या नहीं यही निष्कर्ष देंगे। यदि किसी दस्तावेज में खसरा नंबर गलत लिख दिया गया हो और यदि ऐसे खसरा नंबर जिसका विक्रय पत्र लिखा गया था विक्रेता का न हो और वास्तविक नंबर कुछ दूसरा हो जिसका बेचने का आशय था उसे क्लरीकल मिस्टेक माना जाता है। राजस्व न्यायालय को इस बात का निर्णय देने का अधिकार है। वह कौन सा खसरा नंबर है जिसे वास्तव में बेचने का आशय था।

किसी प्रकरण में उत्पन्न प्रश्न नहीं टाले जा सकते कि वे प्रश्न जटिल है। एक प्रकरण में विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण चाहा गया। प्रकरण में विक्रय पत्र के वैधता की जांच की जानी चाहिये। संयुक्त भू–धारी जिसमें कुछ नाबालिग भी है विक्रेता उनका अभिभावक नहीं है, ऐसे प्रकरण में नामांतरण नहीं किया जाना चाहिये। जहां पर विवाद भूमि स्वामी से क्रेता और कब्जाधारी के बीच हो वहां राजस्व न्यायालय को जांच करना चाहिये, ऐसा हर व्यक्ति आपत्ति कर सकता है जो भूमि पर भूमिस्वामी होने का दावा करता है। दावेदारों के दावों पर विचार कर उसका निराकरण करना चाहिये तथा विक्रय पत्र का भी निराकरण और जांच करना चाहिये। प्रकरण में अधिकार अभिलेख के संशोधन के साथ स्वत्व का प्रश्न निहित है ऐसे मामले को सिविल न्यायालय के द्वारा ही निपटाया जा सकता है। व्यवहार वाद के विचाराधीन होने से नामांतरण की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न नहीं होती।

परंतु यदि सिविल न्यायालय हक की घोषणा कर दे तो राजस्व न्यायालय उसका पालन करने के लिये बाध्य है। जहॉ पर अधिकार अभिलेख के संशोधन के साथ ही स्वत्व का प्रश्न निहित हो वहॉ पर राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है, सिविल न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

8–प्रक्रिया–उद्‌घोषणा और सूचना तथा आवश्यक पालनीय नियम–आवेदन पत्र के आधार पर नामांतरण नियमों का पालन किये बिना नाम कांटना अवैध और शून्य है। नामांतरण नियमों का पालन करना राजस्व अधिकारियों का कर्तव्य है। यदि हितबद्ध पक्षकार को सूचना नहीं दी गई, सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और वादभूमि को शासन के पक्ष में विलीन कर लिया गया तो पुनः खोला जा सकता है। धारा 110 के नियम 27 में अवश्य पालनीय प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। नियम 24 से 30 तक बनाये गये नियमों में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि भूमि के नामांतरण के संबंध में अभिलिखित और हितबद्ध पक्षकारों का सूचना की जानी चाहिए तथा विधिवत इश्तहार का प्रकाशन कराना चाहिये इस नियमों का पालन न करने पर प्रक्रिया दोष होने से नामांतरण अवैध और शून्य हो जाता है। निर्देशों का पालन करना आज्ञापक है। यदि हितबद्ध पक्षकार को सूचना नहीं दी गई, इश्तहार का प्रकाशन नहीं किया गया। प्रकरण बिना लिखित आवेदन के प्रारंभ किया गया। ऐसे नामांतरण आदेश विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त किये गये। इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचना दी जाती है और आपत्ति ली जाती है, जबकि नोटिस द्वारा पक्षकार से ही आपत्ति ली जाती है। उद्‌घोषणा के लिये यह नियम है कि ढोल बजाकर और

प्रकाशन की अन्य विधियों से पर्याप्त उद्घोषणा की जानी चाहिये और आपत्तिकर्ता के दरवाजे पर भी नोटिस चिपकाना चाहिये।

मृतक की पुत्रियां मोजूद हैं वहां उन्हें व्यक्तिगत नोटिस देना चाहिये। नियम 27 के प्रावधान आवेदक के लिये बने, बल्कि आपत्तिकर्ता के लिये बने हैं। भूमि के क्रेता को अपने स्वत्व के अर्जन की राजस्व स्वयं की धारा 109 के अंतर्गत देने का दायित्व है। किसी विशेष आपत्तिकर्ता के पक्षकार नहीं बनाया गया था। यह बात अपील में स्वीकार करने योग्य नहीं है। नामांतरण के नियमों की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है वह धारा 109 के अंतर्गत स्वत्व के अर्जन के संबंध में है किसी निजी संधि या हक के अवतरण या उत्तराधिकार के प्रकरण में यह प्रक्रिया अपनाना आवश्यक नहीं है।

किसी व्यक्ति का नाम राजस्व अभिलेखों में पहले से दर्ज है ऐसे व्यक्ति को नामांतरण के पूर्व विधिवत नोटिस देना आवश्यक है। यदि ऐसी नोटिस नहीं दी गई तो नामांतरण शून्य है। अधिकार अभिलेख में प्रविष्टि में परिवर्तन के पूर्व हितबद्ध पक्षकारों को सूचित दिया जाना आवश्यक है। ऐसे लोगों को सूचना न देने पर नामांतरण आदेश अवैध होता है।

9—अन्य विविध—न्याय उद्धरण—कोई अवैध हस्तांतरण नामांतरण का हक प्रदान नहीं करता। अवैध हस्तांतरण से व्यक्ति हिताधिकार अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कब्जे का आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और धारा 197 के अंतर्गत कब्जा प्राप्त कर सकता है। उत्तरजीवी उत्तराधिकारी विक्रय को निरस्त नहीं करा सकता। ऐसा व्यक्ति जो भूमि पर हक रखता है बाद की कार्यवाही में अपना नाम दर्ज करा सकता है। कोई बंधकग्रहीता (मागैजी) किसी व्यक्ति को स्वयं की भूमि स्वामी बताकर भूमि का विक्रय कर दे तो नामांतरण में क्रेता बंकधग्रहीता के रूप ही अभिलिखित किया जाएगा, क्योंकि उसे विक्रेता को जो अधिकार प्राप्त थे वही अधिकार प्राप्त होगा। धारा 57 एवं धारा 110 की कार्यवाहियां भिन्न—भिन्न है। दोनों एक जैसी कार्यवाहियां नहीं है। नामांतरण के विवादित प्रकरण में कब्जा संबंधी निष्कर्ष राजस्व न्यायालय को स्पष्ट रूप से देनी चाहिये। जहॉं पर सिविल कोर्ट में स्वत्व संबंधी विवाद लंबित हो और दावाकर्ता के दावे की जांच लंबित हो वहां पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ही निष्कर्ष देना चाहिये तथा सिविल प्रकरण के निराकरण तक नामांतरण प्रकरण को लंबित रखना चाहिये। राजस्व निरीक्षक के द्वारा एक विवादगस्त प्रकरण को अविवादित बताकर नामांतरण कर दिया। ऐसे मामले में तहसीलदार जांच कर सकते हैं। उनका क्षेत्राधिकार बाधित नहीं है।

ग्राम पंचायत द्वारा विवादित प्रकरण में नामांतरण प्रस्ताव पारित किया गया। इश्तहार और हितबद्ध पक्षकारों को नोटिस नहीं दिया गया और सुना नहीं गया। नामांतरण आदेश निरस्त किया गया। राजस्व निरीक्षक ने अपंजीकृत व्यवस्था पत्र के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों के सुनवाई किन नामांतरण आदेश नायब तहसीलदार ने पारित किया गया जो अवैध होने से खारिज किया गया। प्रक्रिया का पालन कर विधिवत नामांतरण आदेश नायब तहसीलदार ने पारित किया। ऐसे आदेश को अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त कर प्रत्यावर्तित किया था। संशोधित धारा 49 (3) के अनुसार प्रत्यावर्तन का आदेश अवैध माना गया। अनुविभागीय अधिकारी को स्वयं गुणदोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करना चाहिये था।

नायब तहसीलदार ने पुनरावेदकगण के प्रकरण में उपस्थित होने के लिये विधिवत् सूचना—पत्र जारी किया था—पुनरावेदकगण सूचनापत्र को साक्षियों की उपस्थिति में प्राप्त किये—पुनरावेदकगण सूचनापत्र को साक्षियों की उपस्थिति में प्राप्त किये—पुनरावेदकगण सूचनोपरांत भी न्यायालय में अनुपस्थित थे, अतएव उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी—पुनरावेदकगण को सूचना पत्र जारी किया था, अतः उन्हें प्रकरण की जानकारी थी—उनका दायित्व था कि आदेश की जानकारी लेकर समयावधि में पुनरावेदन प्रस्तुत करते—ऐसी दशा में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कालबाधिता के आधार में प्रथम पुनरावेदन को निरस्त करने में विधि की कोई त्रुटि नहीं हुई है—नायब तहसीलदार ने भी पुनरावेदकगण की पक्ष समर्थन का

अवसर दिया, किन्तु पुरनावेदकगण अपने पक्ष में रखने में चूक किये, इसलिये नायब तहसीलदार का आदेश उचित है–अनुविभागीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखते हुए पुनरावेदन निरस्त।

विवादित नामांतरण–ग्राम पंचायत को विवादित नामांतरण में प्रस्ताव पारित की अधिकारिता नहीं है–प्रस्ताव इश्तहार रहित एवं हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित–अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा ऐसे प्रस्ताव को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं–वाद भूमि उत्तरवादीगण की पैतृक भूमि है–अतः उन्हें सहखातेदार के रूप में नामांतरण करने में कोई भूल नहीं–अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधि सम्मत–अत्एव स्थिर रखा गया–पुनरावेदन अस्वीकार। नायब तहसीलदार के द्वारा इच्छा पत्र की वैधता के संबंध में जांच किया गया एवं इच्छापन संदेहास्पद नहीं माना जायेगा–नायब तहसीलदार के द्वारा पुनरावेदक के पक्ष में वादभूमि के आधे हिस्से पर नाम दर्ज करने की विधि में कोई त्रुटि नहीं–उत्तरवादीगण प्रथम पुरनावेदनीय न्यायालय में विवादित भूमि को तीन अंश में विभाजित करने का अनुतोष नहीं चाहा था–अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वादभूमि का तीन अंश में विभाजन का विनिश्चयन औचित्यहीन है, जो कि हस्तक्षेप योग्य है–तद्नुसार अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त एवं नायब तहसीलदार का आदेश स्थित रखा जाता है।

विचारण न्यायालय के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 08.10.1992 में प्रदत्त निर्देश का पालन नहीं किया गया–इसके विपरीत दिनांक 22.12.1998 को नायब तहसीलदार द्वारा अवैध आदेश पारित किया गया–जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त किया–अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.06.2000 में उल्लिखित है, कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को समुचित अवसर देते हुये प्रकरण का निराकरण करें–परन्तु अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा पारित 2003 छ0ग0रा0 नि0 288 आदेश दिनांक 07.06.2000 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, कि उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.06.2000 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः उल्लंघन किया गया है–नायब तहसीलदार का निष्कर्ष तथ्यों एवं रिकार्ड पर आधारित नहीं–किसी भी पक्षकार को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया–जिलाधीश कोरबा ने अपने आदेश दिनांक 30.09.2002 में अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने में कोई गलती नहीं की है–जिलाधीश ने आदेश दिनांक 30.09.2002 में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त तहसीदार को निर्देशित किया है, कि वाद भूमि पर दिनांक 25.11.1989 के पूर्व किसका नाम था एवं तद्नुसार वर्तमान राजस्व अभिलेखों में वाद भूमि पर पूर्व खातेदार का नाम दर्ज करें–अनुविभागीय अधिकारी ने पाया कि धारा 110 के अंतर्गत बनाये गये नियमों का पालन नहीं किया गया है, अतः निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.1989 को निरस्त किया–इस आदेश से स्पष्ट है कि दिनांक 25.11.1989 के पूर्व जिसका नाम दर्ज किया जाये एवं तत्पश्चात् नामांतरण की कार्यवाही प्रारंभ की जाये–संहिता की धारा 110 के बनाये गये नियमों का पालन करने का निर्देश दिये गये हैं, परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा बार–बार त्रुटिपूर्ण व्याख्या कर आदेश पारित करने के कारण, ऐसे अवैधानिक आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं जिलाधीश, कोरबा को निरस्त करना पड़ा–जिलाधीश के आदेश दिनांक 30.09.2002 के प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विचारण न्यायालय कार्यवाही करते हुए संहिता की धारा 110 में बनाये गये नियमों का पूर्णतः पालन करते हुये गुणदोष पर आदेश पारित करें–जिलाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.09.2002 विधि सम्मत होने के कारण उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं, अतः आदेश स्थिर रखा जाता है–पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है।

तहसीलदार के समक्ष गवाही के बयानों से स्पष्ट होता है, कि सुरानिक के साथ श्रीमती ललिताबाई के विवाह की बात स्वीकार की गयी है–अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा श्रीमती ललिताबाई को मृतक सुरानिक की पत्नी बताया गया–मेरी राय में स्थानीय रीति–रिवाज के अनुसार ललिता बाई के साथ सुरानिक के हुये विवाह को अवैध मानने का कोई आधार नहीं है–तद्नुसार उनके विवाह के महत्व को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता–अतः ललिता बाई का विवाह सुरानिक के साथ हुआ एवं वह सुरानिक की पत्नी थी प्रस्तुत पुनरीक्षण निरस्त–अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश की स्थिर रखा गया।

राजस्व निरीक्षक ने संहिता के नामांतरण नियमों को कहीं भी पालन नहीं किया, प्रथम दृष्टया दृष्टिगोचर नहीं होता–प्रकरण में न तो कोई उद्घोषणा, सूचनापत्र अथवा तथाकथित पंजीबद्ध/अपंजीबद्ध

व्यवस्था पत्र संलग्न किया गया–ऐसा नामांतरण विधि विरूद्ध–अनुविभागीय अधिकारी, बगीचा का पारित आदेश विधि सम्मत पाया जाता है–अतः स्थिर रखा जाता है। कथित प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीलदार, न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, पेन्ड्रा रोड़ द्वारा धारा 110 के प्रावधानों को ध्यान न देते हुये गंभीर कानूनी त्रुटि की गई है–अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधि एवं विधान के विपरीत पाये जाने के कारण स्थिर रखने योग्य नहीं है–फलस्वरूप तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं–पुनरावेदन स्वीकार की जाती है–1997 रा0नि0 310 (अनुसरित)। क्रेता के नाम का 10 वर्ष पश्चात् नामांतरण–बिना उद्घोषणा तथा विक्रेता को अनुपस्थिति में सारी प्रक्रिया अवैध है जब आवेदन के दिनांक को ही समाप्त हो गई। नामांतरण आदेश अवैध रूप से न्यायालय से कपट कर के तथा तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया–राजस्व मंडल द्वारा अपास्त किया जा सकता है। म0प्र0 लोकन्यास अधिनियम 1951–धारा 14–कृषिक भूमि मुआफी के लिये सरकार के रूप में दर्शित–देवता कृषक के रूप में दर्शाया गया–अधिनियम की धारा 14 के अधीन पट्टे की अनुज्ञा–पट्टेदार को हक नहीं देता–ऐसी भूमि किसी को अन्य संक्रात नहीं की जा सकती–यह लोक संपत्ति नहीं है–नामांतरण ठीक ही नामंजूर।

विक्रेता का नाम निरंतर 11 वर्ष तक ग्राम के कागजों तथा भू–अधिकार पुस्तिका में अभिलिखित होना–विक्रय शंकरापद हो जाता है। तहसीलदार, कटघोरा एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के निष्कर्ष समवर्ती है–निम्न न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य पुनरावेदन के द्वारा पुनरावेदन पत्र में प्रस्तुत तथ्य को प्रमाणित करने का भार पुनरावेदक पर था, जिसे प्रमाणित करने में पूर्णतः विफल रहे–पुनरावेदक स्वयमेव तथ्यों की निम्न न्यायालय में स्वीकार किया है–अत्एव अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत पाया जाता है– परिणामतः आदेश स्थिर रखा जाता है। नामांतरण–व्यक्ति के पास अपने पक्ष में रजिस्ट्रीकृत बिल–नामांतरण में हितबद्ध है–प्रोबेट प्राप्त करने की अवश्यकता नहीं है जो केवल सिविल मामलों में आवश्यक है। नामांतरण नियम– नि0 27 नामांतरण का आदेश–हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित नहीं किया गया–उद्घोषणा त्रुटिपूर्ण–नि0 27 जो आज्ञापक है अनुसरण नहीं किया गया–आदेश विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है। नामांतरण नियम (नवीन)–नि0 32–राजस्व अधिकारी द्वारा नामांतरण–रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के आधार पर आदेशित किया जाता है– विक्रय करने के करार की विधिमान्यता के बारे में जांच–राजस्व अधिकारी द्वारा नहीं की जाती–इस प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय के पास जाना चाहिए–कब्जे से नामांतरण मामले में कुछ नहीं होता। इसके द्वारा हक साबित नहीं किया जा सकता–दावा करने वाले पक्षकार को इसे तर्कपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित किया जाना होता है अधिक से अधिक कब्जे की उपधारा का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आशयित क्रेता होने पर दावा करने वाला व्यक्ति–धारा 169 (दो) अथवा 185 (दो) के अधीन मौरूसी कृषक के अधिकार अर्जित नहीं करता–भूमिस्वामी के रूप में उसका नामांतरण नहीं किया जा सकता। कब्जा–फसल बोने के आधार पर प्रविष्टि नहीं की जा सकती–हक सिविल न्यायालय द्वारा विनिश्चत किया जाता है–राजस्व न्यायालयों द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए। 'कालम शीर्ष' ''संशोधित प्रविष्टि'' में व्यक्ति का कब्जा दर्शित–भूमि राज्य की–ऐसे व्यक्ति को विधिमान्य कब्जा अथवा हक अर्जित नहीं होता। भू–धारक–मृतक के दत्तक पुत्र के बारे में निष्कर्ष सिविल वाद में दिया गया–दत्तक पुत्र, भू–धारक की समस्त भूमि पर नामांतरण कराने का हकदार हो जाता है। हक के आधार पर सिविल वाद लंबित–राज्य के विरूद्ध अस्थायी व्यादेश भी प्रदत्त राजस्व मंडल द्वारा उसी विवाद से संबंधित मामला चलने नहीं दिया जाना चाहिए। नामांतरण आदेश चौदह वर्ष से पूर्व पारित–जब व्यथित पक्षकार आगे नहीं आया हो तब इतना समय व्यतीत होने के पश्चात् अपास्त नहीं किया जा सकता। नामांतरण कार्यवाही–सोलह वर्ष पुराने विक्रय करार वाले व्यक्ति द्वारा आक्षिप्त नहीं की जा सकता–वह हितबद्ध व्यक्ति नहीं है जब राजस्व अभिलेखों में उसका नाम अंतर्विष्ट नहीं है।

नामांतरण के लिए परिसीमा की कोई अवधि विहित नहीं–विलंबित आवेदन का प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। नामांतरण नियम–नि0 32–सह–भूमिस्वामी द्वारा खाते के अपने भाग का विक्रय–अन्य संयुक्त भूमिस्वामियों की भूमि कम नहीं हुई–नामांकन समुचित है। अवयस्क की कृषिक भूमि अनुज्ञा बिना विक्रय की गई–राजस्व न्यायालय ऐसे अंतरण की वैधता का परीक्षण कर सकते हैं। भूमि, भूमिस्वामी द्वारा अंतरित नहीं–किसी व्यक्ति द्वारा यह अभिकथन करते हुए भूमि का अंतरण कि वह उसका संरक्षक है–जब

तक कि प्रतिपाल्यता स्थापित नहीं कर दी जाती, हक के अर्जन का प्रश्न उद्भूत नहीं होता। गोड समुदाय–एक से अधिक विवाह अनुज्ञात है–पुरूष, प्रथम पत्नी की विद्यमानता में भी दूसरा कर सकता है–दूसरी पत्नी मृत–पति नामांतरण का हकदार है। नामांतरण नियम–नि0 27 अभिलिखित भूमिस्वामी को व्यक्तिगत सूचना नहीं दी गई–नामांतरण आदेश ठीक–ही अपास्त। धारा 110 के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत विनिर्मित नियमों के अनुसरण में दोनों कनिष्ठ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष–द्वितीय अपील में तथ्यों के आधार पर उनमें हस्तक्षेप सम्भव नहीं। नामांतरण नियम, नि0 27–धारा के अंतर्गत बने नियमों में सहखातेदार द्वारा विक्रय की गई भूमि के विक्रय पत्र के आधार पर विहित प्रकिया का पालन किए बिना नामांतरण–नामांतरण आदेश प्रथम दृष्टया निरस्ती योग्य–प्रथम अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ठीक ही निरस्त किया गया–अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत–स्थिर रखा गया। पुनरावेदकगण के पूर्वज के द्वारा उत्तरवादीगण के पिता को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 18.07.1958 की वादभूमि बेचा–विचारण न्यायालय धारा 109 एवं 110 अंतर्गत नामांतरण के नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद आदेश पारित किया–पुनरावेदकगण, लगभग 40 वर्षों के पश्चात् उत्तरवादीगण के द्वारा नामांतरण हेतु विलंब से प्रस्तुत आवेदन का विचारण न्यायालय के स्वीकार कर नामांतरण आदेश पारित करने की पुनरावेदन का मुख्य आधार बनाया है।

जिलाधीश के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.1981 के अनुसार वादग्रस्त भूमि को विक्रय की अनुमति प्राप्त करने के बाद पुनरावेदक के पिता/पति के पक्ष में पंजीकृत बैनामा निष्पादित–विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण अधिकारी के द्वारा दिनांक 23.06.1981 के द्वारा राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि दर्ज–अतिरिक्त तहसीलदार, बागबाहरा के उक्त आदेश दिनांक 23.06.1981 के विरूद्ध उत्तरवादी के द्वारा दिनांक 09.12.1997 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम पुनरावेदन धारा 5 के आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत–आवेदन पत्र में विलंब के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी, यह भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया कि उत्तरवादी को निम्न न्यायालय के आदेश की जानकारी कब हुई और कैसे हुई एवं इस प्रकार इतनी लम्बी अवधि के बाद पुनरावेदन करने का उत्तरवादीगण द्वारा युक्तियुक्त कारण नहीं बतलाया गया–धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अनुसार विलम्ब क्षमार्थ हेतु एक–एक दिन का हिसाब दिया जाना चाहिये–दिनांक 23.06.1981 के आदेश की जानकारी दिनांक 05.12.1997 को ज्ञात प्रस्तुत संबंधित तर्क को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

विवादित भूमि का अभिलिखित भूस्वामी दरियाब सिंह था, जिसने जिलाधीश रायपुर में पारित आदेश दिनांक 20.02.1981 के अनुसार अतिरिक्त जिलाधीश अनुमति प्राप्त कर पंजीकृत बैनामा दिनांक 20.05.1981 को विक्रय किया था–परंतु निम्न न्यायालय में उत्तरवादी मंगलू ने दरियाब सिंह को पक्षकार नहीं बनाया–उक्त कारणों से प्रस्तुत पुरनावेदन स्वीकृत–अतिरिक्त तहसीलदार, बागबाहरा द्वारा की गयी कार्यवाही को उचित पाने के कारण उनकी कार्यवाही स्थिर रखा जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुंद का आदेश निरस्त किया जाता है। संहिता की धारा 109 अधिकार अथवा हित के विधिपूर्वक अर्जन से संबंधित है–जिसके अंतर्गत पंजीकृत विक्रय भूमि के अंतरण हेतु विधि समर्थित माध्यम है–भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गयी है, तो इस आधार पर संहिता की धारा 110 के अधीन नामांतरण किया जायेगा, बशर्ते कि ऐसी भू–संपत्ति पर स्वत्व एवं हित के संबंध में कोई अर्थपूर्ण आपत्ति पेश न की जाए। धृत–इस प्रकरण में संबंधित वाद भूमि को आवेदनकगण ने पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की है तहसीलदार ने इसी आधार पर अपने आदेश दिनांक 29.05.2002 के अनुसार प्रमाणीकरण किया अतः जहां तक विधिवत्ता का प्रश्न है, प्रमाणीकरण वैध है। पुरनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क, कि विवादित भूमि संयुक्त परिवार की संपत्ति है, अतः पंजीकृत इच्छापत्र विधि विरूद्ध है–साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदत्त नहीं, इस विषय में 1996 एम0पी0एल0जे0 772 का प्रकरण प्रौद्धरित–उत्तरवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिरोध किया, कि सुभद्राबाई के संपत्ति का नामांतरण वर्ष 1994 में हो चुका है, जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी, अत्एव यह अंतिम हो चुका है–दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समवर्ती आदेश पारित तद्नुसार उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं–नजूल अधिकारी के अभिलेख से स्पष्ट है कि प्लाट क्रमांक 465 की भूमि सुभद्राबाई द्वारा खरीदी गयी,

फलतः यह भूमि उनकी मानी जायेगी, प्लाट क्रमांक 436 की भूमि संयुक्त रूप से खरीदी गयी, यह दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पाया गया—स्वअर्जित संपत्ति के अंतरण में कोई कानूनी बाध्यता नहीं है—पूर्व में हुये नामांतरण के पीछे सामान्यतः राजस्व अधिकारियों को नहीं जाना चाहिये। इस न्याय दुष्टांत से मैं सहमत हूँ 1989 रा0नि0 377—अतिरिक्त जिलाधीश के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं, अतः उसे स्थिर रखा जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा, जिला कोरबा द्वारा निम्न न्यायालय को जिस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया, उसका पालन नहीं हुआ—तथ्यों को बिना सूचना एवं जानकारी दिये अवैध रूप से निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण आदेश पारित—जो शून्य है—प्रकरण स्पष्ट निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है—इसमें उभय पक्षों को समुचित अवसर प्राप्त होना—दस्तावेज, साक्ष्य एवं अपने हित से संबंधित है—फलतः पुनरावेदन निरस्त—अनुविभागीय अधिकारी द्वारा परित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है— फलतः पुनरावेदन निरस्त—अनुविभागीय अधिकारी द्वारा परित आदेश स्थिर रखा गया। उभय पक्ष उराव, अनुसूचित जनजाति के हैं—स्वर्गीय मथुरा के पुनरावेदक पुत्र के एवं उत्तरवादिनी पुत्री है—आदिवासी क्षेत्रों में निवासरत जातियों में उनकी विशिष्ट स्वीय विधि अनुसार पिता की मृत्यु होने पर पिता की सम्पत्ति पुरूष सन्तानों को ही प्राप्त होती है—स्वीय विधि के अनुसार ही नामांतरण कार्यवाही का निर्देश दिया गया—स्वर्गीय मथुरा उराव विधि के अनुसार उनके नाम पर दर्ज वादभूमि उनके पुत्र पुनरावेदक के नाम पर ही दर्ज होगी एवं उनकी पुत्री उत्तरावादिनी के नाम पर नहीं आवेगी—अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं पाया जाता है—जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता—अतः अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है—प्रस्तुत पुनरावेदन स्वीकार की जाती है। अतिरिक्त तहसीलदार, प्रेमनगर के समक्ष पुनरावेदक द्वारा आवेदन पत्र कब प्रस्तुत किया गया, इसका उल्लेख नहीं एवं न ही आवेदन पत्र में तिथि भी अंकित—वाद भूमि पूर्व में शासकीय भूमि थी, जिसे रामअवतार को 1985 में आधिपत्य के आधार पर भूस्वामी अधिकार प्रदत्त—पुनरावेदक का उसमें कोई स्वत्व नहीं बनता जिससे कि वह संहिता की धारा 109 एवं 110 के अधीन नामांतरणार्थ मांग कर सके—निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं विधान के विपरीत, जिसकी पुष्टि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्टतः हो जाती है—तद्नुसार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में निरस्त कर कोई त्रुटि नहीं की गई है—अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नही, अत्एव स्थिर रखा जाता है—प्रस्तुत पुनरावेदन निरस्त।

तहसीलदार के आदेशों के अधीन व्यक्ति ने 1960 में पक्का कृषक के अधिकार अर्जित किए—आदेश राजस्व कागजों में कार्यान्वित नहीं किया गया—भले ही 12 वर्ष पश्चात् पश्चात्वर्ती क्रेता—कोई हक प्राप्त नहीं करता उसके पक्ष में नामांतरण अंकित और शून्य है। नामांतरण 15 वर्ष से अधिक समय तक नहीं किया—निरंतर तथा शांतिपूर्ण कब्जा सिद्ध नहीं—12 वर्ष तक चालू प्रतिकूल तथा निरंतर कब्जा साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं—हक अर्जित नहीं। क्रय द्वारा हक के अभिकथित अर्जन 16 वर्ष पश्चात् नामांतरण का दावा नहीं किया गया, राजस्व प्रदाय के किस्त पावती बही के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। हक शंकास्पद हो जाता है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित नामांतरण आदेश—हितबद्ध व्यक्ति को सूचना दिए बिना—पूर्व का नामांतरण आदेश भी विचार में नहीं लिया गया—ऐसा आदेश अपील में ठीक ही अपास्त किया गया—अपीलीय आदेश विधिमान्य और वैध है। खसरा में परिवर्तन संबंधित भूमिस्वामी की सहमति से अथवा जानकारी से होना नहीं दर्शाना अल्पकालिक परिवर्तन मामले को प्रभावित नहीं करता। वसीयत के आधार पर नामांतरण चाहा गया था। मूल वसीयत न प्रस्तुत की गई और न साबित की गई—नामांतरण आदेशित नहीं किया जा सकता। कृषिक भूमि पत्नी को भरणपोषण के लिए प्रदत्त—उसको पूर्ण स्वामित्व का अधिकार अर्जित हो जाता है—ऐसी भूमि पर उसका नाम नामांतरित होगा—यदि अन्य नातेदारों द्वारा प्रदत्त हो—उसे भूमिस्वामी अधिकार अर्जित नहीं होते। स्त्री, भूमिस्वामी के साथ पत्नी के रूप में अनेक वर्ष तक रही—पति और पत्नी के रूप में ज्ञात—पत्नी की प्रास्थिति अर्जित कर लेती है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर राजस्व न्यायालयों में नामांतरण का आवेदन चलने योग्य नहीं, क्योंकि राजस्व न्यायालयों को अधिकारिता नहीं है—ऐसे आधार पर केवल सिविल वाद चलने योग्य है। प्राइवेट विभाजन समस्त पक्षों द्वारा स्वीकार किया गया—नामांतरण आदिष्ट किया जा सकता है। आवेदन पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा गुणदोष के आधार पर विचार कर आदेश पारित—आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण—उभय पक्षों को विचारण

न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर–नामांतरण की कार्यवाही–विचारण न्यायालय का क्षेत्राधिकार–सीमांकन को स्थगित करना–नामांतरण प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया जा सकता–प्रकरण की परिस्थितियों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं, विचारण न्यायालय उभय पक्षों को युक्तियुक्त अवसर देते हुए प्रकरण को शीघ्रातिशीघ्र निराकरण हेतु आदेशित।

मृत व्यक्ति को पक्षकार बनाया गया–आदेश पारित करने के पूर्व कोई सूचना नहीं दी गई–कोई इश्तहार का प्रकाशन नहीं–सूचना जारी नहीं–नामांतरण आदेश प्रारंभ से ही शून्यवत–निरस्त किया गया। प्रकरण अंतर्गत धारा 110–प्रकरण में अधिकार अभिलेख के संशोधन के साथ स्वत्व का प्रश्न निहित–राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं–सिविल न्यायालय द्वारा ही निपटारा किया जा सकता है–अनुविभागीय अधिकारी तथा अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश विधिसम्मत नहीं–निरस्त किए गए, नायब तहसीदार का आदेश विधिसम्मत–स्थिर रखा गया। नामांतरण प्रविष्टि का उद्देश्य आधिपत्यधारी व्यक्ति से भू–राजस्व संकलित करने में राज्य को मदद करने का होता है–यह भूमि का कोई स्वत्व प्रदत्त नहीं करता–स्वत्व स्वामी द्वारा अंतरिती के हित में स्टाम्प अधिनियम के अनुसार निष्पादित एवं पंजीयन अधिनियम के अनुसार पंजीकृत लिखित में प्राप्त होगा। भू–अभिलेख शुद्ध रखने की प्रकिया है–इसमें किसी हक का सृजन नहीं होता–यह विधि द्वारा अर्जित हक को विधिमान्य रूप से अभिलिखित करना है–नामांतरण हो जाना किसी हक का निश्चयात्मक प्रमाण नहीं।

नामांतरण–संयुक्त खाता–दो सहखातेदार–दोनों के द्वारा वसीयतें निष्पादित–एक खातेदार द्वारा निष्पादित वसीयत पंजीकृत–दूसरे खातेदार द्वारा निष्पादित वसीयत अपंजीकृत–दोनों वसीयतें साक्ष्य द्वारा सिद्ध–दोनों वसीयतधारी नामांतरण के अधिकारी। द्वितीय अपील–वाद भूमि–कब्जे के आधार पर नामांतरण पश्चात्वर्ती क्रेता के पक्ष में–अनुसूचित आदेश के विरूद्ध राजस्व मंडल के समक्ष अपील–निर्णीत–अनुविभागीय अधिकारी का निष्कर्ष साक्ष्यों तथा वैधानिक बिन्दुओं के सूक्ष्म विवेचन पर आधारित निष्कर्ष का खण्डन नहीं किया गया–अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधि सम्मत। नामांतरण नियम–नामांतरण नियमों का पालन करना राजस्व अधिकारियों का कर्तव्य–आवेदन पत्र के आधार पर नामांतरण नियमों का पालन किए बिना नाम काटना अवैध एवं शून्य। नामांतरण प्रकरण में प्रक्रियाओं का पालन नहीं–हितबद्ध पक्षकार को सूचना नहीं दी गयी–सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया–वाद भूमि शासन के पक्ष में वेष्ठित–आदेश को चुनौती नहीं–प्रकरण पुनः खोला जा सकता है। नामांतरण वसीयत के आधार पर–वसीयत सिद्ध किया जाना आज्ञापक–अनुप्रमाणक साक्षी उपलब्ध–लेखक का कथन आवश्यक नहीं। नामांतरण आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील–बल न देने के कारण अपील खारिज–प्रकरण के पुनर्स्थापन हेतु सांहिता की धारा 32 के अधीन आवेदन–निर्णीत–आदेश के विरूद्ध संहिता में अपील का प्रावधान–धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पोषणीय नहीं।

द्वितीय अपील–आपसी बंटवारे एवं हक त्याग विलेख के आधार पर नामांतरण का आवेदन–हक त्याग विलेख अपंजीकृत–तहसीलदार ने हक त्याग विलेख तथा बंटवारे को सही मानते हुए आवेदक के पक्ष में नामांतरण किया–जिसे प्रथम अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने विधिसम्मत पाते हुए स्थिर रखा–राजस्व मंडल के समक्ष द्वितीय अपील–निर्णीत–दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष–अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तथ्यों एवं साक्ष्यों के मूल्यांकन में कोई गंभीर त्रुटि नहीं–हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं–दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर हो गये। नामांतरण प्रकरण–नामांतरण हेतु आवेदन–उत्तराधिकार के आधार पर–आवेदन स्वीकृत–नामांतरण किया गया–अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में उक्त आदेश विधिसम्मत पाए जाने के कारण स्थिर रखा गया–राजस्व मंडल के समक्ष अपील–निर्णीत–अपीलार्थी द्वारा दिए गए तर्क मान्य नहीं–विचार किए जाने हेतु कोई वैधानिक बिन्दु नहीं–अनुविभगीय अधिकारी के विधिसम्मत आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं। नामांतरण प्रकरण–अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त एवं विधिक बिन्दुओं पर विवेचना कर उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए निष्कर्ष अवधारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित–रिमाण्ड आदेश में दिए निर्देशों का पालन नहीं–अधीनस्थ न्यायालय के लिए रिमाण्ड आदेश में निर्देशों का पालन करना आज्ञापक–अनुविभागीय अधिकारों ने ऐसे आदेश को निरस्त कर

आज्ञपक निर्देशों का पालन करने हेतु प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की—अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत—स्थिर रखा गया।

विवादित भूमि उत्तरवादी के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज—उत्तरवादी का कब्जा—मंदिर के पक्ष में दान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं—दान—पत्र पंजीकृत नहीं—विवादित भूमि को मंदिर के नाम पर नामांतरित नहीं किया जा सकता—कनिष्ठ न्यायालयों के उचित निष्कर्ष अभिलेख एवं साक्ष्य पर आधारित—द्वितीय अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता—अपील निरस्त। दो अलग—अलग आवेदनों पर दो नामांतरण प्रकरण—एक आवेदन में सम्पूर्ण भूमि पर पिता की मृत्यु के बाद नामांतरण हेतु दावा—दूसरे में कुछ भूमि पर वसीयत के आधार पर दावा—दोनों प्रकरणों का संयुक्त विचारण—वसीयती भूमि पर नामांतरण आदेश—शेष भूमि पर कोई आदेश नहीं—आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील—समस्त भूमियों के संबंध में गुण—दोष पर आदेश हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित—प्रकरण, 1997 में प्रत्यावर्तित—प्रत्यावर्तन आदेश मे कोई विधिक त्रुटि नहीं। द्वितीय अपील—नामांतरण प्रकरण—अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष—द्वितीय अपील में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक आधार नहीं—यदि हस्तक्षेप का ऐसा कोई आधार है, इसको प्रमाणित करने का भार अपीलार्थिनी पर है—अपीलार्थिनी अपने भार को उन्मोचित करने में असफल—अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधि—सम्मत—स्थिर रखा गया। समयावधि समाप्त होने के कारण अपील निरस्त—राजस्व मंडल के समक्ष द्वितीय—निर्णीत—नामांतरण प्रकरण में यथासम्भव गुण—दोष के आधार पर कार्यवाही की जानी चाहिए—मात्र तकनीकी आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार के नैसर्गिक न्याय के अधिकार को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए—प्रथम अपीलीय न्यायालय का त्रुटिपूर्ण आदेश निरस्त—अनुविभागीय अधिकारी पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को गुण—दोषों के आधार पर निराकरण करने हेतु निर्देशित—अपील स्वीकृत।

रजिस्टार्ड विक्रय—पत्र के आधार पर—विक्रय धोखे से कराया गया—तहसीलदार का नामांतरण करने के इंकार—तहसीदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील— अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश को स्थिर रखा गया—राजस्व मंडल के समक्ष द्वितीय अपील—निर्णीत—दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष—उनमें कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं—अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत—स्थिर रखा गया—अपील निरस्त। संशोधन पंजी की प्रविष्टि—हितबद्ध पक्षकार को नोटिस नहीं—इश्तेहार के प्रकाशन का उल्लेख, परंतु इसकी पुष्टि में इश्तेहार की प्रतिलिपि संलग्न नहीं—प्रविष्टि को मान्यता देना उचित नहीं। नामांतरण प्रकरण—धारा 110 के अंतर्गत बने नियमों का पालन नहीं किया गया—हितबद्ध पक्षकार को सूचना नहीं दी गई—प्रकरण बिना लिखित आवेदन के प्रारम्भ—इश्तहार का प्रकाशन नहीं नामांतरण आदेश के विरूद्ध राजस्व मंडल के समक्ष अपील—निर्णीत—धारा 110 के प्रावधानों को ध्यान न देकर गंभीर त्रुटि कारित की गई है—नायब तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार तथा अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश विधि एवं विधान के विपरीत पाए जाने के कारण निरस्त। पक्षकार अनुसूचित जनजाति के सम्पत्ति का नामांतरण उनकी स्वीय विधि के अनुसार होगा—मृतक की मृत्यु के बाद उसके नाम पर दर्ज सम्पत्ति उसके पुत्र के नाम पर नामांतरित होगी—पुत्री नामांतरण की मांग कर सकती—हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते—धर्म से जाति निर्धारित नहीं की जाती—अपंजीकृत इकरारनामें के आधार पर स्वत्व का अंतरण नहीं होता—अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत न होने के कारण निरस्त—अपील स्वीकृत। नामांतरण प्रकरण—इश्तहार एवं नोटिस—दोनों को विषयवस्तु एवं अभिप्राय अलग—अलग इश्तहार से आम जनता को सूचना देकर नामांतरण पर आपत्ति ली जाती है, जबकि नोटिस द्वारा पक्षकार से आपत्ति ली जाती है—दोनों की तिथियों में भिन्नता—दोनों पर पक्षकार के हस्ताक्षर—उसे कार्यवाही की जानकारी नहीं होना विश्वसनीय नहीं। अधीनस्थ न्यायालयों के तथ्य, विधिक बिन्दु पर समवर्ती निष्कर्ष—कोई गंभीर विधिक त्रुटि नहीं—अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधि सम्मत—हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं—अपील निरस्त। नामांतरण प्रकरण—दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष—तथ्य एवं साक्ष्य की मीमांसा में गंभीर त्रुटि नहीं—अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधि सम्मत—उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं—स्थिर रखा गया—अपील निरस्त। भूमिस्वामी की रखैल—उसकी मृत्यु के पश्चात् कोई अधिकार अंतरित नहीं कर सकती ऐसी रखैल द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख से क्रेता

का कोई हम प्राप्त नहीं होता। अनेक वारिस छोड़कर धारक की मृत्यु–कुछ भूमि पहले से ही दो पुत्रों के नाम पर–धारक की मृत्यु के पश्चात् संपूर्ण भूमि सब वारिसों के अंश के अनुसार विभाजित तथा नामांतरित की जानी चाहिए।

विक्रय विलेख कपट द्वारा निष्पादित–हक का अंतरण नहीं। अरजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के अधीन निरंतर कब्जे में व्यक्ति–नामांतरण का हकदार है। द्वितीय अपील–अपीलार्थी को कोई स्वतत्व प्राप्त नहीं–निचली अदालत में पक्षकार नहीं रहा–हितबद्ध पक्षकार नहीं–अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। नामांतरण नियम, नियम 27–नामांतरण प्रकरण–वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण हेतु दो अलग–अलग आवेदन–दोनों ही प्रकरणों में विवादित भूमि एक ही तथा पक्षकार भी समान–प्रकरणों को एक साथ मिलाकर कार्यवाही की जाना चाहिए थी–नामांतरण की कार्यवाही में नामांतरण नियमों के नियम 27 का पालन नहीं किया गया–इश्तहार के प्रकाशन और नामांतरण के बीच कम से कम 30 दिवस का समय दिया जाना चाहिए, जो नहीं दिया गया–एक मामले में इश्तहार जारी ही नहीं किया गया–कनिष्ठ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष–निरस्त किए गए–प्रकरण गुण–दोष के आधार पर दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित। नामांतरण–व्यवहार न्यायालय की डिक्री के आधार पर–डिक्री को अपील में चुनौती नहीं दी गई–डिक्री अंतिम हो जाती है–राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी है।

अनुविभागीय अधिकारी, बलौदाबाजार के इस विनिश्चय से असहमत कि वाद भूमि विधिपूर्वक अर्जन के संबंध में निश्चयात्मक सबूत सारवान साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण आवेदन पत्र अविचारणीय–वादभूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक–05.12.1964 के अनुसार पुनरावेदक एवं उत्तरवादी क्रमांक 1 के नाम से खरीदी गयी–विधिपूर्वक अर्जन हेतु पंजीकृत विक्रय पत्र उचित माध्यम है–अनुविभागीय अधिकारी का यह मान उचित नहीं है, कि आवेदन पत्र का प्रयोजन वादभूमि का विभाजन है–आवेदन पत्र का आशय केवल पूर्व में हुये आपसी विभाजन के अनुसार अभिलेख दुरूस्त हो–ऐसी स्थिति में जिलाधीश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में विधि की कोई त्रुटि नहीं की गई है–जिलाधीश का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

मृतिका बहुरी बीबी अपने हिस्से की भूमि को पंजीकृत वसीयतनामा/इच्छापत्र के द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 को प्रदत्त की–इच्छापत्र संदेह से परे होना पाया गया–इच्छापत्र प्रमाणित एवं वैध–बहुरी बीबी निःसंतान मृत–उसका कोई वारिस नहीं अत्एव सहमति का प्रश्न नहीं–वह वसीयत करने में सक्षम–इस प्रकार आयुक्त, बिलासपुर संभाग द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत–पुनरीक्षण स्वीकृत। पुनरावेदक निम्न न्यायालय में न ही पक्षकार एवं न कोई आपत्ति प्रस्तुत किया। पुनरावेदक का केवल अभिकथन कि मृत उसके परिवार का बड़ा पिता था, किन्तु सिद्ध नहीं–अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत–अतः स्थिर रखा गया–पुनरावेदन निरस्त। 1949 के पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर लगभग 51 वर्ष पश्चात् नामांतरणार्थ आवेदन पत्र प्रस्तुत–विक्रय पत्र संदेहरहित–नामांतरणार्थ समय सीमा निश्चित नहीं किया गया है–विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सूक्ष्म विश्लेषण युक्त, सुस्पष्ट एवं विधि सम्मत अतः स्थिर रखा जाता है– अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत नहीं, अतएव निरस्त–प्रस्तुत पुनरावेदन स्वीकृत।

वसीयतकर्ता द्वारा उत्तरादानग्रहीतागण (पुनरावेदकगण एवं उत्तरवादीगण) के पक्ष में इच्छापत्र का निष्पादन–इच्छापत्र संदेह से परे सिद्ध–अधीनस्थ न्यायालय के तथ्य तथा आदेश समवर्ती और विधिसम्मत भी–अतः हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं–पुनरावेदन निरस्त। इच्छापत्र के आधार पर नामांतरण–विचाराधीन इच्छापत्र में न वाद भूमि का खसरा नंबर, रकबा और न ग्राम का नाम अंकित–इच्छापत्र प्रमाणित नहीं–दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि एवं साक्ष्य विरूद्ध, अत्एव निरस्त–पुनरावेदन स्वीकृत। वसीयत सामान्य और सद्भाविक परिस्थिति में निष्पादित नहीं है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। इस धारा के अधीन निर्मित नियमों का पालन प्रमाणीकरण अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया–संहिता की धारा 110 के अधीन निर्मित नियमों के अनुसार स्वत्ववार्जन के आधार पर नामांतरण होना

चाहिए–प्रमाणीकरण अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश उपरोक्त कथित नियम के आधार पर नहीं होने के कारण विधिसम्मत नहीं, फलस्वरूप ऐसा आदेश निरस्त पुनरावेदन स्वीकृत। आवेदक द्वारा न ही राजस्व रिकार्ड एवं न ही कब्जा का अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत–साक्षियों के मांत्र मौखिक साक्ष्य को मान्य कर लेना उचित नहीं–नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण में प्रक्रिया पालन नहीं–ऐसा आदेश विधिसम्मत नहीं, अतः निरस्त–अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में निकाले गये निष्कर्ष विधि में प्रक्रिया के अनुरूप तथा विधिसम्मत–अत्एव कायम–पुनरावेदन निरस्त।

हितबद्ध व्यक्तियों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया एवं न ही उन्हें सूचना जारी किया गया–तथाकथित सहमति पत्र अभिलेख में संलग्न नहीं–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसका परीक्षण नहीं किया गया–प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही का किया जाना नहीं पाया गया–नामांतरण के नियमों का पालन नहीं–फलतः नामांतरण अवैधानिक एवं निरस्त।

पैतृक सम्पत्ति–उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह निष्कर्ष निकलता है कि विवादित भूमि पुनरोदक एवं उत्तरवादी की पैतृक सम्पत्ति है–अतः उत्तरवादीगण का नाम विवादित भूमि में दर्ज किया जाये–प्रकरण के तथ्य एवं वैधानिक दृष्टिकोण से उत्तरवादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण में प्रयोज्य अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत। वाद सम्पत्ति संयुक्त सम्पत्ति है–वसीयतकर्ता द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित–वसीयतकर्ता ने संयुक्त सम्पत्ति में से आधा भाग का निष्पादन वसीयतनामा में किया, जो कि विधि सम्मत है–वसीयत विधिपूर्वक प्रमाणित–अत्एव ऐसे वसीयतनामा पर नाम दर्ज करने का पारित आदेश सही, परिणामस्वरूप ऐसा आदेश कायम–प्रस्तुत पुनरावेदन निरस्त।

अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा वाद भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की गई है–उसी के आधार पर तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश पारित–जो कि विधि सम्मत है–अत्एव पुनरीक्षण आवेदन पत्र निरस्त। अपीलार्थी एवं उत्तरवादी द्वारा वसीयतनामा के माध्यम से नामांतरणार्थ आवेदन पत्र प्रस्तुत–दोनों वसीयतनामा असंदिग्ध–अतः वसीयतनामा के आधार पर दोनों का नाम दर्ज करने का आदेश पारित–अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनरावेदन में उक्त आदेश स्थित–अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष तथ्य एवं विधिक बिन्दु पर समवर्ती–समवर्ती निष्कर्ष में तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं–अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि सम्मत–अतः हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं–फलस्वरूप आदेश कायम एवं अपील निरस्त।

वसीयतनामा दिनांक 20.03.1989 एवं दिनांक 05.05.1987 के अतंर्गत नामांतरणार्थ आवेदन–वसीयतनामा संदेहास्पद–परिणामतः मृतक के नैसर्गिक उत्तराधिकारियों के नाम पर नामांतरण आदेशित–अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय का यह आदेश निरस्त अधिकारी ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में वसीयत के बारे में निकाले गये निष्कर्ष का विधिक विश्लेषण नहीं किया–ऐसा निष्कर्ष विधि एवं तथ्य के अनुरूप नहीं–कोई कारण का उल्लेख भी नहीं–तद्नुसार द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं पाया गया–अत्एव ऐसा आदेश निरस्त एवं अपील स्वीकृत। अपंजीकृत वसीयत–वसीयत संदेह से परे साबित–अपीलार्थिनी द्वारा वसीयत विधिवत् प्रमाणित नहीं, यह प्रमाणित करने में असफल–इस संबंध में अपीलार्थिनी ने कोई ठोस तथ्य अथवा आधार न बतलायी–अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधि सम्मत, अतः स्थिर रखा जाता है–तद्नुसार अपील निरस्त। प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश द्वितीय अपील में समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित अपीलार्थीगण द्वारा तर्क के समय कोई तथ्य अथवा तर्क प्रस्तुत नहीं, ताकि द्वितीय अपील के समवर्ती निष्कर्ष होते हुये भी प्रकरण में हस्तक्षेप किया जा सके–अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधि सम्मत, जिस पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं।

सहपठित अनुसूची 1 नियम 5–नामांतरण में विधि एवं प्रक्रिया का पालन नहीं, प्रकरण में न तो सूचना पत्र अथवा उद्घोषणा जारी करने का उल्लेख, न ही सूचना पत्र अथवा उद्घोषणा की प्रति चस्पा किया गया है–नामांतरण नियमों की पूर्णरूपेण अवहेलना की गई–परिणामतः नामांतरण निरस्त–अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधि सम्मत–अतः स्थिर, अपील निरस्त। नामांतरण हेतु परिसीमा–वर्ष 1950 का अरजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख–1965 तक नामांतरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई–ऐसा विलंब संहेद

उत्पन्न करता है। नामांतरण नहीं किया जा सकता। नामांतरण नियम–नि0 32–प्रतिकूल कब्जे के आधार पर नामांतरण का दावा–राजस्व न्यायालयों को ऐसे प्रश्न के विनिश्चयन करने की अधिकारिता नहीं है। इन उपबंधों के अधीन आवेदन–चलाने योग्य होना–उत्तराधिकार के आधार पर पूर्व में नामांतरण–आक्षेपित नहीं किया गया–चकबंदी के समय कोई आपत्ति नहीं की गई–ऐसा आवेदन हक घोषणा हेतु आवेदन की कोटि में आता है और चलाने योग्य नहीं है।

हितबद्ध व्यक्ति को सूचना दिये बिना नामांतरण आदेश–विधि के उपबंधों के अनुसार सूचना का प्रकाशन भी नहीं किया गया–ऐसा आदेश शून्य है। नामांतरण कार्यवाही–अनपढ़ ग्रामीण महिला–उसको विधिवत सूचना दिए बिना 8 दिन के भीतर नामांतरण आदेश–ऐसा आदेश अवैध है–न्यायालयों द्वारा उसके दावे पर विचार किया जाना चाहिए। नामांतरण नियम–नि0 27–अभिलिखित भूमिस्वामी की मृत्यु–उद्घोषणा जारी की गई–कोई आपत्तियां नहीं–जांच केवल मृत भूमिस्वामी के उत्तराधिकारियों के विषय में की जानी होगी–ऐसा मामला अविवादित है–राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया नामांतरण अधिकारितारहित नहीं है। बिल के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता। नामांतरण नियम–नि0 27–सूचना की तामिल सम्यक् रूप से नहीं–सूचना जारी करने से पूर्व साक्ष्य ली गई– ऐसी सूचना की तामिल के आधार पर एक पक्षीय आदेश–मृतक भूमिस्वामी के वारिसों के विषय में जांच नहीं की गई–तहसील न्यायालय द्वारा जल्दबाजी में नामांतरण आदेश पारित किया गया–तहसील न्यायालय द्वारा इस प्रकार की गई कार्यवाही अवैध है। भूमिस्वामी के पक्ष में पूर्व का नामांतरण उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी नामांतरण के हकदार हैं–पर व्यक्ति सूचना के आधार पर ऐसे पूर्व के नामांतरण को भूमिस्वामी की मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी नामांतरण के हकदार है–पर व्यक्ति सूचना के आधार पर ऐसे पूर्व के नामांतरण की भूमिस्वामी की मृत्यु के पश्चात् पश्चात्वर्ती नामांतरण कार्यवाही में आक्षेपित नहीं कर सकता। नामांतरण नियम नि0 32–राजस्व न्यायालय हक का प्रश्न विनिश्चित करने 4 की अधिकारिता है–विक्रय विलेख और जाली होने के आधार पर आक्षेपित–विक्रय विलेख के छिद्र से बंधक को संव्यवहार का अभिवचन–राजस्व न्यायालयों की उसकी विनिश्चय करने की अधिकारिता है–व्याधित व्यक्ति, ऐसे निष्कर्ष, के विरूद्ध धारा 111 के अधीन सिविल वाद संस्थित कर सकता है। पक्षकारगण अपना हक विनिश्चित कराने के लिए सिविल न्यायालय जाने के लिए निर्दिष्ट–नामांतरण, भूमिस्वमी के विधवा के पक्ष में–उसे विक्रय का अधिकार प्राप्त नहीं होता जब तक कि सिविल न्यायालय से हक का विनिश्चय नहीं हो जाता–वह मुकदमेबाजी लंबित रहते उस भूमि का विक्रय नहीं कर सकती।

नामांतरण मामला संव्यवहारों की श्रंखला पर आधारित मध्यवर्ती कड़ी अभिलेख पर नहीं लाई गई–तहसीलदार मध्यवर्ती संव्यवहार पर ध्यान दे सकता है, भले ही विलंब हो चुका हो–नामांतरण नहीं हुए व्यक्ति द्वारा अंतरण किया जा सकता है। नामांतरण का दावा रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के आधार पर–भूमि के क्रय किए गए क्षेत्रफल पर नामांतरण किया जाना चाहिए–कम भूमि पर बिना कारण बताए नामांतरण विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है। राजस्व निरीक्षक द्वारा आपसी विभाजन और विकृतचित तथा अप्राप्तवय व्यक्ति की सम्मति के आधार पर नामांतरण–ऐसी सम्मति महत्वहीन है–राजस्व निरीक्षक को विभाजन की अधिकारिता नहीं है–नामांतरण आदेश को विधितः मान्यता नहीं दी जा सकती। नामांतरण हक के आधार पर किया जा सकता है कब्जे का कोई महत्व नहीं है। नामांतरण नियम– नि0 32–अरजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के आधार पर कब्जा–कोई प्रोद्भूत नहीं होता–कब्जा के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्रीकृत के आधार पर नामांतरण का दावा–रजिस्ट्रीकरण निष्पादक की मृत्यु के पश्चात् हुआ–संदेह से परे साबित नहीं–इस बिंदु पर सभी निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष–ऐसे बिल के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता। वह हेतुक–भूस्वामी की मृत्यु–उसके उत्तराधिकारी नामांतरण के हकदार हैं–मृतक भूमिस्वामी की बहिन द्वारा हक का दावा करते हुए आक्षेप–उस पर विचार नहीं किया जा सकता–ऐसे आपेक्षकर्ता की ओर से साक्ष्य लेने की आवश्यकता नहीं है–नामांतरण अभिलिखित भूमिस्वामी से हक का अर्जन होने पर संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाते हुए किया जाता है। पुत्री द्वारा 40 वर्ष पश्चात् नामांतरण हेतु आवेदन–अपनी विधवा माता के पक्ष में पूर्वतर नामांतरण को आक्षेपित नहीं

किया–विधवा द्वारा पुनर्विवाह और एक पुत्र का जन्म विधवा द्वारा अपने पुत्र के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत बिल–पुत्र नामांतरण का हकदार है।

संक्षिप्त प्रकृति की है–खसरा के आधार पर संक्षिप्त जांच करते हुए विनिश्चित की जानी चाहिए–अरजिस्ट्रीकृत पारिवारिक व्यवस्था पत्र के आधार पर हक का प्रश्न उठाया गया–राजस्व न्यायालय द्वारा विनिश्चित नहीं किया जा सकता–उपचार सिविल न्यायालय के समक्ष है। उद्‌देश्य–किसी व्यक्ति द्वारा विधिपूर्ण हक का अर्जन–छह मास के भीतर मामले की रिपोर्ट पटवारी या राजस्व अधिकारी को दी जानी चाहिए–अरजिस्ट्रीकृत विक्रय के दो दस्तावेजों के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है–दस्तावेज प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत क्यों किए गए यह दर्शाने का पार–उन दस्तावेजों के आधार पर कार्य करने के लिए तात्पर्यित व्यक्ति पर होता है। रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण हेतु विलंबित आवेदन–संदेह उत्पन्न करता है–ऐसे विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता। क्रेता का अधिकार–संयुक्त खाता–विभाजन की कार्यवाही लंबित–एक संयुक्त खातेदार द्वारा कुछ सर्वे क्रमांकों में से अपने अंश का विक्रय–विभाजन में अंतरित सर्वे क्रमांक अन्य संयुक्त खातेदार के अंश में आए–क्रेता उस भूमि पर नामांतरण का हकदार है जो विक्रेता के अंश में आती है।

नामांतरण रजिस्टर पर आपसी विभाजन के आधार पर नामांतरण उद्‌घोषणा नहीं–विभाजन सूची उपलब्ध नहीं–नामांतरण और विभाजन नियमों का अनुपालन किये बिना पारस्परिक सहमति के आधार पर नामांतरण और विभाजन का संग्रथित आदेश आरंभतः शून्य है। नियम 32 के आधिपत्य के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही–पटवारी को उद्‌घोषणा जारी कराने तथा साक्षियों का परीक्षण करने की अधिकारिता नहीं है–ऐसी कार्यवाही तथा आधिपत्य के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता। धारा–115 के अंतर्गत आवेदन पत्र–धारा–110 के अंतर्गत विचार नहीं किया जा सकता। भूमिस्वामी अधिकार का वाद आवश्यक पक्षकार–एक विवादग्रस्त खसरा नंबर पर निर्मित मकान पर अन्य व्यक्ति का अधिपत्य–ऐसा व्यक्ति आवश्यक पक्षकार है–उसे पक्षकार बनाना अवैध अथवा अनुचित नहीं। नामांतरण नियम–नि0 32–स्वत्व सिद्ध करने के लिए विक्रय–पत्र प्रस्तुत किया गया–पक्षकार से विक्रय–पत्र सिविल न्यायालय से संशोधित करने के लिए नहीं कहा जा सकता। नामांतरण नियम– नि0 27–उद्‌घोषण तथा हितधारी पक्षकार को सूचना दिए बिना नामांतरण–ऐसी कार्यवाही प्रत्यक्ष रूप से दोषपूर्ण है एवं न्यायसंगत नहीं हो सकती–ऐसी कार्यवाही पर पारित आदेश शून्य है। नामांतरण का पूर्वतर आदेश–धारा 32 के अधीन पुनः प्रारंभ या पुनरीक्षित नहीं किया जा सकता–उचित उपचार अपील अथवा पुनर्विलोकन है। नामांतरण की हकदारी–हक का प्रश्न–अप्रत्यक्ष रूप से सिविल न्यायालयों द्वारा विनिश्चित–डिक्री राजस्व न्यायालयों की जानकारी में नहीं लाई गई–राजस्व न्यायालयों द्वारा सिविल वाद का निर्देश तकनीकी है–ऐसी डिक्री के आधार पर नामांतरण अवैध नहीं। इन उपबंधों के अंतर्गत कार्य करने वाला राजस्व न्यायालय–सिविल न्यायालय नहीं है–धारा 110 के अधीन कार्यवाहियॉ भी वाद कार्यवाहियॉ नहीं है–उनके अधीन पारित आदेश–धारा 111 के अधीन पश्चात्‌वर्ती सिविल वाद में पूर्व न्याय के रूप में प्रवर्तित नहीं होता।

इनके अधीन दावा–सिविल न्यायालयों के निर्णय गुणा–पर नहीं–ऐसे निर्णय राजस्व न्यायालयों पर आबद्धकर नहीं–राजस्व न्यायालयों की कारिता वर्जित नहीं। गंभीर प्रश्न अंतर्ग्रस्त–राजस्व अधिकारी द्वारा किसी भी पक्षकार के लिए नामांतरण आर्दिष्ट नहीं किया जाना चाहिए। दो भाइयों की संयुक्त धृति–अग्रज के ही नाम का नामांतरण किया गया–यदि उसका कब्जा है तब भी वह अपने अनुज की ओर से न्यासी है–बेदखली के सबूत के बिना भूमिस्वामी अधिकार अर्जित नहीं करता। लंबित सिविल वाद हक की घोषणा के लिए नहीं–नामांतरण की कार्यवाही निलंबित नहीं की जा सकती–नामांतरण आदेश हक के आधार पर पारित किया जाना होता है–यदि सिविल न्यायालय द्वारा अन्य पक्षकार हकदार पाया जाता है–तब तद्‌नुसार पुनः नामांतरण आदेशित किया जा सकता है।

10—अपील की अनुज्ञा—अपील दाखिल करने की अनुज्ञा मृतक के कुछ उत्तराधिकारियों के नाम भूमि पर नामांतरित कर दिये गये थे उन्होंने अपने बीच भूमि का विभाजन कर लिया तब वे उत्तराधिकारीगण जिनके नाम नामांकित नहीं किये गये थे वे अपील दाखिल करने के द्वारा नामांतरण आदेश को चुनौती दे सकते हैं एवं अपील दाखिल करने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है क्योंकि वे हितबद्ध लोग हैं।

11—सरकार की भूमि एवं उनके नाम प्रवृष्टि नामांकन नहीं—राज्य सरकार की भूमि और उसके नाम में प्रवृष्टि। राज्य सरकर को बगैर किसी नोटिस के प्राइवेट व्यक्ति के नाम में नामांकित नहीं की जा सकती है।

12—म0प्र0 की भूमि नामांतरण नहीं—मध्यप्रदेश राज्य की भूमि उसके नाम में प्रविष्टि। धारा 110 के अंतर्गत व्यक्तिगत व्यक्ति के नाम से धारा 110 के अंतर्गत नामांकित नहीं की जा सकती। ऐसी विवाद धारा 57 (2) के अंतर्गत परगनाधिकारी के द्वारा जिसको अनन्य अधिकारिता हासिल है, विनिश्चित किये जाते हैं।

13—समवर्ती निष्कर्ष—अधीनस्थ उभय न्यायालयों का यह समवर्ती निष्कर्ष—अधीनस्थ उभय न्यायालयों का यह समवर्ती निष्कर्ष था कि गोद एवं इच्छापत्र के आधार पर आवेदक का दावा गलत था अतः नजदीकी मृतक का रिश्तेदार मृतक की भूमि को उत्तराधिकार में पाने का हकदार है। निष्कर्ष विकृत नहीं है किसी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करता है।

भूमि के हक के संबंध में नजूल अधिकारी एवं कलेक्टर के निष्कर्ष समवर्ती विकृत नहीं हैं। हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नजूल अधिकारी द्वारा पारित आदेश नियमानुसार था और उसी आदेश का अपर कलेक्टर ने भी स्थिर रखते हुए प्रथम अपील को नियमानुसार ही खारिज किया है। फलतः उच्च न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष को उलटने की कोई भी विधिक आधार न होने के कारण द्वितीय अपील खारिज की गयी, अपर कलेक्टर, रायपुर तथा नजूल अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा गया।

14—अंतर्जातीय विवाह—आदिवासी मृतक ने पनकिन जाति की एक महिला से (अंतर्जातीय) विवाह किया। पनकिन महिला से उत्पन्न मृतक आदिवासी की पुत्री मृतक की सम्पत्ति को उत्तराधिकार में पाने की हकदार है।

15—भूमि का हक—सिविल न्यायालय की अधिकारिता—भूमि का हक, राजस्व न्यायालयों के द्वारा विनिश्चित नहीं किया गया। ऐसे प्रश्नों को विनिश्चित करने की अनन्य अधिकारिता सिविल न्यायालय की है। एस0सी0सी0 288/92 विश्वस्त।

16—सिविल वाद विचाराधीन—अपीलार्थी ने इच्छापत्र के आधार पर गृह एवं भूमि पर अपना नाम नामांतरित करने के लिए आवेदन किया साथ ही साथ हक की घोषणा हेतु सिविल वाद भी प्रस्तुत किया। आवेदन का अस्वीकरण न्यायानमुमत है क्योंकि सिविलवाद विचाराधीन है तब एक ही विषय वस्तुपर नजूल न्यायालय में प्रकरण को विचाराधीन रखा जाना न्यायोचित नहीं है, जो उचित है। सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय में एक ही वाद—विषय है। नामांतरण हो जाना किसी हक का निश्चियतम प्रमाण नहीं है। विचारोपरांत अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30.01.2002 विधिसम्मत अतः उसे स्थिर रखा गया। अपील निरस्त की गयी। प्लाट की स्वामिनी ने प्लाट अनावेदिका को विक्रय कर दिया लेकिन प्लाट आवेदिका के नाम से नजूल के अभिलेख में लेखबद्ध किया गया था। इसलिए अनावेदिका नामांकन के लिए प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया। अनावेदिका की अपील कलेक्टर के द्वारा स्वीकार कर ली गयी एवं प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया गया था। इसके विपरीत निगरानी की गई। अवधारित किया गया, पक्षकारों के बीच सिविल विवाद विचाराधीन है इसलिए सिविल वाद के निर्णय तक यथा स्थिति कायम रखी जाये।

17—सिविल न्यायालय का निर्णय—यद्यपि सिविल न्यायालय ने विवादित मामले पर निर्णय एवं डिक्री पहले से ही पारित कर दिया था फिर भी अपील में कलेक्टर ने 90 दिनों के अंदर सिविलवाद दाखिल करने की निर्देशित किया था। आदेश खंडित किया गया था एवं मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

18—सिविल न्यायाल की डिक्री—आवेदक ने सिविल न्यायालय की डिक्री के आधार पर सरकारी भूमि पर सिविल कोर्ट की डिक्री के आधार पर नामांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। सिविल न्यायालय की डिक्री राजस्व न्यायालय पर बाध्यकारी है। नामांतरण की कार्यवाही किसी भी कारणवश स्थगित नहीं की जा सकती है।

19—सुनवायी का अवसर अस्वीकार—सुनवाई का अवसर इनकार कर दिया गया अनावेदक नं0 1 से 5 ने ग्राम पंचायत के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत मामला नायब तहसीदार की आपत्ति दाखिल किया गतः मामला नायब तहसीलदार को प्रेषित कर दिया गया था। उत्तर प्रस्तुत करने के लिए निगरानीकर्ता को कई अवसर प्रदान किये गये थे लेकिन वह असफल रहा, नायब तहसीलदार ने अग्रेतर अवसर प्रदान करने से अस्वीकार कर दिया निगरानी कलेक्टर के द्वारा अस्वीकार कर दी गई। अतः इसके विपरीत निगरानी भी यह निर्धारित करते हुए अस्वीकार का दी गई थी कि नायब तहसीलदार ने पर्याप्त अवसर प्रदान किया था। अग्रेतर अवसर को देने से इनकार कर दिया था, न्यायानुमत है।

20—दान विलेख का प्रतिसंह्यत नामांकन आवेदन—कुंतीबाई ने विष्णुदास को 29.56 एकड़ भूमि को दान में दिया एवं 13.01.1970 को दान विलेख उसके पक्ष में निस्पादित कर दिया एवं 28—77 को दान विलेख को प्रति संहृत कर दिया एवं अपने पास के नामांतरण हेतु आवेदन किया।

अवधारित किया गया, दान विलेख के प्रतिसंहृत करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है। सिविल न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के बाद ही नामांतरण की कार्यवाही की जानी चाहिए।

21—संदेहास्पद पट्टे के आधार पर नामांकन अवैध—मात्र दीर्घकालिक कब्जा धारा 110 अथवा धारा 57 (2) के अंतर्गत कब्जा हासिल करने वाले के नाम में नामांकन किये जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह राज्य सरकार के विरूद्ध साक्ष्य नहीं है। मामले के हक के आधार पर निस्तारित किये जाते हैं, न कि कब्जे के आधार पर। 1980 रा0नि0 310 तथा ए0आई0आर0 1949 नागपुर 753 अनुसरित।

22—पंजीकृत विकय विलेख नामांकन—पंजीकृत विक्रय विलेख—विक्रेता के जीवनकाल में नामांकन की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। विक्रेता की मृत्यु हो गयी। नामांकन उसके उत्तर जीवी के नाम में हुआ। कोई आपत्ति नहीं उठायी गयी। पश्चात् में नामांकन पुनः नहीं खोला जा सकता है। मूल भू—स्वामी के द्वारा उनके पक्ष में विक्रय का दावा करते हुए व्यक्ति को 1982 आर0एन0 की धारा 111 के अधीन सिविल न्यायालय अभिमत करना चाहिए, आश्वस्त।

23—विरासत के आधार पर नामांतरण का आदेश—उत्तराधिकारी जिसने वारिस ने मृतक के स्थान में नामांकन का आदेश करने का आवेदन किया केवल उसी का नाम नामांतरित किया गया। अवधारित किया गया, सहमत वंश वृक्ष के अनुसार सभी उत्तराधिकारियों के नाम नजूल मेन्टीनेन्स खसरा में लेखबद्ध किया जाना चाहिए। आदेश अवैध होने के कारण खण्डित कर दिया गया। क्योंकि वंश वृक्ष के अनुसार मृतक भूमि स्वामी के उत्तरवादीगण के अलावा और भी व्यक्ति हैं उत्तराधिकारी होते हैं, वंश वृक्ष उभयपक्षों को स्वीकार्य है व सही है। अतः संहिता की धारा 110 के विपरीत होने से निरस्त कर दिया गया। अतः उत्तराधिकारियों के नाम प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित नजूल मेंटेनेंस खसरा में दर्ज किये जाने का आदेश किया गया।

24–राजस्व निरीक्षक–नामांतरण आदेश–राजस्व निरीक्षक द्वारा नामांतरण पंजिका में नामांतरण आदेश पारित किया गया। परगनाधिकारी ने अपील अस्वीकार कर दिया। कलेक्टर ने यह अवधारित करते हुए अपील को स्वीकार किया कि प्रक्रिया एवं नियम का बगैर अनुपालन किये हुए राजस्व निरीक्षक ने नामांतरण का आदेश पारित किया था एवं परगनाधिकारी ने गलत तौर से अपील को अस्वीकार कर दिया इसके विपरीत निगरानी अवधारित किया गया, आदेश न्यायानुमत है हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं किया गया।

25–नामांकन–पंजीकृत बैनामा का आधार–भू–स्वामी से पंजीयत विक्रय पत्र के द्वारा क्रय करके क्रय के आधार पर प्रत्यर्थी ने अपना नामांकन कराया है। उक्त पंजीकृत बैनामा को अपीलार्थी ने व्यवहार न्यायालय चुनौती नहीं दिया और न ही नामांकन आदेश के विरूद्ध कोई अपील ही प्रस्तुत की गयी। आदेश नामांकन इस प्रकार अंतिम हो जाता है। व्यवहार में वाद अभी भी विचाराधीन है एवं उनका आदेश राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी है। इनको ध्यान में रखते हुए अपर आयुक्त के द्वारा निष्कर्ष निकाला गया, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता एवं अनियमितता नहीं है। अतः हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

26–पति की भूमि का–विधवा का अधिकार–विधवा स्त्री अपने पति की भूमि को पाने का अधिकृत है। जब ग्राम की संपत्ति भी विवादित है तो तहसीलदार की अधिकारिता खत्म नहीं होती है। मामला तहसीलदार के न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। उभयपक्ष अपने साक्ष्य को रख सकते हैं क्योंकि उभयपक्षकार को सुनवाई का अवसर प्राप्त है। चूंकि व्यवहार न्यायालय द्वारा विधवा को उसके पति का उत्तराधिकारी मान लिया गया है अतः उसके परिप्रेक्ष्य में उसको अपने पति के हिस्से का अधिकारी बनने में कोई वैधानिक त्रुटि नही की गयी। अतः अपर आयुक्त का आदेश विधिकतः स्थिर रखे जाने के योग्य है।

27–बेदखली का आदेश अभिपुष्ट–नामांकन आवेदन पंजीकृत नहीं–प्रत्यर्थीगण को अतिचारीगण होने को निर्धारित करते हुए तहसीलदार के द्वारा धारा 248 के अधीन बेदखली का आदेश पारित किया गया। उच्च अधिकारियों के द्वारा आदेश अभिपुष्ट किया गया। राजस्व न्यायालयों के द्वारा एक बार यह अवधारित कर दिया गया कि प्रत्यर्थीगण सरकारी भूमि पर अतिचारीगण है। नामांकन के लिए आवेदन को ग्रहण करने के लिए यह बिलकुल निवृत्त नहीं था। उस भूमि के नामांकन के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

28–इच्छापत्र–नामांकन–पंजीकृत इच्छापत्र के आधार पर नामांकन का मामला किया गया। विचारण न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह साक्ष्य के द्वारा इच्छापत्र को साबित करवाये। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। आदेश उचित है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः द्वितीय अपीलीय न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।

29–विवादित भूमि जेल विभाग के स्वामित्व में लेखबद्ध–विवादित भूमि 1935 से जेल विभाग के स्वामित्व में लेखबद्ध की गयी थी। किसी खण्डन के साक्ष्य के अभाव में जब तक कि अन्यथा साबित नहीं उसी खसरे की प्रविष्टि की शुद्धता की एक संविधिक उपधारणा है। राज्य सरकार ने भूमिस्वामी के रूप में नाम दर्ज करने के लिए पट्टेदारों का मामला खारिज कर दिया। नामांकन के आदेश को करते वक्त आदेश को पूर्णतया अधित्यजित कर दिया गया है एवं अनदेखी की गयी है। उपर्युक्त तथ्यों की अनदेखी करके तथा उसका अधित्याग करके ऐसी भूमि का नामांकन नहीं किया जा सकता।

30–अपंजीकृत बैनामा का प्रतिफल–अपंजीकृत विक्रय विलेख। अपंजीकृत बैनामा 99/रू. 4.14 एकड़ भूमि की कीमत दर्शित कर क्रेता के पक्ष में अपंजीकृत बैनामा निष्पादित किया गया। तहसीलदार ने क्रेता के नामांतरण को उसके नाम में करने का आदेश पारित कर दिया। परगनाधिकारी ने नामांतरण आदेश को अस्वीकार कर दिया क्योंकि विक्री संदेहपूर्ण थी। परगनाधिकारी ने मात्र 99 रूपये में 4.14 एकड़ की भूमि की बिक्री पर संदेह व्यक्त किया एवं अपने संदेह को तर्कसंगत मानते हुए नामांतरण की प्रविष्टि को खारिज कर दिया जिसकी पुष्टि द्वितीय अपील को अपर आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा

उचित मानते हुए खारिज कर दिया गया। आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गयी किन्तु अपर आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के आदेश दिनांकित 04.07.1995 को स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त कर दी गयी।

नियम

नामांतरण एवं अन्य भू–अभिलेख की तैयारी के (प्रचलित)

राजपत्र दिनांक 2 जुलाई, 1965 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 2498–सात ना–1 दिनांक 10 जून, 1965 द्वारा संहिता की धारा 108, 109, 110, 112 धारा 114 की उपधारा (2) तथा धारा 123 की उपधारा (3) के सहपठित धारा 258 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (चौबीस) (क), (चौबीस) (ख), (पच्चीस) (क), (पच्चीस) (ख) तथा (सत्ताईस) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विषय पर पहले बनाए गए सभी नियमों को निष्प्रभावी करते हुए राज्य शासन ने निम्नलिखित नियम बनाए हैं, अर्थात्

1–इस नियमों में–

(क) ''संहिता'' से तात्पर्य छ0ग0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20, सन् 1959) से है;

(ख) ''धारा'' से तात्पर्य संहिता की धारा से है;

(ग) ''फार्म'' से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न फार्म से है;

(घ) ''पटवारी'' अभिव्यक्ति में नगर परिमापक, सहायक नगर–परिमापक या संहिता के नवें अध्याय के अधीन पटवारी के कर्तव्यों को पूरा करने को लिए नियुक्ति कोई भी अन्य कर्मचारी, शामिल समझा जाएगा।

एक–अधिकार अभिलेख तैयार करना

2–नगरीय और नगरेतर, दोनों क्षेत्रों के गांवों के लिए प्रारूप 'क' में अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा।

3–बंदोबस्त चालू रहने के दौरान जब भी शासन यह निर्णय करे कि किसी भी गांव या गांवों के लिए अधिकार–अभिलेख तैयार किया जाए तब इस संबंध में फार्म 'ख' में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और उसे सारे गांवो में डोंडी पिटवाकर घोषित किया जाएगा। और उसकी एक प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय चौपाल, गुड़ी या सार्वजनिक समागम के किसी दूसरे स्थान में लगा दी जाएगी।

4–उक्त अधिनियम में, अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का उल्लेख भी किया जाएगा।

5–नियम 3 में निर्धारित तीरके से इस अधिसूचना के जारी और प्रकाशित कर दिए जाने के बाद प्राधिकृत अधिकारी पटवारी से फार्म ''क'' में एक पंजी बनवाएगा जिसमें पटवारी की प्राप्त प्रतवेदनों से और/या अपनी स्वयं की जांच–पड़ताल के आधार पर प्राप्त सभी अपेक्षित जानकारी दर्ज की जाएगी।

6–यदि पंजी में दर्ज की जाने के लिए प्रस्तावित किसी भी प्रविष्टि के संबंध में कोई विवाद हो तो पटवारी ऐसी प्रविष्टियां खाली छोड़ देगा और विवाद पंजी में विवाद के ब्यौरे लिख लेगा। विवादगस्त मामलों की पंजी फार्म ''ग'' में रखी जाएगी।

7–जब फार्म ''क'' और ''ग'' वाली पंजीयॉ भर जाएं, तब पटवारी अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को इसकी सूचना देगा, जो वह तारीख और स्थान निर्दिष्ट करेगा जब और जहॉ वह अधिकार–अभिलेख में प्रविष्टियों को अंतिम स्वरूप देगा।

8– (1) पटवारी उन समस्त व्यक्तियों को, जो उसे अधिकार–अभिलेख में की जाने वाली प्रविष्टियों में हित रखते हुए प्रतीत हों, अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकार के समक्ष अपने हित के संबंध में प्रतिनिधित्व करने के लिए उपस्थित होने की तारीख की सूचना व्यक्तिशः देगा।

(2) संबंधित गांव (गावों) में उद्घोषणा जारी की जायेगी जिसके द्वारा उन सब व्यक्तियों को, जिनका अधिकार–अभिलेख की प्रविष्टियों में हित हो, आमंत्रित किया जायेगा तथा इसकी डोंडी पिटवाकर घोषणा की जायेगी और उसे ग्राम पंचायत के कार्यालय में तथा चौपाल या गुडी या सार्वजनिक समागम के अन्य स्थान में भी लगा दिया जायेगा।

9–इस प्रकार उल्लेखित तारीख को अधिकार–अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा फार्म ''क'' की पंजी में दर्ज प्रत्येक प्रविष्टि की जांच की जायेगी तथा सभी उपस्थित व्यक्तियों को पढ़कर सुनाई जायेगी। यदि हित रखने वाला कोई व्यक्ति किसी प्रविष्टि का ठीक होना स्वीकार कर ले और कोई व्यक्ति उस पर आपत्ति न उठाए, तो उसकी स्वीकारोक्ति अधिकारी द्वारा टिप्पणी के खाने में दर्ज कर ली जायेगी और प्रविष्टि की अंतिम रूप दे दिया जायेगा। यदि कोई विवाद हो तो उसके द्वारा विवादास्पद मामलों की पंजी फार्म ''ग'' में प्रविष्टि की जायेगी।

10–अधिकार–अभिलेख की तैयारी के दौरान होने वाले किसी भी परिवर्तन की सूची उक्त अधिकारी को दी जायेगी।

11–निर्विवाद प्रविष्टियों को अंतिम रूप देने के पश्चात् उक्त अधिकारी विवादास्पद मामलों का निर्णय करेगा तथा वह अपने निर्णय को फार्म ''ग'' की पंजी के उचित खाने में दर्ज करेगा।

12–तत्पश्चात् उक्त अधिकारी, अधिकार–अभिलेख फार्म ''क'' की पंजी में खाली छोड़ दिये गये खानों से संबंधित प्रविष्टियां करेगा तथा उसके प्रतीक स्वरूप संक्षिप्त हस्ताक्षर करेगा।

13–जब किसी गांव का अधिकार–अभिलेख पूरा हो जाए, तब उसे तैयार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी नियम 8 में दी गई रीति से उद्घोषणा जारी करेगा, जिसमें वह अधिकार अभिलेख के तैयार होने की सूचना सब व्यक्तियों को देगा और उसमें हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को इस बात के लिये आमंत्रित करेगा कि वे उसका निरीक्षण कर सकते हैं और यदि चाहें तो उसमें की गई किसी भी प्रविष्टि के संबंध में कलेक्टर को अपील कर सकते हैं। अपील के प्रयोजन के लिए ऐसी उद्घोषणा की तारीख प्रविष्टियों के सूचित किये जाने की तारीख समझी जायेगी।

दो–अंतरिम अधिकार–अभिलेख तैयार करना

14–धारा 123 के अधीन अधिकार अभिलेख समझी गई जमाबंदी या किस्तबंदी खतौनी का प्रकाशन उसकी एक प्रति ग्राम पंचायत के कार्यालय में और चौपाल या गुडी सार्वजनिक समागम के किसी अन्य स्थान पर, चपकाकर किया जायेगा तथा उसमें की गई प्रविष्टियों के विरूद्ध आपत्तियां सम्पूर्ण ग्राम में ढौंडी पिटवाकर आमंत्रित की जायेगी।

15–इस तरह प्राप्त आपत्तियां पटवारी द्वारा विवादास्पद मामलों की पंजी में दर्ज की जायेगी और नियम 8 से 12 में निर्धारित रीति में जहां तक वे संगत हो, उन पर निर्णय किया जायेगा।

16–इसके बाद विवादास्पद नामांतरणों के संबंध में लिया गया निर्णय अधिकार अभिलेख समझी गई जमाबंदी या किस्तबंदी खतौनी की मूल प्रति में अंतरित किया जायेगा। यदि बहुत अधिक सुधार किये गये हों तो जमाबंदी या किस्तबंदी खतौनी की एक साफ प्रति तैयार की जाएगी।

तीन–रसीद बही

नोट :– अब रसीद बही के स्थान पर भू–अधिकार अभिलेख एवं ऋण पुस्तिका का प्रावधान किया गया है जो भाग 1 एवं 2 के रूप में प्रचलित है। पूर्व विधि में रसीद बही का विधान था। नीचे लिखे नियम उसी रसीद बही का प्रावधान करता है जो अब प्रचलन में नहीं है। धारा 144 में अब ''किसान किताब का'' प्रावधान किया गया है। 44 (2) के अनुसार यह तैयार किया जाता है अब रसीद किया गया है। अब रसीद बही का उपयोग नहीं होता।

17–धारा 114 के अधीन निर्धारित बही फार्म ''घ'' में होगी। शासकीय मुद्रणालय में मुद्रित तथा तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षरित रसीद बही ही वैध रसीद बही होगी।

18–रसीद बही दी जाने के पहले तहसीलदार उसके प्रथम पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर दिया तथा अपने न्यायालय की मुहर लगायेगा।

19–(1) गांव के प्रत्येक भूमिस्वामी को 2 रू. का भुगतान करने पर एक रसीद बही दी जायेगी;

(2) विभिन्न गांवों में भूमिस्वामियों द्वारा धारित खानों के लिए अलग–अलग रसीद बही होगी;

(3) रसीद बही केवल उन्हीं वर्षों के लिए वैध होगी, जिनके लिए वह तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित की गई हो।

20–रसीद बही में प्रविष्टियां वर्ष के अंतिम खसरा तथा जमाबंदी के आधार पर की जायेगी और उन पर पटवारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा उन्हें तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित किया जायेगा।

21–प्रत्येक सह–अंशभागी का अंश उस दशा में रसीद बही में दर्शाया जाना चाहिए जब खसरे में ऐसा अंश दर्शाने वाली प्रविष्टि पहले से ही हो। यदि खसरे में इस प्रकार की कोई प्रविष्टि न हो, तो प्रत्येक का अंश सहमति से तहसीलदार द्वारा संक्षिप्त रूप से निश्चित किया जायेगा और खसरा तथा रसीद बही में दिर्शाया जायेगा। यदि कोई सहमति न हो तो अंश नहीं दर्शाये जायेंगे।

22–रसीद बही उन भू–धारियों को नहीं दी जायेगी जिसके खातों के संबंध में राजस्व या व्यवहार न्यायालय में कोई विवाद चल रहा हो।

23–प्रत्येक वर्ष प्रमाणन दौरे के समय तहसीलदार सभी भूमिस्वामियों की रसीद वही प्राप्त करेगा। यदि किसी भूमिस्वामी से संबंधित प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन न हुआ हो तो तहसीलदार रसीद बही को अभिप्रमाणित कर लौटा देगा। यदि उनमें कोई परिवर्तन हुए हों तो रसीद बही में प्रविष्टियां की जायेगी जिन पर पटवारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और वे तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित की जायेगी।

चार–खसरे में नामांतरण

24–पटवारी फार्म ''ङ'' में एक पंजी रखेगा, जिसमें वह धारा 109 के अधीन उसे सूचित किए गए पंजीयित विलेख, उत्तराधिकार, उत्तरजीविता, उत्तरदान या पट्टे द्वारा अंतरणों के कारण स्वामित्वाधिकार से किये गये प्रत्येक परिवर्तन या ग्राम पंचायत अथवा किसी अन्य साधन से प्राप्त प्रज्ञापनों के आधार पर उसकी जानकारी में लाये गये प्रत्येक परिवर्तन को गांववार दर्ज करेगा।

25–[1][पंजी में एक मास के भीतर की गई प्रविष्टि की एक प्रति, पटवारी द्वारा प्रत्येक मास के अंत में, तहसीलदार को भेजी जाएगी। यदि किसी मास में पंजी में हुई प्रविष्टि नहीं की गई हो, पटवारी द्वारा तहसीलदार को खाली कोरा प्रतिवेदन भेजा जाएगा।]

26–नामांतरण पंजी में प्रविष्टियों का प्रमाणन ग्राम पंचायत के मुख्यालय या इस प्रयोजन के लिए तहसीलदार द्वारा निश्चय किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र के किसी अन्य सुविधानजक केन्द्र में किया जाएगा।

27—पटवारियों का पंजीयन अधिकरियों को धारा 112 के अधीन सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार ऐसी सूचना का संबंधित ग्राम में डोंडी पिटवाकर यथाविधि प्रचार करवायेगा और सूचना की एक प्रति गांव के चौपाल, गुडी या सार्वजनिक समागम के अन्य किसी स्थान पर लगवाएगा और उसकी एक प्रति उस गांव की ग्राम पंचायत को भी भेजेगा। वह उन सभी व्यक्तियों को उसकी लिखित सूचना भी देगा जो उसे नामांतरण में हित रखते हुए प्रतीत हों।

28—सूचना में उल्लेखित की जाने वाली तारीख तथा स्थान पर तहसीलदार संबंधित पक्षों की सुनवाई करेगा और नामांतरण प्रविष्टि को प्रमाणित करेगा, परन्तु जब पक्ष यथाविधि सूचना तामील किए जाने पर भी अनुपस्थित रहे, तो प्रविष्टि एकपक्षीय प्रमाणित कर दी जाएगी।

29—तहसीलदार हित रखने वाले पक्षों की उपस्थिति में प्रविष्टि पढ़कर सुनायेगा और जब प्रविष्टि का ठीक होना स्वीकार कर लिया जाये तब वह ऐसी स्वीकारोक्ति कि प्रविष्टि यथाविधि प्रमाणित की गई है और उस संशोधित प्रविष्टि को भी बतलायेगा जो प्रमाणीकरण के परिणामस्वरूप खसरे में दर्ज की जायेगी।

30—तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई सभी मूल दस्तावेज उसके द्वारा पृष्ठांकित की जायेंगी और आदेश दिये जाने के बाद शीघ्र ही पक्षों को लौटा दी जायेगी।

31—परिवर्तन सबसे पहले नामांतरण पंजी में गांववार दर्ज किए जायेंगे। जहां कोई विवाद न हो वहां नामांतरण तहसीलदार द्वारा पंजी में ही अभिप्रमाणित किये जायेंगे तथा रसीद बही में उपयुक्त प्रविष्टियां की जायेगी। यदि विवाद हो तो अलग—अलग मामले चलाने के लिये पंजी से सारांश लेने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के लिए पृथक मामले शुरू किए जायेंगे। तहसीलदार नामांतरण पंजी में इस संबंध में एक प्रमाण—पत्र देगा कि निर्विवाद मामलों में मंजूर किये गये नामान्तरणों के अनुसार ही रसीद बही में प्रविष्टियां की गई हैं तथा विवादास्पद प्रविष्टियों के लिए पृथक मामले चालू किए गए हैं।

32—विवाद तहसीलदार द्वारा संक्षेप में हक के धारा पर ही निबटाये जायेंगे, न कि कब्जे के आधार पर। किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम खसरा में दर्ज न हो, किया गया भूमि का कोई भी हस्तांतरण, तहसीलदार द्वारा नामांतरण के लिए मान्य न किया जाएगा। आदेश में पक्षों तथा गवाहों के नाम होंगे और इस पर तहसीलदार के निष्कर्षों सहित किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का संक्षेप भी होगा।

33—विवादास्पद मामलों का निबटारा हो जाने पर तहसीलदार द्वारा खसरे तथा रसीद बही की प्रविष्टियों में सुधार करा लिया जाएगा। तहसीलदार नामांतरण पंजी में यह प्रमाण पत्र देगा कि विवादास्पद मामलों में लिए गए निर्णयों के अनुसार ही रसीद बही तथा खसरे में प्रविष्टियां की गई है।

34—भूमि के लेन—देनों के प्रज्ञापन, जो पंजीयन करने वाले पदाधिकारियों को धारा 112 के अंतर्गत भेजने पड़ते हैं फार्म ''च'' में होंगे। विगत मास के लेन—देन के लिए प्रत्येक मास के पहले सप्ताह में एक अलग प्रारूप प्रत्येक गांव के लिए तैयार किया जाएगा तथा तहसीलदार को भेज दिया जाएगा।

35—द्वारा 109 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकार अर्जन के प्रतिवेदन की दी जाने वाली अभिस्वीकृत फार्म ''छ'' में होगी।

नियम

राजपत्र दिनांक 22 जनवरी, 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 183–6477–सात–ना (नियम,) दिनांक 6 जनवरी, 1960 द्वारा राज्य सरकार ने नामांतरण के लिये नियम बनाये थे, जो नवीन नियम बनने के कारण 2 जुलाई, 1965 को निरस्त हो गये। नामांतरण नियम के निरसित नियम निम्नवत् हैं जो नवीन प्रक्रिया उपबंधित होते हुए भी चालू प्रकरणों में उसी का अनुसरण अनिवार्य है तथा राजस्व मंडल का अभिमत, संदिग्ध होते हुए पालनीय योग्य हैं जो है–

1–इन नियमों में–

(क) ''संहिता'' से तात्पर्य मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्र. 20) से हैः

(ख) ''प्ररूप'' से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न प्ररूप (फर्म) से है;

(ग) अभिव्यक्ति ''पटवारी'' में नगर सर्वेक्षक, सहायक नगर सर्वेक्षक, या अन्य कोई भी अधिकारी जो संहिता के अध्याय 9 के अधीन पटवारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त हो, सम्मिलित समझे जाएंगे;

(घ) ''धारा'' से तात्पर्य संहिता की धारा से है।

2–नगरीय तथा नगरेतर, दोनों क्षेत्रों के गांवों के लिए अधिकार अभिलेख प्ररूप 'क' में तैयार किया जाएगा।

3–[1][* * *]

[2][4. जब किसी ग्राम का अधिकार–अभिलेख तैयार किया जाने को हो तो पटवारी उसकी सूचना पूरे गांव में डुग्गी पिटवा कर उद्घोषित कराएगा, और सूचना की एक प्रति गांव में चौपाल, गुडी या सार्वजनिक आवागमन के किसी अन्य स्थान पर लगाएगा।

5–अधिकार–अभिलेख की साफ प्रति तैयार करने के पूर्व पटवारी उसकी एक कच्ची प्रति तैयार करेगा, जिसमें साफ प्रति के लिए अपेक्षित होने वाली ऐसी जानकारी जो वह इकट्ठी कर सकता हो या जो उसे प्राप्त प्रतिवेदनों से मिले, प्रविष्ट करेगा।]

6–यदि कच्ची प्रति में की जाने के लिए प्रस्तावित किसी भी प्रविष्टि के संबंध में विवाद हो तो पटवारी ऐसी प्रविष्टि को कोरी छोड़ देगा और विवादग्रस्त प्रकरणों के रजिस्टर में, जो प्ररूप 'ग' में रखा जाएगा, विवाद के विवरण अभिलिखित करेगा।

7–ऐसे समस्त व्यक्तियों को, जिनके विषय में यह ज्ञात हो कि उनका उन प्रविष्टियों में हित होने की संभावना है जो अधिकार–अभिलेख में की जाने को है, व्यक्तिगत रूप से उस दिनांक को जो सूचना में निर्दिष्ट किया जाए, अपने हितों का प्रतिवेदन करने के लिए उपस्थित होने की सूचना दी जाएगी।

8–इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक की कच्ची टिप्पणी पुस्तिका की प्रत्येक प्रविष्टि का राजस्व निरीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किया जाए, परीक्षण किया जाएगा और वह समस्त उपस्थित व्यक्तियों को पढ़ कर सुनाई जाएगी। यदि हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति प्रविष्टि का शुद्ध होना अंगीकार कर ले तो वह अंगीकृति उस अधिकारी द्वारा विशेष टिप्पणी के स्तंभ में अंकित कर ली जाएगी। यदि कोई भी विवाद हो तो विवादग्रस्त प्रकरणों की पंजी में प्रविष्टि की जाएगी।

9–अधिकार–अभिलेख की तैयारी के समय होने वाला कोई भी परिवर्तन राजस्व निरीक्षक या ऐसे अधिकारी द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किया जाए, जांच लिया जाएगा।

10–विवादग्रस्त प्रकरणों का विनिश्चय ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा जो पद में नायब तहसीलदार से कम न हो या ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे राज्य सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किया जाए।

11–तब पटवारी द्वारा प्रविष्टियां अधिकार–अभिलेख में संबंधित स्तम्भों में की जाएंगी और राजस्व निरीक्षक, सहायक भू–अभिलेख अधीक्षक, नायब तहसीलदार, या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जो प्राधिकृत किया गया हो, उनकी जांच की जाएगी।

12–जब किसी गांव का अभिलेख पूरा हो जाए, तो उपखंड अधिकार या राज्य सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अन्य अधिकारी एक उद्घोषणा जारी करेगा, जिसके द्वारा हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों को संबंधित गांव में या उसके निकट किसी स्थान पर निर्दिष्ट दिनांक को उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा ओर उसमें यह अधिसूचना की जाएगी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति पूर्ण हुए अधिकार–अभिलेख का निरीक्षण पटवारी को या किसी भी अन्य प्रभारी अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करके कर सकता है और उसकी प्रविष्टियों के बारे में आपत्तियां उठा सकता है।

13–इस प्रकार नियुक्ति दिनांक एवं स्थान पर, उपखण्ड अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अन्य अधिकारी अभिलेख के उन अंशों को जिन्हें उपस्थित व्यक्ति चाहे, उनकी उपस्थिति में पढ़वा कर सुनवाएगा, और ऐसे अन्य संशोधनों के पश्चात् जो उस समय आवश्यक हो, अभिलेख को हस्ताक्षरित करेगा और अंत में यह प्रमाणपत्र जोड़ेगा कि उनका अनुमोदन ओर प्राख्यापन विधिवत् हुए हैं।

14–धारा 123 के अधीन–अधिकार अभिलेख मानी गई जमाबंदी और पूर्वगामी नियमों के अंतर्विष्ट आदेशों के अनुसार तैयार हुए अधिकार–अभिलेख की पूर्ण की गई प्रति भी पटवारी द्वारा अद्यावधिक रखी जाएगी और उस प्रयोजन के लिए वह प्ररूप 'ख' में नामांतरण पंजी रखेगा। इस पंजी में भूमि में अधिकार या हित के ऐसे प्रत्येक अर्जन की प्रविष्टि की जाएगी जिसका धारा 108 के द्वारा, या उसके अधीन अधिकार–अभिलेख में प्रविष्टि किया जाना अपेक्षित हो।

15–नामांतरण पंजी की प्रविष्टियां उस गांव या नगर में जिससे उनका संबंध हो या उनके पड़ोस में राजस्व निरीक्षक द्वारा, यदि कोई विवाद न हो, प्रमाणित की जाएगी और विवादग्रस्त प्रविष्टियों के प्रसंग में नायब तहसीलदार या तहसीलदार द्वारा, विवाद का विनिश्चय करने के पश्चात् प्रमाणित की जा सकती है। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रमाणित प्रविष्टियों द्वारा कतिपय प्रतिशत सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख, नायब तहसीलदारों, अधीक्षक, भू–अभिलेख, तहसीलदारों या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा जांचा जाना चाहिए। नगरीय क्षेत्रों के प्रसंग में, जिनका सर्वेक्षण हो गया हो, नगर सर्वेक्षक इस प्रकार की नामांतरण प्रविष्टियों को प्रमाणित करेगा जो अन्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट की जाए।

16–प्रमाणक अधिकारी संबंधित–पटवारी को प्ररूप ''घ'' में विधिवत सूचना देगा और तदुपरांत पटवारी पक्षकारों को प्ररूप ''ङ'' में सूचना–पत्र प्रचलित करेगा :

परंतु नगरीय क्षेत्रों की भूमियों के प्रसंग में ऐसे सूचना–पत्र नगर सर्वेक्षक या सहायक नगर सर्वेक्षक द्वारा प्रचलित किए जाएंगे।

17–नामांतरण की कोई भी प्रविष्टि उस दिनांक के एक मास की समाप्ति के पूर्व प्रमाणित नहीं की जाएगी जिसकी प्रविष्टि की एक प्रति तहसील, पंचायत या ग्राम सभा के सूचना फलक पर या सार्वजनिक आवागमन के अन्य किसी स्थान पर चिपकाई गई थी।

18–कोई भी नामांतरण प्रविष्टि संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति के अतिरिक्त प्रमाणित नहीं की जाएगी। परंतु जब पक्षकार प्ररूप 'ङ' में सूचना का निर्वाह होने पर अनुपस्थित रहे तो प्रविष्टि का एकपक्षीय प्रमाणीकरण किया जाएगा।

19–प्रमाणक अधिकारी हित रखने वाले पक्षकारों की उपस्थिति में प्रविष्टि को पढ़कर सुनाएगा, और जहां प्रविष्टि की शुद्धि अंगीकार कर ली जाए, ऐसा अंगीकरण नामांतरण पंजी में अभिलिखित करेगा और अपने हस्ताक्षरों से यह पृष्ठांकन जोड़ेगा कि प्रविष्टि विधिवत् प्रमाणित की गई है।

20–प्रमाणक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई समस्त मूल लिखित में से उनके द्वारा पृष्ठांकित की जाएगी और पक्षकारों को आदेश पारित किए जाते ही लौटा दी जाएगी।

21–विवादों का निर्णय नायब तहसीलदार द्वारा कब्जे के आधार पर संक्षिप्त रूप में कर दिया जाएगा; अर्थात वह व्यक्ति जो स्वत्वाधिकार के दावे के अंतर्गत वास्तविक रूप से कब्जा रखता हो, भूमिस्वामी या सरकारी पट्टेदार के रूप में, जैसा भी प्रसंग हो, लेखांकित किया जायेगा। यदि वास्तविक कब्जे के संबंध में संदेह हो तो सबसे अधिक दृढ़ स्वत्वाधिकार रखने वाले व्यक्ति को अभिलिखित किया जाना चाहिए । आदेश में पक्षकारों और साक्षियों के नाम और प्रत्येक पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण प्रमाणक अधिकारी के विनिश्चय में अंतर्विष्ट रहेंगे।

22–जब विवाद संबंधी आदेश से नामांतरण पंजी की किसी प्रविष्टि में परिवर्तन अपेक्षित हो जाए तो विवाद का विनिश्चय करने वाला अधिकारी आवश्यक शुद्धियां करेगा।

23–जब गांव की नामांतरण पंजी में प्रविष्टियों को प्रमाणित कर दिया गया हो, तो वे पटवारी द्वारा अधिकार–अभिलेख में उन्हें पुरानी प्रविष्टियों के नीचे लिख कर अथवा जब परिवर्तन छोटे हों तब पुरानी प्रविष्टि को संशोधित करके, तुरंत अंतरित कर दी जाएगी। ऐसी नवीन प्रविष्टियां या संशोधन लाल स्याही में की जाएगी और प्रमाणक अधिकारी द्वारा हस्तांतरित की जाएगी।

जब प्रमाणीकरण से पूर्व प्रविष्टि में एक से अधिक नामांतरण हो चुके हों तो प्रत्येक नामांतरण अधिकार–अभिलेख में घटना के क्रम में अंतरित किया जाएगा।

24–अप्रमाणित रह गए समस्त नामांतरण, प्रमाणक अधिकारी के वर्षा से पूर्व के अंतिम दौरे के समय विचाराधीन प्रकरणों की पंजी में प्ररूप 'ङ' में प्रविष्ट किए जाएंगे और इन प्रकरणों का निराकरण करने के लिए पक्षकारों को सुविधाजनक केन्द्रों या तहसील में वर्षा ऋृतु में बुलाकर कार्यवाही की जाएगी।

25–अधिकार–अभिलेख प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् या ऐसी अधिक कालावधि के पश्चात् जो कलेक्टर अभिलेख की परिनिरीक्षा के पश्चात् निश्चित करें, पुनः लिखा जाएगा।

26–जब अधिकार–अभिलेख को नियम 25 के अंतर्गत पुनः लिखा गया हो, तो भूमि स्वामियों में से प्रथम नामांकित के नामों को वर्णानुक्रम से व्यवस्थित करके तैयार की गई खातांको की नवीन क्रमावली अंगीकार की जानी चाहिए जो अधिकार–अभिलेख के आगामी पुनर्लेखन तक चालू रहेगी।

अधिकार–अभिलेख के चालू रहने के समय में खाते में होने वाले परिवर्तन अर्थात नियम 25 के अंतर्गत उसके पुनर्लेखन के पूर्व, खाते के वर्तमान अंकों द्वारा उस अंक के क, ख, ग, घ, इत्यादि अक्षरों के साथ प्रदर्शित किए जाएंगे जिससे खातों को दिए गए अंको की मूल श्रृंखला, जब अधिकार–अभिलेख तैयार किया जाए या पुनर्लेखन किया जाए, विक्षोभित न हो।

उदाहरण–खाता क. 29 एक व्यक्ति रघुनाथ द्वारा धारित है और उसमें तीन सर्वेक्षण संख्यांक 27, 35 व 38 निहित हैं जो क्रमशः 12, 15, 16, 10 व 1.30 योग 29.55 एकड़ है। रघुनाथ सर्वेक्षण संख्यांक 35 का 12.00 एकड़ का भाग बंसी को बेच देता है। बंसी के इस खाते का सर्वेक्षण संख्याक 35/2 क्षेत्रफल

12.00 एकड़ प्रदर्शित करने के लिए '29–क' अंक दिया जाना चाहिए और रघुनाथ के मूल खाते का अंक 29 ही स्थिर रखना चाहिए, यद्यपि नीचे लिखे अंकों का क्षेत्रफल 17.55 ही घट कर रह गया हो–

क्षेत्रफल	
27–	21.15
35 / 1–4.10	
38–	1.30
	17.55

अधिकार–अभिलेख में प्रत्येक खाते के पश्चात् पर्याप्त स्थान इसलिए छोड़ देना चाहिए ताकि पुनर्लिखित होने तक होने वाले समस्त परिवर्तन उसमें सन्निविष्ट किए जा सकें।

27–भूमि को प्रभावित करने वाले व्यवहारों की सूचना, जिसका पंजीयन करने–वाले अधिकारी द्वारा धारा 112 के अधीन भेजी जाना अपेक्षित है, प्ररूप 'छ' में होगी प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक गांव के लिए गत मास के व्यवहारों के लिए एक पृथक प्ररूप तैयार किया जाएगा और तहसीलदार के पास उस पटवारी को भेजे जाने को प्रेषित कर दिया जाएगा जो संबंधित गांव के नामांतरणों की पंजी रखता है।

28–धारा 109 के अधीन प्राप्त अधिकार अर्जन के प्रतिवेदन की या धारा 110 (3) के अधीन आपत्ति की धारा 118 की उपधारा (2) के अधीन जानकारी या लिखतम की प्राप्ति के लिए दी जाने वाली अभिस्वीकृति प्ररूप 'ज' में होगी।

भू–राजस्व संहिता, 1959, धारा–113 में जनजातियों के प्रावधानिक विषय

113. लेखन संबंधी गलतियों का शुद्धिकरण–[6][उपखण्ड अधिकारी], किसी भी समय, लेखन संबंधी किन्हीं भी गलतियों को, तथा किन्हीं भी ऐसी गलतियों को जिनके कि संबंध में हितबद्ध पक्षकार यह स्वीकार करते हों कि वे अधिकार–अभिलेख में हुई हैं, शुद्ध कर सकेगा या शुद्ध करवा सकेगा।

1–धारा में संशोधन–पहले इस धारा के अंतर्गत भूलों को सुधारने का अधिकार कलेक्टर को था। अधिनियम क्रमांक 24 सन्–1961 द्वारा कलेक्टर के स्थान पर तहसीलदार किया गया। फिर अधिनियम क्रमांक 25 सन् 1964 के द्वारा तहसीलदार के स्थान पर ''उपखण्डीय पदाधिकारी'' कर दिया गया। राजपत्र दिनांक–3 अक्टूबर, 1964 में प्रकाशित इस संशोधन अधिनियम की धारा 9 में अंग्रेजी शब्द ''सब डिवीजनल ऑफिसर'' के लिए 'उपजिला अधिकारी' लिखा गया था। जब संहिता के शासकीय अनुवाद में सभी स्थानों पर शब्द ''उप–खण्डीय पदाधिकारी'' प्रयुक्त हुआ है तब हिन्दी पाठ में भी उसी शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अतः संशोधित धारा में ''उपखण्डीय पदाधिकारी'' ही प्रयोग किया गया है ताकि संहिता की भाषा से सामंजस्य रह सके।

2–भूल सुधार की शक्ति–धारा 113 अधिकार––अभिलेख की प्रविष्टियों से संबंधित है। इस धारा के अधीन केवल दो प्रकार की भूलों का सुधार किया जा सकता है। जो भूलें केवल लिपिक हैं वे बिना किसी की सहमति के लिए उप–खण्डीय प्रदाधिकारी द्वारा सुधारी जा सकती है। अन्य प्रकार की भूलों को सुधारने का अधिकार तभी प्राप्त हो सकेगा जब हित रखने वाले समस्त पक्षकार यह स्वीकार करें कि अधिकार–अभिलेख में कोई कोई भूल वास्तव में हुई और उसे सुधारा जाना चाहिए।

3–धारा के अधीन अधिकार प्रदत्त–इस धारा के अंतर्गत भू–सुधार का अधिकार संशोधन के पूर्व जब कलेक्टर को प्राप्त था तब अधिसूचना क्रमांक 11429–सी आर–337–सात–ना–2, द्वारा यह शक्ति

तहसीलदारों को दे दी गई थी। 1961 के संशोधन द्वारा ''कलेक्टर'' के स्थान पर ''तहसीलदार'' कर दिया गया तथा उक्त अधिसूचना प्रभावहीन हो गई। 1964 के संशोधन के पश्चात् अब यह अधिकार उपखण्डीय पदाधिकारी को प्राप्त है। अधिकार डिप्टी कलेक्टर (नजूल) को भी दे दिया गया है।

4–अधिकारों के अभिलेख में प्रविष्टि–परिवर्तन संबंधित अधिकारिता–भू–राजस्व संहिता की धारा 113 में केवल लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरूस्त किया जा सकता है। अधिकारों के अभिलेख में हुयी प्रविष्टियों को धारा 113 के अधीन नहीं सुधारा जा सकता है। इसके लिए उपयुक्त उपचार सिविल वाद संस्थित करता है। यदि भू–अभिलेख में की गयी प्रविष्टियां बिना वैधानिक आधार के उल्लेख के विभिन्न वर्षों में बदल जाती है तो उन्हें लिपिकीय भूल मानकर धारा 113 के अंतर्गत सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ करना सर्वथा वैधानिक एवं उचित है।

5–लिपिकीय त्रुटि का शुद्धिकरण–पक्का काश्तकार के तौर पर व्यक्ति प्रविष्ट एवं तद्नन्तर कई वर्षों तक भूमिस्वामी उसका नाम काटा नहीं जा सकता।

6–खतौनी में प्रविष्टि–उभयपक्षों की सहमति से शुद्धि की जा सकती है–ऐसा शुद्धिकरण कार्यान्वित नहीं किया जा सकता यदि एक पक्ष अपनी सम्मति नहीं देता है।

7–धारा 113 की व्याप्ति–उपखण्ड अधिकारी की खसरा में प्रविष्टि के शुद्धिकरण के लिए आवेदन–धारा 113 के उपबंध आकर्षित नहीं–ऐसी प्रविष्टि उपखण्ड–अधिकारी द्वारा शुद्ध नहीं की जा सकती–विधि में स्थिति है कि कोई लिपिकीय त्रुटि एवं कोई त्रुटि जो हितबद्ध पक्षकार अधिकार–अभिलेख में की गयी है को स्वीकार करते हैं, उपखण्ड अधिकारी द्वारा शुद्ध नहीं की जा सकती। इस प्रकार संहिता की धारा 113 के अधीन किसी आदेश को पारित करने के लिए दो परिस्थितियां होनी चाहिए जैसे (ए) यह कि गलत लिपिकीय है एवं (बी) वह गलती जो हितबद्ध पक्षकार एक गलती होना स्वीकार करते हैं। यदि हितबद्ध पक्षकारों में से एक इसे एक गलती होना स्वीकार नहीं करते वह संहिता की धारा 113 के अधीन सही नहीं की जा सकती। धारा 114 के अधीन तैयार किए गए भू–अभिलेखों में अशुद्ध प्रविष्टि–ऐसी प्रविष्टि के 1 वर्ष के अंदर तहसीलदार को शुद्धिकरण हेतु आवेदन किया जा सकता है एवं धारा 113 के अधीन उपखण्ड–अधिकारी को नहीं।

8–विविध–व्याप्ति–अधिकार अभिलेख में प्रविष्टि–ऐसी प्रविष्टि में परिवर्तन करने की राजस्व न्यायालयों को अधिकारिता नहीं है–केवल लेखन संबंधी गलतियॉ सुधारी जा सकती हैं–उपचार सिविल वाद द्वारा है। लागू होना–इस उपबंध के अधीन दो शर्तें–दोनों का पूरा होना आवश्यक नहीं–केवल लिपिकीय भूल–धारा 113 के उपबंध आकर्षित–उपखंड अधिकारी द्वारा ऐसी भूल लाभान्वित व्यक्ति की सहमति के बिना भी सुधारी जा सकती है–किसी अन्य प्रकार की भूल भी हितबद्ध पक्षकारों की सहमति से सुधारी जा सकती है।

लेखन गलती का शुद्धिकरण–व्यक्ति की प्रविष्टि कृषक के रूप में तथा तत्पश्चात् भूमि–स्वामी के रूप में कई वर्ष तक रही उसका नाम काटा नहीं जा सकता। खसरा प्रविष्टि में सुधार हेतु उप–खण्डीय पदाधिकारी को आवेदन–पत्र धारा 113 के उपबंध आकर्षित नहीं–उप खण्डीय पदाधिकारी द्वारा ऐसी प्रविष्टि का सुधार नहीं किया जा सकता।

9–प्रविष्टियों का शुद्धिकरण–उपखण्ड अधिकारी राजस्व प्रविष्टियों को सही नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ऐसा करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

भू–राजस्व संहिता, 1959, धारा–129 में जनजातियों के प्रावधानिक विषय

129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखण्ड या भू–खण्ड संख्यांक का सीमांकन– (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या उपखण्ड या भू–खण्ड संख्यांक क सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार, सर्वेक्षण संख्यांक या उपखण्ड या भू–खण्ड संख्यांक का सीमांकन करने में तहसीलदार द्वारा या कार्य करने के लिए सशक्त किए गए किसी अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगी जिनमें उन सीमा चिन्हों का, जो उपयोग में लाए जायंगे, प्रकार विहित किया जाएगा, और सीमांकित सर्वेक्षण संख्यांक या उपखण्ड या भू–खण्ड संख्यांक में की भूमि के धारकों से फीस का उद्ग्रहण प्राधिकृत किया जाएगा।

टिप्पणी

सीमांकन के लिए धारा 121 के अन्तर्गत अधिकार डिप्टी कलेक्टर(नजूल) एवं सहायक भू–अभिलेख पदाधिकारियों को प्रदान किए गए हैं । पटवारी इस धारा के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं कर सकता।

1. प्रतिकर का दायित्व – जहां भू–स्वामी की भूमि के सीमांकन पर गड्ढा एवं सुरंगे खुदी हुयी पायी गयी हैं, सड़क निर्माण हेतु मिट्टी का प्रयोग किया गया है वहां धारित किया गया कि राज्य प्रतिकर के लिये पायी गयी है।

2. सीमांकन – जब सीमांकन के संबंध में दो न्यायालयों द्वारा विचार करने के पश्चात आदेश पारित किया गयाहै तथा कारण भी उचित है तो यह न्याय संगत है। जहां पड़ोसी काश्तकारों को सूचित किये बगैर राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किया गया हो तथा राजस्व निरीक्षक का परीक्षण न किया गया हो तो कब्जा प्रदत्त करहने का आदेश अवैध है। जहां राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन के साथ स्थल का नक्शा बनाया गया था सीमांकन प्रतिवेदन में त्रूटि भी परिलक्षित नहीं था वहां सीमांकन विधिसम्मत होने के कारण दोनों निचले न्यायालय के निष्कर्ष में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जहां अपीलार्थी द्वारा पुनः सीमांकन की ईप्सा की गयी थी और तहसीलदार द्वारा समुचित अवसर दिया गया था वहां समवर्ती निष्कर्ष में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जहां भूमि पर सीमांकन के पश्चात अनाधिकृत कब्जा होना पाया गया था तथा सीमांकन के आधार पर काहर्यवाही विधि सम्मत है वहां अतिक्रमण की गयी भूमि से अवैध कब्जा हटाने का निचले न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जब सीमांकन में हुए अत्यधिक विलंब का कारण स्पष्ट नहीं है तथा नियमों में विहित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया है तब अनावेदक के आपत्ति पर विचार न किया जाना एवं संक्षिप्त निर्णय दिया जाना अवैध। पटवारी या राजस्व निरीक्षक जैसे राजस्व अधिकारी कृषि संबंधी भूमि की माप करने के लिए प्रशिक्षित होतो हैं अतः कृषि भूमि का सीमांकन पटवारी या राजस्व निरीक्षक जैसे राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। जिस भूमि का सीमांकन किया जा रहा है उससे संलग्न अन्य भूमि का स्वामी जो निकटस्थ भूमि का मालिक हो आवश्यक और उपयुक्त पक्षकार होता है। संलग्न भूमि के स्वामी को सूचना देना चाहिए।

जहां सर्किल पटवारीको लेकर तथा आसपास के धारकों को सूचना देने के पश्चात् सीमांकन के सम्बंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया गया था, किन्तु कोई न्यायोचित आदेश पारित नहीं किया गया था, धारित किया गया कि ऐसा आदेश अपास्त किया जाना उचित है। सीमांकन, नोटिस के पृष्ठभाग पर पक्षकार के हस्ताक्षर–सीमांकन संबन्धी पंचनामा राजस्व निरीक्षक के द्वारा तैयार किया गया सीमांकन का प्रतिवेदन–अपीलार्थी ने किसी सक्षम न्यायालय में प्रतिवेदन को आक्षेपित नहीं किया। सीमांकन प्रतिवेदन अंतिम हो जाता है। विवादग्रस्त भूमि से लगे हुए भूस्वामियों को सीमांकन से पूर्व सूचना दिया जाना चाहिए अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं होता। सीमांकन, सीमांकन रिपोर्ट के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कोई आक्षेप नहीं । रिपोर्ट अंतिम हो जाती है।

3. सीमांकन का मामला – सीमांकन का मामला– द्वितीय अपील–कोई विधिक बिन्दु उल्लिखित नहीं किए गए। अधिनस्थ न्यायालयों में समवर्ती निष्कर्ष । हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं। अपील खारिज की गयी। जब धारा 129 के सीमांकन मामला पहले से ही निविश्चित किया गया है तब उसे आक्षेपित नहीं किया जा सकता।

4. सीमांकन अपीलार्थी का अनधिकृत कब्जा – सीमांकन के अनुसार अपीलार्थी का अनधिकृत कब्जा–सीमांकन, पटवारी के द्वारा स्थल पर किया गया, जो राजस्व निरीक्षक के निर्देशों के अन्तर्गत किया गया था। अपीलार्थी को सीमांकन किए जाने की सूचना थी, लेकिन अनुपस्थित रहा। अपीलार्थी के गवाहान के बयान में विसंगतियॉ। अपीलार्थी की बेदखली के संबंध में अनधिकृत कब्जे से बेदखली के अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश बहाल रखे गए। अपील खारिज कर दी गयी।

5. राजस्व न्यायालय की अधिकारिता – भूमि की माप एवं सीमाचिन्ह अंकित करना राजस्व न्यायालय की अनन्य क्षेत्राधिकार है इसलिये इसके बाबत सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है।

6. प्रतिकूल कब्जा – जहां भूमि वादी के कब्जे में सीमांकन पर पायी गयी हो तो उस प्रतिकूल कब्जे का मामला नहीं बनाया जा सकता, प्रतिकूल कब्जे का संघटक भूल से किये गये कब्जे में विद्यमान रहता है।

7. सीमांकन के समय उपस्थिति – जब अपीलार्थी सीमांकन के समय उपस्थित रहा है त बवह सीमांकन को चुनौती नहीं दे सकता।

8. अनुपस्थित में सीमांकन – जहां विपक्षी द्वारा यह आपत्ति की गयी कि उसकी अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है उसकी आपत्ति खारिज किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

9. आवश्यक पक्षकार – आवेदक की भूमि से लगी भूमि के स्वामियों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है तथा भूमि से राज्य की भूमि/मार्ग प्रभावित होती है तो राज्य को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए।

10. बस्तर की मरहान भूमि का सीमांकन – आवेदक की भूमि से लगी भूमि के स्वामियों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है तथा भूमि से राज्य की भूमि/मार्ग प्रभावित होती है तो राज्य को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए।

11. सीमांकन पश्चात 250 के अन्तर्गत कार्यवाही – सीमांकन पश्चात कब्जे के प्रत्यावर्तन के लिए धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। धारा 32 या 248 के तहत कार्यवाही नहीं हो सकती। सीमांकन के पूर्व यदि सूचना समुचित रूप से नहीं दी गई तो 250 के तहत वाद हेतुक नहीं बनता। अतिक्रमण जानकारी में नही ंतब परिसीमा का प्रारंभ सीमांकन के दिन से होता है।

12. हितबद्ध पक्षकार को सीमांकन में उपस्थित रखना चाहिए – सीमांकन हितबद्ध पक्ष की उपस्थितिह में करना चाहिए। अतिक्रामक के अतिक्रमण की जांच के सीमांकन के समय उसे आवश्यक दस्तावेज पेश करने एवं मौखिक साक्ष्य पेश करने के लिए कहा जा सकता है। पक्षकार को सूचना हो, वह उपस्थिति भी हो पर हस्ताक्षर न करे तो यह नहीं माना जा सकता कि सीमांकन उसकी अनुपस्थिति में किया गया।

13. कब्जे के बाद में जहां अतिक्रमण की जानकारी नहीं थी वहां परिसीमा – परिसीमा के दिन से प्रारीा होगी। प्रतिकूल कब्जे के दावे के लिए परिसीमा, सीमांकन के आदेश की तिथि से प्रारम्भ होगी। सीमांकन के पश्चात 2 वर्षो के भी तक कब्जे की स्थापना के लिए धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। पक्षकार की अनुपस्थिति में किया गया सीमांकन उस पर बंधनकारी नहीं है। पटवारी अभिलेख और चालू नक्शे में विवादग्रस्त खसरा को अलग–अलग नहीं किया गया। नक्शा त्रूटिपूर्ण है उसके आधार पर सीमांकन प्रतिवेदन अवैधानिक है।

14. सीमांकन कराने का अधिकार – प्रत्येक भूमि स्वामी को अपनी भूमि के सीमांकन कराने का अधिकार है। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि उस भूमि के संबंध किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही चल रही है या विचारधीन है। सीमांकन में वह बाधक नहीं है।

15. राजस्व अधिकारी की कमिश्नर के रूप में नियुक्ति – भूमि की पहचान के संबंध में विवाद होने पर, कृषि संबंधी भूमि के सीमांकन क लिए किसी राजस्व अधिकारी को प्रशिक्षित पर्यवेक्षक के रूप में कमिश्नर नियुक्त करना चाहिए। राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी राजस्व अधिकारी नहीं है, परन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन अधिकारितारहित नहीं होता।

16. सीमांकन की कार्यवाही के विरूद्ध उपचार – पीड़ित पक्षकार द्वारा धारा 50 के अंनतर्गत रिवीजन किया जा सकता है।

17. अन्य विविध – धारा 129, 144 तथा 107– खेत का नक्शा व्यवहार न्यायालय की डिक्री के अधीन राजस्व पदाधिकारी द्वारा बनाया गया खेत का नक्शा–सीमांकन उस नक्शे के आधार पर नहीं किया जा सकता जो पटवारी ने राजस्व न्यायालय के उक्त नक्शे से भिन्न बनाया हो। पटवारी का सर्वेक्षण और सीमाचिन्ह की रिपोर्ट जिसकी न्यायालय में प्रतिपरीक्षा भी कि गई–उसकी रिपोर्ट को सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आवेदन धारा 115 तथा 116 के अधीन फाइल किया गया वहां धारा 129 के अधीन कार्यवाही नहीं किया जा सकता। चकबंदी कार्यवाही में सीमा की गलती को तहसीलदार द्वारा, हितबद्ध पक्ष के आवेदन पर शुद्ध की जाना चाहिए। लगी हुई भूमि के भूमि स्वामी को सूचना किये बिना सीमांकन नहीं किया जा सकता। सीमांकन–पुनरीक्षणकर्ता आवश्यक पक्षकार, उसकी अनुपस्थिति में सीमांकन नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल है–पुनरीक्षणकर्ता का हित प्रभावित–राजस्व निरीक्षण द्वारा सूचना दिये बिना एवं हस्ताक्षर लिये बगैर पंचनामा की कार्यवाही व्यर्थ है। नोटिस में कोटवार के सिवाय किसी भी गवाह का हस्ताक्षर नहीं– इस प्रकार सीमांकन अपास्त करने योग्य है। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त जिलाधीश जांजगीर/चांपा के न्यायालय में पुरीक्षण प्रस्तुत–पुरीक्षण अतिरिक्त जिलाधीश के द्वारा अस्वीकृत–तद्नुसार यह पुनरीक्षण प्रस्तुत। पुनरीक्षणकर्ता को नोटिस दिये जाने का कोई आदेश नहीं। पटवारी द्वारा दिनांक 26.02.2002 के सीमांकन हेतु दिनांक 19.06.2002 के सीमांकन हेतु दिनांक 19. 06.2002 को नोटिस जारी पुनरीक्षणकर्ता ग्राम किरारी का निवासी है एवं सीमांकन की नोटिस तामीली का समय उलिखित नहीं–हस्ताक्षर अस्पष्ट है–इतने कम समय में नोटिस तामीली असंभव, इसलिये ऐसी नोटिस की मान्यता नहीं पुनरीक्षकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। अतिरिक्त जिलाधीश के द्वारा समुचित विवेचना के बगैर आदेश पारित करना विधि सम्मत नहीं है। अतिरिक्त जिलाधीश एव नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश निरस्त पुनरीक्षण आवेदन पत्र स्वीकृत है।

सीमांकन राजस्व निरीक्षण द्वारा किया गया– इस विषय का पंचनामा भी बनाया गया–हितधारी व्यक्तियों के न सूचना दी गई और न ही पंचनामा पर उनके हस्ताक्षर लिए गए–बिना ऐसी सूचना दिये ऐसी कार्यवाही व्यर्थ है तथा सीमांकन विनष्ट करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। सीमांकन कार्यवाही–हितधारी व्यक्ति को सूचना देना चाहिए–सीमांकन के पश्चात् धारा 250 के अधीन आधिपत्य पुनस्थार्पन का आदेश पारित किया जा सकता है– ऐसा आदेश धारा 25 या धारा 248 के अधीन पारित नहीं किया जा सकता। धारा 129(2) नियम कथित प्रकरण में सीमांकन नहीं किया गया–राजस्व निरीक्षक के सामान्य जांच प्रतिवेदन को सीमांकन प्रतिवेदन नहीं माना जा सकता–दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा धारा 129 के विधिक प्रावधान का विश्लेषण किये बिना दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं, क्योंकि संहिता की धारा 129 के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई–उत्तरवादी के द्वारा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालयों ने इसके विधिक प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा अतः धारा 250 के अधीन पारित आदेश विधि विरूद्ध है। परिसीमन किया गया और रिपोर्ट तैयार की गई–परिसीमन रिपोर्ट के अभाव में पंचनामा अवलंबित नहीं किया जा सकता। उपखंड अधिकारी, सरपंच पंच तथा अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया सीमांकन–संदेह नहीं किया जा

सकता। पटवारी की सीमा चिन्ह रिपोर्ट–विवादित भूखण्ड बहुत ही छोटा–क्षेत्र–पुस्तक तैयार करने की आवश्यकता नहीं, दो नियत सर्वेक्षण चिन्ह भी ऐसे मामले में नियत करने की आवश्यकता नहीं। जहां आवेदक को सीमांकन कार्यवाही की सूचना सम्यक् रूप से दी गई किंतु वह अनुपस्थित रहा– धारा 250 के अधीन कार्यवाही में सीमांकन पर आपत्ति नहीं कर सकता। जहां भूमि स्वामी द्वारा कब्जे के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन फाईल किया गया–उसके पूर्व सीमांकन का आदेश इप्सित तथा सम्यक् रूप से निष्पादित–धारा 250 के अधीन पश्चातवर्ती कार्यवाही में सीमांकन की ऐसी कार्यवाही आक्षिप्त नहीं की जा सकती।

सीमांकन –पुनरावेदन को सीमांकन की जानकारी थी–सीमांकन के पश्चात् पुनरावेदक द्वारा इस चुनौती नहीं दी गई–सीमांकन आकदेश अन्तिम हो जाता है– अब इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया जा सकता– उक्त प्रकरण में विद्वान दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा स्पष्ट रूप से पुनावेदक के तर्क खारिज किया गया, तथा उसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है–विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है– पुनरावेदक द्वारा प्रस्तुत पुनरावेदन खारिज।

भू–राजस्व संहिता, 1959, धारा–165 में जनजातियों के प्रावधानिक विषय

165. अंतरण के अधिकार– (1) इस धारा के अन्य उपबंधों के तथा धारा 168 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए भूमिस्वामी अपनी भूमि में का कोई भी हित [7]**[* * *]** अंतरित कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी–

(क) भूमिस्वामी द्वारा किसी भूमि का कोई भी बंधक इसके पश्चात् तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि कम–से–कम पांच एकड़ सिंचित भूमि या दस एकड़ असिंचित भूमि किसी भी विल्लंगम या भार से मुक्त रूप में उसके पास न बच जाए;

(ख) खण्ड (क) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भूमिस्वामी द्वारा किसी भी भूमि का कोई भोगबंधक इसके पश्चात् विधिमान्य नहीं होगा यदि वह छह वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए हो, और जब तक कि उस बंधक की एक शर्त यह न हो कि बंधक विलेख में वर्णित की गई कालावधि का अवसान हो जाने पर उस बंधक के संबंध में यह समझा जाएगा कि भूमिस्वामी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भुगतान किए बिना ही उसका पूर्णतः मोचन हो गया है, और बंधकदार उस बंधक भूमि का कब्जा भूमिस्वामी को तुरंत वापस दे देगा;

(ग) यदि बंधक की गई भूमि का कोई सकब्जा बंधकदार बंधक की कालावधि का या छह वर्ष का, इनमें से जिनका भी अवसान पहले होता हो, अवसान हो जाने के पश्चात भूमि का कब्जा नहीं सौंपता है, तो बंधकदार तहसीलदार के आदेश द्वारा अतिचारी के तौर पर बेदखल किए जाने का दायी होगा और तहसीलदार द्वारा बंधककर्ता को उस भूमि का कब्जा दिलाया जाएगा :

[1][परन्तु इस उपधारा में की कोई भी बात किसी ऐसी भूमि के किसी बंधक के मामले में लागू नहीं होगी जो भूमिस्वामी द्वारा कृषि–भिन्न प्रयोजनों के लिए धारित हो।]

(3) जहॉ भूमिस्वामी उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में अपनी भूमि का कोई ऐसा बंधक करता है जो भोग बंधक से भिन्न हो, वहॉ बंधक विलेख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बंधक के अधीन प्रोद्भूत होने वाले ब्याज की कुल रकम बंधकदार द्वारा दी गई मूल रकम के आधे से अधिक नहीं होगी।

(4) उपधारा (1) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी भूमिस्वामी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह कोई भी भूमि–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में अंतरित करे जो ऐसे अंतरण के फलस्वरूप उसकी भूमि का हकदार हो जाएगा जो स्वयं उसके द्वारा या उसके कुटुंब द्वारा धारित भूमि, यदि कोई हो, सहित कुल मिलाकर ऐसी अधिकतम सीमाओं से, जो कि विहित की जाएं, अधिक हो जाएं;

[2][(ख) * * *]

[3][परन्तु–

(एक) इस उपधारा में की कोई भी बात निम्नलिखित दशाओं में लागू नहीं होगी–

(क) (एक) किसी सार्वजनिक, धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए स्थापित किसी संस्था के पक्ष में किए गए अंतरण या औद्योगिक प्रयोजन के लिए किए गए अंतरण या बंधक के रूप में किए गए अंतरण की दशा में;

(दो) किसी सहकारी सोसाइटी के पक्ष में औद्योगिक प्रयोजन के लिए किए गए अंतरण या बंधक के रूप में किए गए अंतरण की दशा में; तथापि इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि कृषि प्रयोजनों के लिए कोई भी बंधक, किसी अग्रिम की वसूली के लिए विक्रय की धारा 147 के खण्ड (ख) के उल्लंघन में प्राधिकृत नहीं करेगा;

(ख) कृषि भिन्न प्रयोजनों के लिए धारित भूमि के अंतरण की दशा में;

(दो) [1][* * *]

[2][परन्तु यह और भी कि पूर्ववर्ती परन्तुक के खण्ड (क) के उपखण्ड (क) के अधीन औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि का अंतरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा, अर्थात्–

(एक) यदि ऐसी भूमि किसी कृषि–भिन्न प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित की जानी हो तो ऐसे व्यपवर्तन के लिए धारा 172 के अधीन उपखण्ड अधिकारी की अनुज्ञा ऐसे अंतरण के पूर्व प्राप्त कर ली गई है; और

(दो) धारा 172 के उपबंध ऐसे अंतरण को इस उपांतरण के साथ लागू होंगे कि उसकी उपधारा (1) के परन्तुक में वर्णित तीन मास तथा छह मास की कालावधि, ऐसे व्यपवर्तन हेतु आवेदन के प्रयोजनों के लिए क्रमशः पैंतालीस दिन और नब्बे दिन होगी।]

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के कुटुंब में वह व्यक्ति स्वयं, उसकी अवयस्क संतान तथा ऐसे व्यक्ति की पत्नी या उसका पति जो उसके साथ संयुक्त रूप से रहता हो, और यदि ऐसा व्यक्ति अवस्यक हो तो उसके साथ संयुक्त रूप से रहने वाले उसके माता–पिता सम्मिलित होंगे।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, भूमिस्वामी की कोई भी भूमि, किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेची जाएगी जो ऐसे विक्रय के फलस्वरूप उतनी भूमि का हकदार हो जाएगा जो स्वयं उसके द्वारा या उसके कुटुंब द्वारा धारित भूमि, यदि कोई हो, सहित कुल मिलाकर ऐसी अधिकतम सीमाओं से, जो कि विहित की जाएं, अधिक हो जाए–

[3][परन्तु इस धारा में की कोई भी बात किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में लागू नहीं होगी जहॉ ऐसी सोसाइटी के पक्ष में पारित किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में किसी भूमि का विक्रय धारा 154–क में विहित प्रकिया निःशेष करने के पश्चात् किया जाना हो।]

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति ''किसी व्यक्ति के कुटुंब'' का वही अर्थ होगा जो कि उसके लिए उपधारा (4) में दिया गया है।

[4][(6) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी जनजाति के, जिसे कि राज्य सरकार ने, उस संबंध में अधिसूचना द्वारा, उस पूरे क्षेत्र के लिए, जिसको कि यह कोड लागू होता है, या उसके किसी भाग के लिए आदिम जनजाति (एबारीजनल ट्राइब) होना घोषित किया हो, भूमिस्वामी का अधिकार–

(एक) ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें आदिम जनजातियॉ प्रमुख रूप से निवास करती हों, तथा ऐसी तारीख से, जिसे/जिन्हें कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्र में की ऐसी जनजाति का न हो, विक्रय द्वारा या अन्यथा या उधार संबंधी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अंतरित किया जाएगा और न ही अंतरणी होगा;

(दो) खण्ड (एक) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि ऐसी जनजाति का न हो, कलेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की ऐसी अनुज्ञा के बिना, जो कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से दी जाएगी, विक्रय द्वारा या अन्यथा या उधार संबंधी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अंतरित किया जाएगा और न ही अंतरणीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति ''अन्यथा'' के अंतर्गत पट्टा नहीं आता है।

(6–क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी जनजाति के जिसे उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति होना घोषित किया गया है, भूमिस्वामी से भिन्न किसी भूमिस्वामी का कृषि–भूमि को छोड़कर अन्य भूमि में का अधिकार, किसी ऐसे व्यक्ति को जो आदिम जनजाति का न हो कलेक्टर की अनुज्ञा, जो लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से दी जाएगी, के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अथवा उधार संबंधी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप, न तो अंतरित किया जाएगा और न ही अंतरणीय होगा :

परन्तु 9 जून, 1980 के पश्चात्, किन्तु 20 अप्रैल, 1981 के पहले किया गया ऐसा प्रत्येक अंतरण, जो इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार न हो, जब तक कि ऐसे अंतरण का अनुसमर्थन कलेक्टर द्वारा उसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नहीं कर दिया जाता, शून्य होगा और उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा, भले ही इस कोड या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई बात अंतर्विष्ट क्यों न हो।

(6–ख) परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का संख्यांक 36) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कलेक्टर स्वप्रेरणा से किसी भी समय, या ऐसे संव्यवहार से तीन वर्ष के भीतर, ऐसे प्रारूप में जैसा कि विहित किया जाए, इस निमित्त आवेदन किये जाने पर ऐसी जॉच, जैसी कि वह उचित समझे, कर सकेगा, और ऐसे अंतरण से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अंतरण का अनुसमर्थन करने वाला या अंतरण का अनुसमर्थन करने से इंकार करने वाला आदेश पारित कर सकेगा।

(6–ग) कलेक्टर, उपधारा (6–क) के अधीन अनुज्ञा देने वाला या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाला अथवा उपधारा (6–ख) के अधीन संव्यवहार का अनुसमर्थन करने वाला या अनुसमर्थन करने से इंकार करने वाला कोई आदेश पारित करते समय निम्नलिखित बातों का सम्यक् ध्यान रखेगा–

(एक) क्या वह व्यक्ति, जिसे भूमि अंतरित की जा रही है, अनुसूचित क्षेत्र का निवासी है या नहीं;

(दो) वह प्रयोजन जिसके लिए भूमि अंतरण के पश्चात् उपयोग में लाई जाएगी या जिसके लिए उसका उपयोग में लाया जाना संभाव्य है;

(तीन) क्या अंतरण से अधिसूचित क्षेत्र के निवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक हितों की पूर्ति होती है या ऐसे हितों का पूर्ति होना संभाव्य है अथवा क्या वह ऐसे हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है;

(चार) क्या दिया गया प्रतिफल पर्याप्त है;

(पांच) क्या ऐसा संव्यवहार मिथ्या, बनावटी या बेनामी है; और

(छह) ऐसी अन्य बातें जो विहित की जाएँ।

कलेक्टर का उपधारा (6–क) के अधीन अनुज्ञा देने वाला या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाला विनिश्चय अथवा उपधारा (6–ख) के अधीन अंतरण के संव्यवहार का अनुसमर्थन करने वाला या अनुसमर्थन करने से इंकार करने वाला विनिश्चय अंतिम होगा भले ही इस कोड में कोई प्रतिकूल बात अंतर्विष्ट क्यों न हो।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजन के लिए–

(क) ''अनुसूचित क्षेत्र'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा क्षेत्र जिसे भारत के संविधान की पंचम अनुसूची की कंडिका 6 के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) अंतरण मिथ्या, बनावटी या बेनामी नहीं था यह साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो यह दावा करता है कि ऐसा अंतरण विधिमान्य है।

(6–घ) उपधारा (6–क) के अधीन अनुज्ञा देने से इंकार कर दिये जाने या उपधारा (6–ख) के अधीन अनुसमर्थन करने से इंकार कर दिये जाने पर, अंतरिती, यदि भूमि उसके कब्जे में है, कब्जा तुरन्त छोड़ देगा और मूल भूमिस्वामी की उस भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित कर देगा।

(6–ङ) यदि भूमिस्वामी किसी भी कारण से उस भूमि का जिसके कब्जे का अधिकार उसे उपधारा (6–घ) के अधीन प्रत्यावर्तित हो जाता है, कब्जा नहीं लेता है या कब्जा लेने में असमर्थ रहता है, तो कलेक्टर उस भूमि का कब्जा ग्रहण करवाएगा, और ऐसे निर्बंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विहित की जाएँ, उस भूमि का प्रबंध भूमिस्वामी की ओर से उस समय तक करवाएगा तब तक कि मूल भूमिस्वामी अपनी भूमि का कब्जा नहीं कर लेता :

परन्तु यदि कब्जा प्रत्यावर्तित करने में कोई प्रतिरोध किया जाता है तो कलेक्टर ऐसे बल का प्रयोग करेगा या करवाएगा जैसा कि आवश्यक हो।

(6–ङङ) [1][* * *]

टिप्पणी

छ0ग0 राज्य में बढ़ रहे औद्योगिक प्रायोजनाओं के चलते 165 (6) में यह व्यापक संशोधन किया गया है क्योंकि छ0ग0 के 8 जिले प्रतिबंध के दायरे में आते थे, जबकि खदान तथा उद्योगों की अधिकांश प्रयोजनाएँ उन्हीं क्षेत्रों में है। इसलिए भूमि विक्रय के बाद 10 वर्षों तक व्यपवर्तन न होने से जटिलता हो रही थी और विकास में बाधा आ रही थी।

(6–च) इस कोड में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी उपधारा (6–क) से (उपधारा 6–ङङ) तक के उपबंध प्रभावशील होंगे।

(7) उपधारा (1) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी–

[2][(क) जहॉ किसी भूमिस्वामी के खाते में समाविष्ट भूमि का क्षेत्रफल या उस भूमिस्वामी के एक से अधिक खाते होने की दशा में उसके समस्त खातों का कुल क्षेत्रफल सिंचित भूमि के पांच एकड़ या असिंचित भूमि के दस एकड़ से अधिक हो, वहॉ उसके खाते या खातों में की भूमि का केवल उतना ही क्षेत्रफल, जितना कि सिंचित भूमि के पांच एकड़ या असिंचित भूमि के दस एकड़ से अधिक हो, किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क किए जाने या बेचे जाने के दायित्वाधीन होगा;]

(ख) किसी ऐसी जनजाति के, जिसे उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति होना घोषित किया गया हो, भूमिस्वामी के खाते में समाविष्ट कोई भूमि किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन के कुर्क की जाने या बेची जाने के दायित्वाधीन नहीं होगी;

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) के उपबंधों के प्रतिकूल, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) की धारा 51 के अधीन कोई रिसीवर किसी भूमिस्वामी की भूमि का प्रबंध करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा और न कोई भी ऐसी भूमि प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का संख्याक 5) के अधीन किसी न्यायालय अथवा किसी रिसीवर में निहित होगी :

परन्तु इस उपधारा में की कोई भी बात उस दशा में लागू नहीं होगी जहॉ कि किसी बंधक द्वारा उस भूमि पर कोई भार सृजित किया गया हो।

[3][(7–क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1968 (क्रमांक 28 सन् 1968) की धारा 33 में विनिर्दिष्ट किए गए किसी भी भूमिस्वामी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह उक्त धारा में विनिर्दिष्ट की गई अपनी भूमि में के किसी भी हित का [1][कलेक्टर] की अनुज्ञा के बिना अंतरण कर दे।]

[2][(7–ख) उपधारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी [3][कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो कोई भूमि राज्य सरकार से धारण करता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो धारा 158 की उपधारा (3) के अधीन भूमिस्वामी अधिकार में भूमि धारण करता है] अथवा जिसे कोई भूमि सरकारी पट्टेदार के रूप में दखल में रखने का अधिकार राज्य सरकार या कलेक्टर द्वारा दिया जाता है और जो तत्पश्चात् ऐसी भूमि का भूमिस्वामी बन जाता है, ऐसी भूमि का अंतरण कलेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा, जो लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से दी जाएगी, के बिना नहीं करेगा।]

(8) इस धारा में की कोई भी बात किसी भूमिस्वामी को किसी ऐसे अग्रिम के, जो कि उसे भूमि विकास उधार अधिनियम, 1883 (1883 का संख्यांक 19) या कृषक उधार अधिनियम, 1884 (1884 का संख्यांक 12) के अधीन दिया गया हो, भुगतान को प्रतिभूत करने हेतु अपनी भूमि में के किसी अधिकार का

अंतरण करने से नहीं रोकेगी या राज्य सरकार के उस अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी जो कि ऐसे अग्रिम की वसूली हेतु ऐसे अधिकार का विक्रय करने के लिए उसे प्राप्त है।

[4][(9) इस धारा में की कोई भी बात–

(एक) किसी भूमिस्वामी को, किसी ऐसे अग्रिम के, जो उसे किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा दिया गया हो, संदाय को प्रतिभूत करने हेतु अपनी भूमि में के किसी अधिकार को बंधक के रूप में अंतरित करने से निवारित नहीं करेगा, किन्तु इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि वसूली सुनिश्चित करने के लिये भूमि का विक्रय धारा 154–ए में विहित प्रक्रिया को निःशेष किए बिना नहीं किया जाएगा; या

(दो) किसी भूमिस्वामी को दिए गए अग्रिम की वसूली धारा 154–ए के उपबंधों के अनुसार सुनिश्चित करने के ऐसी किसी सोसाइटी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

[5][(9–क) इस धारा में की कोई भी बात किसी ऐसे भूमिस्वामी को जो, विस्थापित व्यक्ति हो, किसी ऐसे अग्रिम के, जो कि उसे दण्डकारण्य विकास प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो, भुगतान को प्रतिभूत करने हेतु अपनी भूमि में के किसी अधिकार का अंतरण करने से नहीं रोकेगी या उस प्राधिकारी के उस अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी जो कि ऐसे अग्रिम की वसूली हेतु ऐसे अधिकार का विक्रय करने के लिए उसे प्राप्त है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में ''विस्थापित व्यक्ति'' से अभिप्रेत है उन राज्य क्षेत्रों से, जो अब पूर्वी पाकिस्तान में समाविष्ट हैं, विस्थापन हुआ कोई ऐसा व्यक्ति जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी किसी स्कीम के अधीन 1 अप्रैल सन् 1957 को या उसके पश्चात् मध्य प्रदेश में पुनर्वासित किया गया है।

[1][(9–ख) इस धारा की कोई भी बात भूमिस्वामी को किसी ऐसे अग्रिम के, जो कि उसे कृषि के प्रयोजन के लिए या खाते के सुधार के प्रयोजन के लिए, किसी वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिया गया हो, भुगतान को प्रतिभूत करने के हेतु अपनी भूमि में के किसी अधिकार का अंतरण करने से नहीं रोकेगी या किसी ऐसे बैंक के उस अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी जो कि ऐसे अग्रिम की वसूली के हेतु ऐसे अधिकार का विक्रय करने के लिए उसे प्राप्त है।]

(10) भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी ऐसा अधिकारी, जो उस अधिनियम के अधीन दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने के लिए सशक्त हो, किसी भी ऐसे दस्तावेज को, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए तात्पर्यित है, रजिस्ट्रीकरण के लिए ग्रहण नहीं करेगा।

(11) इस धारा में की कोई भी बात–

(क) किसी ऐसे अंतरण को, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व विधिमान्यतः किया गया था, अविधिमान्य नहीं बनाएगी; या

(ख) किसी ऐसे अंतरण को, जो इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व अविधिमान्यतः किया गया था, विधिमान्य नहीं बनाएगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक एकड़ सिंचित भूमि को दो एकड़ असिंचित भूमि के बराबर समझा जाएगा और इसी प्रकार इसका विपर्यय।

(क) उल्लंघन–उल्लंघन–अन–आवेदक ने बगैर अनुज्ञा के निर्माण कार्य आरंभ कर दिया एवं आवश्यकता की पुष्टि में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया अतः कलेक्टर ने अनुज्ञा प्रदान करने से इन्कार कर दिया। आदेश अपील में कायम रखा गया।

2–आदिम जनजाति द्वारा विक्रय करार–जहां विक्रय करार आदिम जनजाति के द्वारा किया गया है, अंतरिम व्यादेश के समय उपबंध का समाघात नहीं किया जा सकता।[2]

3–भू–स्वामी का अधिकार–लेखबद्ध भू–स्वामी अपने खाते की भूमि का कोई भाग पृथक करा सकता है या उसका अंतरण कर सकता है, उसकी मृत्यु के पश्चात् या धारक को जीवनकाल के दौरान विभाजन के पश्चात् ही कुटुम्ब के अन्य सदस्य हक अर्जित कर पाते हैं।[3] जब आवेदक के अधिकारों को अनावेदक द्वारा कभी भी आक्षेपित न किया गया हो तो उसकी मौन स्वीकृति का अनुमान किया जा सकता है और इसलिये आवेदक को मौसमी कृषक एवं भूस्वामी के अधिकार प्रोद्भूत हो जाते हैं।

(क) पट्टा–पट्टा–भूमि का पट्टा प्रदान किया गया था। 10 वर्ष के बाद बगैर कलेक्टर की अनुज्ञा के विक्रय कर दिया गया। विक्रय अनुमति के अभाव में शून्य एवं अकृत है। भूमि सरकार में निहित की गई।

4–संव्यवहार शून्य न होना–जब विक्रेता एवं क्रेता दोनों ही विक्रय की तिथि को आदिम जनजाति के थे तब राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा पश्चात् में सूची से विलोपित होने पर संव्यवहार शून्य नहीं होगा तथा इस धारा के उपबंध आकर्षित नहीं होंगे।

5–संव्यवहार बेनामी होना–जब आदिवासी एवं आदिवासी के बीच संव्यवहार में वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य गैर आदिवासी का है तब अंतरण बेनामी होने के कारण उपबंध आकर्षित होंगे।

6–जनजाति एवं गैर जनजाति के बीच संव्यवहार–जिलाधीश की अनुमति प्राप्त कर ली गयी। जनजातीय को भूमि के वापस किए जाने का आदेश किया गया। आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष अपील। बगैर आवेदन एवं शपथ–पत्र का निस्तारण किए हुए उसी दिन को मामला बहस के लिए नियत कर दिया गया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया। अवधारित किया गया, मामला पक्षकारों को सुनवाई एवं बचाव का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णीत किए जाने को प्रतिप्रेषित कर दिया गया। पुनरीक्षण स्वीकार कर लिया गया। अतिरिक्त कलेक्टर का न्यायिक व्यवहार आक्षेपणीय। उसके विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी।

7–गैर जनजाति सदस्य को आदिवासी जनजाति के सदस्य द्वारा अंतरण–आदिवासी जनजाति के सदस्य द्वारा गैर जनजातीय सदस्य को अंतरण कलेक्टर की अनुज्ञा के बगैर अविधिमान्य है।

8–जाति प्रमाण–पत्र विरोधाभासी होना–जब क्रेता द्वारा प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र पूर्णतया विरोधाभासी है तब उसे आदिवासी होना नहीं कहा जा सकता तथा भूमि का क्रय करने हेतु कलेक्टर की अनुमति आज्ञापक है।

(क) अनुज्ञा अस्वीकार–अनुज्ञा अस्वीकार की गई, विज्ञप्ति नंबर 37–4–सात–सा–2–84 दिनांकित 4.6.84 के अनुसार कलेक्टर के द्वारा धारा 165 (6–क) एवं 165 (6–ख) के अंतर्गत पारित किया गया आदेश अंतिम है। अतः निगरानी मान्य नहीं है।

9–विवादित भूमि आदिवासी की–अंतरण के लिए धारा 165 (6) के अधीन औपचारिक अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। धारा 165 (6) के प्रावधानों के उल्लंघन में अंतरण। ऐसे विवादित भूमि पर कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं।

10–आदिवासी की भूमि पर गैर आदिवासी का कब्जा–जहां पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा आदिवासी द्वारा क्रय भूमि पर गैर आदिवासी का कब्जा था वहां संव्यवहार छल एवं कपटपूर्ण होने के कारण धारा 170 ख के अधीन हस्तक्षेप किया जा सकता है।

11–डिक्री या समझौता द्वारा अंतरण–शून्य–अंतरण, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि डिक्री अथवा समझौता द्वारा अंतरित की गयी। अंतरण शून्य है।

12–प्रतिकूल कब्जा–प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व का प्रश्न। एक दीर्घ अवधि के बाद इसके उठाये जाने का कोई औचित्य नहीं। क्षुब्ध पक्षकार अनुतोष पाने हेतु सिविल न्यायालय में अभिगम करने को स्वतंत्र है।

13–पुनरीक्षण–जनजाति की भूमि गैर जनजाति के द्वारा कलेक्टर की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद क्रय की गयी। संव्यवहार 26 जनवरी, 1977 के पूर्व का। अंतरण विक्रेता की अशिक्षा अज्ञानता एवं निर्धनता का लाभ लेते हुए कपटपूर्ण ढंग से निष्पादित करवाया गया। कलेक्टर से अनुमति तथ्यों को छिपाते हुए उसके बाद प्राप्त की गयी। संव्यवहार बदनियती का। उभय अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती आदेश खारिज कर दिए गए। पुनरीक्षण अंशतः स्वीकार किया गया। मामला स्वप्रेरणा से पुनर्विलोकन में लेकर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि के अनुसार निर्णय करने के लिए कलेक्टर को प्रतिप्रेषित किया गया।

14–विक्रय अनुमति–विवादित भूमि जनजाति की, गैर जनजातीय के द्वारा धारा 165 (6) के अंतर्गत जिलाधिकारी की अनुज्ञा लेने के बाद पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा क्रय की गयी। अनुमति का आदेश एवं विक्रय विलेख सत्यापित किया जाना चाहिए। यह भी विनिश्चत किया जाना चाहिए कि क्या विक्रय के लिए अनुज्ञा वास्तव में विक्रीत भूमि के लिए दी गयी है या किसी अन्य भूमि के संबंध में।

15–विक्रय विलेख–भूमि पर अपंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा कब्जा प्राप्त कर मकान का निर्माण कर उसमें निवास करना, यह तथ्य अस्वीकार्य है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में कोई दस्तावेज विक्रय से संबंधित एवं इसके संबंध में साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया। ऐसा विक्रय विलेख स्वीकार नहीं किया गया।

16–पैतृक संपत्ति–पैतृक संपत्ति, स्वयं की उपार्जित संपत्ति नहीं है। ऐसी एक संपत्ति का एक वसीयत के जरिए वसीयत नहीं किया जा सकता है।

17–भूमि विक्रय हेतु अनुमति का आवेदन–जब भूमि के विक्रय हेतु कलेक्टर की अनुमति सम्पूर्ण तथ्यों एवं विधिक बिन्दुओं को समझे बगैर दी गयी हो तो ऐसे अनुमति में हस्तक्षेप किया जा सकता है। भूमि स्वामी जनजातीय–भूमि के विक्रय हेतु आवेदन–क्रेता गैर जनजाति–भूमि के विक्रय के लिए जनजाति के द्वारा तर्क दिया गया। अविवेकपूर्ण अनुमति हेतु आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। अपील में हस्तक्षेप अनपेक्षित। अपील खारिज कर दी गयी।

(क) भूमि विक्रय एवं कलेक्टर की अनुज्ञा–आदिवासी से गैर आदिवासी को भूमि का विक्रय करने हेतु आवेदन–कलेक्टर का अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इन्कार करने वाला आदेश अंतिम होता है–कलेक्टर का आदेश अंतिम हो चुका–उसके विरूद्ध पुनरीक्षण प्रारम्भिक रूप से अग्राह्य।

(ख) क्रय के आधार पर भूमि स्वामी का अधिकार–क्रय के आधार पर विंध्य प्रदेश के भूमि स्वामी अधिकार का दावा साबित करना होगा कि उसके पूर्ववर्ती अधिकारीगण को प्रासंगिक विधि के अधीन ऐसा अधिकार हासिल था। मात्र प्रतिवादीगण नं. 2, 3 एवं 4 द्वारा विक्रय विलेख के निष्पादन द्वारा कोई अधिकार वादी को अंतरित नहीं किये जा सकते हैं जब तक कि यह साबित नहीं किया जाता है कि वे भूमि में कोई हस्तांतरणीय अधिकार हासिल कर रहे थे।

18–हस्तांतरण शून्य–निगरानी–आदिवासी एवं गैर आदिवासी के बीच संव्यवहार। कलेक्टर की अनुमति नहीं प्राप्त की गयी। अंतरण आरंभतः शून्य। क्रेता का संपत्ति पर कोई हक नहीं। भूमि पर भवन निर्मित। क्रेता आदिवासी विक्रेता को भूमि की बाजारू कीमत संदत्त करने को आदेशित किया गया। उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पारित आदेश वैध। अपील में उपखण्ड अधिकारी का आदेश कलेक्टर के द्वारा बहाल रखा गया। उभय अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष। कोई विधिक अथवा ताथ्यिक त्रुटि नहीं की गयी। कलेक्टर का आदेश बहाल रखा गया। निगरानी खारिज कर दी गयी।

19–विक्रय की अनुमति–अपर कलेक्टर के द्वारा धारा के प्रावधान के अधीन प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए एक दिन के अंदर विक्रय की अनुमति प्रदान की गयी। इस कारण से अनुमति संदेहपूर्ण नहीं।

20–विक्रय पूर्व अनुज्ञा–जहां वादग्रस्त भूमि कृषिक भूमि नहीं है मकान के विक्रय हेतु विक्रय पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नहीं है। जहां दोनों पक्षकार गैर आदिवासी हैं तथा क्रेता उपपंजीयक द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन एवं प्रचलित बाजार मूल्य पर भूमि/भवन का क्रय करने हेतु तैयार है तब प्रावधान का उल्लंघन न होने के कारण विक्रेता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और विक्रय की अनुज्ञा दी जानी चाहिए।

21–घोषणा–पत्र–प्रथम दृष्टया एक वसीयत नहीं। ऐसे घोषणापत्र के आधार पर संपदा अंतरण अधिनियम में कोई अंतरण मान्य नहीं है। घोषणा–पत्र एक सादे कागज पर है, अपंजीकृत है। भूमि पर कोई स्वामित्व का अधिकार ऐसे एक घोषणा–पत्र के आधार पर हासिल नहीं होगा।

22–प्रतिप्रेषण आदेश–आदेश अंतिम नहीं है। इसके विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। पुनरीक्षण, प्रतिप्रेषण आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तकनीकी त्रुटि पर एक मामले का निस्तारण करना यह अन्यायपूर्ण है। मामला अपील को पुनरीक्षण में परिवर्तित करने के बाद निस्तारित किया जाना चाहिए।

23–स्वप्रेरणा से शक्ति का प्रयोग–जहां कलेक्टर की अनुमति से आदिम जनजाति की भूमि क्रय की गयी थी और उस पर भवन निर्मित किया गया था तथा जनजाति द्वारा आक्षेप नहीं किया गया था वहां तृतीय पक्ष द्वारा कार्यवाही आरम्भ करने पर ऐसे संव्यवहार रद्द करने की स्वप्रेरणा की शक्ति विधिक नहीं है।

24–अंतरण–धारा 165 (6) के उल्लंघन में–यदि अंतरण धारा 165 (6) के उल्लंघन में किया गया हो तो हकदार व्यक्ति को उपखण्ड अधिकारी द्वारा कब्जा धारा 170 के अधीन प्रदान किया जा सकता है।

25–अंतरण की अनुमति–संहिता की धारा 165 (6) के अंतर्गत अनुमति नहीं लिए जाने को निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के दौरान स्वीकार किया था। संहिता की उपरोक्त धारा के बगैर अनुपालन के अंतरण प्रारंभिकतः शून्य है।

26–भूमि का अंतरण–जहॉं भूमि के विक्रय हेतु कलेक्टर की अनुमति प्राप्त की गयी हो, किन्तु विक्रेता को विक्रय की सम्पूर्ण राशि नहीं दी गयी है वहॉं अंतरण सद्भाविक न होने के कारण मामला गुणावगुण पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। भूमि के विक्रय हेतु अतिरिक्त कलेक्टर की अनुमति का प्रमाण पत्र में न तो क्रेता के बारे में और न ही भूमि की कीमतों के बारे में और न ही यह उल्लिखित है कि भूमि गैर आदिवासी को विक्रय की जायेगी वहॉं अतिरिक्त कलेक्टर का आदेश दोषपूर्ण है।

27–गृह या परिवर्तित भूमि का विक्रय–जहॉं धारा 165 (6) तथा 170–ख के उपबंध गृह एवं परिवर्तित भूमि को लागू किया गया था, धारित किया गया कि गैर कृषिक प्रयोजन हेतु परिवर्तित भूमि एवं मकान के अंतरण हेतु उपबंध लागू नहीं होते तथा केवल कृषिक भूमि के लिए ही लागू होते हैं।

28—परिसीमा—परिसीमा अधिनियम, 1963 धारा 5, अपीलार्थी के द्वारा अपील के मेमो के साथ परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदन में यह दर्शित किया गया कि यदि अपील को कालबाधिक माना जाए तो विलंब मर्षण के आधार पर अपील गुणावगुण पर सुनवाई हेतु ग्रहण की जाये। आवेदनपत्र में यह वर्जित है कि उसे आदेश की सूचना दिनांक—23.01.2002 को नहीं दी गयी। आदेश का संज्ञान दिनांक—18.02.2002 को हुआ। तद्नुसार प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर उसने दिनांकित 12.11.2002 को इस अपील को दाखिल किया। आवेदन पत्र शपथ पत्र से समर्थित। अवधारित—आवेदन पत्र शपथ पत्र के साथ समर्थित होने के आधार पर उसके द्वारा बताया गया अभिकथन विचारित किया गया। तद्नुसार अपील को परिसीमा के अंदर दाखिल की गयी माना गया।

29—विधि का सिद्धांत—विधि का सिद्धांत—पूर्व का ईसाई व्यक्ति बाद में आदिवासी नहीं हो सकता है। यह भी विधि का सिद्धांत है।

30—जाति—ईसाई होने पर अनुसूचित जनजाति की योग्यता समाप्त नहीं होती है। यह वैध किया गया है।

31—समवर्ती निष्कर्ष—समवर्ती निष्कर्ष निगरानीकर्ता द्वारा अपंजीकृत विक्रय विलेख की न तो मूल प्रति और न ही उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में प्रस्तुत की गयी। इस मामले के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा दिया गया निष्कर्ष समवर्ती है तद्नुसार उनके आदेशों में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

32—विकय हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं—भूमि को क्रय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा नहीं ली गयी। तथाकथित विक्रय कपट एवं धोखा करने के द्वारा किया गया। विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसा विक्रय अवैध परिणामतः हस्तांतरण अवैध।

33—विकय हेतु आवेदन—अपीलार्थी के द्वारा अपनी भूमि खसरा नं. 44/4 रकबा 0.304 हेक्टेयर को विक्रय की अनुमति प्राप्त करने हेतु संहिता की धारा 165 (6) के अंतर्गत कलेक्टर, रायपुर को आवेदन किया गया। आवेदन पत्र की जांच के लिए तहसीलदार, कसडोल को प्रेषित किया गया। प्रारंभिक जांच नायब तहसीलदार, कसडोल के द्वारा संपादित की गयी। बाद में उपखण्ड अधिकारी विलाईगढ़ के द्वारा स्थल निरीक्षण एवं औचित्यपूर्ण प्रतिफल का परीक्षण किया गया। अधीनस्थ अधिकारियों की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद पुनः कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी नं. 2 को सुना गया। कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के अनुसार अपीलार्थी का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी। अवधारित—अपीलार्थी आदिवासी है, दिनांक—05.02.2002 की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी ने वादग्रस्त भूमि का फरवरी, 2001 मे आदिवासी कृषक थानूराम गोड से खरीदा। भूमि के क्रय करने के अगले वर्ष फिर से भूमि को बेचना नेक नियती का नहीं प्रतीत होता है। फलतः कलेक्टर का यह विनिश्चयन उचित ही है कि प्रत्यर्थी नं. 2 वादग्रस्त भूमि को विक्रेता आदिवासी थानूराम गोंड से खरीदने में असफल रहा, तो वादग्रस्त भूमि को आदिवासी के पक्ष में अंतरण कराया। तद्नन्तर विवादित भूमि को खरीदने की पहल की। मैं कलेक्टर के विचार से सहमत हूँ। अपीलार्थी ने अपील प्रलेख में संतोषजनक आधार नहीं समर्पित किया। अतः कलेक्टर का आदेश बहाल रखा गया। अपील में सारभूत आधार न होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया।

34—विकय स्वैच्छिक होना—जहां 5 एकड़ सिंचित भूमि या 10 एकड़ असिंचित भूमि से कम भूमि बेचे जाने के लिये आशयित है, विक्रय विलेख के निष्पादन के विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री पारित करने के लिये संहिता की धारा 165 (7) के अंतर्गत वर्जन लागू नहीं होता, क्योंकि यह किसी डिक्री के निष्पादन में विक्रय नहीं है और यह एक स्वैच्छिक विक्रय है।

35—अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि का अंतरण—अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि का अंतरण कलेक्टर की अनुमति लिये बगैर नहीं किया जा सकता।

36—अंतरण शून्य होगा—याची अनुसूचित जाति का सदस्य था और उसे 30.11.1973 को भूमि आबंटित की गयी थी, वह 18.02.1982 को भूस्वामी घोषित हो गया था, भूमि 06.11.1986 को कलेक्टर की अनुमति के बगैर अंतरित किया गया था, इसलिये अंतरण आरम्भ से ही शून्य है।

37—कलेक्टर की अनुज्ञा के बगैर अंतरण—राज्य सरकार से भूस्वामी अधिकारों में धारित भूमि कलेक्टर की अनुज्ञा के बगैर अंतरित नहीं की जा सकती तथा अंतरण ऐसी अनुज्ञा के बगैर शून्य एवं अपास्त किये जाने योग्य है।

38—भूमि का आवंटन—जहां भूमि का आवंटन राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत किया गया है और बाद में भूस्वामी अधिकार भी अर्जित कर लिया गया है, कलेक्टर की अनुज्ञा के बगैर ऐसा भूमि स्वामी भूमि का अंतरण नहीं कर सकता।

39—भू—स्वामी अधिकार का अर्जन—जब आवंटन के 10 वर्ष के पश्चात् सरकारी पट्टेदार द्वारा भूस्वामी अधिकार अर्जित कर लिया गया है तो वह कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा के बगैर भूमि का क्रय कर सकता है।

40—विवादित भूमि पुर्नवास भूमि—विक्रय बगैर सक्षम अनुमति के—विवादित भूमि केन्द्र सरकार की कमी नहीं रही, बल्कि राज्य सरकार के अधीन रही है। विवादित भूमि राज्य शासन के राजस्व अभिलेखों में पुनर्वास भूमि के रूप में अंकित रही है। राजस्व के मामले में नायब तहसीलदार, सूराजपुर के द्वारा राजस्व प्रस्तर प्रपत्र खण्ड 4 प्रस्तर नं. 3 के अनुसार राज्य के द्वारा अनावेदक संख्या 1 को विवादित भूमि के संबंधित मूल खसरा का भूस्वामी पट्टा दिया गया। इस प्रकार विवादित भूमि पूर्णरूपेण राज्य शासन के अंतर्गत की भूमि होना स्पष्ट है—अतः संहिता के प्रावधान लागू होते हैं। विवादित भूमि का कुछ अंश रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के द्वारा विक्रय किया गया वर्णित। विवादित भूमि का अंतरण बगैर सक्षम अनुमति के निष्पादित किया गया। यह दस्तावेज संहिता की धारा 165 (10) के अधीन पंजीकरण के योग्य नहीं था। ऐसा रजिस्ट्रेशन संहिता की धारा 165 (7) (ख) एवं (10) के विपरीत होने से अकृत एवं शून्य है। कलेक्टर, सरगुजा का पारित आदेश विधि के अनुसार पाए जाने के कारण उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। परिणामतः कलेक्टर का पारित आदेश कायम रखा जाता है। अपील अस्वीकार कर दी गयी। भगवानदास बनाम सरदार आत्मासिंह 1996 आर.एन. 233 (एस.सी.) (विवेचित) : 1991 आर.एन. 113 : 1995 आर.एन. 311 : 1998 आर.एन. 75 (विनिर्दिष्ट)

41—नैसर्गिक न्याय—नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार सुनवाई का अवसर मामले के पक्षकारों/अपीलार्थीगण को दिया जाना चाहिए, क्योंकि मामले में अपीलार्थी हितबद्ध पक्षकारान है, लेकिन ऐसा न कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन कर आदेश पारित किया गया। प्रथम दृष्टया कलेक्टर के द्वारा की गयी कार्यवाही वैध नहीं पायी गयी है।

42—अंतरण—किसी भी भूमिस्वामी के हित को ही उसकी संपत्ति मानी जाती है। जनजाति भूमि का अजनजातीय को स्थानांतरण। जनजातीय भूमि शासन द्वारा कम्पनी के प्लांट को प्रदत्त। ऐसा स्थानांतरण, क्या जनजातीय भूमि का अजनजातीय को माना जायेगा। यह धारित किया गया कि भूमि का स्थानांतरण नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा प्रकट नहीं हुआ कि भूमि का स्थानांतरण दुबारा हुआ।

जब कोई भूमिस्वामी अपने हित को किसी दूसरे व्यक्ति को देता है तो उसे हितों का अंतरण कहते है। हितों का अंतरण प्रतिफल संहिता या प्रतिफलरहित हो सकता है। संपत्ति का स्वामी अपने हितों का हमेशा के लिये अंतरित कर सकता है अथवा कुछ समय के लिये भी अंतरित कर सकता है। अंतरण में वह चाहे तो अपने कुछ अधिकारों को अपने पास रख ले शेष को अंतरित कर दे या समस्त अधिकारों को अंतरित कर दे। अंतरण के सभी स्वरूपों की समस्त व्याख्या और विधान भारतीय सम्पत्ति अंतरण अधिनियम में प्रावधान किये गये हैं। बंधक, पट्टा, विक्रय, दान, उत्तरदान, विनियम, ये सभी अंतरण के विभिन्न रूप हैं। अंतरण सम्पत्ति के स्वामी द्वारा स्वेच्छा से किया जाता है। कुछ दशाओं में विवशता के

साथ भी अंतरण होता है जिसमें न्यायालय की आज्ञप्ति या बकाया वसूली के कारण नीलाम, विक्रय आदि आते हैं। ये अंतरण स्वेच्छा से नहीं हैं, किन्तु कानूनी व्याख्या के कारण किये जाते हैं। धारा 165 में भूमिस्वामी के सभी हितों के सभी प्रकार के अंतरण की चर्चा है सिर्फ धारा 167 के अंतर्गत विनियम तथा धारा 168 के अंतर्गत पट्टा के उपबंध इस धारा की सीमाओं में नहीं है। इस अधिनियम की धारा 166, 169 और 170 में अंतरण के अधिकार पर लगाये गये निर्बंधनों के उल्लंघन के परिणाम के उपबंध किये गये हैं। इसलिये धारा 165 के साथ ही ये तीनों धारायें सुसंगत हैं।

43–अंतरण के अधिकार तथा उसमें अवरोध एवं उसकी संवैधानिक औचित्य–भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड–(1) उपधारा (चा) में यह प्रावधान किया गया है कि भारत के सभी नागरिकों को संपत्ति के अर्जन उसे धारण करने तथा उसे उपभोग, उपयोग और व्यय का मूलभूत अधिकार है, परंतु इसी अनुच्छेद के खंड (प) में प्रवाधान किया गया है कि यह अधिकार साधारण जनता के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिये उचित संरक्षण के लिये युक्तियुक्त निर्बन्धन लगाया जा सकता है। इस प्रकार धारा 165 के अंतर्गत सम्पत्ति के अंतरण के अधिकार में जो निर्बन्धन लगाये गये हैं उन्हें समान जनता और अनुसूचित जनजातियों के हितों की संरक्षण के लिये होने के कारण संवैधानिक माना गया है। धारा 165 में संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन पर लगाये गये निर्बन्धन युक्तियुक्त और संवैधानिक है।

44–संपत्ति के अंतरण का अधिकार–धारा 165 (1) में प्रावधान है कि भूमि स्वामी को अपनी भूमि से प्राप्त अपने हितों से अंतरित करने का अधिकार होगा। अंतरण में यह निर्बन्धन है कि ये अंतरण धारा 165 या 168 में निर्धारित निर्बन्धन की सीमाओं के भीतर भी हो सकेंगे। यदि निर्बन्धनों का उल्लंघन किया गया तो अंतरण अवैध होगा। इसके अलावा कोई अन्य व्यवधान अंतरण में नहीं है।

45–बंधक–धारा 165 की उपधारा 2 और 3 में बंधक द्वारा अंतरण के संबंध में उपबंध है। बंधक दो प्रकार के माने गये हैं–(1) साधारण बंधक (2) योग बंधक। साधारण बंधक में बंधककर्ता को बंधन का जो प्रतिफल प्राप्त होता है वह प्रतिफल भूमि पर प्रभार के रूप में बंधककर्ता स्वीकार करता है। बंधक का धन, मूल ब्याज सहित नियत समय पर वापस कर देने पर वह अपनी भूमि प्राप्त कर लेता है। त्रुटि होने पर बंधक ग्रहीता व्यवहार वाद प्रस्तुत कर नीलाम विक्रय द्वारा भूमि को विक्रय करा अपनी राशि वसूल सकता है। बंधक अवधि में भूमि का कब्जा बंधककर्ता के पास रहता है, जबकि भोगबंधक में बंधक ग्रहीता भूमि का कब्जा स्वयं प्राप्त कर उसका उपयोग करता है तथा मूल और ब्याज के विषय में बंधक पत्र भी शर्तों का पालन किया जाता है। धारा 165 की उपधारा–2 और 3 में बंधक धन की अदायगी और उसकी सीमा तथा निर्बन्धन के प्रावधान किये गये है जो इस प्रकार हैं–

46–सभी प्रकार के बंधकों पर निर्बंधन–बंधक, चाहे भोग बंधक हो चाहे साधारण उनके लिए एक निर्बंधन समान रूप में लागू है। किसी भूमिस्वामी की उतनी ही भूमि को बंधक किया जा सकेगा, जिसको निकालने के पश्चात् भूमिस्वामी के पास कम से कम पांच एकड़ सिंचित या दस एकड़ असिंचित भूमि शेष बच रहे। यह बची हुई भूमि किसी भार या प्रभार से मुक्त होना चाहिए। उपधारा (2) के खण्ड (क) में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि यह न्यूनतम क्षेत्रफल बंधककर्ता भूमि स्वामी के पास नहीं छोड़ा गया है तब वह बंधक मान्य न होगा, अर्थात, न्यायालय में उसके बारे में कोई उपचार प्राप्त न किया जा सकेगा। यहॉ यह स्मरणीय है कि उपधारा (4) में अंतरणग्रहीता पर अधिकतम सीमा का निर्बंधन लागू नहीं होगा। यह बात उपधारा (4) के परन्तुक के पद (क) से स्पष्ट है। बंधकगृहीता कितनी भी भूमि बंधक रख सकेगा, भले ही वह विहित अधिकतम सीमा से अधिक हो।

47–भोग–बंधक पर विशेष निर्बंधन–ऊपर से निर्बंधन के अतिरिक्त, यदि बंधक भोग–बंधक हो तब दो अन्य निर्बंधन आरोपित होंगे :

(एक) बंधक छह वर्ष से अधिक कालावधि के लिए नहीं होना चाहिए।

(दो) बंधक–ग्रहीता को भूमि के कब्जे से ही बंधक–धन का मूल तथा ब्याज वसूल हो गया माना जाएगा। छह वर्ष की अवधि बीतने पर, या यदि बंधक छह वर्ष से कम कालावधि के लिए हो, तो उस कालावधि के पश्चात् बंधकग्रहीता को भूमि का कब्जा बंधककर्ता भूमि स्वामी को बिना कुछ लिए लौटाना होगा अन्यथा तहसीलदार द्वारा वह हटाया जा सकेगा और कब्जा बंधककर्ता भूमिस्वामी को दिलाया जा सकेगा।

48–अन्य बंधकों में बंधक धन–उपधारा (3) में भोग–बंधक के अतिरिक्त अन्य बंधकों के मूल–धन और ब्याज के बारे में उपबंध है। भोग–बंधक की दशा में तो मूल तथा ब्याज दोनों ही कब्जे के बदले में अदा किए गए माने जाऍंगे, परन्तु अन्य प्रकार के बंधकों में मूलधन तथा उससे आधा ब्याज ही बंधककर्ता भूमिस्वामी से वसूल किया जा सकेगा, भले ही ब्याज की दर कुछ भी तय हुई हो और कितने भी वर्ष क्यों न बीत जाऍं। यदि 100 रूपया मूल दिया गया हो तब मूल और ब्याज के लिए 150 रूपये से अधिक नहीं लिया जा सकता। यदि ब्याज के नाम से 90 रूपया लिया जा चुका हो तब 60 रूपया देकर ही मूल और ब्याज सम्पूर्ण अदा हो जाएगा।

49–निर्बंधनों से मुक्त बंधक–ऊपर के समस्त निर्बंधन कृषि प्रयोजन के लिए धारित भूमि के बंधकों के बारे में है। यदि भूमि कृषि–भिन्न प्रयोजनों के लिए धारित हो तब उसके बंधक से ये कोई निर्बंधन लागू नहीं होंगे और उनका नियमन सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1992 (ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपटी एक्ट, 1882) के अनुसार होगा। परन्तु यह स्मरणीय है कि यहॉ शब्द 'धारित' प्रयोग किया गया है जिसका आशय यह है कि ऐसी भूमि विधि के उपबंधों के अनुसार कृषि–भिन्न प्रयोजनों के लिए धारित होना चाहिए; उसी रूप में वह प्रविष्ट होना चाहिए और उस पर उसी प्रकार निर्धारण होना चाहिए। कृषि भूमि के रूप में धारित भूमि को कृषि–भिन्न प्रयोजनों के लिए केवल उपयोग करने लगने से इन निर्बंधनों से विमुक्त नहीं मिल सकेगी।

50–स्वेच्छा से विक्रय और दान–धारा 165 की उपधारा 4 में स्वेच्छा से किये गये विक्रय और दान से संबंधित प्रावधान है। जो अंतरण भूमिस्वामी अपने हितों के स्वामित्व का पूर्णरूप से सदा के लिये अपने जीवन काल में स्वेच्छा से प्रतिफल के लिये या नाममात्र के प्रतिफल के लिये कर देता है या बिना प्रतिफल दान कर देता है वहॉ धारा 165 (4) के प्रावधान लागू होते हैं जिसमें एक ही निर्बंधन है। क्रेता या दानग्रहीता के पास क्रय या दान में प्राप्त भूमि कुटुम्ब की भूमि के खाते में शामिल हो जाती है और शामिल हो जाने के बाद वह छ0ग0 राज्य अधिकतम जोत सीमा अधिनियम की अधिकतम सीमा से अधिक न हो जावे, जो कि उक्त अधिनियम को निर्धारित सीमा है। अर्थात अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के निर्बंधनों को निष्फल करने वाले अंतरण निर्बंधित हैं।

(माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस न्याय निर्णय में व्यक्त किये गये मत इस धारा के शब्दों के भाव के और अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप न होने से दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ था) अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के लिये किया गया यह प्रावधान कृषि भिन्न प्रयोजन की भूमियों से संबंधित नहीं है। इसके अलावा सहकारी संस्था, सार्वजनिक, धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिये स्थापित संस्था के पक्ष में किये गये अंतरण को लागू नहीं होते। बंधक के प्रकरण में भी यह निर्बंधन लागू नहीं होता। यह प्रतिबंध 165 के परंतुक (दो) के अधीन विमुक्ति कारक है।

51–यह निर्बंधन जिन कुर्कियों और नीलामी को लागू होगा–यह उपबंध उन सभी कुर्कियों और विक्रयों तथा नीलामों को लागू होगा जो कि किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में संहिता के प्रभावशील होने के बाद किये जायें। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि डिक्री या आदेश के निष्पादन में संहिता के प्रभावशील होने के बाद किये जायें। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि डिक्री या आदेश के निष्पादन में जिसमें खाता कुर्क या नीलाम किया जा रहा है वह डिक्री संहिता के प्रभावशील होने के पूर्व पारित हुई थी। संहिता के प्रभावशील होने के पूर्व यदि कुर्की हो चुकी है तो उसकी नीलामी इस धारा के उपधारा (7) के विपरीत नहीं किया जा सकता।

52—बंधक संबंधी डिक्री—165 (7) के परंतुक में उपबंध है। यदि डिक्री बंधक धन के लिये हो तो उपधारा (7) का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा और न उसमें विहित निर्बंधन लागू होंगे, क्योंकि 165 (2) के खंड (ख) बंधक के पूर्व ही भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल भूमिस्वामी के पास बाकी छोड़ने का उपबंध करता है इसलिये बंधक धन की डिक्री में समस्त बंधक खाता जिस पर डिक्री का प्रभार हो कुर्क या नीलाम किया जा सकता है। भूमि स्वामी के पास कुर्की और नीलामी के समय जो भूमि छोड़ी जाएगी उसे भूमि स्वामी स्वेच्छा से चयन कर सकेगा कि किस भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति कुर्क की जाये डिक्रीदान अपनी इच्छा से भूमि को कुर्क या नीलाम नहीं करा सकता। यदि को ई कुर्की या नीलामी धारा 165 (7) के उल्लंघन में हो जाये और भूमिस्वामी आपत्ति न करे तो भी यदि कुर्कशुदा संपत्ति नीलाम कर दी जाती है तब उपधारा 7 के प्रावधान पूर्ण निषेधात्मक होने के कारण विक्रय को वैध नहीं माना जा सकता चूंकि ये उपबंध भूमिस्वामी के हित में उपबंधित किये गये हैं, इसलिये इसका पालन आवश्यक है। दोनों न्याय उद्धहरण में माननीय उच्च न्यायालय ने जो निष्कर्ष दिया है उसके अनुसार भूमि स्वामी अपने संरक्षण का परित्याग कर सकता है तथा विहित न्यूनतम से ऊपर खाते की कुर्की या विक्रय निषिद्ध नहीं है। खाते की भूमि से होने वाली आय जिसमें उपज या आय को भी डिक्री के निष्पादन में कुर्क या नीलाम किया जा सकता है। अधिनियम की उपधारा 8 और 9 में धारा 165 के निर्बंधनों से मुक्ति संबंधी प्रावधान है जिसके अंतर्गत भूमि विकास ऋण अधिनियम, 1883 एवं कृषक उधार अधिनियम, 1884 के अंतर्गत दिये गये अग्रिम के भुगतान को प्रतिभूत करने के लिये किये गये अंतरण जिसमें शासन के बेचने के अधिकार और सहकारी संस्थाओं से लिये गये ऋण के लिये विक्रय करने के अधिकार निर्बंधन से मुक्त है।

53—आदिवासी घोषित जनजातियॉ—धारा 165 (6) में यह विशेष प्रावधान है कि आदिवासी घोषित जनजातियों के भूमिस्वामी अधिकार का अंतरण गैर जनजाति या गैर आदिवासी को अंतरित नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी द्वारा ऐसे अंतरण की अनुज्ञा नहीं दे दी जाती है। अनुज्ञा के बिना किया गया अंतरण पूर्व अवैध होगा।

54—कलेक्टर द्वारा अंतरण पूर्व अनुज्ञा—धारा 165 (6) के अनुसार अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा दी गई विक्रय की अनुमति बिना किसी ठोस पर्याप्त आधार के छलकपट पूर्ण मानना या अंतरण को संदेहास्पद मानना विधि के प्रावधान के अनुकूल नहीं है। यदि कलेक्टर से अनुज्ञा लिये बिना आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच संव्यवहार किया गया तो ऐसा अंतरण प्रारंभ से ही शून्य होगा। राज्य सरकार से भूमिस्वामी हक का पट्टा प्राप्त करने के तुरंत बाद 165 (7ख) के उपबंधों के उल्लंघन करते हुये अनुज्ञा प्राप्त किये बिना भूमि का अंतरण कर दिया गया। 165 (10) के अनुसार ऐसे विक्रय पत्र पंजीयन योग्य नहीं है। प्रावधान का उल्लंघन कर निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय पत्र अकृत एवं शून्य है।

अपर कलेक्टर, कलेक्टर के समकक्ष होता है। अपर कलेक्टर के द्वारा 165 (6) के अंतर्गत 25—26 वर्ष पहले विक्रय की अनुमति दी गई उसे बिना साक्ष्य लिये कलेक्टर द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता। यदि अपर कलेक्टर द्वारा 165 (6) के अंतर्गत दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये विक्रय की अनुमति दी गई है तो सिर्फ इसी कारण संदेहास्पद नहीं हो जाता कि विक्रय की अनुमति एक ही दिन में दी गई थी। अनुमति देने की अन्य परिस्थितियां भी सुसंगत है। 26 जनवरी, 1977 के पश्चात् घोषित जनजाति क्षेत्र में ऐसी भूमि का अंतरण की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती। बिना अनुज्ञा किया गया अंतरण पुर्णतः अवैध है। 1968 में पइनका जाति जनजाति के रूप में घोषित था। विक्रेता कंवर जाति था क्रेता पइनका जाति का था इसलिये विक्रय की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। 1971 में क्रेता पइनका ने गैर आदिवासी को वह जमीन बिक्री किया तब पइनका जाति सामान्य जाति घोषित हो चुकी थी। संव्यवहार और गैर आदिवासी के बीच का माना गया। अनुमति लेना आवश्यक नहीं था। यदि संव्यवहार बिना अनुमति के किया गया है और विक्रेता आदिवासी है तो अंतरण प्रारंभ से ही शून्य और अकृत है। यदि गैर आदिवासी ने स्वयं को कपटपूर्वक आदिवासी बताकर आदिवासी की भूमि को बिना कलेक्टर की अवज्ञा के विक्रय पत्र निष्पादित करा लिया तो ऐसे संव्यवहार को कपटपूर्वक होने से अकृत और शून्य माना गया। गैर आदिवासी ने आदिवासी की भूमि को किसी अन्य आदिवासी के नाम खरीदी और स्वयं काबिज हो गया तो ऐसा अंतरण

शून्य है। विवादित भूमि को गैर आदिवासी ने आदिवासी से 1947 में क्रय करना अभिकथित किया। अधिकार अभिलेख पंजी से यह तथ्य खंडित रहा। लगातार कब्जे के आधार पर भी आदिवासी को स्वत्व का अर्जन नहीं होता। विवादित भूमि पर आदिवासी का नाम दर्ज कर उसे कब्जा दिलाया गया। अनुसूचित जनजाति की भूमि छलकपट से अंतरित की गई। इस आधार पर स्वप्रेरणा से प्रकरण खोला जा सकता है।

यह उपबंध आदिम जनजाति के उन भूमियों के विक्रय के संबंध में अनुज्ञा का प्रावधान करता है जो कृषि भूमि नहीं है। यदि आदिवासी के द्वारा गैर आदिवासी को कृषि भूमि के अलावा किसी अन्य भूमि का अंतरण किया जाता है तो अंतरण के लिये अनुज्ञा कलेक्टर से लेना आवश्यक है। यदि ऐसा अंतरण 9 जून, 1980 के बाद का है और 20 अप्रैल, 1981 के पहले किया गया है तो ऐसे अंतरण का अनुसमर्थन कलेक्टर द्वारा किया जाना आवश्यक है। ऐसे संव्यवहार के 3 वर्ष के भीतर कलेक्टर किसी पक्ष के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से अंतरण का अनुसमर्थन कर सकता है। ऐसे अनुसमर्थन के आदेश करते समय उपधारा (6—ग) में बने प्रावधानों का सम्यक् ध्यान रखेगा। गैर आदिवासी से गैर आदिवासी को किये गये अंतरण पर यदि पंजीयक द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार प्रतिवेदन मूल्यांकन पर पक्षकार संव्यवहार करने को तैयार हो तो कलेक्टर विक्रय की अनुमति देगा। इस प्रावधान को शासन की राजस्व की हानि को बचाने के लिये किया गया है।

ऐसे मामले में विक्रेता को क्रेता से पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है या नहीं यह बात विचारण योग्य नहीं है। सिर्फ इस बात का निर्देश दिया जाएगा कि उपपंजीयक द्वारा दी गई गाइड लाइन के आधार पर प्रतिवेदन कीमत 6.43 लाख रूपये के बाजार मूल्य पर देय स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क के आधार पर ही विक्रय की अनुमति दी जाएगी।

55—विविध

(क) विस्तार—छ0ग0 भू—राजस्व संहिता की धारा 165 (7—ख) में यह प्रावधान है कि ''भूमिस्वामी इस प्रकार की भूमि का अंतरण नहीं करेगा'' यहां अंतरण शब्द भूमिस्वामी के जीवनकाल में उसके भूमि के अंतरण से संबंधित है। इसके अलावा इस संहिता की धारा 165 (7—ख) में ''इस प्रकार की भूमि का अंतरण नहीं करेगा'' में वसीयत लिखना सम्मिलित नहीं है। जहां म0प्र0 भू—राजस्व संहिता की धारा 165 (6) के अंतर्गत मामले का पहले ही निर्णय हो गया था वहां इस प्रकार के निर्णय को पश्चात्वर्ती मामले में प्राग्डन्याय के रूप में लागू होना नहीं माना गया। जहां किसी गैर आदिम जनजाति के सदस्य द्वारा गैर आदिम जनजाति के सदस्य के पक्ष में भवन का रजिस्ट्रीकृत विलेख किया गया था वहां यह अभिनिर्धारित किया गया कि भवन के विक्रय हेतु अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। और म0प्र0 भू—राजस्व संहिता की धारा 165 (6) के उपबंध आकर्षित नहीं होते हैं। इस धारा के उल्लंघन में भूमि के विक्रय करने का करार—विशिष्ट तौर से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता।

वादी का वाद (प्रदर्श पी0 1) दिनांकित 09.04.1963 करार के प्रवर्तन के लिए था एवं समय में संहिता की धारा 165 (4) (बी) अस्तित्व में थी। उस उपधारा को पश्चात् में हटा दिया जाना निर्बन्धनों को हटाया जाना अभिनिर्धारित किया जा सकता था जो उस करार के, प्रवर्तन में भूतलक्षी न होने के कारण, निष्पादन के समय में विद्यमान था। यह प्रतिवादी की ओर से प्रतिवाद करने की कोशिश की गयी थी कि संहिता की धारा 165 (4) (बी) का उपबंध एक करार करने के संबंध में भूमि के अंतरण से संबद्ध था। इसलिये करार (प्रदर्श पी—1) शून्य होना अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता था। निवेदन किसी सार से हीन है। वादी ने वर्तमान वाद करार (प्रदर्श पी—1) के प्रवर्तन के लिए फाइल किया एवं इस तरह यह देखा जाना है कि जब यह कराकर पक्षकारों के बीच में किया गया था, क्या यह अनुज्ञेय था। सब कुछ के बावजूद वादी को अधिकार उस करार के आधार पर प्रवाहित होगा। यदि वह करार शून्य था यह संहिता की धारा 165 (4) (बी) के शब्दों के विचार में कोई अंतर नहीं होगा, जो एक अंतरण से संबंध रखता है। धारा 165 (6) के अंतर्गत ''राज गोंड'' आदिवासी जनजाति नहीं।

धारा 165 के अंतर्गत कुर्की से छूट–कब उपबंध क्या यह 'धृति' अथवा भू–धृतिधारक से संबंधित है। एक डिक्री के निष्पादन में कतिपय भूमि कुर्क कर ली गयी थी। अपीलकर्ता निर्णीत ऋणी का आक्षेप था कि कुर्की म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 165 का उल्लंघन करती है। कुर्क की गयी भूमि 13.084 हेक्टेयर है एवं अपीलकर्ता निर्णीत ऋणी एवं उस पर भ्रातावृन्द के नाम से संयुक्त रूप से अभिलिखित है। अपीलकर्ता निर्णीत ऋणी की ओर से जो प्रतिवाद किया जाता है वह है कि कुर्की से छूट जैसा कि संहिता की धारा 165 के अधीन उपबंधित किया गया, व्यक्तिगत तौर से पांचों भू–धृति धारकों में से प्रत्येक को लागू होगा एवं इस प्रकार निर्णीत ऋणी का धृति में 9/5 अंश 10 एकड़ से कम होने के कारण कुर्की के लिए दायी नहीं है। मेरी राय में, इस प्रतिवाद के कोई गुणावगुण नहीं हैं। यह प्रश्न इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा विनिश्चित होता है। यह इन निर्णयों द्वारा तय किया गया है कि संहिता की धारा 165 द्वारा अनुध्यात् छूट धृति के विषय में है एवं भू–धृति धारकों के संबंध में नहीं उसके ऐसा होने पर अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उस ओर से उठाया गया आक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(ख) प्रयोज्यता–जहां साधारण बंधक के द्वारा कृषिक भूमि एक राष्ट्रीयकृत बैंक के पक्ष में बंधक कर दी गयी थी तथा विवाद ब्याज की दर अथवा ब्याज की अधिकतम धनराशि से संबंधित था, वहां भूराजस्व संहिता की धारा 165 (9–ख) के प्रावधान आकर्षित नहीं हुये।

जहां 'पनिका' को आदिम जनजाति में दिनांक 10.12.1971 को शामिल किया गया था तथा दिनांक 10.12.1971 को आदिम जनजाति से विक्रय का संव्यवहार किया गया था इसी बीच दिनांक 17.12.1971 को म0प्र0 राजपत्र द्वारा प्रकाशित की गयी सूचना के अनुसार दिनांक 08.12.1971 द्वारा 'बनिका' को आदिम जनजाति की सूची से हटा दिया गया था और अधिसूचना के प्रवर्तित होने की कोई तिथि नहीं निर्धारित की गयी थी वहां यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिसूचना इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी और धारा 165 (6) तथा 170 (ख) के प्रावधान आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि संव्यवहार की तारीख को क्रेता आदिवासी था। इस धारा के अंतर्गत मात्र कृषिक भूमि में ही प्रयोज्य है–नगरीय क्षेत्र में स्थित गृह–स्थल में प्रयोज्य नहीं है।

धारा 246, 244 एवं 2 (1) (9) धाराओं 244 एवं 246 के अंतर्गत यथा अपेक्षित भवन–स्थल–ग्राम आबादी के संबंध में है–धारा 2 (1) (9) के अंतर्गत ''आबादी'' जैसा कि परिभाषित है, अनगरीय क्षेत्रों में स्थित है–अतएव ''भवन स्थल'' घर एवं भवन जो नगरीय क्षेत्रों में स्थित हैं उनसे संबंधित नहीं है। कृषि संबंधी भूमि का अन्य संक्रामण–म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 165 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है, और यह हिन्दू विधि द्वारा शासित नहीं होता है।

(ग) उद्देश्य–म0प्र0 भूराजस्व संहिता की धारा 165 (6)–आदिवासियों के हितरक्षण के लिए ही बनाई गई है, जिससे भोले–भाले आदिवासियों को ठगी या गलत कार्यवाही से बचाया जा सके।

(घ) जिलाधीश की अनुमति के बगैर अंतरण–धारा 165 (6)–अनुसूचित जनजाति की भूमि, अनुसूचित जनजाति को बगैर अनुमति के अंतरित कर दी गयी–अंतरण आरम्भतः शून्य है–व्यवहार न्यायालय की विपरीत–आज्ञाप्ति एक आकृति है–उच्च न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार में निरस्त की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती (Concurrent) निगरानी में कोई हस्तक्षेप अनुज्ञेय नहीं–धारा 170–बी के अंतर्गत आयुक्त द्वारा आदेश पारित–धारा 50 का परंतुक 4 ऐसे आदेश के विरूद्ध निगरानी को बाधित कर देता है। भावी क्रेता द्वारा अनुबंध के अंतर्गत अध्यासन किया गया–जिलाधीश द्वारा भूमि के अंतरण की अनुमति नहीं प्रदान की गयी–अध्यासन अनधिकृत हो जाता है–ऐसे अनुबंध के आधार पर कोई ऐसा अध्यासन कायम नहीं रखा जा सकता।

धारा 50 के अंतर्गत निगरानी–के अंतर्गत किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है–निगरानी संबंधी आदेश के विरूद्ध निगरानी भी निगरानी सुनने के लिए उच्चतर अधिकृत अधिकारी के समक्ष पोषणीय है। विक्रय की अनुमति अमौलिक आदिवासी जनजाति के हित में प्रदान की गयी–पूर्ण

धनराशि प्रदत्त–मूल्य भी औसत मूल्य से अधिक–अनुमति ठीक ही दी गयी। सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882–धारा 53–ए–जिलाधीश द्वारा विक्रय की अनुमति अस्वीकार–भावी क्रेता अधिनियम के अंतर्गत आंशिक अनुपालन का आश्रय नहीं ले सकता। इस धारा का उपबंध स्वयं में एक पूर्ण संहिता है–यदि अनुसूचित जनजाति की भूमि जिलाधीश की बगैर अनुमति अंतरित कर दी गयी है, अंतरण शून्य है–प्रावधान जनजातियों के बीच अंतरण को सुरक्षित रखता है। धारा 165 (6) के अंतर्गत प्रावधान–प्रवर्तन के क्षेत्र विभिन्न हैं–जनजाति की भूमि के प्रत्येक कार्य सम्पादन (Transaction) की जांच की जा सकती है यदि धोखा पर आधारित है–ऐसा अंतरण जनजाति या गैर जनजाति किसी भी व्यक्ति के पक्ष में हो सकता है–धारा 165 (6) एक जनजाति द्वारा अन्य जनजाति को लिए गए अंतरण को सुरक्षित करती है।

(ङ) अंतरण के विषय में निर्बंधन–छ0ग0 भूराजस्व संहिता की धारा 165 (6) में कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना आदिम जनजाति की भूमि गैर आदिम जनजाति को विक्रय या अन्यथा अंतरण के विषय में निर्बंधन है।

(च) जिलाधीश की अनुमति के बगैर उपपट्टा–जहां भूमि का संबंध आदिम जनजाति के व्यक्ति से था तथा कलेक्टर से बिना स्वीकृति लिये गैर आदिम जनजाति के पक्ष में उपपट्टा कर दिया गया था वहां इस प्रकार से किये अंतरण को विधि का उल्लंघन समझा गया तथा यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस प्रकार के आधार पर अंतरिती के लिए किसी भी प्रकार का हक प्रोद्भूत नहीं होता है।

(छ) अप्राप्तवय पुत्रियों की ओर से उनकी माता द्वारा विक्रय की स्वीकृति–आदिम जनजाति की अप्राप्तवय पुत्रियां–विक्रय हेतु स्वीकृति–जहां एक आदिम जनजाति के सदस्य की दो अप्राप्तवय पुत्रियों की ओर से विक्रय हेतु उसकी माता को दी गयी थी, वहां यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस प्रकार की अप्राप्तवय पुत्रियों की ओर से विक्रय इस प्रकार की स्वीकृति के आधार पर प्रभावहीन हो सकता है, क्योंकि हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अंतर्गत स्वीकृति आवश्यक है।

(ज) अपेक्षाएं–ऐसी भूमि जो पट्टे पर दी गयी हो उसका अंतरण कलेक्टर की पद श्रेणी के राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा के बिना नहीं किया जा सकता है भले ही ऐसे भूमि पर पट्टेधारी की भूस्वामी के स्वत्व प्राप्त हो गये हो।

(झ) अधिकारिताविहीन डिक्री का निष्पादन–जहां भूमि आदिम जनजाति से संबंधित थी और ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर एक की घोषणा हेतु सिविल वाद संस्थित किया गया था जो आदिम जनजाति का सदस्य नहीं था तथा वाद समझौते के आधार पर डिक्रीत हो गया था और वादी के पक्ष में दाखिल खारिज की घोषणा भी की गयी थी वहां यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस प्रकार की डिक्री अधिकारिताविहीन थी अतः वह टिक नहीं सकती।

(ञ) 'अंतरण' शब्द का अर्थ–परिभाषित नहीं–उद्देश्य–म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 165 (6) (एक) में मध्य विद्यमान शब्द 'अंतरण' परिभाषित नहीं है। अधिनियमित के उपबंध के पीछे उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मूलतः पददलित और स्वभाव से अत्यंत यायावर आदिम जातियों के पास भूमि हमेशा रहे जिससे उनके जीवन की स्थिति व्यवस्थित रहे और उनका अस्तित्व कृषि द्वारा कायम रह सके। इस धारा के अधीन उपबंध–आदिम जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए है–इनके उपबंधों के अधीन कार्यवाहियां–राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार है–सरकार की सहमति के बिना न्यायालय से बाहर समझौता–ऐसे समझौता के आधार पर अंतरण विधिमान्य नहीं माना जा सकता। कलेक्टर की अनुज्ञा से अंतरण–प्रभाव–अनुसूचित जनजाति के सदस्य की भूमि–गैर अनुसूचित जनजाति के सदस्य ने अनुसूचित जनजाति के सदस्य के नाम विक्रय विलेख संपादित कराया तथा विक्रय संव्यवहार के पश्चात् भी कब्जा स्वयं किए रहा–ऐसा संव्यवहार बेनामी तथा धारा 165 (6) के उपबंधों को विफल करने वाला है–धारा 170 ख के उपबंध आकर्षित होते हैं। बिना अनुज्ञा के अंतरण–प्रभाव–(उड़ीसा लैंड रिफार्म्स एक्ट, 1960–धारा 22 एवं 23)–आदिम जनजाति के भूमिस्वामी द्वारा बाम्हण के पक्ष में अंतरण–शून्य है–अंतरणकर्ता को कब्जा

दिलाने के निर्देश दिए गए। आदिम जनजाति की भूमि–कलेक्टर की अनुमति के बिना अंतरित नहीं की जा सकती। आदिवासी की भूमि–कलेक्टर की अनुमति के बिना अंतरित नहीं की जा सकती। आदिवासी द्वारा कलेक्टर की अनुमति लिए बिना अंतरण–विक्रय पत्र में जाति का उल्लेख करना–विक्रेता का उत्तरदायित्व है न कि क्रेता का–बिना किसी साक्ष्य के अंतरण कपटपूर्ण नहीं माना जा सकता।

अतिरिक्त आयुक्त ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि विक्रय पत्र अनावेदक क्रमांक 1 और 2 द्वारा निष्पादित किया गया है और उसमें यदि जाति छिपाई है तो उसकी जिम्मेदारी आवेदक पर आरोपित नहीं की जा सकती। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह आभास हो कि आवेदकों ने ही अनावेदक क्रमांक 1 और 2 को जाति छिपाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें अनावेदक हरिराम ने अपनी गवाही में राजीखुशी से जमीन बेचने का उल्लेख किया है। साक्ष्य की इस स्थिति में अतिरिक्त आयुक्त द्वारा धोखाधड़ी का जो निष्कर्ष निकाला गया है वह युक्तिसंगत नहीं है।

(ट) 'ताड़वी' जाति को लाभ– चूंकि 'ताड़वी' जाति आदिम जनजाति अथवा 'भील' जनजाति की सूची में शामिल नहीं है अतः इस जाति को 'भील' की उपजाति नहीं माना जा सकता है। इसलिए म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 165 (6) एवं 170–ख का लाभ ऐसी जाति को प्रदान नहीं किया जा सकता है।

(ठ) कृषि संबंधी भूमि–अंतरण का अधिकार–कृषि संबंधी भूमि के अंतरण के अधिकार म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 165 के द्वारा शासित होंगे तथा ये हिन्दू विधि का विनियमन करने वाले सिद्धांतो द्वारा नहीं।

संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882–धारा 58–ग, 60 एवं 62, कृषिक भूमि का भाग बंधक संहिता की धारा 165 (2) (ग) के अधीन 6 वर्षों के बाद छुड़ाया जाता है। यद्यपि उन्मोचन हेतु वाद पोषणीय नहीं है। अब भी कब्जे का वाद पोषणीय है।

अनुसूचित जनजाति द्वारा अनुसूचित जनजाति के पक्ष में विक्रय–कलेक्टर की कोई अनुमति नहीं प्राप्त की गयी–कृषिक भूमि का विक्रय अवैधानिक है।

(ड) देवालय की भूमि– धारा 165 एवं 168–देवालय की भूमि–ऐसी भूमि के अध्यासन में व्यक्ति इसे किसी व्यक्ति को अंतरित या पट्टे पर नहीं दे सकता।

(ढ) नया अभिवचन– जहां वादी/अपीलार्थी द्वारा अनुसूचित जनजातियों की भूमि पर गैर जनजातियों के कब्जे से संबंधित अभिवचन को विचारण न्यायालय अथवा अपीलीय न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया था, वहां इस प्रकार के अभिवचन को द्वितीय अपील में सर्वप्रथम उठाये जाने की स्वीकृति नहीं दी जा सकी।

(ण) संशोधन के पूर्व निष्पादन की गयी वसीयत का प्रभाव–जहां वसीयत के कार्य का निष्पादन संशोधन के पूर्व दिनांक 10.04.1960 को किया गया था और वसीयतकर्ता की मृत्यु वर्ष 1967 में हुयी थी, वहां यह अभिनिर्धारित किया गया कि सुसंगत तिथि नहीं माना जा सकता है। अतः वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् प्रभावी होगी और असंशोधित धारा 165 (1) के प्रावधान जो वसीयत के द्वारा अंतरण का प्रतिषेध करने के संबंधित है लागू नहीं होंगे। 1961 के असंशोधन अधिनियम के पूर्व बिल–हक प्रदत्त नहीं–हित उत्तराधिकार के क्रम के अनुसार न्यागमित होगा।

(त) आदिम जनजाति की भूमि–आदिम जनजाति को भूमि बगैर अनुमति के क्रय की गयी–अंतरण आरंभतः शून्य है। संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) एवं 46 संवैधानिक आभारों को प्रभावित करने के लिए अनुसूचित जनजाति की भूमि में स्वामित्व–अधिकारों के संरक्षण के लिए यह कल्याण कारण विधान है।

आदिम जनजाति के सदस्य की भूमि—16—17 वर्षों की अवधि अर्थात 1956 में दीर्घकालीन कब्जे के आधार पर व्यवहार—न्यायालय के समक्ष स्वामित्व का दावा—1963 में संधि—आज्ञप्ति के आधार पर अनादिम जनजाति के सदस्य के पक्ष में आज्ञप्ति कलेक्टर की अनुमति नहीं प्राप्त की गयी—ऐसी आज्ञप्ति के आधार पर कोई स्वामित्व उद्भूत नहीं हुआ। धारा 170—बी के अंतर्गत कार्यवाहियां—आदिम जनजाति के सदस्य से मूल अंतरिती आवश्यक पक्ष है। भूदान—परिषद द्वारा आदिम जनजाति को आबंटित भूमि—भूदान—परिषद् से अंतरण की अनुमति प्राप्त कर ली गयी थी—तथापि कलेक्टर की अनुमति अपेक्षित है।

(थ) किसी जनजाति के 'आदिम जनजाति' होने का अभिनिश्चय किया जाना—चूंकि किसी जनजाति को 'आदिम जनजाति' केवल अधिसूचना द्वारा घोषित किया जा सकता है, इसलिए कोई कार्यपालिकीय अनुदेश अधिसूचना में किये गये प्रावधानों पर अभिभावी नहीं होगा।

(द) परती जमीन की कुर्की—परती जमीन कुर्क की जा सकती है—कृषिक भूमि की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली भूमि कुर्क नहीं की जा सकती।

(ध) बंधक द्वारा भूमि पर सृजित प्रभाव— बंधक द्वारा भूमि पर सृजित भार—धारा 165 (7) के अंतर्गत प्रावधान प्रयोज्य नहीं—बंधकशुदा संपत्ति का विक्रय बाधित नहीं है। इस धारा के उपबंधों का लागू होना—संहिता तथा रीवा भू—राजस्व एवं कृषिकाधिकार संहिता, 1935 के प्रवृत्त होने के पूर्व बंधक—उपबंध आकर्षित नहीं होते। उद्देश्य—कृषि जोतों के खंडकरण को रोकना है। कुर्की तथा नीलाम विक्रय—इस उपबंध के उल्लंघन में—विक्रय अकृतता है तथा वाद द्वारा चुनौती दी जा सकती है—निष्पादन न्यायालय में आपत्तियां उठाने में असफल रहना—आन्वयिक पूर्व न्याय के रूप में प्रवर्तित नहीं होता। लागू होना—उपबंध के अंतः स्थापन के पूर्व का अंतरण—उपबंध को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया—अंतरण हेतु अनुज्ञा आवश्यक नहीं। उक्त धारा म0प्र0 राजपत्र दिनांक 14.10.1980 में प्रकाशित म0प्र0 अधिनियम क्रमांक 15 सन् 1980 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित की गई। उक्त धारा को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया, इसलिए 14 अक्टूबर, 1980 के पूर्व किए गए विक्रयों को कलेक्टर की अनुमति नहीं लिए जाने से संहिता की धारा 165 (7—ख) के अनुसार अनियमित या अवैधानिक नहीं माना जा सकता। भूमिस्वामी का बंधक—भोगबंधक—5 वर्षों के वाद भूमि को वापस करने के लिए शर्त विलेख में नहीं—बंधक शून्य है। संहिता के प्रवर्तन के पूर्व विक्रय का करार—संहिता के प्रवर्तन के बाद रजिस्ट्रीकरण हुआ—धारा 165 की उपधारा (4) के उल्लंघन में अंतरण—ऐसा अंतरण आरम्भतः शून्य है। कुल धृतियां दो विक्रय विलेखों द्वारा विक्रय कर दी गयी—पौत्र ने सिविल वाद द्वारा विक्रयों की वैधता का आक्षेप किया—पश्चात् में उसने समझौता कर लिया एवं लघु क्षेत्र के विक्रय के संबंध में वाद को वापस ले लिया। अवशिष्ट अंश के विक्रय को वैधता आक्षेपित नहीं की जा सकती।

वादीगण को विक्रय का आक्षेप करने से विबंधित कर देना चाहिए जबकि विक्रेता के पक्ष में धृति के एक अंश के विक्रय को स्वीकार करते हैं। स्वभावतः यदि वे धृति की कमी करने के लिए सहमत हो गए अवशिष्ट अंश का विक्रय उनके द्वारा आक्षेपित नहीं किया जा सकता। सब कुछ के बावजूद सम्पूर्ण धृति बिना खण्डकरण के विक्रय की जा सकती थी। यदि वादीवृंद इसे खण्डित करने को सहमत होते हैं कम से कम इसे आक्षेपित करने से विबंधित कर दिए जायें। धारक विभाजन में भूमि का प्राप्तकर्ता सम्पूर्ण भूमि अंतरित विभाजन में प्राप्त की गयी—उपबंध उल्लंघित नहीं किए गए। भूमि स्वामी ने कतिपय भूमि विभाजन में प्राप्त किया। वह अपने अंश के कब्जे में आया, लेकिन भूमि का पृथक नंबर नियत नहीं किया गया था—उसने अपना सम्पूर्ण अंश विक्रय कर दिया। अभिनिर्धारित किया गया, कोई धृति अंतरण के परिणामस्वरूप परिणामित नहीं हुयी, इसलिए विक्रय धारा 165 (4) (बी) का उल्लंघन नहीं करती थी। आदिम जनजाति के अर्थ में—तावर खत्री क्रमांक संख्या 21 पर विज्ञप्ति में सूचित किया गया—नायब तहसीलदार ने भी प्रमाणित किया—ऐसा व्यक्ति एक आदिम जनजाति का एक सदस्य होना समझा जायेगा।

धारा 156 (6) स्पष्टीकरण—अभिव्यक्ति—''अन्यथा'' के अर्थ में —विभाजन सम्मिलित नहीं। शब्द ''अन्यथा'' अंतरित न होने के लिए अथवा या तो विक्रय के माध्यम से अंतरणीय हो के संदर्भ में पढ़ा जाता

है। विक्रय की अपेक्षा अंतरणों के कई ढंग हो सकते हैं। विधि में विभाजन अधिकारों का पृथककरण है। अधिकारों के पृथक्करण के बाद, जब कोई विभाजन घटित होता है, अधिकार जो संयुक्त रूप से समाप्त अधिनिर्धारित किए गए हैं एवं वैयक्तिक अधिकार सृजित किए जो हैं। इस प्रकार विभाजन अंतरण के तौर पर विचारित नहीं किया जा सकता है। संव्यवहार (Transaction)–विज्ञप्ति संख्या 8000–1905–VII-N-I दिनांकित 25.11.1960 की सूची द्वारा धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे संव्यवहार में, 165 (6) के संशोधन लागू नहीं–विज्ञप्ति अकृत नहीं की गयी। प्रयोजनों के लिए विज्ञप्तियों का लागू होना–1963 में संव्यवहार–विज्ञप्ति संख्या 8000–1905–VII-N-I दिनांकित 25.11.1960–विज्ञप्ति संख्या F. 5.6.76-384-VII-N-I दिनांक 21.02.1977 प्रधानता में होते हुए जनजाति क्षेत्र की सूची बनायी गयी एवं 26.01.1977 के तौर पर तारीख उल्लिखित की गयी–तारीख 25.11.1960 की विज्ञप्ति बाद वाले विज्ञप्ति द्वारा अधिष्ठित नहीं–विज्ञप्ति की तारीख 25.11.1960 लागू होगी। अनादिम जनजाति के पक्ष में आदिम जनजाति की भूमि के अंतरण की अनुज्ञा हेतु आवेदन–आदेश पारित होने के पूर्व ऐसे अंतरण धारा 165 (6) में संशोधन द्वारा निबंधित किए गए–अंतरण को अनुज्ञा का प्रश्न नहीं उठता–ऐसा अंतरण विधिक है–धारा के अधीन उपबंध लागू नहीं। संविधि द्वारा संहिता की धारा 165 (6) को कोई भूतलक्षित प्रदान नहीं की गयी है। यह अनुसरण करती है कि संहिता की धारा 165 (6) तारीख से प्रचलित होती है, जबकि संहिता अस्तित्व में आयी, अर्थात 02.10. 1959 इस प्रकार धारा 165 (6) के प्रावधान मामलों में लागू नहीं होंगे जहां भूमि 02.10.1959 के पूर्व पट्टे पर प्रदान की गयी है। 02.10.1959 के पूर्व किसी ने संहिता की धारा 165 (6) के उपबंधों की पूर्ण कल्पना नहीं किया है एवं इसलिए इन अंतरणों के लिए कलेक्टर की अनुज्ञा लेने का प्रश्न नहीं उठेगा। धारा 165 (6) का प्रयोजन–तथ्यों का अभिवाक् किया गया अथवा नहीं–यदि अभिलेख पर लाया गया, सूचना अवश्य ली जानी चाहिए–न्यायालय तथ्यों का अनुमान नहीं कर सकता।

संहिता की धारा 165 (6) के अधीन कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा का स्पष्ट प्रयोजन आदिमों के हित की सुरक्षा करना है। इसलिए चाहे अभिवाक् किया गया या नहीं, इन उपबंधों को प्रभावित करना यह न्यायालय का कर्तव्य है एवं किसी अवैधानिकता की सूचना अवश्य लेनी चाहिए जो कार्यवाहियों के अनुक्रम के दौरान उभर सकती है। उसी समय में न्यायालय को सावधानी भी बरतनी चाहिए कि इसको तथ्यों का अनुमान नहीं करना चाहिए एवं अन्य अर्थान्वयन् के समक्ष तथ्यों से निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। सबूत का भार–व्यक्ति पर है जो अंतरण को शून्य होने का दावा करता है। अंतरण पर निबंध–गृहों से संबंध नहीं रखते। आदिम जनजाति द्वारा अनादिम जनजाति को भूमि विक्रय की गयी–क्रेता का नामांतरण हो गया–विक्रेता द्वारा अपने जीवनकाल में कोई कार्यवाही नहीं की गयी–19 वर्षों के बाद कालबाधिक अपील विक्रेता के पुत्र द्वारा फाइल की गयी–कालबाधित अपील उपखण्ड अधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती।

भूमि अनुसूचित जनजाति की अनुसूचित जनजाति के नाम में भूमि को अभिलिखित करने के लिए–डिक्री समझौता पर आधारित–एक अकृति है–याचिका की कार्यवाहियों में उच्च न्यायालय द्वारा अभिखण्डित की जा सकती है। नामांतरण की कार्यवाहियॉ–भूमि एक आदिम जनजाति के व्यक्ति की–प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सिविल न्यायालय की सम्मति डिक्री अंतरण के लिए कलेक्टर की किसी अनुज्ञा की ईप्सा नहीं की गयी–ऐसी डिक्री के आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता।

एक जनजाति अपनी भूमिस्वामी भूमि को विक्रय अथवा माध्यम से अंतरित नहीं कर सकता जब तक कि लिखित अनुज्ञा कलेक्टर द्वारा नहीं दी गयी है। वर्तमान मामले में भू–राजस्व संहिता की धारा 165 (6) के अधीन कलेक्टर द्वारा कोई अनुज्ञा नहीं प्रदान की गयी थी। डिक्री एक सम्मति डिक्री है–डिक्री के बाद किसी अनुज्ञा की ईप्सा की गयी–बिना अनुज्ञा किए हुए संहिता की धारा 110 के अधीन के अधीन नामांतरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। विक्रय को आपत्ति करने के लिए आदिम जनजाति द्वारा आवेदन आवश्यक तथ्य साबित होने चाहिए–उसके एक आदिम जनजाति होने की जांच अवश्य की जानी चाहिए–तहसीलदार में अधिकारिता निहित–धारा 170–ए–के निर्बंधनों का अनुपालन नहीं किया गया–उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश अधिकारितारहित है। आदिवासी द्वारा अंतरण–अनादिवासी के

पक्ष में सिविल न्यायालय को समझौता डिक्री—धारा 170—ए—के उपबंध लागू नहीं हैं—अधिसूचित जनजातियों के संबंध में जांच आवश्यक है। विक्रय के विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु डिक्री—दस्तावेज तैयार किया गया था एवं 24.07.1981 को हस्ताक्षरित किया गया था, जबकि सांशोधित धारा प्रचलन में थी—दस्तावेज कलेक्टर की पूर्विक अनुज्ञा के बिना रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जा सकता।

वर्तमान मामले में अंतरण 15.04.1981 के पहले नहीं हुआ था। सत्य संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए याची के पक्ष में एक डिक्री पारित की गयी थी, लेकिन 15.04.1981 के पहले संपत्ति का वास्तविक हस्तांतरण अनुपालित नहीं किया गया था। 24.07.1981 को सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार डिक्री के निष्पादन में न्यायालय द्वारा दस्तावेज तैयार किया गया था एवं हस्ताक्षरित किया गया। इस प्रकार भूमि का अंतरण एसलिए केवल 15.04.1981 को प्रभावित हो सका एवं वह कलेक्टर की अनुज्ञा के बना निषेधित था। यह विवाद में नहीं था कि भूमि सूचीबद्ध क्षेत्र में स्थित थी जिसको उपबंध लागू था। इस प्रकार संव्यवहार संहिता की धारा 165 (6) (ए) की परिधि के अंदर आया एवं कथित उपधारा के परन्तुक के अंदर नहीं, क्योंकि यह 09 जून, 1980 के पूर्विक प्रभावित किए गए अंतरण का एक मामला नहीं था। यह अंतरण का एक मामला नहीं था, जिसको पश्चात् में अनुसमर्थित किया जाना था, बल्कि एक अंतरण जो कलेक्टर की पूर्विक अनुज्ञा की अपेक्षा करता था। धारा में संशोधन के बाद अंतरण—कलेक्टर की पूर्विक अनुज्ञा आज्ञापक है—ऐसी अनुज्ञा के बिना विक्रय विलेख रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जा सकता।

धारा 165 (7) के अधीन आक्षेप समझौता डिक्री में एक भार सृजित करने के द्वारा अधित्यजित किया गया—भूमि स्वामी कोई आक्षेप, कुर्की एवं विक्रय के विरूद्ध उठाने से विबंधित किया जाता है। धारा 165 (7) के अधीन संरक्षण—कुर्की एवं विक्रय के विरूद्ध कब उपलब्ध—समुचित स्तर पर आक्षेप नहीं लिया गया—प्रभाव। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि धारा 165 (7) के अधीन उपबंध निर्णीत ऋणी के फायदे के लिए सांविधिक संरक्षण सृजित करता है वह इसे कोई आक्षेप न उठाने के द्वारा परित्यक्त कर सकता है अथवा संरक्षण का आश्रय लेने से विबंधित किया जा सकता है, यदि विक्रय पहले ही हो चुका है। धारा 165 (7) के अधीन आधार पर आक्षेप—निष्पादन कार्यवाहियों में उठाया गया—क्या अन्वेषण किया जाना चाहिए।

चूंकि निष्पादनकर्ता न्यायालय ने इस आक्षेप का परीक्षण नहीं किया एवं उस पर एक निष्कर्ष अभिलिखित करने में असफल रहा, यह आवश्यक है कि मामला उस न्यायालय को इस आक्षेपकों का विनिश्चयन करने के लिए प्रेषित किया जाये। आक्षेपित आदेश इसलिए अपास्त किया जाता है एवं मामला निष्पादनकर्ता न्यायालय को अनन्य प्रश्न को विनिश्चित करने के लिए वापस प्रेषित किया जाता है, क्या प्रश्नगत कृषिक भूमि की कुर्की एवं विक्रय ने म0प्र0 भू—राजस्व संहिता की धारा 165(7) का उल्लंघन किया। धृतियां के अर्थ में—केवल कृषिक भूमि है—अकृषिक प्रयोजनों को अपवर्जित भूमि—धारा 165 (7) (ए) के उपबंधों के अधीन निर्धारित क्षेत्र सहित परिगणित नहीं की जा सकती है।

शब्द 'धृति' संहिता की धारा 165 की उपधारा (7) के वाक्यांश (ए) में होती हुयी से एक कृषिक धृति अभिप्रेत है एवं ऐसी नहीं जो अकृषिक प्रयोजनों में अपवर्जित की गयी।

धारा 165 (7) (ए) के उपबंधों को लिखित करने के लिए जो विचार—विमर्श किया जाना है, केवल कृषिक भूमि का विस्तार है। कृषिक धृति पर गृह—एक धृति के संदर्भ में अभिप्रेत है। ऐसी भूमि धारा 165 (7) (ए) के उपबंधों को लिखित करने के लिए कृषिक भूमि के रूप में मानी जा सकती है। धारा 165 (6) के अधीन उपबंध— 'आबादी' की भूमि में भी लागू होते हैं यदि भूमि अथवा इसका अंश भवन के लिए उपयोग किया गया है। यह भूमि ही रहेगी—संहिता की धारा 165 (6) के उपबंध लागू होंगे—विक्रय की अनुज्ञा प्राप्त की जानी चाहिए।

(न) धारा 165, प्रावधान नगरीय गृह में लागू नहीं—गृह का स्थल नगर के क्षेत्र में स्थित है। धारा के प्रावधान लागू नहीं। यदि जनजाति के द्वारा विक्रय कर दिया गया तो जिलाधीश की अनुज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि विक्रेतागण अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे। इस संबंध में अधीनस्थ

न्यायालयों के द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत हैं, क्योंकि 1997 रा0नि0 155 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है कि संहिता की धारा 165 (सी) के प्रावधान केवल कृषि भूमि पर लागू होंगे नगरीय क्षेत्र में स्थित भवन स्थल पर नहीं। 1999 रा0नि0 404 विभेदित। 1971 रा0नि0 420 एवं 1973 जे0एल0जे0 117 विनिर्दिष्ट।

भू–राजस्व संहिता, 1959, धारा–170–ख में जनजातियों के प्रावधानिक विषय

[4][**170–ख. आदिम जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमि का जो कपट द्वारा अंतरित की गई थी प्रतिवर्तन**– (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1980 (जो इसमें इसके पश्चात् संशोधन अधिनियम, 1980 के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रारंभ की तारीख को किसी ऐसी कृषि–भूमि का कब्जा रखता है जो 2 अक्टूबर, 1959 से प्रारंभ होने वाली और संशोधन अधिनियम, 1980 के प्रारंभ होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि के बीच, किसी ऐसी जनजाति के सदस्य की रही हो जिसे धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, ऐसे प्रारंभ से [दो वर्ष] के भीतर, उपखण्ड अधिकारी को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, इस संबंध में समस्त जानकारी अधिसूचित करेगा कि ऐसी भूमि उसके कब्जे में कैसे आयी।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार जानकारी उसमें विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर, अधिसूचित नहीं करता है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी कृषि–भूमि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के रही है और वह कृषि–भूमि, पूर्वोक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर उस व्यक्ति को प्रतिवर्तित हो जाएगी जिसकी वह मूलतः थी और यदि वह व्यक्ति मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों को प्रतिवर्तित हो जाएगी।

[6][(2–क) यदि कोई ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है कि आदिम जनजाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जनजाति के भूमिस्वामी की भूमि के कब्जे में किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी कि वह मूलतः भी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिसों को प्रत्यावर्तित करेगी :

परन्तु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो वह मामला उपखण्ड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट करेगी जो, ऐसी भूमि का कब्जा, निर्देश की प्राप्ति की तारीख के तीन मास के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा।]

(3) उपधारा (1) के अधीन जानकारी प्राप्त होने पर, उपखण्ड अधिकारी अंतरण के ऐसे समस्त संव्यवहारों के बारे में ऐसी जॉच करेगा, जैसी कि आवश्यक समझी जाए, और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहॅुचता है कि आदिम जनजाति के सदस्य को उसके विधि–सम्मत अधिकार से कपट–वंचित किया गया है तो वह उस संव्यवाहर को अकृत और शून्य घोषित करेगा और उस कृषि–भूमि को अंतरक में, और यदि वह मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों में पुनः निहित करने वाला आदेश पारित करेगा।

[1][(3) उपधारा (1) के अधीन जानकारी प्राप्त होने पर, उपखण्ड अधिकारी के अंतरण ऐसे समस्त संव्यवहारों के बारे में ऐसी जॉच करेगा जैसी कि आवश्यक समझी जाए, और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहॅुचता है कि आदिम जनजाति के सदस्य को उसके विधि–सम्मत अधिकार से कपट–वंचित किया गया है तो वह उस संव्यवहार को अकृत और शून्य घोषित करेगा, और–

(क) जहॉ उस कृषि–भूमि पर कोई भवन या संरचना ऐसे निष्कर्ष पर पहॅुचने के पूर्व परिनिर्मित नहीं की गई है, वहॉ उस कृषि–भूमि को अंतरक में और यदि वह मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों में पुनर्निहित करने वाला आदेश परित करेगा;

(ख) जहॉ उस कृषि–भूमि पर कोई भवन या संरचना ऐसे निष्कर्ष पर पहुॅचने के पूर्व परिनिर्मित कर ली गई है, वहॉ वह ऐसी भूमि की कीमत उन सिद्धांतों के अनुसार नियत करेगा जो भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का संख्यांक 1) में भूमि की कीमत नियत करने के लिए अभिकथित किए गए हैं और उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को यह आदेश देगा कि वह इस प्रकार नियत की गई कीमत तथा अंतरक को वस्तुतः चुकाई गई कीमत के बीच के अंतर की रकम का, यदि कोई हो, संदाय अंतरक को कर दे :

परन्तु जहॉ कोई भवन या संरचना जनवरी, 1984 के प्रथम दिन के पश्चात् परिनिर्मित कर ली गई है वहॉ, उपर्युक्त खण्ड (ख) के उपबंध लागू नहीं होंगे :

परन्तु यह और भी खण्ड (ख) के अधीन कीमत का नियतन उस कीमत के, जो उपखण्ड अधिकारी के समक्ष मामला रजिस्टर किये जाने की तारीख को हो, प्रति निर्देश से किया जाएगा।]

1–भूमि का अंतरण– आदिम जनजाति के सदस्य के द्वारा आदिम जनजाति के अन्य सदस्य को भूमि का अन्तरण। सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है। भूमि के अंतरण के लिए अनुज्ञा नहीं ली गयी। विक्रय विलेख संहिता की धारा 170–ख के प्रावधानों के द्वारा प्रभावित होता है। जहां आदिवासियों के बीच संव्यवहार का आधिपत्यधारी गैर आदिवासी है वहां संव्यवहार बेमानी है।

(क) भूमि का आधिपत्य– जब आदिवासियों के बीच संव्यवहार में कब्जाधारी गैर आदिवासी है तो संव्यवहार बेमानी एवं शून्य है और इसलिये विक्रेता आदिवासी के वारिसों को भूमि का आधिपत्य दिलाया जाना उचित है। (रगमेनबाई बनाम रामविलास एवं अन्य, 2005 (1) छ0ग0रा0नि0 207 (राजस्व मण्डल, बिलासपुर))

2–जनजाति की भूमि का अंतरण–जनजाति की भूमि जनजाति से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में होने पर बेनामी संव्यवहार का अनुमान किया जाता है जो आरम्भतः शून्य है।

3–उपबंध की वैधता–जहां न्यायिक कृत्यों का अनाधिकार नहीं है और न ही प्रक्रिया में कोई मनमानापन है तथा उपबंध में जांच का अभाव भी नहीं है जो आगे अपील और पुनरीक्षण का विषय है तो उस धारा के उपबंध वैध हैं।

(क) उपबंध की प्रयोज्यता– जब संव्यवहार 2.10.1959 के पूर्व का है तब इस धारा के उपबंध आकर्षित नहीं होते हैं।

4–संव्यवहारों की व्याप्ति–जहां आदिवासी तथा आदिवासी के बीच संव्यवहार का कब्जाधारी गैर आदिवासी है तथा कब्जे की सूचना दो वर्ष के भीतर नहीं दिया गया है वहां ऐसा संव्यवहार सद्भाविक होना नहीं कहा जा सकता। इस धारा के अंतर्गत संव्यवहार का क्षेत्र विस्कृत है जिसे उद्देश्य एवं कारणों के विवरण के अनुसार अनुशीलन का सामित नहीं किया जा सकता है। 1986 (2) ए0सी0सी0 237 (विभेदित)।

(क) पुनरीक्षण– जब पुनरीक्षणकर्ता प्रतिपेषण आदेश में त्रुटि या अवैधता दर्शित करने में विफल है तब प्रतिप्रेषण आदेश वैध है और पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

(ख) विक्रय हेतु अनुमति–जहां विक्रय हेतु अनुमति केवल एक ही खसरा नम्बर के लिये की गयी थी किसी अन्य खसरा नम्बर हेतु नहीं ली गयी थी वहां अंतरण कपटपूर्ण होने के कारण सद्भाविक होना नहीं कहा जा सकता।

(ग) बेनामी संव्यवहार—जहां भूमि गैर आदिवासी द्वारा क्रय की गयी थी और वह काबिज है, किन्तु भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख आदिवासी द्वारा आदिवासी के पक्ष में निष्पादित किया गया वहां संव्यवहार बेनामी है और सद्भाविक नहीं है तथा मूल भूस्वामी आदिवासी को भूमि वापस दिलाने का निचेल न्यायालय का आदेश न्यायोचित है। आदिवासी पंजीकृत बैनामा आदिवासी के पक्ष में विवादित भूमिका निष्पादित किया, परन्तु यह पाया गया था कि बिक्री के बाद से गैर आदिवासी भूमि पर काश्त कर रहा है, इसलिए विवादित भूमि विक्रेता आदिवासी के उत्तराधिकारीगण को वापस करने का आदेश दिया गया।

(घ) छलकपट पूर्ण संव्यवहार—गैर आदिवासी ने आदिवासी से भूमि का क्रय किया, परन्तु आदिवासी के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित करवाया गया। कपटपूर्ण छलयुक्त संव्यवहार है। जमीन निम्न प्रकार खरीदी गयी इसका कोई दस्तावेज प्रकरण में से लागू नहीं है। आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के अपील के प्रकरण में दिनांक—11.02.1974 में प्राप्त अनुमति के आधार पर विक्रय पत्र दिनांक—26.02.1974 द्वारा 4.27 एकड़ की भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित कराया गया है। तद्नन्तर अपीलार्थी चरन सिंह द्वारा 12.04.1979 को वादग्रस्त भूमि का क्रय किया गया है। माधव केशव चितले द्वारा आयुक्त, बिलासपुर को अनुमति के अनुसार क्रय करना बताया है, किन्तु उसके शर्त अनुसार प्रतिफल की राशि देने तथा उसमें कृपाराम द्वारा भूमि खरीदने की बात को प्रमाणित नहीं कराया गया है। इस प्रकार प्रकरण में मूल धारक से छलकपट की बात स्पष्ट प्रतीत होती है। सबूत भी अपीलार्थी का था कि प्रथम अंतरण को विधिवतः अंतरण होना साबित नहीं किया गया है। अतः विवेचनोपरांत पारित आदेश हस्तक्षेप करने योग्य नहीं। न्यायालय का आदेश बहाल रखा गया, अपील खारिज की गयी।

5—परिसीमा अवधि पर निष्कर्ष—जहां विक्रय पूर्व कलेक्टर की अनुमति बाबत् दस्तावेज अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है वहां उस पर विचार किये बगैर परिसीमा अवधि पर निष्कर्ष दिया जाना मान्य नहीं है।

6—हितबद्ध पक्षकार को नोटिस न दिये जाने का प्रभाव—जहां पक्षकारों को नोटिस भेजने का कोई प्रमाण नहीं है तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है तथा हितबद्ध पक्षकार को नोटिस नहीं दी गयी है वहां अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

7—नामांकन—वर्ष 1967 में कब्जे का आधार पर नामांकन—भूमि आदिम जाति के सदस्य की—गैर आदिवासी के पक्ष में अंतरित, प्रावधान लागू होंगे।

मामला, निर्देशों के सहित उपखण्ड आधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया—निर्देशों के अनुसार कार्यवाहियों का क्रियान्वयन किया गया—निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया गया। आदेश वैध, बहाल रखा गया—निगरानी में कोई अन्य विधिक बिन्दु समाविष्ट नहीं, निगरानी खारिज कर दी गयी।

8—कृषि भूमि का विक्रय—आदिवासी जनजाति के सदस्य द्वारा आदिवासी जनजाति के कृषिक भूमि का विक्रय—क्रेता के द्वारा नियत अवधि के दौरान निर्धारित प्रारूप में सूचना नहीं दी गयी। धारा 170—ख के अंतर्गत कार्यवाहियां नोटिस जारी करने के बाद उपखण्ड अधिकारी के द्वारा शुरू की गयी थी। एस0डी0ओ0 के द्वारा जारी की गयी नोटिस न्यायानुमत एवं उसकी अधिकारिता के अंदर है।

9—आदिवासी गैर आदिवासी के बीच संव्यवहार—दोनों न्यायालय क्रमशः उपखण्ड अधिकारी घरघोड़ा एवं कलेक्टर, रायगढ़ एक अधिकारी से आदिवासी के बीच संव्यवहार होना पाया गया। इस कारण संहिता की धारा 170 (ख) के प्रावधान का लागू न होने का निष्कर्ष दिया गया है। निगरानीकर्तागण कोई अभिलेख या साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा कि एक आदिवासी से एक आदिवासी के बीच संव्यवहार न होकर आदिवासी एवं गैर आदिवासी के बीच हुआ है। कोई तथ्य या आधार नहीं है, जिससे मामला में संहिता की धारा 170 (ख) का प्रावधान लागू हो। पंजीकृत रजिस्ट्री के आधार पर 28 साल बाद नामांतरण केवल संदेह उत्पन्न करता है, वर्णन करना पर्याप्त नहीं। संदेह के आधार के तथ्यों एवं उसे साबित करना

आवश्यक है। कथित मामले में किसी ऐसे किस्म के साक्ष्य दस्तावेज तथ्य का कोई वर्णन नहीं जिससे उनका तर्क मान्य किया जा सके। कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश वैध पाया जाता है। उसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। फलतः निगरानी अस्वीकार कर दी गयी।

(क) आदिवासी तथा आदिवासी के बीच अंतरण—जहां आदिवासी एवं आदिवासी के बीच अन्तरण में कब्जाधारी गैर आदिवासी है और अंतरण बेनामी होने के कारण धारा 170 (ख) के उपबंध आकर्षित होंगे।

(ख) आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासी का कब्जा—जहां 15.12.1944 का करार विलेख पंजीकृत नहीं है वहां स्वत्व का अंतरण पंजीकृत दस्तावेज के बगैर नहीं किया जा सकता तथा 22.04.1962 को आदिवासियों के भूमि का अंतरण होने की दशा में संहिता के उपबंध आकर्षित नहीं होंगे।

(ग) आदिवासी से गैर आदिवासी का विवाह—जहां आवेदक द्वारा यह दावा किया गया कि उसने आवेदिका क्रमांक 2 से अंतर्जातीय विवाह किया है और पति होने के कारण भूमि पर उसका कब्जा है और इसलिये धारा 170 (ख) लागू नहीं होती है, उपखण्ड अधिकारी द्वारा विवादित भूमि आदिवासी को वापस करने का निर्देश दिया गया। कलेक्टर द्वारा अपील रद्द किया गया अतएव पुनरीक्षण में धारित किया गया कि हस्तक्षेप वांछित नहीं है।

10—भूमि के वापस दिलाए जाने का आवेदन—धारा 170—ख के अधीन अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य के द्वारा उसकी भूमि को वापस दिलाए जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी को आवेदन। अवधारित किया गया, अंतरण बादनियती का एवं भूमि आवेदक को वापस कर दी गयी। आदेश के विरूद्ध अपर जिलाधीश को अपील। अपील में उपखण्ड अधिकारी के आदेश को खारिज करते वक्त अतिरिक्त जिलाधीश ने उपखण्ड अधिकारी को आवेदक की जाति के बारे में जांच करने के बाद मामले को विनिश्चित करने के लिए दुबारा प्रतिप्रेषित कर दिया। अतिरिक्त जिलाधीश के आदेश के विरूद्ध राजस्व परिषद् के समक्ष निगरानी की गयी। अवधारित किया गया, जाति प्रमाण—पत्र तहसीलदार एवं पंचायत के द्वारा दिए गए एवं प्रतिप्रेषण आदेश के अनुपालन में जाच के आधार पर आवेदक की जाति अनुसूचित जनजाति के रूप में अभिपुष्टि की गयी। अतिरिक्त जिलाधीश ने आवेदक की जाति के संबंध में जांच संपादित करने के लिए उपखण्ड अधिकारी को मामले को पुनः प्रतिप्रेषित करने में पुनः त्रुटि किया। अनावेदक का अभिवाक् कि धारा 170—ख इस मामले में लागू नहीं है, विचारित नहीं किया जा सकता है इस तरह अभिवाक् अपील में नहीं लिया गया था। ऐसा एक अभिवाक् पहली बार निगरानी में नहीं किया जा सकता है। अनावेदक निर्धारित समय के अंदर वादग्रस्त भूमि पर अपने कब्जे के संबंध में धारा 170—ख (1) के अधीन विवरण दाखिल करने में असफल रहा। वादग्रस्त भूमि के संव्यवहार को शून्य करने में उपखण्ड अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की थी। उपखण्ड अधिकारी का आदेश न्यायपूर्ण एवं विधिपूर्ण एवं बहाल रखा गया। निगरानी खारिज कर दी गयी।

11—भूमि का विक्रय—नोटिस का जारी किया जाना—आदिवासी जनजाति के सदस्य द्वारा आदिवासी जनजातीयों को भूमि का विक्रय—क्रेता द्वारा नियत अवधि के दौरान विहित प्रारूप में सूचना नहीं। उपखण्ड अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करके धारा—170—ख के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उपखण्ड अधिकारी के द्वारा जारी की गयी नोटिस पूर्णरूपेण न्यायोचित एवं अधिकारिता के अधीन।

विधियों का निर्वचन—अधिनियम में संशोधनों के उद्देश्यों तथा कारणों का प्रयोग, कहॉ तक किया जा सकता है।

(क) भूमि का विक्रय सूचना आदत्त—आदिवासी जनजाति के व्यक्ति ने आदिवासी जनजाति के अन्य व्यक्ति को भूमि विक्रय किया—क्रय की गयी भूमि की नियत अवधि में निर्धारित प्रारूप में सूचना नहीं दी गयी—परिणामतः सक्षम प्राधिकारी के द्वारा कार्यवाही की गयी। ऐसी कार्यवाही न्यायोचित है।

12—प्रावधान—प्रावधान, दो धाराएं से वैधानिकतः वैध हैं, धीरेन्द्र नाथ शर्मा बनाम म0प्र0 राज्य, ए0आई0आर0 1986 एस0सी0 122 : 1986 जे0एल0जे0 190 :1985 एम0पी0एल0जे0 786 (अनुसरित)

13—विलम्ब—क्षमा का आवेदन—विलम्ब क्षमा के आवेदन के उत्तर पर विचार किये बगैर तथा सकारण आदेश पारित किये बगैर विलम्ब क्षमा कर 10 वर्ष बाद अपील ग्रहण किया जाना गलत है।

(क) विलम्ब से नामांतरण—जहां कलेक्टर द्वारा केवल विलम्ब का कारण संदेहास्पद माना गया है किन्तु छल, कपट सिद्ध नहीं है तथा कब्जा प्रतिवादी को दिलाये जाने का आदेश दिया गया है वहां आदेश न्यासंगत नहीं है।

14—संहिता की पूर्व धाराओं एवं संशोधित धाराओं में परस्पर अंतर—1980 में यथासंशोधित एवं अन्य समाविष्ट धाराएं 170 ख (1) 170—ख (2) एवं धारा 170 ख (3)—1998 में यथासंशोधित एवं समाविष्ट धारा 170 ख (2—क) परिस्पर अंतर—धारा 170 (ख) की उपधारा (4) (2) एवं (3) के अधीन मूल प्रावधान—आदिवासी द्वारा किसी व्यक्ति के साथ हुए हस्तांतरण के संबंध में संव्यवहार लागू है, परन्तु धारा 170—ख की उपधारा (2—क) उस हस्तांतरणों को मुक्ति प्रदान की गयी जो आदिवासीगण के बीच होता है।

15—वांछित आदेश—इसके अधीन सूचना उपदत्त—धारा 170—ख (3) के अधीन वांछित आदेश पारित किया जाना चाहिए। धारा 170 (ख) (2) के मामलों में भी इस प्रकार का एक आदेश पारित होना ही चाहिए। ए0आई0आर0 1986 एम0पी0 122 : 1986 जे0एल0जे0 190 :1985 एम0पी0एल0जे0 786 एवं 1995 रा0नि0 124 (अनुसरित)

16—अंतरण नामांकन—विवादग्रस्त भूमि प्रत्यर्थी के दावा के नाम पर दिनांक—02.10.1959 से 15. 05.1989 तक दर्ज। संशोधन नं0 312 में आदेश दिनांकित 15.05.1969 के द्वारा विवादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के नाम पर कब्जे के आधार पर नामान्तरित। संहिता के प्रवर्तित होने के बाद आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी को कलेक्टर की अनुमति के बिना अंतरित नहीं हो सकती है। यदि ऐसा है, तो वह संहिता की धारा 170 (ख) के अंतर्गत 02.10.1959 एवं 24.10.1980 के मध्यम आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी को अंतरित किया गया हो, तो उन्हें निर्धारित अवधि के अंदर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष उद्घोषणा प्रस्तुत करना था कि आदिवासी की भूमि उसके कब्जे में कैसे आयी। प्रावधान का अनुपालन अपीलार्थी के द्वारा नहीं किया गया। 1953 में एक अपंजीकृत दस्तावेज द्वारा अपीलार्थी के द्वारा 211 रू. क्रय की गयी। ऐसे दस्तावेज से अपीलार्थी को कोई हक प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि संपदा अंतरण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कथित विक्रय विलेख 100 रू. से अधिक होने के कारण पंजीकृत होना चाहिए था। कलेक्टर के द्वारा उपखण्ड अधिकारी के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पायी गयी, परिणामतः अपील खारिज कर दी गयी। उसके विरूद्ध यह अपील अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत की गयी।

अवधारित—धारा 170 (ख) के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील वर्जित है जो प्रथम दृष्टया प्रचलन के असक्षम है। निर्धारित अवधि के अंदर उपखण्ड अधिकारी को विवरणी प्रस्तुत करने का प्रावधान है, जिसका अपीलार्थी ने अनुपालन नहीं किया है। विवादग्रस्त भूमि का अंतरण 02.10.1959 के बाद का है, जो धारा 168 (6) का उल्लंघन करके अंतरित किया गया है, परिणामतः अंतरण विधि विरूद्ध है। मामले में संहिता की धारा 170 (ख) आकर्षित होती है। अधीनस्त न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश विधि के अनुकूल है जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पायी जाती है। वर्तमान अपील प्रारंभिकतः अग्राह्य है, अतः अपील अस्वीकार की गयी। अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश स्थिर रखा गया।

न्यायालय उपखण्ड, अधिकारी के समक्ष पटवारी ने रिपोर्ट दाखिल किया। धारा 170 (ख) के अधीन उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पारित आदेश कि विवादित भूमि का कब्जा निगरानीकर्ता से अनावेदकगण को दिलाया जावे। निगरानीकर्ता ने कलेक्टर, सरगुजा के न्यायालय में इस आदेश के विरूद्ध अपील दाखिल किया। कलेक्टर ने उपखण्ड अधिकारी के आदेश को बहाल रखा जिसके विरूद्ध यह निगरानी दाखिल की गयी है।

अवधारित, निगरानीकर्ता के अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया कि मामले में 170 (ख) नहीं, बल्कि धारा 167 लागू है। निगरानीकर्ता के द्वारा धारा 167 के प्रसंग में विनिमय संबंधी कोई दस्तावेज या इकरारनामा नहीं प्रस्तुत किया गया। मौखिक आधार पर किया गया अंतरण शून्य है। विवादित भूमि प्रत्यर्थीगण/अनावेदकगण अनुसूचित जनजाति के पक्षकारों के नाम में लेखबद्ध है। गैर आदिवासी निगरानीकर्ता के द्वारा मूल अनुसूचित जनजाति के सदस्य अनावेदकगण की भूमि पर कब्जा कर उनके विधिक अधिकारों से कपटपूर्वक ढंग से वंचित किया गया है। धारा 170 (ख) के प्रावधान स्पष्टतया लागू है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिपूर्ण है एवं बहाल रखा गया। निगरानी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है।

17–अधिकारिताविहीन आदेश–इस मामले में धारा 170 (ख) के प्रावधान लागू नहीं। अतः मामले को दाखिल किए जाने का आदेश पारित।

अवधारित–वर्तमान मामले में धारा 170 (ख) लागू है। पारित आदेश अधिकारिताविहीन अतः पोषणीय नहीं।

18–विनिमय धारा 170 एवं 167 का क्षेत्र–निगरानीकर्ता की तार्किक बात है कि वर्ष 1961–62 में अनावेदकगण की भूमि से अपनी भूमि का परस्पर विनिमय करने के बाद विवादित भूमि में उसने एक घर बना लिया। मामले में धारा 170 (ख) उपयोज्य नहीं है, अपितु धारा 167 लागू है। जिलाधीश की न्यायालय ने पाया कि 01.01.1984 के बाद मकान बनाया गया है। इस प्रकार निगरानीकर्ता धारा 170 (ख) 3–1–ख) का लाभ पाने का हकदार नहीं है। निगरानीकर्ता अपने मामले के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं दाखिल किया। अतः वह धारा 170 (ख) (3–ख) का लाभ हो सकता है। निगरानीकर्ता का संव्यवहार धारा 167 के अनुसार साबित नहीं है। 1988 आर0एन0 166 : 1978 रा0नि0 471 : 1978 रा0नि0 211, 1972 रा0नि0 430। प्रेमसिंह बनाम चंदरसिंह, 1996 रा0नि0 64; प्रताप बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 1985 रा0नि0 383 : 1995 रा0नि0 50; जगदीश तिवारी बनाम परमानंद तिवारी, 1982 इला0 लॉ ज0 187 (संदर्भित)

19–अकृषिक प्रयोजन हेतु वाद भूमि का व्यपवर्तित होना–जहां वादग्रस्त भूमि आकृषिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित है, इस धारा के उपबंध आकर्षित नहीं होते।

20–विधि का निर्वचन–एक अधिनियम के उद्देश्य एवं कारण के विवरणों का संदर्भ पृष्ठभूमि की जानकारी के लिए अनुज्ञेय है। सामान्य भाषा के नियंत्रण हेतु अथवा प्रतिबन्ध करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश जी0पी0 सिंह कृत ''सांविधिक निर्वचन के सिद्धांत 08वां संस्करण पृष्ठ 206, 209 (विश्वस्त)

21–आवश्यक पक्षकार–भू–राजस्व संहिता की धारा 170 (ब) के अधीन पुनरीक्षण निगरानी में सरकार अनावश्यक पक्षकार है। आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के कारण निगरानी मान्य नहीं है। 1995 आर0एन0 11 (संदर्भित)

22–छलकपट–देवसाय–अनावेदक ने वाद–भूमि को अपने साक्ष्य में क्रय करना बताया, परन्तु खरीदने के पहले कलेक्टर की अनुज्ञा नहीं लिया तथा स्वयं को आदिवासी श्रेणी का नहीं होना स्वीकार किया। अतः उसके आदिवासी होने की पुष्टि नहीं होती है। मामले में उसकी जाति भिन्न–भिन्न स्थानों में भिन्न–भिन्न वर्णित है कहीं महोबिया एवं कहीं गेरवा। ऐसे तथ्य धोखा होने की पुष्टि करते हैं। कपट–उपरोक्त अंतरण छल–कपट के द्वारा निष्पादित किया गया है। उपरोक्त धारा के प्रावधान के अधीन अपास्त किया जाता है एवं वादग्रस्त भूमि का कब्जा आदिवासी को वापस करने का आदेश दिया जाता है।

जब आदिवासी एवं गैर आदिवासी के बीच भूमि के संव्यवहार हेतु कलेक्टर की अनुमति प्राप्त की गयी हो तथा पंजीकरण के समय निर्धारित की गयी प्रतिफल का भुगतान भी किया गया है तब छल–कपट का मात्र कथन ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसे प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।

23—शपथपत्र—हक—न्यायालय के समक्ष मात्र शपथ दाखिल करने पर ही किसी पक्षकार को न्यायिक हक मिल जाएगा अथवा शपथ पत्र देने वाले व्यक्ति का हक इस आधार पर समाप्त हो जावेगा। विधि का आशय इस प्रकार का नहीं है एवं न ही इस प्रकार का कोई उदाहरण है। निगरानीकर्ता शपथ—पत्र के जरिए ही हक प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस तथ्य को मान्यता देते हुए पारित आदेश में उपखण्ड अधिकारी रायगढ़ के द्वारा निश्चयतः विधिक त्रुटि की गयी थी। उपखण्ड अधिकारी के उपरोक्त आदेश को अस्वीकार करने में कलेक्टर के द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी। कलेक्टर, रायगढ़ पारित आदेश वैध पाया जाता है। इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह कायम रखा जाता है। निगरानीकर्ता की निगरानी अर्जी अस्वीकार की जाती है—2003 रा0नि0 135 (अनुसरित)। शपथ—पत्र—शपथ—पत्र के जरिए से भू—स्वामी का नाम राजस्व अभिलेखों में उन्मर्जित नहीं किया जा सकता है। हक का भी परित्याग नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित पंजीकृत हक त्यागनामा विलेख की आवश्यकता होती है। शपथ—पत्र की सम्मति के आधार पर हक का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है।

24—स्वत्व त्याग—हक का त्याग शपथ—पत्र के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए निष्पादित रजिस्टर्ड त्यागनामा का विलेख की आवश्यकता होती है। शपथ—पत्र की सम्मति के आधार पर हक का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है।

25—प्राग्ङन्याय की प्रयोज्यता—जहां पूर्व में धारा 170—ख के मामले में आदेश पारित किया गया है। फिर भी उपखण्ड अधिकारी स्वप्रेरणा से आवेदन पर मामला खोल सकता है पुनर्विलोकन की अनुमति आवश्यक नहीं है तथा प्राग्ङन्याय का सिद्धांत लागू नहीं है।

उसी भूमि से संबंधित कई बार धारा 170—ख के अधीन परगनाधिकारी ने मामलों को अस्वीकार कर दिया। कलेक्टर ने प्राग्ङन्याय के सिद्धांत को लागू किया एवं अपील को अस्वीकार कर दिया। अतः यह निगरानी, अवधारित किया गया, प्राग्ङन्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है प्रकरण परगनाधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया।

ऋण की वसूली के लिए भूमि विकास बैंक ने आदिवासी की भूमि की नीलामी कर दिया, जिसे गैर आदिवासी ने क्रय किया। एस0डी0ओ0 ने धारा 170—बी के अधीन प्रथम मामला खारिज कर दिया। द्वितीय मामला चल सकता है। प्राग्ङन्याय के सिद्धांत आकर्षित नहीं होता। भूमि बगैर कलेक्टर की अनुज्ञा के विक्रय कर दी गई थी, अतः बिक्री शून्य एवं अकृत है।

प्रथम प्रकरण परगनाधिकारी के द्वारा खारिज कर दिया गया था, यह अवधारित करते हुए कि कोई कपट नहीं किया गया था एवं क्रेतागण यथार्थ क्रेतागण हैं। तद्नंतर उसी भूमि के कई मामले परगनाधिकारी के द्वारा अस्वीकार कर दिए गए थे, यह अवधारित करते हुए कि प्राग्ङन्याय का सिद्धांत लागू होता है। कलेक्टर ने अपील को अस्वीकार कर दिया। अतः निगरानी।

अवधारित किया गया, धारा 170—ख के अधीन प्रकरण में प्राग्ङन्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है, सभी मामले उसी भूमि से संबंधित जांचे जाने चाहिए एवं गुणावगुणों पर आदेश पारित हो, मामला परगनाधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया।

26—अनुसूचित क्षेत्र हेतु प्रतिकर—जहां गैर आदिवासी ने अपंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर आदिवासी से जमीन खरीदकर मकान बनवाया, विचारण न्यायालय के 01.01.1984 के पूर्व मकान निर्माण को मानकर प्रतिकर भुगतान का आदेश दिया, धारित किया गया कि मकान भुगतान एवं प्रतिकर के संबंध में समवर्ती निष्कर्ष है इसीलिये हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

27—''भौतिक कब्जा''—भौतिक कब्जा—आवेदक एवं अनावेदक, दोनों आदिवासी हैं। अनावेदक नं. 1 के पिता ने दिनांक—20.10.1978 को विवादित भूमि का रजिस्टर्ड बैनामा आवेदक के पक्ष में निष्पादित कर

दिया तब से अनावेदक क्र. 2 गैर आदिवासी का विवादित भूमि पर भौतिक कब्जा है। आवेदक एवं अनावेदक क्र.1 के इस अभिवचन पर विश्वास नहीं किया गया कि अनावेदक क्र. 2 सन् 1978 के अधिया पर काश्त कर रहा है, क्योंकि आवेदक स्वतः एक लघु काश्तकार है एवं विवादित भूमि अनावेदक को वापस किए जाने का अदेश परित किया गया।

28–उपबंध का दुरूपयोग–दीनदयाल गौड़ ने विवादित भूमि सेवंता बाई को विक्रय कर दिया जिसने इसे आवेदक का विक्रय कर दिया। प्रत्यर्थी नं. 1 ने परगनाधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। पटवारी का बगैर परीक्षण किए हुए परगनाधिकारी ने उसकी रिपोर्ट पर विश्वास कर लिया जबकि राजस्व अभिलेख में ओवर राइटिंग थी एवं छलकपट के संबंध में बगैर जांच किए हुए परगनाधिकारी ने धारा 170–ख (1) एवं (2) को लागू करते हुए प्रत्यर्थी नं. 1 को भूमि के वापस करने का आदेश पारित किया। कलेक्टर ने अपील को अस्वीकार कर दिया। अतः निगरानी।

अभिनिर्धारित किया गया, छलकपट के संबंध में बगैर किसी जांच को किए हुए एवं पटवारी का बगैर परीक्षण किए हुए परगनाधिकारी आदेश पारित कर दिया। प्रत्यर्थी नं. 1 ने उपबंधों का दुरूपयोग किया। अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि के अनुसार नहीं हैं, अतः अपास्त कर दिए गए।

29–प्रतिप्रेषण का प्रभाव–प्रतिप्रेषण का प्रभाव परगनाधिकारी ने आवेदकों के पक्ष में आदेश पारित किया एवं विवादित भूमि पर उनका नाम नामांतरित कर दिया गया। कलेक्टर ने प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिया कि आवेदकों की जाति के संबंध में जांच करके पुनः आदेश पारित किया जाये। प्रतिप्रेषण–आदेश के आधार पर नायब तहसीलदार ने विवादित भूमि पर अनावेदकों के नाम दर्ज किए जाने का आदेश दिया गया। कलेक्टर ने निगरानी खारिज कर दिया अतः द्वितीय निगरानी।

अवधारित किया गया, प्रतिप्रेषण आदेश के अनुपालन करने के बगैर नायब तहसीलदार द्वारा पारित नामांकन का अदेश अनुचित है।

30–सबूत का भार–छ0ग0 भू–राजस्व संहिता, 1959, धारा 170–ख–सबूत का भार–मौलिकतः विवादित भूमि आदिवासी के सामित्व की थी तो गैर आदिवासी जो वादग्रस्त भूमि के कब्जे में है। उस पर यह सिद्ध करने का सबूत का भार है कि सम्व्यहार यथार्थ एवं विधि के अनुकूल है।

31–प्रत्यावर्तन–प्रत्यावर्तन–परगनाधिकारी ने इस आधार पर केवल प्रकरण को प्रस्तुत किया था क्योंकि कलेक्टर के द्वारा भूमि का विक्रय करने के लिए अनुज्ञा प्रदान की गई थी अपील में कलेक्टर ने सम्व्यहार की विस्तृत जांच कर आदेश पारित करने के निर्देश सहित प्रत्यावर्तन किया। आदेश निगरानी में कायम रखा गया।

प्रत्यावर्तन–राजस्व परिषद् ने धारा 170–ख (3) के अधीन प्रावधानों पर विचार करने को निर्देशित करते हुए परगनाधिकारी को मामला प्रत्यावर्तित कर दिया एवं गुणावगुणों पर आदेश पारित करने का भी निर्देश दिया और प्रत्यावर्तित कर दिया। आवेदकगण ने आदेश पुनर्विलोकन करने के लिए आवेदन किया।

अवधारित किया गया, परगनाधिकारी ने धारा 170–ख (3) के अंतर्गत उपबंधों पर बगैर विचार किए हुए प्राग्ङन्याय के सिद्धांत के आधार पर मामले को खारिज कर दिया। पुनर्विलोकन आवेदन अस्वीकार कर दिया गया।

भू–राजस्व संहिता, 1959, धारा–172 में जनजातियों के प्रावधानिक विषय

172. भूमि का व्यवर्तन– (1) [यदि –

(एक) नगरीय क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्र की बाहरीसीमाओं से पांच मील की त्रिज्या के भीतर ; या

(दो) किसी ऐसे ग्राम में जिसकी जनसंख्या गत जनगणना के अनुसार दो हजार या उससे अधिक हो; या

(तीन) ऐसे अन्य क्षेत्रों में, जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ;

किसी प्रयोजन के लिए धारित भूमि का भूमि स्वामी अपने खाते या उसके किसी भाग को कृषि के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यवपवर्तित करना चाहता है] तो वह इस बाबत अनुज्ञा दी जाने के लिए उपखण्ड अधिकारी को आवेदन करेगा जो इा धारा के तथा इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगा या अनुज्ञा ऐसी शर्तों पर दे सकेगा जैसी कि वह ठीक समझे :

परन्तु यदि उपखण्ड अधिकारी उपधारा(1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् तीन मास तक, उसके संबंध में अनुज्ञा या इन्कारी का आदेश करने तथा उसे आवेदक को परिदत्त करने में उपेक्षा या चूक करता है, और आवेदक ने उस चूक या उपेक्षा की ओर उपखण्ड अधिकारी का ध्यान लिखित संसूचना द्वारा आकृष्ट कर दिया हो तो तथा ऐसी चूक या उपेक्षा छह मास की और कालावधि तक जारी रहती है तो यह समझा जाएगा कि उपखण्ड अधिकारी ने अनुज्ञा बिना किसी शर्त के प्रदान कर दी है।

परन्तु यह और कि गरीय क्षेत्र में स्थित किसी ऐसी भूमि का, जो विकास योजना में कृषि से भिन्न प्रायोजन के लिए आरक्षित की गई है, किन्तु उसका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, भूमि स्वामी, अपनी भूमि या उसके किसी भाग को ऐसे प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित कना चाहता है जिसके लिए वह भूमि विकास योजना में आरक्षित है, तो वह उपखण्ड अधिकारी को अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा, जो उसे इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, अनुज्ञा देगा । यदि उपखण्ड अधिकारी इस परन्तुक के अधीन आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् दो मास तक उसके संबंध में अनुज्ञा का आदेश करने तथा उसे आवेदक को परिदत्त करने में उपेक्षा की ओर उपखण्ड अधिकारी का ध्यान लिखित संसूचना द्वारा आकृष्ट कर दिया है और ऐसी चूक या उपेक्षा एक मास की कालावधि तक जारी रहती है तो यह समझा जाएगा कि उपखण्ड अधिकारी ने अनुज्ञा बिना किसी शर्त के प्रदान कर दी है।

परन्तु यह भी कि यदि सक्षम प्राधिकारी किसी अवैध कालोनी, जिसकी भूमि व्यपवर्तित नहीं की गई है, के नियमितीकरण के कार्य का जिम्मा लेता है तो ऐसी भूमि विकास योजना के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए व्यपवर्तित हो गई समझी जाएगी और ऐसी भूमि धारा 59 के अधीन प्रीमियम तथा पुनरीक्षित भू–राजस्व के लिए दायी होगी।

अध्याय–11

आयोग को प्राप्त आवेदन पत्रों पर लिए गये प्रमुख निर्णय एवं पत्रक

1. श्री आदित्य मरावी को अंकसूची दिलाने बाबत– आवेदक श्री आदित्य मरावी पिता श्री दौलतराम ग्राम–बंगरकेला, तह.–दुलदुला, जिला–जशपुर ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वह जवाहर योजनान्तर्गत वर्ष 2009 से कक्षा–6वीं में रेडियण्ड पब्लिक स्कूल, बेन्द्री, रायपुर में प्रवेश लिया गया था तथा क्रमशः कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं कक्षा में नियमित रूप से अध्ययन कर उत्तीर्ण किया गया। स्कूल प्रबंधन द्वारा आवेदक की कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं की अंकसूची, माईग्रेशन, चरित्र प्रमाण पत्र, 12वीं का सर्टिफिकेट नहीं देने संबंधी शिकायत की गई थी।

इस संबंध में संचालक, रेडियण्ट पब्लिक स्कूल बेन्द्री, रायपुर को मान. आयोग में तलब किया गया। तथा आवेदक की अंकसूची एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराया गया।

2. शादी का प्रलोभन देकर दैहिक शोषण करने बाबत– आवेदिका कु. संजना मिंज पिता स्व. सोहरसाय मिंज निवासी–विकास नगर, जिला–कोण्डागांव (छ.ग.) द्वारा मान. आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वह कोण्डागांव स्थित बिलिवर्स स्र्टन चर्च में मिशनरी बहन के रूप में कार्यरत थी। इसी दौरान सितम्बर 2014 में गौरीशंकर नाग पिता बुधसन नाग निवासी आलबेडा से मुलाकात हुई। गौरीशंकर नाग से चर्च में रोज मेलजोल होता रहा। गौरीशंकर नाग द्वारा आवेदिका से प्यार का इजहार तथा शादी का प्रलोभन भी दिया गया। जिससे आवेदिका आकर्षित हो गयी तथा जाल में फंस गयी। अनावेदक द्वारा शादी का प्रलोभन देकर आवेदिका के साथ दैहिक शोषण भी किया गया। वर्ष 2015 में आवेदिका का स्थानांतरण अंबिकापुर में हो गया। अनावेदक द्वारा अंबिकापुर जाकर भी आवेदिका के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया। आवेदिका के गर्भवती होने पर शादी हेतु कहा गया किन्तु अनावेदक द्वारा आपत्ति जताते हुए मारपीट कर दवाई खिलाकर गर्भ गिरा दिया गया। वर्ष 2016 में अनावेदक द्वारा आवेदिका को जबरदस्ती कोण्डागांव ले जा कर इच्छा के विरूद्ध दैहिक शोषण किया गया। आवेदिका द्वारा शादी के लिए बोलने पर उनके साथ मारपीट किया जाता तथा जान से मारने की धमकी दी जाती रही। आवेदिका द्वारा कार्यवाही का निवेदन किया गया।

आयोग का पत्र क्र. 971 दिनांक–3.5.2019 द्वारा पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव को अपराध पंजीबद्ध कर अनावेदक के विरूद्ध कार्यवाही हेतु लिखा गया। पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव ने अपने पत्र दिनांक–13.5.2019 द्वारा आयोग को अवगत कराया है कि अनावेदक गौरी शंकर नाग निवासी आलबेडापारा कोण्डागांव के विरूद्ध अपराध क्र. 81/2019 दर्ज कर धारा 376, 506, भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। देने संबंधी शिकायत पंजबिद्ध हैं।

3. डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति – आवेदक श्री चन्द्रशेखर कंवर पिता ग्राम पिपरौद वि.ख.–अभनपुर ने मान. आयोग में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि जिला पंचायत महासमुन्द द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत अपने पत्र क्र. 7748 दिनांक–27.8.2019 द्वारा डाटा एंटी ऑपरेटर के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। आवेदक द्वारा उक्त पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। कौशल परीक्षा देने के उपरांत आवेदक का नाम पात्र उम्मीदवारों की मेरिट सूची में पहले स्थान पर था किन्तु आवेदक को नियुक्ति नहीं दी गई थी।

आयोग द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र क्र. 6039 दिनांक–23.10.2019 के द्वारा आवेदक को नियुक्ति पत्र देने हेतु लिखा गया। आवेदक द्वारा मान. आयोग में उपस्थित होकर पुनः अवगत कराया कि उन्हें जिला पंचायत जिला पंचायत द्वारा नियुक्ति आदेश दे दिया गया है। तथा दिनांक–30.10.2019 को उन्होनें कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

4. मुंगई बाई की समस्या के निराकरण बाबत– छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग रायपुर में आवेदिका श्रीमती मुंगई बाई निवासी कोण्डागांव के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजू यादव पिता केवलराम यादव जाति यादव निवासी बंजरपारा सडडू रायपुर के द्वारा शादी का झांसा देकर उनके साथ अवैध संबंध बनाया गया, जिससे उनका एक पुत्र है। राजू यादव तथा उनके माता पिता केवलराम यादव तथा श्रीमती अरदबाई जाति यादव द्वारा उनके साथ गाली–गलौज करते हुए घर से निकलने के लिये बोला जाता है उनके पुत्र को भी रख लिया गया है। आवेदिाक द्वारा अपनी समस्या का निराकरण कराने का निवेदन किया गया।

मान. आयोग द्वारा आवेदिका तथा उनके पति, ससुर एवं सास को आहूत किया गया तथा उभय पक्षों को आवश्यक समझाईश देते हुए मुंगई नेताम को साथ में रखने कहा गया। जिस पर सभी पक्षकार सहमत हुए। मुंगई बाई अपने पति के साथ निवासरत है।

5. छात्रवृत्ति राशि का भुगतान करने के संबंध में – छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग रायपुर में स्वामी विवेकानंद अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर एवं कृषि महाविद्यालय रायपुर के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उन्हें छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने के कारण वे सेमेस्टर का शुल्क जमा करने में असमर्थ हैं तथा अर्थिक कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। उनके द्वारा छात्रवृत्ति राशि दिलाये जाने का आग्रह किया गया।

आयोग द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायपुर तथा कृषि महाविद्यालय रायपुर, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय रायपुर को पत्र जारी कर छात्रों को यथाशीघ्र छात्रवृत्ति राशि प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त दोनों महाविद्यालयों द्वारा लिखित में अवगत कराया गया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 की छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

6. मुआवजा राशि का भुगतान – छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग रायपुर में आवेदक एतवार सिंह एवं रामकुमार सिदार दोनों पिता सुरौतीलाल सिदार ग्राम–कलमी, तह. व जिला–रायगढ़ के स्वामित्व की भूमि खसरा न.–71/1 रकबा–0.360हे0 को जिन्दल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड पतरापाली द्वारा अद्यौगिक प्रयोजन के लिये अधिग्रहित किया गया है। शासन की नीति अनुसार अधिग्रहण के एवज में परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने तथा नौकरी नहीं देने के एवज में 5.00 लाख रू. मुआवजा देने का प्रावधान है। किन्तु उक्त कंपनी द्वारा आज र्प्यन्त मुआवजा राशि नहीं दिया गया है।

आयोग के पत्र क्र. 5437 दिनांक–15.10.2018 के द्वारा संचालक संचालक,छ.ग. स्टेट, इण्डस्ट्रियल डेवहलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर को आवश्यक कार्यवाही बाबत पत्र लिखा गया। आवेदक पक्षकार दिनांक–20.02.2020 को मान. आयोग में उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि जिंदल कंपनी के साथ उन लोगों का आपसी समझौता हो गया है तथा नौकरी के एवज में दोनों भाईयों को 1.50–1.50 लाख रू. का भुगतान किया जा चुका है। अब उन्हें किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है।

7. उधार की राशि वापस दिलाई गई – छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग रायपुर में आवेदक श्री जनकराम ध्रुव पीडब्लूडी कालोनी सिविल लाईन्स रायपुर ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्रीमती खीरो सेनापति एवं उनके पति निवासी बीएस कालोनी अमलीडीह रायपुर ने पैसे की अत्यंत आवश्यकता होने के कारण उनसे मदद मांगी। आवेदक द्वारा उन्हें नोटरी से इकरारनामा बनाकर रू. 80,000 कर्ज दिया गया। उक्त राशि अनावेदक पक्षकरों द्वारा दिनांक–09.11.2019 को सम्पूर्ण रूप से वापस कर दिये जाने संबंधी सहमति दी गई। किन्तु निर्धारित अवधि में राशि वापस नहीं किये जाने के कारण आवेदक द्वारा मान. आयोग से उक्त राशि वापस दिलाने का आग्रह किया गया।

मान. आयोग द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर उभय पक्षों को नोटिस जारी किया गया तथा आयोग में आहूत किया गया। अनावेदक पक्षकार श्रीमती खीरो सेनापति एवं उनके पति श्यामू सेनापति द्वारा उक्त राशि किश्तों में वापस करने की सहमति दी गई। अनावेदक पक्षकारों के द्वारा दिनांक–18.05.2020 को किश्तों में सम्पूर्ण राशि का भुगतान आवेदक जनक ध्रुव को कर दिया गया। आवेदक जनक ध्रुव द्वारा आयोग की कार्यवाही से सतुष्ट होकर प्रकरण नस्तीबद्व करने का निवेदन किया गया।

8. राजेश कुमार कश्यप को अनुकम्पा नियुक्ति दिलायी गई – आवेदक राजेश कुमार कश्यप ने मान. आयोग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके पिता श्री रामाधार कश्यप ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दंतेवाड़ा में खलासी के पद पर कार्यरत थे जिनकी आकस्मिक मृत्यु दिनांक–20.03.2016 को हुई। मृत्यु दिनांक के पूर्व आवेदक के परिवार का कोई भी आश्रित सदस्य शासकीय सेवा में नहीं था। आवेदक मृतक शासकीय सेवक का पुत्र होने के नाते अनुकम्पा नियुक्ति हेतु दिनांक–27.04.2016 को कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रायपुर द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र दिनांक–27.09.2017 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक–29.08.2016 का हवाला देते हुए कि दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार का सदस्य पूर्व से शासकीय सेवा में है अतः किसी अन्य सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। आयोग द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि आवेदक के भाई दिलीप कुमार कश्यप जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दंतेवाड़ा में माह अगस्त आदेश दिनांक–22.08.2017 से कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है जो कि शासकीय सेवक मृतक श्री रामाधार कश्यप की मृत्यु दिनांक के बाद का है। अतएवं नियमानुसार आवेदक राजेश कुमार कश्यप को अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करने की पात्रता आती है। आयोग के पत्र क्र. 2935 दिनांक–9.7.2019 द्वारा आवेदक राजेश कुमार कश्यप को उनकी योग्यतानुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय करने हेतु मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रायपुर द्वारा सूचित किया गया कि आवेदक राजेश कुमार कश्यप को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय कर दी गई है।

9 अचल संपत्ति का फर्जी तरीके से विक्रय – छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में आवेदक श्री धरम सिंह पिता श्री पुरषोती, ग्राम–रानसरगीपाल, तह0–तोकापाल, जिला–बस्तर ने आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि भू अधिकार पुस्तिका क्रमांक–2018602 के खसरा न.–360, 367, 446, 591, 620, 657 एवं 665 में कुल खसरा न0–8.54हे0 भूमि दर्ज थी। उक्त खाते (पट्टा) में से खसरा न0–367 एवं 665 को भू–माफिया (दलाल) श्री सतीश झा पथरागुड़ा, जिला–बस्तर, श्री बंशीराम पिता श्री भोलाराम कोटवार रानसरगीपाल एवं पटवारी श्री सत्यनारायण सेठी के साथ मिलकर पुत्र श्री नीलाधर एवं पुत्रवधू श्रीमती सुकाली ने लखीधर पिता श्री मोसू के नाम से विक्रय कर दिया है। आवेदक द्वारा जांच हेतु निवेदन किया गया। आयोग द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच हेतु पुलिस अधीक्षक बस्तर, कलेक्टर जिला–बस्तर को लिखा गया तथा आवेदक धरमसिंह, अनावेदक नीलाधर, श्रीमती सुकाली बाई, सत्यनारायण सेठिया हल्का पटवारी, सतीश झा निवासी जगदलपुर को मान. आयोग में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया। उभय पक्षों द्वारा दिये गय बयान एवं दस्तावेज से स्पष्ट हुआ कि अनावेदक पक्षकारों द्वारा उनकी एक एकड़ भूमि का सौदा कर उन्हें केवल रू. 25,000 दिया गया। बदले में उनके स्वामित्व की भूमि खसरा न. –367 एवं 665/1 कुल रकबा–1.80 हेक्टेयर को लखीराम पिता मोसू जाति मुरिया निवासी ग्राम धरमपुरा जिला बस्तर के नाम पर बेनामी रजिस्ट्री करायी गई। उक्त भूमि का विक्रय दिनांक–14.09.2010 में हुआ था तब से अद्यतन वादग्रस्त भूमि में नीलाधर एवं उनकी पत्नी सुकाली का कब्जा है। आयोग द्वारा अनावेदक पक्षकारों को निर्देशित किया गया कि वादग्रस्त भूमि को नीलाधर को तत्काल वापस लौटायी जावे। उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति अनुसार ग्राम रानसरगीपाल स्थित भूमि खसरा न.–367 रकबा–1.38 हेक्टेयर को नीलाधर पिता धरमसिंह को वापस लौटाते हुए राजस्व अभिलेखों में उनका नाम दुरूस्त किया गया। आवेदक आयोग की कार्यवाही से संतुष्ट हुआ। प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

10 जिला अंत्यायवसायी सहकारी विकास समिति रायगढ़ से ऋण की राशि दिलायी गई – छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में आवेदक श्री राजाराम राठिया पिता श्री साधराम राठिया, ग्राम–जुनवानी, तह.–धर्मजयगढ़, जिला–रायगढ़ ने आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि उन्हें अंत्यायवसायी सहकारी विकास समिति रायगढ़ द्वारा दुकान निर्माण हेतु रू.–02.00 लाख ऋण स्वीकृत किया गया था जिसमें से आवेदक को रू. 1,40,000 प्रदाय किया गया है तृतीय किश्त राशि नहीं दी गई है। आयोग द्वारा अपने पत्र क्र. 7437 दिनांक–13.12.2019 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यायवसायी सहकारी बिकास समिति रायगढ़ को तृतीय किश्त की राशि प्रदाय करने हेतु लिखा गया। आयोग के निर्देशन पर आवेदक राजाराम राठिया को तृतीय किश्त की राशि रू. 60,000 प्रदाय किया गया। आयोग की पहल पर आवेदक को अनुतोष प्राप्त हुआ।

11. भोलाराम (पहाड़ी कोरवा) प्रधान पाठक का वेतन काटकर प्रताड़ित करने के संबंध में –

_छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में आवेदक भोलाराम जाति पहाड़ी .कोरवा प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला सरगड़ी वि.ख. व जिला–बलरामपुर ने मान. आयोग में आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि वे दिनांक–13.09.2017 से पूर्व माध्यमिक शाला सरगड़ी में प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ थे। दिनांक–20.07.2020 को वि.ख.–शिक्षा अधिकारी बलरामपुर के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी शाला का निरीक्षण किया गया तथा अनुपस्थित पाये जाने पर दिनांक–22.07.2019 को वाळटसप के माध्यम से उन्हें नोटिस जारी किया गया। जबकि उन्होनें दिनांक–19.07.2019 को सुकुल समन्वयक के माध्यम से आवेदन पत्र प्रेषित किया था। आवेदक द्वारा नोटिस का जवाब दिनांक–23.07.2019 को दिया गया। आवेदक दिनांक–19.07.2019 से 20.07.2019 तक अवकाश पर थे, आकस्मिक अवकाश में रहते हुए आवेदक को अनुपस्थित बताकर उनका उक्त दिवस का वेतन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा काट लिया गया। आवेदक द्वारा इस संबंध में वेतन दिलाने का आग्रह करते हुए कार्यवाही की मांग की गई।

छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग रायपुर द्वारा इस संबंध में वि.ख. शिक्षा अधिकारी बलरामपुर को नोटिस जारी कर वेतन भुगतान करने के निर्देश दिये गये। दिनांक–21.01.2020 को वि.ख. शिक्षा अधिकारी बलरामपुर श्री जयगोविन्द तिवारी मान. आयोग में उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश किया। उन्होनें बताया कि वह दिनांक–20.07.2019 को पूर्व माध्यमिक शाला के निरीक्षण हेतु सरगड़ी गये थे जहां प्रधान पाठक भोलाराम अनुपस्थित पाये गये उन्हें कारण बताओं सूचना जारी किया गया था। संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने के कारण दो दिन का वेतन रोका गया था। मान. आयोग द्वारा दिये गये निर्देश तथा श्री भोलाराम पाठक के द्वारा उपस्थित आवेदन पत्र के आधार पर उनका दो दिनों का वेतन आहरित कर वेतन भुगतान कर दिया गया है। आयोग के माध्यम से आवेदक को अनुतोष प्राप्त हुआ।

12. वेतन रोककर आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में – आवेदक अमरविजय राम जाति उराव प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला जाबरतह. व जिला–बलरामपुर ने मान. आयोग में आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी जयगोविन्द तिवारी द्वारा दिनांक–11.07.2019 को व्हाटशप के द्वारा दिनांक–01.07.2019 को उक्त विद्यालय में निरीक्षण करने का स्पष्टीकरण दिया गया। जबकि उक्त तिथि में कोई भी अधिकारी माध्यमिक शाला जाबर में निरीक्षण नहीं किये थे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक–20.07.2019 से 04.07.2019 तथा 07.07.2019 (रविवार) का वेतन अनाधिकृत रूप से प्रतिबंधित किया गया जबकि आवेदक द्वारा इसकी सूचना दी जा चुकी थी।

आयोग द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर उभय पक्षों को समंस जारी किया गया। अनावेदक जयगोविंद तिवारी वि.ख. शिक्षा अधिकारी बलरामपुर ने दिनांक–21.01.2020 को मान. आयोग में उपस्थित होकर कथन किया कि वे दिनांक–10.07.2019 को पूर्व माध्यमिक शाला जाबर में निरीक्षण हेतु गये थे। जहां शिक्षक उपस्थिति पंजी, विद्यायर्थी उपस्थिति पंजी एवं एम.डी.एम पंजी का निरीक्षण किया गया। प्रधान पाठक अमरविजय राम दिनांक–02.07.2019 से 04.07.2019 एवं 08.07.2019 को अनुपस्थित थे उनके द्वारा विधिवत आवेदन पत्र प्राप्त होने तथा मान. आयोग द्वारा निर्देशित किये जाने पर उक्त चार दिवस का वेतन उन्हें प्रदाय कर दिया गया है। आयोग के माध्यम से आवेदक की समस्या का समाधान किया गया।

13. कु. रंजना पैकरा जिला कार्यक्रम प्रबंधक को बिना किसी पूर्व सूचना के संविदा सेवा से पृथक करने के संबंध में – आवेदिका कु. रंजना पैकरा जिला कार्यक्रम प्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर ने मान. आयोग में दिनांक–4.11.2019 को आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि वे वर्ष 2014–15 से उक्त पद पर कार्यरत है। वर्ष 2015–16 में रायपुर जिला, राज्य स्तर से जारी 16 बिन्दु स्वास्थ्य सूचकांक में 21वीं पायेदान पर था उनके निरंतर मेहनत से वर्ष 2017–18 में रायपुर जिला 14वें पायेदान पर तथा वर्ष 2018–19 में 7वें पायेदान पर रही। इस प्रकार उनकी लगन एवं मेहनत से रायपुर जिला स्वास्थ्य सूचकांक में निरंतर अग्रसर हुआ है। उनकी संविदा सेवा वृद्धि हेतु कलेक्टर रायपुर द्वारा सकारात्मक बिन्दु अंकित कर मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर को भेजा गया था किन्तु मिशन संचालक द्वारा अपने पत्र क.–2270 दिनांक–24.10.2019 द्वारा आवेदिका की संविदा सेवा समाप्ति की सूचना दी गई। आवेदिका द्वारा अपने पदीदायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं लगन से किया गया है। उनके रायपुर जिला में जिला कार्यक्रम पद पर पदस्थ होने के बाद स्वास्थ्य सूचकांक में निरंतर वृद्धि हुई है। कलेक्टर जिला रायपुर के द्वारा उनकी सेवा वृद्धि के संबंध में सकारात्मक अभिमत भी दिया गया है। आवेदिका द्वारा सेवा वृद्धि का निवेदन किया गया। आयोग के पत्र क.–6497 दिनांक–18.11.2019 द्वारा आवेदिका की सेवा वृद्धि करने हेतु पत्र मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लिखा गया। आयोग द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर छ.ग. ने अपने आदेश क.–3617 दिनांक–11.02.2020 द्वारा सुश्री रंजना पैकरा को जिला कार्यक्रम प्रबंधक (संविदा) की सेवा वृद्धि वर्ष 2019–20 हेतु करते हुए कोरिया जिले में पदस्थ किया गया।

14. समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार ''मैडम को आया गुस्सा छात्र की डंडे से कर दी पिटाई'' में संज्ञान लिया गया – समाचार पत्र **नवभारत** में प्रकाशित समाचार में आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया। जिसमें शा. बालक पूर्व माध्यमिक शाला बेलगहना के कक्षा 8वीं के में अध्ययनरत छात्र शिवम मरावी की दिनांक–27.09.2019 को शिक्षिका श्रीमती किरण के द्वारा डंडे से पिटाई कर शारीरिक कष्ट पहुंचाया गया। शिवम मरावी के परिजनों द्वारा संबंधी शिक्षिका के विरूद्ध कार्यवाही का निवेदन किया गया। इस संबंध में आयोग द्वारा वि.ख. शिक्षा अधिकारी कोटा जिला बिलासपुर तथा आरोपी शिक्षिका श्रीमती किरण को आयोग कार्यालय में आहूत किया गया तथा उक्त शिक्षिका के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये गये। दिनांक–18.02.2020 को श्री रजनीश तिवारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोटा मान. आयोग में उपस्थित होकर अवगत कराया कि शा. पूर्व माध्यमिक शाला बेलगहना में पदस्थ शिक्षक श्रीमती किरण के द्वारा दिनांक–27.09.2019 को कक्षा में अध्ययनरत छात्र शिवम की अनुशासनहीनता के आरोप में डंडे से पिटाई की गई थी। संबंधी शिक्षिका से स्पष्टीकरण लिया गया है तथा उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सेवा से निलंबित किया गया। तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के आदेश क.–2027 दिनांक–07.02.2020 द्वारा संबंधी शिक्षिका की एकवार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकते हुए शा. पूर्व माध्यमिक शाला धूमा वि.ख. बिल्हा जिला बिलासपुर में पदस्थ किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में आयोग द्वारा संज्ञान लेने पर संबंधी शिक्षक के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

15. श्री एम.आर. ध्रुव संयुक्त संचालक, लोक अभियोजन का भेदभावपूर्ण स्थानांतरण करने के संबंध में – आवेदक श्री एम.आर. ध्रुव, संयुक्त संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय, अटल नगर, रायपुर ने छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग रायपुर में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक–एफ/15–18/दो–गृह/

लो.अ./2017 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक–22.07.2019 के द्वारा उनका स्थानांतरण संचालनालय लोक अभियोजन नवा रायपुर से संयुक्त संचालक लोक अभियोजन जगदलपुर के रूप में किया गया है। आवेदक 15 अक्टूबर 2016 से संयुक्त संचालक लोक अभियोजन से पदोन्नत होकर संचालनालय लोक अभियोजन नवा रायपुर में पदस्थ है, अभी 03 वर्ष भी पूर्ण नहीं हुआ था। इसके पूर्व आवेदक दिनांक–01.07.1996 से जिला बस्तर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, जशपुर एवं कोरिया में लगभग 22 वर्षों तक अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ रहे। 22 वर्षों से उक्त क्षेत्र में पदस्थ रहने के बाद उन्हें पुनः अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किया गया है। उनके स्थान पर लोक अभियोजन संचालनालय नवा रायपुर में श्री के. एस. गावस्कर मात्र 06 माह अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ रहे, उन्हें स्थानांतरित किया गया है। यह भी अवगत कराया गया है श्री के. एस. गावस्कर बिना ऐवजीदार के उपस्थिति बिना बस्तर संभाग से कार्यमुक्त होकर संचालनालय लोक अभियोजन नवा रायपुर में दिनांक–23.07.2019 को उपस्थित हो गये हैं। जो कि स्थानांतरण नीति 2019 की कंडिका 2(6) एवं 5(2) का तथा अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापना एवं स्थानांतरण के संबंध में छ.ग. शासन स.प्र.वि. के द्वारा जारी निर्देश दिनांक–03.06.2015 की कंडिका 16, 18, 21, 24, 25 एवं 37 का उल्लंघन है। आवेदक द्वारा नियम विरूद्ध किये गये स्थानांतरण को निरस्त करने का निवेदन किया गया। प्रकरण में आयोग द्वारा संज्ञान लेते हुए आयोग के पत्र क्र.–4439 दिनांक–29.08.2019 द्वारा सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (समन्वय समिति) को श्री ध्रुव का नियम विरूद्ध किये गये स्थानांतरण को निरस्त करने हेतु अनुशंसा की गई। आयोग द्वारा प्रेषित अनुशंसा के दृष्टिगत सचिव छ.ग. शासन गृह विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. –एफ/15–18/दो–गृह/लो.अ./2017 अटल नगर नवा रायपुर दिनांक–

06.02.2020 द्वारा श्री एम आर. ध्रुव संयुक्त संचालक लोक अभियोजन का जगदलपुर किया गया स्थानांतरण निरस्त कर यथावत पदस्थ किया गयां।

16. अरपा भैंसाझार बैराज के डूब क्षेत्र की भूमि का मुआवजा प्रदाय करने के संबंध में –

छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग रायपुर में श्री दुकालू राम पिता स्व. चैतराम सौता ग्राम उमरमरा, तह.–कोटा जिला बिलासपुर ने मान. आयोग में उपस्थित होकर निवेदन किया कि उक्त ग्राम में खसरा/कम्पार्टमेंट सीमा 1585 रकबा–1.275हे. में पूर्वजकाल से अपने परिवार के साथ मकान बनाकर खेतीबाड़ी, वनोपज संग्रहण कर जीवन–यापन कर रहा है। उन्हें उक्त भूमि का पट्टा शासन द्वारा दिया गया है। उक्त भूमि अरपा भैंसाझार परियोजना के डूबान क्षेत्र में है। जिसका मुआवजा उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदक द्वारा आयोग से मुआवजा दिलाने का आग्रह किया गया। आयोग द्वारा इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा तथा अधीक्षण अभियता जल संसाधन विभाग बिलासपुर को आवेदक को विधिवत मुआवजा प्रदाय करने हेतु समंस जारी किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा ने अपने ज्ञापन क्र. 115 दिनांक–14.01.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक दुकालूराम ग्राम उमरमरा तह. –कोटा की अरपा भैसाझर बैराज परियोजना अंतर्गत डूबान क्षेत्र से प्रभावितभूमि रकबा–167.47 वर्गमीटर का मुआवजा राशि रू. 2,18,944 चेक क्र.–127510 दिनांक–10.06.2019 द्वार भुगतान किया गया है।

अध्याय–12

छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक आपदा से पीड़ित के लिए, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के प्रावधान में शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा
जारी (09.06.2016) से प्रभावशील

(एक) (क) कृषि भूमि तथा फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता :–

क्रं.	क्षति का प्रकार	दी जाने वाले आर्थिक सहायता अनुदान राशि
अ. कृषि भूमि की हानि :–		
1	2 हेक्टर तक कृषि भूमि धारण करने वाले कृषकों को सामान्य क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा से कृषि भूमि पर 3'' से अधिक मोटी रेत, गाद, पत्थर हटाने हेतु सहायता अनुदान	12,200/– रूपये (बारह हजार दो सौ रूपये) प्रति हेक्टर अनुदान। परन्तु यह सहायता तभी दी जायेगी, जब किसी अन्य शासकीय योजना से कोई सहायता देय न हो।
2	2 हेक्टर तक कृषि भूमि धारण करने वाले कृषकों को पहाडी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा से कृषि भूमि पर भर गये मलमा, हटाने हेतु सहायता अनुदान	
3	2 हेक्टर तक कृषि धारण करने वाले कृषकों को फिश फार्म पर भर गये मलमा, हटाने तथा मरम्मत हेतु सहायता अनुदान	
4	2 हेक्टर तक कृषि भूमि धारण करने वाले लघु एवं सीमांत कृषकों को भूमि कटाव, भूस्खलन, एवलांच या नदी के बहाव में बदलाव आदि से भूमि की हानि होने पर सहायता अनुदान	37,500/–रूपये (सैंतीस हजार पांच सौ रूपये) प्रति हेक्टर अनुदान।
ब. फसल हानि :–		**33 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर (नीचे क्र. 1 से 5 एवं 7 के लिए) :–**
1	2 हेक्टर तक कृषि भूमि धारण करने वाले किसानों को कृषि, उद्यानिकी, तथा वार्षिक वृक्षारोपण वाली फसल हानि होने पर सहायता अनुदान	असिंचित भूमि के लिए – 6,800/– रूपये (छः हजार आठ सौ रूपये) प्रति हेक्टर, सिंचित भूमि के लिए–13,500/– रूपये (तेरह हजार पांच सौ रूपये) प्रति हेक्टर न्यूनतम सहायता–1,000/– रूपये (एक हजार रूपये) से कम नहीं होगी, बोनी क्षेत्र के आधार पर निर्धारित।
2	2 हेक्टर तक कृषि भूमि धारण करने वाले किसानों को बारहमासी फसल हानि होने पर सहायता अनुदान	18,000/– रूपये (अठारह हजार रूपये) प्रति हेक्टर, न्यूनतम सहायता– 2,000/–रूपये (दो हजार रूपये) से कम नहीं होगी, बोनी क्षेत्र के आधार पर निर्धारित।
3	2 हेक्टर तक कृषि भूमि धारण करने वाले किसानों को रेशम फसल हानि होने पर सहायता अनुदान	4,800/–रूपये (चार हजार आठ सौ रूपये) प्रति हेक्टर इरी, मलबरी, टसर एवं पटसन के लिए तथा 6,000/–रूपये (छः हजार रूपये) प्रति हेक्टर मुंगा फसल के लिए।

4	2 हेक्टर से 10 हेक्टर तक कृषि भूमि धारण करने वाले किसानों को कृषि, उद्यानिकी, वार्षिक वृक्षारोपण वाली फसल हानि होने पर सहायता अनुदान	असिंचित भूमि के लिए–6,800/–रूपये (छः हजार आठ सौ रूपये) प्रति हेक्टर, सिंचित भूमि के लिए–13,500/– रूपये (तेरह हजार पांच सौ रूपये) प्रति हेक्टर।
5	0 हेक्टर से 10 हेक्टर तक कृषि भूमि धारण करने वाले किसानों को फूलों की फसल हानि होने पर सहायता अनुदान	13,500/–रूपये (तेरह हजार पांच सौ रूपये) प्रति हेक्टर।
6	भूमिहीन कृषक को मजदूरी के रूप में प्राप्त अनाज का अग्नि दुर्घटना या अन्य प्राकृतिक आपदा में हुई क्षति के लिए अनुदान	पूर्ण जांच के बाद, कलेक्टर की संतुष्टि पर, नष्ट हुये अनाज की मात्रा को ध्यान में रखकर अधिकतम 10,000/– रूपये (दस हजार रूपये)
7	पान के बरेजे, सब्जी, फलों के बाग, तरबूजे, खरबूजे आदि की क्षति भी फसल क्षति के अन्तर्गत मानी जावेगी।	
8	फलदार वृक्षों की फसल हानि होने पर 750/–रूपये प्रति वृक्ष, अधिकतम 30,000/–रूपये (तीस हजार रूपये) आर्थिक सहायता देय होगी। आम, संतरा, नीबू के बगीचे की फसल हानि होने पर अधिकतम 35,000/– (पैंतीस हजार रूपये) आर्थिक सहायता देय होगी।	
9	पपीता, केला, अनार, अंगूर की फसल क्षति होने पर 13,500/–(तेरह हजार पांच सौ रूपये) प्रति हेक्टर, अधिकतम 40,000/–रूपये (चालीस हजार रूपये) आर्थिक सहायता देय होगी।	

(एक) (ख) कृषि भूमि तथा फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता :–

यदि किसी वर्ष विपरीत मौसम के कारण फसलों पर कीट प्रकोप एक महामारी का रूप ले लेता है और उस कारण यदि भौगोलिक रूप से जुड़े एक बड़े क्षेत्र में फसलों की 33 प्रतिशत से अधिक हानि होती है, तो कृषि विभाग के परामर्श से पीड़ित कृषकों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 के प्रावधानों के अनुसार देय होगी। यह सहायता विशेष अनुदान सहायता के रूप में मानी जायेगी।

(दो) पशु हानि के लिए आर्थिक सहायता :–

(राशि रूपये में)

क्रं.	(अ) दुधारू पशु	राशि प्रति पशु
1.	भैंस	30,000,00
2.	गाय	30,000,00
3.	ऊटनी	30,000,00
4.	याक	30,000,00
5.	मिथुन आदि	30,000,00
6.	भेड़	3,000,00
7.	बकरी	3,000,00
8.	सुअर	3,000,00
टीपः	सहायता मात्र आर्थिक दृष्टि से उत्पादक पशु हेतु ही मान्य होगी। 3 बड़े दुधारू पशु या 30 छोटे दुधारू पशु प्रति परिवार तक ही सीमित है।	
	(ब) सूखे जानवर	
1.	ऊंट	25,000,00
2.	घोड़ा	25,000,00
3.	बैल	25,000,00
4.	भैंसा आदि	25,000,00
5.	बछड़ा	16,000,00
6.	गधा	16,000,00
7.	खच्चर/टट्टू	16,000,00
टीपः	सहायता मात्र आर्थिक दृष्टि से उत्पादक पशु हेतु ही मान्य होगी। अधिकतम सीमा 3 बड़े सूखा पशु या 6 छोटे सूखा पशु प्रति परिवार तक ही सीमित है।	
8.	प्राकृतिक आपदा के समय घरेलू पोल्ट्री में पल रहे पक्षियों की मृत्यु होने पर रू. 50.00 प्रति पक्षी, किन्तु अधिकतम रू. 5,000/– प्रति परिवार सहायता देय होगी। (यह सहायता तभी देय होगी, जब किसी अन्य शासकीय योजना से सहायता नही दी जा सकती हो, साथ ही पशु विभाग द्वारा एवियन इन्फल्युएन्जा या अन्य रोग पर सहायता नहीं दिये जाने की स्थिति में उक्त सहायता की पात्रता होगी)	

नोट :–

1. उपरोक्तानुसार अनुदान सहायता सभी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों से हुई पशु हानि के लिए देय होगी। ऐसी आपदा जिसमें सर्पदंश एवं लू (Sun Stroke) से मृत्यु होने पर भी आर्थिक अनुदान सहायता देय होगी। इसमें आग के कारण जलने से हुई पशुहानि सम्मिलित मानी जाए।
2. उपरोक्त अनुदान सहायता सभी भूमिधारक/भूमिहीन कृषक मजदूर को प्राप्त करने की पात्रता होगी।
3. प्राकृतिक प्रकोप या उनसे उत्पन्न घास, भूसे या पानी की कमी के कारण पशु की मृत्यु हुई है, तो ऐसी पशुहानि के लिए भी इस परिपत्र के अन्तर्गत आर्थिक सहायता दी जाएगी, किन्तु ऐसे मामलों में कलेक्टर पूर्ण जांच कर पशुधन विभाग से परामर्श कर तथा स्वंय के समाधान के बाद सहायता स्वीकृत कर सकेंगे।

(2) पशु राहत शिविर में चारा एवं पेयजल सप्लाई तथा दवाईयॉ :–

प्राकृतिक आपदस के समय पालतु पशुओं को पशुचारा हेतु रूपये 70.00 प्रति पशु प्रतिदिन बड़े पशुओं के लिए तथा रूपये 35.00 प्रति पशु प्रतिदिन छोटे पशुओं के लिए प्रभावित हितग्राहियों को सहायता देय होगी। राहत केम्पों का संचालन हेतु निर्धारित अवधि 30 दिवस, परन्तु राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा निर्धारित अवधि से 60 दिवस तक बढ़ाया जा सकता है। सूखे की स्थिति में उक्त अवधि 90 दिवस तक बढ़ाई जा सकती है। राज्य कार्यपालिक समिति उक्त मद पर राज्य आपदा मोचन निधि के वार्षिक प्रावधान का 25 प्रतिशत व्यय कर सकेगी।

(3) दवा और वैक्सीन :–

राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा निर्धारित और अनुशंसा अनुसार पशु जनगणना के अनुरूप तथा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित वास्तविक व्यय।

(4) राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा निर्धारित अनुशंसा अनुसार पशु जनगणना के अनुरूप वास्तविक व्यय।

नोट :–

(1) उक्त प्रयोजन के लिए प्रभावित क्षेत्रों में पशुचारे में कमी होने पर कृषि एवं पशुपालन विभाग की अनुशंसा पर उक्त राशि निर्धारित सीमा के अन्तर्गत सहायता के रूप में देय होगी।

(2) बाढ़, तूफान आदि प्राकृतिक आपदा के समय प्रभावित हितग्राहियों के साथ पशु भी प्रभावित होते हैं, इस संबंध में पशुपालन विभाग के परामर्श पर उक्त सहायता राशि देय होगी।

(तीन) मकान हानि के लिए आर्थिक अनुदान सहायता :–

किसी भी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप या आग लगने के कारण मकान पूर्ण रूप से नष्ट हो गया हो या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ हो तो निम्नानुसार आर्थिक अनुदान सहायता दी जा सकेगी :

(1) पूर्ण नष्ट पक्का/कच्चा मकान :–

(अ) पक्का/कच्चा मकान दोनों तरह के पूर्ण मकान हानि हो जाने पर सामान्य क्षेत्रों में रूपये 95,100.00 (रूपये पिच्चानवे हजार एक सौ) प्रति आवास अनुदान सहायता देय होगी।

(ब) एकीकृत कार्य योजना के जिलों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में पक्का/कच्चा, दोनों तरह के मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर रूपये 1,01,900/– (रूपये एक लाख एक हजार नौ सौ) प्रति आवास अनुदान सहायता देय होगी।

(2) साधारण क्षति :–

1. पक्का मकान 15 प्रतिशत क्षति होने पर रूपये 5,200/– (रूपये पांच हजार दो सौ) प्रति आवास सहायता अनुदान देय होगी।
2. कच्चा मकान 15 प्रतिशत क्षति होने पर रूपये 3,200/– (रूपये तीन हजार दो सौ) प्रति आवास सहायता अनुदान देय होगी।

(3) झोपड़ी के क्षतिग्रस्त :–

प्राकृतिक प्रकोपों से अस्थाई आवास, मिट्टी, छपपर, गीली मिट्टी से बना या प्लास्टिक सीट से बनी झोपड़ी के क्षतिग्रस्त होने पर रूपये 4,100/– (रूपये चार हजार एक सौ) प्रति झोपड़ी अनुदान सहायता देय होगी। उक्त झोपड़ी चाहे स्वंय की आवास भूमि या शासकीय भूमि पर बना हो, सभी को अनुदान सहायता की पात्रता होगी।

(4) पशुगृह (जो आवास से संलग्न हो) :–

प्राकृतिक प्रकोपों से पशुगृह जो आवास के साथ संलग्न है, क्षतिग्रस्त होता है, तो रूपये 1,500/– (रूपये एक हजार पांच सौ) प्रति शेड अनुदान सहायता प्रदान की जाय।

(चार–1) कपड़ों एवं बर्तनों की क्षति के लिए आर्थिक अनुदान सहायता :–

प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना, नहर व तालाब फूटने के कारण मकान पूर्ण नष्ट होने/बह जाने या दो दिन तक जलमग्न रहने पर यदि संबंधित पीड़ित परिवार के दैनिक उपयोग के कपड़े नष्ट होने पर रूपये 1,800/– (रूपये एक हजार आठ सौ) प्रति परिवार एवं बर्तनों की हानि हुई है, तो रूपये 2,000.00 (रूपये दो हजार) प्रति परिवार तक की अनुदान सहायता दी जाएगी।

(चार–2) प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए व्यक्ति को अनुदान सहायता :–

प्राकृतिक आपदा बाढ़, तूफान, अग्नि दुर्घटना, नहर या तालाब के फूटने से मकान नष्ट होने के साथ–साथ यदि संबंधित पीड़ित परिवार के दैनिक उपयोगी कपड़े एवं बर्तनों की क्षति होने पर उक्त परिवार बेघर होने की स्थिति में उक्त परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को रूपये 60/– प्रतिदिन तथा बच्चों को रूपये 45/– प्रतिदिन अनुदान सहायता दी जायेगी। उक्त सहायता ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होगी, जो राहत शिविरों में नहीं रह रहे है।

(पांच) जनहानि के लिए निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता अनुदान :–

(1) प्राकृतिक आपदा, नैसर्गिक विपत्तियों के कारण एवं गड्डे में गिरने से मृत्यु होने पर, सर्प, बिच्छु, गुहेरा या मधुमक्खी के काटने, नदी, तालाब, बांध, कुंआ, नहर, नाला में डूबने से अथवा नाव दुर्घटना एवं रसोई गैस का सिलेण्डर फटने, खदान धसकने, लू (Sun Stroke) से मृत्यु हो जाने पर मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति/वारिस को **रूपये 4,00,000/– (रूपये चार लाख)** की सहायता दी जाएगी। इसके लिए मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार /नायब तहसीलदार द्वारा घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचकर मृत्यु होने एवं उसके कारणों की जांच की जाएगी और जहां संभव हो डॉक्टर से मृतक का परीक्षण भी कराया जाएगा। मृत्यु होना पाए जाने पर **कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जाएगी।** आग से जलने के कारण मृत्यु होने पर भी इसी के अनुसार सहायता दिया जाएगा। मृत व्यक्ति में बच्चा भी शामिल समझा जाएगा। परिवार में एक से अधिक मृत्यु होने पर वारिस को सहायता अनुदान प्रत्येक मृतक के मान से देय होगा। बिजली गिरना नैसर्गिक विपत्ति है।

(2) बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्ड में गिरने के कारण इन वाहनों पर सवार व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर मृतकों के आश्रितों को रूपये 2,00,000/– (रूपये दो लाख) की आर्थिक सहायता प्रति मृतक के मान से देय होगी।

नोट :–

1. राज्य के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु प्राकृतिक आपदा से अपने गृह जिले के अतिरिक्त अन्य जिले में होती है, तो मृतक व्यक्ति के परिवार को उसके मूल गृह जिले से अनुदान सहायता प्रदान की जाये। मृत्यु स्थल से घटना का सत्यापन प्राप्त कर संबंधित कलेक्टर अनुदान सहायता की स्वीकृति देंवे।
2. आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को भी अनुदान सहायता की पात्रता होगी।
3. राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों में उपरोक्त आपदाओं के समय किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस राज्य से घटना स्थल का प्रतिवेदन प्राप्त कर मृत व्यक्ति के मूल निवास जिले में मृतक परिवार को अनुदान सहायता प्रदान की जावे।
4. ऐसे भारतीय नागरिकख जो अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिये है, राज्य में उपरोक्त आपदाओं से मृत्यृ होती है, तो उनके परिवार को आर्थिक अनुदान सहायता की पात्रता नही होगी।
5. उपरोक्त प्राकृतिक आपदा के समय किसी विदेशी नागरिक की मृत्यु होती है, तो उपरोक्त आर्थिक अनुदान सहायता की पात्रता नहीं होगी।
6. आंधी, तूफाल, अतिवृष्टि, बाढ़ की स्थिति के दौरान पेड़/डंगाल के गिरने अथवा विद्युत प्रवाह/तार से मृत्यु होती है, तो दैवीय विपत्ति माना जायें।

(छः) शारीरिक अंग हानि के लिए आर्थिक सहायता :–

(1) प्राकृतिक प्रकोप बाढ़, तूफान, भूकम्प, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन के साथ–साथ आकाशीय बिजली गिरने या अग्नि दुर्घटना के कारण यदि किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण अंग की स्थाई स्वरूप की हानि होती है, जैसे–हाथ, पैर या दोनों आंखों की हानि 40 प्रति से 60 प्रतिशत तक अक्षमता हुई हो, तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को रूपये 59,100.00 (रूपये उन्नसठ हजार एक सौ) की अनुदान सहायता दी जाएगी। प्रमुख चिकित्सक या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल के चिकित्सकों द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किये जाने पर **कलेक्टर अनुदान सहायता की स्वीकृति प्रदान करेगें।**

(2) प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण यदि किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण अंग की स्थाई स्वरूप की हानि होती है, जैसे–हाथ, पैर या दोनों आंखों की हानि 60 प्रतिशत से अधिक अक्षमता हुई हो, तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति को रूपये 2,00,000,00 (रूपये दो लाख) की अनुदान सहायता दी जाएगी। प्रमुख चिकित्सक या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल के चिकित्सकों द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किये जाने पर **कलेक्टर अनुदान सहायता की स्वीकृति देंगे।**

(3) प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण यदि किसी व्यक्ति को गंभी शारीरिक क्षति होने के कारण एक सप्ताह तक या उससे अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर रूपये 12,700/– (रूपये बारह हजार सात सौ) प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देय होगी।

(4) प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण यदि किसी व्यक्ति को गंभी शारीरिक क्षति होने पर एक सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती रहने पर रूपये 4,300/– (रूपये चार तीन सौ) प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देय होगी।

(सात) कुम्हारों को ईट, खपरे तथा बर्तन हानि :–

कुम्हार के भट्टे में ईट, खपरे या अन्य मिट्टी के बर्तन बरबाद होने पर रूपये 4,100/– (रूपये चार हजार एक सौ) प्रति कुम्हार अनुदान सहायता देय होगी।

(आठ) अग्नि पीड़ित दुकानदारों को सहायता :–

यदि अग्नि दुर्घटना में दुकान जलकर नष्ट हो जाती है, तो निम्न प्रतिबंधों के साथ सहायता एवं ऋण उपलब्ध कराए जायेंगे :–

(1) अग्नि पीड़ित दुकानदारों को अधिकतम रूपये 20,000/– (रूपये बीस हजार) तक प्रति दुकानदार आर्थिक सहायता एवं रूपये 75.000/– (रूपये पचहत्तर हजार) तक के ऋण की पात्रता होगी।

(2) सहायता तथा ऋण केवल ऐसे छोटे दुकानदारों को स्वीकृत किया जा सकेगा जिनके दुकानों का अग्नि बीमा न हो तथा दुकान के जल जाने से दुकानदार के पास जीविकोपार्जन के अन्य सभी साधनों से वार्षिक आय रूपये 2,000,00/– (रूपये दो लाख) से अधिक न हो।

(3) उपर्युक्त ऋण मांग संख्या–58–मुख्यशीर्ष 6245–दैवतीय विपत्तियों के संबंध में राहत के लिए कर्जे के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

(4) उपरोक्तानुसार सहायता एवं ऋण अग्नि पीड़ित दुकानदारों के अलावा बाढ़ पीड़ित दुकानदारों को भी देय होगी।

(नौ) हस्तशिल्प/हाथकरधा कारीगरों को सहायता :–

(1) हाथरकधा बुनकरों के औजार एवं उपकरण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने पर रूपये 4,100/– (रूपये चार हजार एक सौ) प्रति कारीगर अनुदान सहायता देय होगी। उक्त सहायता सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित किये जाने पर मान्य होगी।

(2) हाथकरधा में उपयोग होने वाला कच्चा माल/निर्माणाधीन माल एवं निर्मित माल नष्ट होने पर रूपये 4,100/– (रूपये चार हजार एक सौ) प्रति कारीगर अनुदान सहायता देय होगी। उक्त सहायता सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित किये जाने पर मान्य होगी।

(दस) राहत, खोज और बचाव, सफाई कार्य :–

(1) अस्थायी राहत कैम्पों में निःशुल्क रहने एवं भोजन की व्यवस्था :–

प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण पीड़ितों को तत्काल राहत के रूप में अस्थायी कैम्पों में रखा जाना आवश्यक हो, तो कलेक्टर ऐसी स्थिति में अधिकतम 30 दिनों तक अस्थायी कैम्प चलाने की स्वीकृति दे सकेंगे। सूखा तथा भूकम्प की स्थिति में इसे 60 दिनों तक तथा पुनः 90 दिन तक बढ़ाई जा सकेगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य आपदा मोचन निधि के संचालन हेतु गठित समिति के अनुमोदन से राहत कैम्प संचालित किये जा सकेंगे। इस प्रकार अस्थायी कैम्पों को चलाने के लिए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 60/– (रूपये साठ) भोजन आदि की व्यवस्था हेतु व्यय किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त अस्थायी कैम्प के लिए की गई व्यवस्था पर हुए वास्तविक व्ययों की प्रतिपूर्ति करने के लिए कलेक्टर अधिकृत रहेंगे। राज्य कार्यपालिक समिति राज्य आपदा मोचन निधि की वार्षिक प्रावधान का 25 प्रतिशत इस मद में व्यय कर सकती है।

(2) अत्यावश्यक सामाग्रियों का एयर ड्रॉपिंग :–

राज्य कार्यपालिक समिति की अनुशंसा अनुसार या रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित मूल्य दर पर अत्यावश्यक सामग्रियों के एयर ड्रापिंग कार्य का वास्तविक व्यय।

(3) आपातकाल में पेयजल परिवहन :–

राज्य कार्यपालिक समिति के अनुमोदन निर्धारित 30 दिवस के लिए तथा सूखा की स्थिति में 90 दिवस तक पेयजल परिवहन का वास्तविक व्यय। राज्य कार्यपालिक समिति राज्य आपदा मोचन निधि की वार्षिक प्रावधान का 25 प्रतिशत इस मद में व्यय कर सकती है।

(4) सार्वजनिक सीलों से मलवा हटाना :–

कार्य प्रारंभ से 30 दिवस के अन्दर प्राकृतिक आपदा के समय सार्वजनिक सीलों से मलवा हटाने पर राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा निर्धारित वास्तविक व्यय।

(5) बाढ़ जल निकासी :–

बाढ़ की स्थिति निर्मित होने पर आवास एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों से जल निकासी 30 दिवस के अन्दर राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा निर्धारित वास्तविक व्यय।

(6) लावारिस शव के अंतिम संस्कार के लिए सहायता :–

नैसर्गिक विपत्तियों के कारण हुई जनहानि के मामलों में लावारिस शव प्राप्त होने पर ऐसे लावारिस शवों का अंतिम संस्कार स्थानीय निकाय यथास्थिति ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर

पालिका या नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा, और इस प्रकार सम्पन्न किये गये अंतिम संस्कारों के लिए राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा निर्धारित अनुसार वास्तविक व्यय का भुगतान किया जावेगा।

(7) खोज एवं बचाव कार्य :–

नैसर्गिक विपत्तियों जैसे बाढ़ अतिवृष्टि, आंधी, तूफान, भूकम्प आदि की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों की खोज एवं बचाव कार्य राज्य कार्यपालिक समिति द्वारा निर्धारित अनुसार वास्तविक व्यय का भुगतान किया जावेगा।

(ग्यारह) मत्स्य कृषकों को हुये क्षति के लिए सहायता :–

(1) नाव तथा जाल हानि के लिए सहायता :–

बाढ़ व तूफान से प्रभावित मछली पकड़ने वालों की नावों (जो मशीन से संचालित न हों व जिनका बीमा न कराया गया हो), डोंगियों, मछली पकड़ने तथा अन्य उपकरणों को हुई हानि के लिए निम्नानुसार सहायता अनुदान दिया जाएगा :–

1.	नाव पूर्ण नष्ट होने पर	रूपये 9,600 / –
2.	नाव आंशिक क्षतिग्रस्त	रूपये 4,100 / –
3.	जाल पूर्ण नष्ट होने पर	रूपये 2,600 / –
4.	जाल आंशिक क्षति होने पर	रूपये 2,100 / –

(2) मत्स्य पालन प्रक्षेत्रों के मरम्मत एवं पुनर्स्थापन हेतु अनुदान सहायता :–

प्राकृतिक आपदा के समय लघु / सीमान्त कृषकों एवं भूमिहीनों को मत्स्य बीज प्रक्षेत्र हेतु रू. 8,200 / – (रूपये आठ हजार दो सौ) प्रति हेक्टेयर सहायता अनुदान देय होगी, उक्त सहायता अन्य शासकीय योजना से सहायता नही मिलने पर ही देय होगी।

नोट :–

(1) उपरोक्त सहायता राशि सभी प्रकार की आपदाओं के समय हुई क्षति के लिए देय होगी, परन्तु ऐसे कृषक को सहायता अनुदान प्राप्त होगी, जो उक्त मत्स्य पालन अपने जीविकोपार्जन के लिए करते हों।

(2) इस संबंध में मत्स्य पालन विभाग के द्वारा नुकसान का आकलन कराया जाकर विभाग की अनुशंसा के अनुसार ही उक्त सहायता राशि प्रदान की जावेगी।

(3) ऐसे मत्स्य बीज प्रक्षेत्र जिनका बीमा कराया गया हो या राज्य शासन, सहकारी संस्थायें, ग्राम पंचायतों सं निविदा से लिये गये प्रक्षेत्रों के लिए उक्त सहायता राशि देय नहीं होगी।

(बारह) कुंए या नलकूप के नष्ट होने पर दी जाने वाली सहायता :–

प्राकृतिक प्रकोप से निजी कुंआ यदि टूट–फूट या धंस जाता है, तो उसके मालिक को हानि के मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम रूपये 20,000 / – (रूपये बीस हजार) तथा निजी नलकूप टूट–फूट या पूर्ण नष्ट हो जाने पर उसके मालिक को हानि के मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम रूपये 40,000 / – (रूपये चालीस हजार) तक अनुदान सहायता देय होगी।

(तेरह) बैलगाड़ी तथा अन्य कृषि उपकरण नष्ट होने पर आर्थिक सहायता :–

आग अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा से कृषक की बैलगाड़ी अथवा अन्य कृषि उपकरण नष्ट हो जाने पर रूपये 10,000 / – (रूपये दस हजार) तक अनुदान सहायता वास्तविक आकलन के आधार पद देय होगी।

(चौदह) आपदा के समय निःशक्त वृद्ध व्यक्ति को 60 / – (रूपये साठ) प्रतिदिन एवं निराश्रित बच्चों को 45 / – (रूपये पैंतालीस) प्रतिदिन की दर से देय होगी।

नोट :–

(1) उपरोक्त सहायता राशि सूखा, बाढ़ भूकंप, तूफान आदि प्राकृतिक आपदा के समय देय होगी।

(2) उक्त सहायता राशि की स्वीकृति पंचायतों की अनुशंसा के आधार पर की जावे।

अध्याय–13

अनुसूचित जनजाति वर्गों के हितार्थ प्रसारित छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण परिपत्र

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय महानदी भवन,
नया रायपुर

– अधिसूचना –

क्रमांक / एफ13–21 / 2012 / आ.प्रा. / 1–3 नया रायपुर, दिनांक

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छ.ग. राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)

विषय :– **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के झूठ (फर्जी / गलत) प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही बाबत।**

संदर्भ – इस विभाग के परिपत्र क्रमांक / एफ 13–1 / 2008 / 1–3 दिनांक 24.07.2008 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19.08.2008।

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्रों का अवलोकन करें ।

2/ उक्त परिपत्रों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के झूठ (फर्जी / गलत) प्रमाण–पत्र के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों के विरूद्ध कार्यवाई करने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

3/ शासन के ध्यान में यह बात आई है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। अतः इस संबंध में दिशा–निर्देश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए। फर्जी जाति प्रमाण–पत्र के जिन मामलों में माननीय न्यायालय के द्वारा स्थगन प्रदान किया गया है, उन मामलों की समीक्षा विधि विभाग द्वारा की जाएगी तथा स्थगन समाप्त करने हेतु संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा अवश्यक कार्यवाही की जाएगी। माननीय न्यायालय के द्वारा स्थगन समाप्त करने पर संबंधित मामलें में तत्परतापूर्वक दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विभाग द्वारा तत्काल कार्यवाही की जए। यदि किसी मामलें में प्रभारी अधिकारियों की उदासीनता के कारण याचिका प्रकरण में शासन की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं हो पाने के कारण शासन को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ रहा हो तो संबंधित प्रभारी अधिकारी के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जाएगी साथ ही इस हेतु विभागीय सचिव को भी उत्तरदायी बनाया जाएगा।

4/कृपया उपर्यक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

सही/
(के.आर.मिश्रा)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय महानदी भवन,
नया रायपुर

क्रमांक/1681–21/जनदर्शन/2012/आ.प्र./1–3 नया रायपुर, दिनांक 27.11.2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, छ.ग. राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर्स
छत्तीसगढ़

विषय :– **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं किये जाने के संबंध में ।**

संदर्भ – इस विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 14–7/2003/1–3 दिनांक 06.08.2003 एवं एफ 13–3/आप्र/2008/1–3, दिनांक 12 जून, 2008

––000––

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में उदारता, सद्भावना पूर्वक कार्यवाही की अपेक्षा संदर्भित परिपत्रों में की गई है। शासन के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि सेवा संबंधी मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को गलती किये जाने पर भी सर्वप्रथम समझााइश दिया जाकर उनकी कार्य पद्धति में सुधार लाने का प्रयायस किये जाने तत्पश्चात भी यदि सुधान नहीं होता है तो उन्हें चेतावनी दी जावे। उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिकुल टिप्पणियां, कोई ठोस आधार हों तो ही पूर्ण विचारोपरान्त ही की जाएं।

3/ शासन द्वारा पुनः यह भी अपेक्षा की जाती है कि इन वर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर बार–बार स्थानान्तरण नहीं किया जाए तथा महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापना करते समय भी इन वर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ ीसि भी प्रकार का भेदभावपूर्ण कृत्य/व्यवहार किसी भी हालत में न हो।

4/इन निर्देशों के उल्लंघन के मामले शासन या वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.आर. ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

अध्याय–14

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के हितार्थ संचालित योजनाएं

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा गर्व कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ

- **राज्य छात्रवृत्ति :–** कक्षा तीसरी से पांचवीं की कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को तथा कक्षा 6 वीं से 10 वीं तक की कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण वर्ष के माह जून से मार्च तक 10 माह हेतु पात्रतानुसार राज्य छात्रवृत्ति दी जाती है। एक शैक्षणिक वर्ष के 10 माह हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति/अजजा के विद्यार्थियों को दी जाने वाली राज्य छात्रवृत्ति के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है।
- **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति :–** अजजा./अनु.जाति के कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं एवं उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जिनके पालकों की वार्षिक आय 2 लाख रूपये होने तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों को जिनके पालकों की वार्षिक आय 1 लाख रूपये होने तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- **ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति :–** प्रदेश के अनुसूचित जनजाति/जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शासन द्वारा संचालित की जा रही है। विगत कुछ वर्षो से छात्रों की बढ़ती संख्या के साथ छात्रवृत्ति की समय पर स्वीकृति एवं भुगतान सुनिश्चित करने में प्रशासन को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पडता है तथा समय पर छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण विद्यार्थियों समस्या का सामना करना पड़ता है। बालक/बालिका को 750 रूपये मासिक शिष्यवृत्ति प्रदान को की जाती है। एक वर्ष में यह शिष्यवृत्ति 10 माह हेतु दी जाती है।
- **छात्र गृह योजना :–** उच्चतर माध्यमिक स्तर पर महाविद्यालयीन विद्यार्थी उन्हें छात्रावासों में प्रवेश

उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए इस वर्ष से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पूरी प्रक्रिया का कम्प्यूटराईजेशन किया जाकर ऑनलाइन आवेदन एवं स्वीकृति की व्यवस्था की गई है तथा राशि का भुगतान प्राप्त करने के

लिए विद्यार्थियों को **''शिक्षा संगी छात्रवृत्ति''** कार्ड आबंटित किए जा रहे हैं। उपरोक्त कार्ड हेतु विद्यार्थियों को किसी प्रकार का बैंक खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होंगे।

किसी विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करके बायोडाटा की प्रवृष्टि एक बार करने के पश्चात उसे पूरे अध्ययनकाल में छात्रवृत्ति प्राप्त होती रहेगी और प्रतिवर्ष नया आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। ''शिक्षा संगी छात्रवृत्ति'' कार्ड में छात्रवृत्ति राशि राशि जम होने की सूचना विद्यार्थियों मोबाइल पर SMS से दी जाएगी। सूचना मिलते ही राशि का आहरण किसी भी बैंक के ATM से कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ATM न होने के कारण कई केन्द्रों पर बिजनेश करेंसपॉडेंट (BC) की व्यवस्था की गई है। इन केन्द्रों पर ATM की भॉति राशि आहरित किया जा सकता है।

- **प्रावीण्य उन्नयन योजना (केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना) :–** भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा शत् प्रतिशत सहायता से राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 9 वी से 12 वीं तक के मेधावी छात्र–छात्राओं के प्रावीण्य उन्नयन की योजना जुलाई 1999 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों हेतु 15000 रूपये एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों हेतु 19500 रूपये प्रति विद्यार्थी के मान से व्यय किये जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है।
- **छात्रावास/आश्रम सुविधा** :– अपने निवास के 3 कि. मी. की दूरी में शिक्षण संस्था न होने से अन्य संस्था में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, पानी, बिजली, भोजनालय सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश से छात्रावास/ आश्रम संचालित है। इन संस्थाओं निवासरत अनु.जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्री–मैट्रिक स्तर के
- **निःशुल्क गणवेश प्रदाय :–** प्रदेश के आदिवासी

नहीं मिल पाया हो उन विद्यार्थियों के आवास की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह योजना संचालित की जाती है। इसके अन्तर्गत 5 या उससे अधिक अनु. जाति/अनु. जनजाति विद्यार्थी जिस किराये के मकान में रहते हैं उनके किराये का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है एवं इस प्रकार के छात्र गृहों में निवासित विद्यार्थियों को छात्रावासी दर से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

- **कन्या साक्षरता प्रोत्साहन छात्रवृत्ति :–** अनु. जाति तथा अनु. जनजाति की बालिकाएं जिन्होंने कक्षा पांचवीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो उन्हें कन्या शिक्षा प्रोत्साहन के उद्देश्य से कक्षा छठवीं में प्रवेश लेने पर 500 रूपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
- **स्वस्थ तन–स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना :–** छात्रावास/आश्रमों में निवास करने वाले छात्र/छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू की गई है। इसके अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा विहीन क्षेत्रों में संचालित छात्रावास/आश्रम में निवासरत छात्र/छात्राओं का माह में 2 बार स्वास्थ्य परीक्षण योग्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा किया जाता है।
- **ग्रंथालयों की स्थापना :–** प्रदेश के तकनीकी महाविद्यालयों (चिकित्सा, अभियांत्रिकी, पॉलिटेकनिक, कृषि) में अध्ययनरत अनु. जाति तथा अनु. जनजाति विद्यार्थियों के लिए अलग से सुविधा पूर्ण ग्रंथालय की स्थापना हेतु इन संस्थाओं को इस विभाग द्वारा वित्तीय प्रावधान उपलब्ध कराया जाता है।
- **मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजना :–** प्रदेश के 85 आदिवासी विकासखण्डों के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं तथा प्राथमिक स्तर के आश्रमों में विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन दिया जाता है।
- **अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को राज्य अनुदान :–** प्रदेश की ऐसी अशासकीय शिक्षण संस्थाएं जो अनु.जाति तथा अनु. जनजाति के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान में लगे हुए हैं उन्हें विभाग द्वारा शतृ प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
- **बोर्ड परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति :–** 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अनु. जाति तथा अजजा. के विद्याार्थियों को लगने वाली बोर्ड परीक्षा शुल्क की शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाती है।

  लिए मिडिल स्कूलों का हाईस्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया गया।
- **मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना :–** यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू की गई है। इसके अन्तर्गत कक्षा 10वीं एवं 12वीं के मेधावी छात्र जो बोर्ड की

अंचल में कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन करने, शिक्षा त्यागने की प्रवृत्ति कम करने एवं शिक्षा के प्रति सतत जागरूकता बढ़ाने के लिए आदिवासी विकासखण्डों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति था गरीबी रेखा से नीचे की छात्राओं तथा विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्रों को भी गणवेश वितरण किया जाता है।

- **जवाहर अनुसूचित जनजाति उत्कर्ष योजना :–** इस योजना के अन्तर्गत राज्य के अनुसूचित जाति के प्रतिभावन छात्र–छात्राओं के शिक्षा बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु उत्कृष्ट आवासीय शिक्षण संस्थाओं (शासकीय एवं निजी) में प्रवेश दिलाकर प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है। इस योजना के तहत राज्य के प्रतिभावन अनुसूचित जाति वर्ग के 50 छात्रों को कक्षा 6वीं में एवं 20 छात्रों को कक्षा 9वीं में राज्य स्तर पर चयन कर राज्य के बेहतर परिणाम देने वाले स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाता है। इन शालाओं में पढ़ने वाले चयनित छात्र/छात्राओं का सम्पूर्ण व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाता है।
- **विशेष शिक्षण केन्द्र योजना :–** दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों का अभाव बना रहता है। इसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते है। इस योजना का उद्देश्य अनु. जाति तथा अनु. जनजाति छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों को विशेष शिक्षक के माध्यम से कठिन विषयों के परीक्षा परिणाम पर गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने योग्य बनाना है।
- **छात्र भोजन सहाय योजना :–** इसके तहत कक्षा 11वीं एवं आगे की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रावासी विद्यार्थियों को केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति दी जाती है। जिसकी दरें पर्याप्त नहीं होने के कारण छात्रावासों में भोजन व्यवस्था हेतु अपने घर से धनराशि की व्यवस्था करनी पड़ती है। शिक्षा के इस स्तर पर छात्र–छात्राओं को विशेष पोषण आहार की भी आवश्यकता होती है इसकी प्रतिपूर्ति हेतु पूरक रूप में सहायता देना जिससे छात्र–छात्राओं का अध्ययन प्रभावित न हों। इसके अन्तर्गत प्रतिमाह 200 रूपये की सहायता दी जाती है।
- **कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना :–**इस योजना का उद्देश्य अनु. जाति तथा अनु. जनजाति वर्ग के छात्रावास/आश्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कम्प्यूटर फ्रेन्डली बनाना है, जिससे वे कम्प्यूटर आधारित शिक्षण एवं कार्य में दक्ष हो सके। इस योजना के अन्तर्गत कक्षा छठवीं से विद्यार्थियों को कम्प्यूटर फ्रेन्डली बनाने हेतु कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जा रही है।
- **शालाओं का उन्नयन :–** आदिवासी क्षेत्र में पर्याप्त

परीक्षा में कम से कम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें रूपये 10,000 प्रतिवर्ष एकमुश्त छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के 300 विद्यार्थी एवं अनुसूचित जनजाति के 700 विद्यार्थी का चयन किया जाता है।

- **ऑपरेशन मुस्कान :–** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे छात्रों जिनके होठ कटे एवं विकृत व तालू आदि समस्या है। ऐसे लोगों का सर्वे कराकर चिन्हांकित व्यक्तियों का छ. ग. शासन द्वारा ऑपरेशन मुस्कान योजना के अन्तर्गत ईलाज कराया जाता है। इलाज का सम्पूर्ण व्यय छ.ग. शासन निःशुल्क कराया जाता है।
- **निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना :–** आदिवासी क्षेत्रों के भौगोलिक स्थिति नदी, पहाड़, ग्रामों से स्कूल की दूरी एवं विरल जनसंख्या के कारण छात्राओं की शिक्षा बाधित होती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिकाओं की हाईस्कूल तक की शिक्षा को सुगम बनाने हेतु निःशुल्क सायकल प्रदाय करने की योजना वर्ष 2004–05 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2007–08 में विशेष पिछड़ी जनजाति के बालाकों को तथा वर्ष 2007–08 से पिछड़ा वर्ग एवं अन्य वर्ग की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली बालिकाओं को भी निःशुल्क सायकल वितरित की जा रही है।
- **स्काउट एवं गाईड :–** स्काउट गाईड में विभिन्न शिविरों/योजनाओं में शामिल होने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाती है।
- **आदर्श शाला पुरस्कार योजना :–** इस योजना का उदे्श्य हाईस्कूल/उ.मा.वि. में स्वच्छ शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कराना है। इसके तहत प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ तीन शालाओं को शैक्षणिक वर्ष में किये गये उपलब्धियों हेतु पुरस्कृत किया जाता है।
- **आदर्श शिक्षक पुरस्कारः–** योजना का उदे्श्य स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शालाओं के शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने/अनुशासन नियमितता एवं आदिवासी शिक्षा के विकास में उच्च प्रतिभा स्थापित करने के आधार पर आदर्श शिक्षक का चयन कर प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत किया जाना है। योजनान्तर्गत चयनित शिक्षकों को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में निर्धारित पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ती पत्र प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार जिला एवं राज्य स्तर पर दिया जाता है।

- **नर्सिंग प्रशिक्षण :–** वर्ष 2009–10 से प्रवेश में बीएससी नर्सिंग''' चार वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा हेतु योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं अनु. जनजाति हाईस्कूल/हायरसेकेण्डरी स्कूल न होने के कारण ग्रामीण छात्र–छात्राएं कक्षा 8वीं के बाद पढ़ाई जारी रखने में दिक्कत महसूस करते थे। इस समस्या को हल करने के

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना

- **आस्था :–** नक्सली हिंसा से अनाथ हुए/प्रभावित बच्चों को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु दन्तेवाड़ा में ''आस्था गुरूकुल विद्यालय'' संचालित है। छात्र वर्ष भर इस संस्था में रहते है। सभी व्यवस्था निःशुल्क है।
- **निष्ठा :–** नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों के बच्चों को अशासकीय संस्थाओं के सहयोग से उनके अध्ययन की व्यवस्था 'निष्ठा' के तहत की गई है। वर्तमान में राजनांदगांव में यह व्यवस्था है।
- **प्रयास :–** प्रदेश की राजधानी रायपुर में ''प्रयास'' नामक 300 सीटर बालक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। विद्यालय में नक्सली क्षेत्र के प्रभावित बच्चों की गुणवत्तायुक्त शिक्षा एवं प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षणिक वातारण प्रदान किया जाता है। इस विद्यालय में प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों के प्रथम श्रेणी में 10वीं उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया गया। आवासीय विद्यालय प्रयास में कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं के अध्ययन के साथ–साथ आई.आई.टी., ए.आई.ई.ई.ई., पी.एम.टी. एवं पी.ई.टी. की विशेष कोचिंग प्रदान की जा रही है। विगत वर्षो में प्रयास के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर सफलता के नवीन कीर्तिमान स्थापित किये हैं।
  जून 2012 में राज्य के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा बालकों के उल्लेखनीय परिणामों को ध्यान में रखते हुए बालिकाओं हेतु भी कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय का उद्घाटन गुढ़ियारी रायपुर में किया गया है।
- **प्री–इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल कोचिंग योजना :–** कक्षा 12वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ऐसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों जिनके पालक आयकरदाता न हों, को बेहतर राष्ट्र स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेजों (आई. आई.टी तथा एन.आई.टी.) में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2011–12 से प्रारंभ की गई है।
  केवल वर्ष 2011–12 हेतु शासन द्वारा छात्रों की अनुपलब्धता के कारण नक्सल प्रभावित जिलों के लिये कक्षा 12वीं की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने एवं गैर नक्सल प्रभावित जिलों के 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों के चयन के मापदण्ड की कंडिका–3 के अन्तर्गत प्रवेश की पात्रता में छूट प्रदान की गई है। वर्तमान में 2012–13 में उक्त योजना के अन्तर्गत कक्षा 12वीं की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक नक्सल प्रभावित जिलों के मेधावी छात्रों के चयन करने का मापदण्ड निर्धारित है।

विद्यार्थियों के द्वारा निजी नर्सिंग कालेज में प्रवेश प्राप्त करने पर ट्यूशन फीस, छात्रावास एवं भोजन आदि पर व्यय हेतु सहायता प्रदान की जा रही है।

- **एयर क्राप्ट मेंटनेंस इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम :–** अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए एयर क्राप्ट मेंटनेंस इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन सुविधा योजना वर्ष 2012–13 से प्रारंभ की गई है। योजना का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को टेक्निशियन, जूनियर इंजीनियर, एयर क्राप्ट मेंटनेंस इंजीनियर के रूप तैयार कर रोजगार योग्य बनाना है।
- **निःशुक्ल पाठ्यपुस्तकों का वितरण :–** कक्षा 1 से 8वीं तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण सर्व शिक्षा अभियान के तहत किया जा रहा है।
- **अन्तर्जातीय विवाह :–** किसी सवर्ग युवक/युवती का अनु. जाति के युवक/युवती से विवाह करने पर ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने वाले दम्पत्ति को पूर्व में रूपये 6000/– नगद एवं प्रशस्ती पत्र से सम्मानित किये जाने का प्रावधान था, जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदेश दिनांक 28.08.2009 द्वारा बढ़ाकर 25,000 रूपये किया गया है तथा दिनांक 06.07.2011 से वृद्धिकर 50,000 रूपये किया गया है।
- **सद्भावना शिवरों का आयोजन :–** अस्पृश्यता निवारण की भावना से प्रचार–प्रसार लोगों के बीच सौहार्द पूर्ण वातारण निर्माण के उदेश्य से अनु. जाति बाहुल्य क्षेत्र के किसी एक ग्राम में प्रतिवर्ष सद्भावना शिविर आयोजन किया जाता है, जिसमें वर्ण भेद रहित सामुहिक भोज, वाद–विवाह प्रतियोगिता संभाषण एवं शिक्षाप्रद चित्रपट आदि प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाता है।
- **स्वरोजगार मूलक वित्तीय सहायता योजना :–** आदिवासी वित्त एवं विकास निगम अत्यावासी सहकारी समिति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्संख्यक वित्त विकास निगम द्वारा आरक्षित वर्ग के लोगों को निम्नांकित व्यवसाय हेतु ऋण एवं अनुदान प्रदान किया जाता है।

  अनु. जनजाति को ऋण एवं अनुदान :– गरीबी रेखा एवं दुगनी गरीबी रेखा के अन्तर्गत आने वाले अनु. जनजाति के लोगों को ट्रेक्टर ट्राली, आटो रिक्शा, कमान्डर, जीप, मीनी बस, मीनी ट्रक, सुअर पालन, मुर्गी पालन, डेयरी, टेन्ट हाउस, होटल, ढाबा, जनरल स्टोर्स आदि व्यवसायों के लिए लागत राशि का 80 प्रतिशत ऋण दिया जाता है तथा नाबार्ड योजना के अन्तर्गत रूपये 6000/– की अधिकतम सीमा तक अनुदान दिया जाता है।
-
- **विभागीय संस्थाओं के लिये भवनों का निर्माण :–** योजनान्तर्गत भवन विहीन छात्रावासों/आश्रमों,

यूथ हॉस्टल नई दिल्ली :– संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु द्वार का नई दिल्ली में 100 सीटर ट्रायबल यूथ हॉस्टल की स्थापना वर्ष 2012 में की गई है। राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के पा विद्यार्थी सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं की तैयारी सुविधापूर्वक दिल्ली में रहकर कर सकेंगे। छात्रावास में स्वीकृत 100 सीट में 50 सीट अनुसूचित जनजाति, 30 सीट अनुसूचित जाति तथा 20 सीट पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थी के लिए आरक्षित होगी।

- **अनु.जनजातियों के लिए ऋण एवं अनुदान :–** गरीबी रेखा या दुगनी गरीबी रेखा के अन्तर्गत आने वाले बेरोजगारों को ट्रेक्टर, ट्राली, आटो रिक्शा, टेन्ट हाउस, बैण्ड पार्टी, ब्यूटी पार्लर, जूता–चप्पल दुकान, सुअर पालन, बैण्ड पार्टी, डी.टी.पी. (कम्प्यूटर) आदि के लिये लागत राशि का 80 प्रतिशत ऋण तथा नाबार्ड योजना के तहत 6000/– की अधिकतम सीमा तक अनुदान दिया जाता है।

  अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं को निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना।

  प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टि से वर्ष 2008–09 से निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की गई है।

क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

- **स्थानीय विकास कार्यक्रम :–** योजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के मद में प्राप्त राशि से परियोजना सलाहकार मण्डल की सलाह एवं स्वीकृति से जिले की आदिवासी उपयोजना क्षेत्र लघु अंचल क्षेत्र एवं डामा पाकेट क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर पेयजल सुविधा, पहुंच मार्गो, पुल–पुलियों, रपटों का निर्माण, शिक्षा संस्था भवनों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण, चिकित्सक आवास गृह आदि के निर्माण कार्य निष्पन्न कराये जाते है तथा इस राशि से परिवार मूलक कार्य भी किये जाते है।

  क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम :– जिले के 80 प्रतिशत से अधिक अनु. जाति बाहुल्य ग्रामों, टोलों में मूलभूत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के उदेश्य से शासन से प्राप्त अनाबद्ध राशि से स्थानीय जरूरत एवं प्राथमिकता के आधार पर पेयजल सुविधा, नाली, खरंजा निर्माण, प्राथमिक शाला भवनों का निर्माण छात्रावासों/आश्रमों को न्यूनतम आवश्क सामाग्रियों का प्रदान सामूहिक सिंचाई आदि कार्य जनपद पंचायतों के माध्यम से कराये जाते है।
- **अ. अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा :–** प्रारंमिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु रूपये 1,00,000 (रूपये एक लाख) मात्र.

उच्चतर माध्यमिक शालाओं, हाईस्कूलों के लिए भवनों के निर्माण एवं साधारण मरम्मत के कार्य एवं अन्य निर्माण एजेंसियों के माध्यम से कराये जाते है।

- **निःशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण :–** छत्तीसगढ़ राज्य में अत्यावासी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से 15 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों पर अनु. जनजाति वर्ग के युवक–युवतियों को विभिन्न व्यवसायों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- **एअर होस्टेस, एविएशन, हास्पिटलिटी एवं हॉटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्रशिक्षण योजना :–** अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के युवाओं को निःशुल्क पायलेट प्रशिक्षण की योजना वर्ष 2007–08 से प्रारंभ की गई है।
- **सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष :–** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केन्द्र एवं राज्य की सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ''सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009'' वर्ष 2010–11 में प्रारंभ की गई है।

  इसके अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की किसी भी स्तर में सफल होने पर संबंधित आयोग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र या अधिकृत दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर परीक्षण उपरान्त निम्नानुसार राशि एकमुश्त प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।
- **आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना :–** छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्य के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी की पहचान उसकी संस्कृति है। इस संस्कृति के अन्तर्गत उनकी विशिष्ट वेशभूषा, नृत्य, वाद्ययंत्र उनके धार्मिक पूजा पद्धति रिवाज आदि है। आदिवासी संस्कृति का मुख्य अंग आदिवासी नृत्य एवं संगीत है। ग्रामों में आदिवासी अर्थाभाव के कारण नृत्य एवं संगीत हेतु आवश्यक पारंपरिक वाद्ययंत्र एवं सह सामाग्री की व्यवस्था नहीं कर पाते है जिससे वे अपने इस विशिष्ट संस्कृति को बचाये रखने के में असफल हो रहे है। इस संस्कृति के परिरक्षण एवं संवर्धन हेतु ग्रामों के सांस्कृतिक दलों को आवश्यक सामाग्री की व्यवस्था हेतु सहायता दिया जाना है। वर्ष 2006–07 इस योजना का विस्तार करते हुए राज्य के समस्त विकासखण्डों को सम्मिलित किया गया है। योजनान्तर्गत सांस्कृतिक दल को 10 हजार रूपये प्रदान किया जाता है।

ब. राज्य सिविल सेवा परीक्षा :–

प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर रूपये 10,000 (दस हजार मात्र)

मुख्य परीक्षा में सफल होने पर रूपये 20,000 (बीस हजार मात्र)

- **शासकीय बुनियादी आदर्श विद्यालय, नारायणपुर :–** 500 सीटर बालक शासकीय बुनियादी आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 500 सीटर कन्या शासकीय बुनियादी आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना वर्ष 2012–13 में नारायणपुर जिले की गई है। इससे प्रदेश के दूरस्थ अंचल के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा के साथ हायर सेकेण्डरी स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।
- **युवा कैरियर निर्माण योजना :–** अनु. जाति एवं अनु. जनजाति वर्ग के स्नातकों को संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष कोचिंग प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान का चयन करके रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया से पिछड़ा वर्ग के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं।

लोककला महोत्सव

- **शहीद वीरनारायण सिंह लोककला महोत्सव :–** शहीद वीरनारायण सिंह के स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोककला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान, जिला–बलौदा बाजार में किया जाता है। प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोककला दल को प्रथम पुरस्कार 1 लाख रूपये द्वितीय पुरस्कार 75 हजार रूपये एवं तृतीय पुरस्कार 50 हजार रूपये दिया जाता है।
- **जनश्री बीमा योजना :–** छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति समूह यथा पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार, बैगा एवं अबूझमाड़ परिवारों के 18 से 60 आयु वर्ग के मुखिया को सुरक्षा प्रदान कर लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2004–05 से केन्द्र शासन की मंशानुसार जनश्री बीमा योजना संचालित की जा रही है।

छ.ग. राज्य अंत्यावासी सहकारी वित्त एवं विकास निगम

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित रायपुर का गठन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (पुर्नगठन और निर्माण) अध्यादेश क्रमांक–2000 (मध्यप्रदेश अध्यादेश क्रमांक 04 सन् 2000) के अन्तर्गत किया गया है। निगम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सफाई कामगार वर्ग के आर्थिक विकास के दायित्व का निर्वहन कर रहा है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण हेतु उद्यमी विकास संस्थान

पुरस्कार एवं सम्मान

- **शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान :–** अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को प्रतिवर्ष यह सम्मान प्रदाय किया जाता है। इस सम्मान में 2 लाख रूपये की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।
- **स्व. भंवर सिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान :–** अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को प्रतिवर्ष यह सम्मान प्रदाय किया जाता है। इस सम्मान में 2 लाख रूपये की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदाय की जाती है।
- **जनजातियों के पूजा स्थल (देवगुड़ी) का परिरक्षण एवं विकास :–** योजना का उद्देश्य राज्य के आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के ग्रामों एवं अन्य क्षेत्रों में आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के अनुसूचित जनजातियों के आदिवासी पुरातन संस्कृति को संरक्षित करने हेतु श्रद्वा स्थलों (देवगुड़ी) ग्राम देवता स्थलों का परिरक्षण एवं विकास करना है। यह कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाता है। योजना के क्षेत्र में विस्तार करते हुए इसमें राज्य समस्त आदिवासी ग्राम सम्मिलित किये गये है।

आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

छ.ग. राज्य के गठन के तत्काल पश्चात राज्य शासन द्वारा यह महसूस कियाग या है कि राज्य को आदिवासी अंचल एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों के सर्वागीण विकास के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया जावें। फलस्वरूप आदिवासी अंचलों के विकास हेतु –

अ. बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
ब. सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

का गठन राज्य शासन के आदेश क्र. /एफ–7–5/04/01/06, दिनांक 20 मई 2004 द्वारा किया गया।

गठन एवं विस्तारः– प्रारंभ में बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्रधिकरण के अंतर्गत जिला कांकेर, बस्तर एवं दंतेवाड़ा ही सम्मिलित किये गये थे, बाद में इसका क्षेत्र विस्तार कर धमतरी जिले की नगरी, दुर्ग जिला का डौण्डीलोहारा, राजनांदगांव जिले का राजनांदगांव एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र को विकास प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित किया गया। साथ ही राजनांदगांव जिले का नचनिया एवं जिला कवर्धा का 'माडा' क्षेत्र भी प्राधिकरण के अंतर्गत सम्मिलित किए गए।

सरगुजा विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्रारंभ में जशपुर, सरगुजा एवं कोरिया जिला ही सम्मिलित की समस्त इकाई एवं पूर्व में विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण यह उत्पादन केन्द्रों का विलय इस निगम में कर दिया गया है। इस निगम की पूंजी का 51 प्रतिशत राज्य की अंशपूंजी हिस्सा एवं 49 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सा है। निगम द्वारा छ.ग. राज्य के निर्धारित मापदण्ड में आने वाले हितग्राही क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व सफाई कामगार वर्ग के उत्थान में वित्तीय ऋण सहायता निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत दी जाती है।

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण के समय अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, रीति–रिवाज, रहन–सहन, अन्य सांस्कृतिक तथा अनुसंधानिक तथ्यों के अभाव में इन वर्गो के विकास हेतु योजना निर्माण में कठिनाई महसूस हुई थी जिसके फलस्वरूप भारत सरकार ने वर्ष 1954 में पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार एवं परिश्चम बंगाल राज्य सरकारों को आदिम जाति, अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिये थे।

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। छत्तीसढ़ राज्य की कुल जनसंख्या में से 30.06 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों का तथा 12.8 प्रतिभाग अनुसूचित जाति वर्ग का है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ के लिए 15 वें आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के रूप में दिनांक 2 नवम्बर 2004 को राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत किया गया । इस संस्थान द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जा रहे है–

1. राज्य की अनुसूचित जनजातियों/जातियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति का अनुसंधान, सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन करना।
2. अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
3. आदिवासी संस्कृति एवं कला का प्रलेखन एवं संरक्षण करना।
4. जाति–प्रमाण–पत्र जारीकर्ता अधिकारियों एवं अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ विभिन्न विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
5. गलत/फर्जी जाति प्रमाण–पत्रों की जांच करना।
6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समस्त राज्यों सरकारों को दिए गए निर्देश के परिपालन में आरक्षित पदों पर नियुक्ति एवं पाठ्यक्रमों में प्रवेश से पूर्व फर्जी जाति प्रमाण–पत्रों को निरस्त करना।
7. विभागाध्यक्ष या राज्य शासन या केन्द्र शासन द्वारा समय–समय पर सौंपे गए कार्य।

नवीन कन्या शिक्षा परिसरों की स्थापना

बालिकाओं के शिक्षा को प्रोन्नत करने के दृष्टि से प्रदेश के जनजातिय क्षेत्रों में बालिकाओं को शिक्षा

किया गया था, बाद में इस प्राधिकरण क्षेत्र का विस्तार करते हुए जिला कोरबा (पूर्ण राज्य जिला), रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ एकीकृत विकास परियोजना एवं बिलासपुर जिले का गौरेला परियोजना क्षेत्र को सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया।

उद्देश्य–आदिवासी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत् जनजाति समुदाय के विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण एवं कियान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाता है। श्रेत्र में निवासरत जनजाति समुदायों के आर्थिक विकास संस्कृति के संरक्षण क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा अंचल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन

राज्य के असूचित जाति क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य शासन के आदेश क्र./एफ–7–9/04/ 1/06, दिनांक–23.10.2004 द्वारा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।

अनुसूचित जाति प्राधिकारण का क्षेत्र– प्राधिकरण गठन के साथ–साथ अनुसूचित जाति बाहुल्य 09 जिलों को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किये गये। जिले निम्नानुसार है :–1.जांजगीर–चांपा, 2. बिलासपुर, 3. रायपुर, 4. रायगढ़, 5. दुर्ग, 6. कबीरधार, 7. महासमुंद, 8. कोरबा, 9. राजनांदगांव

वर्तमान में राज्य के धमतरी जिले में निवासरत अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या को भी प्राधिकरण अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है।

प्रावधान– अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में भी आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्य स्वीकृत किये जाते है।

सुनिश्चित करने एवं गणवत्ता मूलतः शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्य के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में 5 कन्या शिक्षा परिसर (1. भानपुरी–जिला बस्तर, 2. सूरजपुर–जिला–सूरजपुर, 3. भोरमदेव–जिला–कबीरधाम, 4. बीजापुर–जिला–बीजापुर, 5. बहीगांव–जिला–कोण्डागांव) कक्षा–6वीं से 12वीं तक प्रारंभ किया गया है। इन शिक्षा परिसरों के माध्यम से दूरस्थ जनजातीय अँचलों की छात्राओं को कक्षा 6वीं से 12वीं तक महत्वपूर्ण शिक्षा निःशुल्क आवासीय एवं मेस सुविधा सहित प्राप्त होगी।

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु आवासीय सुविधा

युवा कैरियर निर्माण योजना अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को बैंकिग, रेल्वे भर्ती एवं कर्मचारी चयन आयोग इत्यादि द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं। प्रत्येक केन्द्र में 100–100 अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। इन प्रतिभागियों के सुविधापूर्ण आवास हेतु बिलासपुर और जगदलपुर स्थित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र 100–100 सीटर नवीन छात्रावास निर्माण की योजना प्रस्तावित है।

छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि

प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 3री से 10वीं तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति की दरों में दोगुनी वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार प्री मैट्रिक छात्रावास तथा आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों के मेस संचालन में सुविधा एवं गुणवत्तापूर्ण आहार उपलब्ध कराने की दृष्टि से शिष्यवृत्ति की वर्तमान दर रू. 650.00 से बढ़कर रू. 150.00 किया गया है तथा पो.मै. छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों हेतु भोजन सहाय योजना की वर्तमान राशि रू. 200.00 में दोगुनी वृद्धि करते हुए रू. 400.00 किया गया है।

अध्याय–15

शासन के विभागों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति हित में संचालित योजनाएं

अनुक्रमणिका

क0		विवरण
1.		**कृषि विभाग**
		राज्य पोषित योजनाएँ
	1.	शाकम्भरी योजना
	2.	किसान समृद्धि योजना
	3.	कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना योजना
	4.	लघुत्तम सिंचाई योजना (तालाब निर्माण)
	5.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Per Drop More Crop)
	6.	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना
	7.	कृषक समग्र विकास योजना
	8.	अक्ती बीज संवर्धन योजना
	9.	रामतिल बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना(केवल अनुसूचित जनजाति के कृषक)
	10.	(जगदलपुर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर एवं सूरजपुर जिलों के लिये लागू)
	11.	दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना
	12.	राज्य गन्ना विकास योजना
	13.	फसल प्रदर्शन योजना
	14.	श्रीविधि के क्षेत्र विस्तार से धान की उत्पादकता वर्धन योजना
	15.	द्वि–फसलीय क्षेत्र बढ़ाने हेतु रबी फसल प्रदर्शन कार्यक्रम
	16.	ग्रीष्मकालीन धान के बदले तिलहन एवं मक्का फसल को प्रोत्साहन योजना
	17.	जैविक खेती मिशन (राज्य पोषित योजना)
	18.	खलिहान अग्नि दुर्घटना बीमा योजना
	19.	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
	20.	भू–जल संवर्धन योजना
	21.	जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों को प्रोत्साहन
	22.	केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्र क्षेत्रीय/विशेष केन्द्रीय सहायता योजनाएं
		नेशनल मिशन ऑन ऑयलसीड्स एण्ड ऑयलपास (एम.एम.–1 ऑयलसीड्स)
	23.	एक्सटेंशन रिफार्म्स (आत्मा) योजना
	24.	NMAET अंतर्गत Sub Mission on Seeds and Planting Material (SMSP) के अंतर्गत बीज ग्राम योजना
	25.	नेशनल मिशन फॉर सस्टनेबल एग्रीकल्चर (NMSA) अंतर्गत रेनफेड एरिया डेव्लपमेंट योजना (RAD) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
	26.	हरित क्रांति योजना (BGREI)
	27.	कृषक प्रशिक्षण
	28.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (धान) (जिला–दंतेवाड़ा, बीजापुर, राजनांदगांव, कवर्धा, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोरबा, जांजगीर–चांपा, रायगढ़, जशपुर, कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, कोण्डागांव, नारायणपुर, बस्तर जिलों में क्रियान्वित)
	29.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा – दलहन
	30.	राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन – मोटे अनाज
		(दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कबीरधाम, कांकेर, सरगुजा, सुकमा, कोण्डागांव, सूरजपुर, बलरामपुर हेतु)
	31.	नेशनल मिशन फॉर सस्टनेबल एग्रीकल्चर (NMSA) अंतर्गत स्वायल हैल्थ कार्ड योजना
	32.	नेशनल मिशन फर सस्टनेबल एग्रीकल्चर (NMSA) अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
2.		**उद्यानिकी विभाग**
	1.	राज्य एवं केन्द्र योजना के अंतर्गत फल, फूल, सब्जी, मसालें, औषधीय एवं सुगंधित फसलों की खेती
		राष्ट्रीय बागवानी मिशन
	2.	राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन
	3.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
	4.	राज्य पोषित योजनाएं
	5.	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना
	6.	फल पौध रोपण योजना

	7. 8. 9. 10.	नदी कछार/ तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन योजना बी.पी.एल. एवं लघु/सीमांत कृषक बाड़ी में टपक सिंचाई योजना कम्युनिटी फेंसिंग योजना संरक्षित खेती लोक सेवा गारंटी अधिनियम–2011
3.		**मछलीपालन विभाग**
	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	मत्स्य बीज उत्पादन जलाशयों एवं नदियों में मछलीपालन का विकास शिक्षण–प्रशिक्षण (मछुआरों का दस दिवसीय प्रशिक्षण) तकनीकी ज्ञान में वृद्धि के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिक्षण–प्रशिक्षण (मछुआरों का अध्ययन भ्रमण) पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों को ऋण/अनुदान मत्स्य पालन प्रसार (झींगा पालन) पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों को संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु आर्थिक सहायता मत्स्य पालन प्रसाद (मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन) मत्स्य पालन प्रसार (नाव जाल क्रय सुविधा) मत्स्य पालन प्रसार (फिंगर लिंग क्रय कर संचयन पर सहायता) श्रीमती बिलासाबाई केंवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार मत्स्य कृषक विकास अभिकरण मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बचत सह राहत (सेविंग कम रिलीफ) मछुआ आवास योजना
4.		**पशुधन विकास विभाग**
	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना अनुदान पर नर सूकर का वितरण अनुदान पर सूकरत्रयी का वितरण शत प्रतिशत अनुदान पर सांड वितरण उन्नत माता वत्स पालन योजना पशुधन मित्र योजना राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता योजना नेशनल लाईव स्टाक मिशन पशुधन बीमा योजना
5.		**सहकारिता विभाग**
	1. 2. 3. 4.	ब्याज अनुदान योजना किसान केडट योजना सूखा प्रभावित कृषकों के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना जनजाति सेवा सहाकरी समितियों को प्रबंधकीय योजना
6.		**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति**
	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम–2012 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) अमृत नमक वितरण योजना छत्तीसगढ़ स्वादिष्ट चना वितरण योजना कोर पीडीएस मेरी मर्जी योजना राशन दुकानों का कम्प्यूटरीकरण अन्नपूर्णा दाल भात योजना पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्यान्न भंडारण नगरीय क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन उपभोक्ता विवादों का निराकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम–2011
6.		**पंचायत एवं ग्रामीण विकास**
	1. 2. 3.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

	4.	मूलभूत योजना
	5.	मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना
	6.	स्वामी आत्मानंद वाचनालय
	7.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
	8.	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना
	9.	अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना
	10.	आम आदमी बीमा योजना
	11.	स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना
	12.	दीनदयाल उपाध्यक्ष ग्रामीण कौशल योजना
	13.	मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजना
	14.	पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित डिवॉल्युशन इण्डेक्स के आधार पर उत्कृष्ट राज्यों को राष्ट्रीय पुरस्कार
	15.	(RGPSA)
	16.	राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार योजना
7.		**श्रम विभाग**
	1.	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना
	2.	औद्योगिक संबंध तंत्र मशीनरी के सबलीकरण हेतु हायजिन प्रयोगशाला किट्स
	3.	बंधुवा श्रमिक पुर्नवास योजना
	4.	एकीकृत बीड़ी श्रमिक आवास योजना
	5.	छत्तीसबढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारा कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाएं
	6.	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्योष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना
	7.	राजमाता विजयाराजे सामूहिक विवाह योजना
	8.	भगिनी प्रसूति सहायता योजना
	9.	नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना
	10.	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार योजना
	11.	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना
	12.	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना
	13.	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
	14.	जीवन ज्योति बीमा योजना
	15.	अटल पेंशन योजना
	16.	गंभीर बीमारी हेतु चिकित्सा सहायक योजना
	17.	दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना
	18.	मुख्यमंत्री चलित झूलाघर योजना
	19.	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना
	20.	बंधक निर्माण मजदूर पुर्नवास सहायता योजना
	21.	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना
	22.	मेधावी छात्र–छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना
	23.	मोबाईल रजिस्ट्रेशन वैन
	34.	निर्माण महिला स्व–सहायता योजना
	25.	सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुर्नवास सहायता योजना
		श्रम मित्र योजना
	26.	छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण
	27.	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना
		मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन योजना
	28.	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल–रिक्शा सहायता
	29.	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार समाचार पत्र हॉकर सायकल योजना
	30.	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना
	31.	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार स्वावलंबन पेंशन योजना
	32.	मुख्यमंत्री राऊत, चरवाहा एवं दुध दुहने वाले सायकल सहायता योजना
	33.	मुख्यमंत्री कोटवार सायकल एवं टार्च सहायता योजना
	34.	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
	35.	सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना
	36.	सफाई कर्मकार के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना
	37.	सफाई कर्मकार के पुत्र–पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना
	38.	सफाई कर्मकार बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना
	39.	सफाई कर्मकार पुत्र–पुत्रियों सायकल सहायता योजना
	40.	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना
	41.	सफाई कर्मकार विवाह योजना
	42.	सफाई कर्मकार आवश्यक उपकरण सहायता योजना
	43.	ठेका श्रमिक एवं हमाल श्रमिक बाह्य रोगी चिकित्सा सहायता योजना

	44.	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना
	45.	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना
	46.	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक विवाह योजना
	47.	हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सुपा और टोकरी सहायता योजना
	48.	हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सुपा और टोकरी सहायता योजना
	49.	घरेलू कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना
	50.	घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक,
	51.	हमाल कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना
	52.	
	53.	
8.		**महिला एवं बाल विकास**
	1.	समेकित बाल विकास सेवा योजना
	2.	एकीकृत बाल संरक्षण योजना
	3.	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
	4.	महिला जागृति शिविर
	5.	सबला योजना
	6.	किशोर शक्ति योजना
	7.	नवा जतन योजना
	8.	नोनी सुरक्षा योजना
	9.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
	10.	नवा बिहान योजना
	11.	मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना
	12.	छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना
	13.	सक्षम योजना
	14.	स्वावलंबन योजना
9.		**समाज कल्याण**
	1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
	2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
	3.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना
	4.	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
	5.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
	6.	सुखद सहारा योजना
	7.	निःशक्तजनों की शिक्षा हेतु शासकीय विशेष विद्यालयों का संचालन
	8.	स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान योजना
	9.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
	10.	सामर्थ्य विकास योजना
	11.	निःशक्त छात्रवृत्ति योजना
	12.	निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना
	13.	जिला पुर्नवास/जिला निःशक्त पुर्नवास केन्द्र योजना
	14.	दीनदयाल निःशक्तजन पुर्नवास कार्यक्रम
	15.	राष्ट्रीय निःशक्त पुर्नवास कार्यक्रम
	16.	निःशक्तजनों के लिए स्वरोजगार हेतु ऋण योजना
	17.	(छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम)
	18.	वृद्धाश्रमों का संचालन
	19.	नशाबंदी योजना
	20.	छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना
10.		**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण**
	1.	मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना
	2.	मुख्यमंत्री बालहृदय सुरक्षा योजना
	3.	संजीवनी कोष योजना
	4.	जननी सुरक्षा योजना
	5.	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
	6.	मितानिन कार्यक्रम
	7.	मुख्यमंत्री दवा पेटी योजना
	8.	मुख्यमंत्री स्वास्थ्य पंचायत योजना
	9.	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम
	10.	पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम
	11.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम
	12.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

	13.	सिकिलसेल नियंत्रण कार्यक्रम
	14.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
	15.	संजीवनी एक्सप्रेस
	16.	मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना
	17.	मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम
	18.	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम
11.		**स्कूल शिक्षा**
	1.	छात्र दुर्घटना बीमा
	2.	सरस्वती सायकल योजना
	3.	मध्यान्ह भोजन योजना
	4.	सूचना संचार प्रौद्योगिकी
	5.	निःशुल्क गणवेश योजना
	6.	निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय योजना
	7.	पुस्तकालय योजना
	8.	व्यावसायिक शिक्षा योजना
	9.	विकलांग बच्चों की समावेशी शिक्षा योजना
	10.	कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय योजना
12		उच्च शिक्षा
	1.	बी0पी0एल0 छात्र कल्याण छात्रवृत्ति
	2.	बी0पी0एल0 बुक बैंक योजना
	3.	एकीकृत छात्रवृत्ति योजना
13		**तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग**
	1.	तकनीकी शिक्षा
	2.	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना
	3.	कौशल विकास
	4.	छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन (CSSDM) के अंतर्गत संचालित की जाने वाली विभिन्न योजनाएं
	5.	केन्द्र शासन की स्किल इनिशिएटिव (SDI) योजना
	6.	मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY)
	7.	दक्षता विकास योजना स्किल डेव्हलपमेंट इनिसिएटिव स्कीम के तहत
	8.	
14		**रोजगार विभाग**
	1.	शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता योजना
	2.	स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना
	3.	रोजगार मेला
	4.	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना
15		**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी**
	1.	लघु शोध परियोजना
	2.	यात्रा अनुदान
	3.	संगोष्ठी/सेमीनार/सिम्पोजियम/कार्यशाला
	4.	छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक कांग्रेस
	5.	समाज के लिए विज्ञान कार्य
16		सूचना प्रौद्योगिकी
	1.	छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना
	2.	ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना (चॉइस 2.0)
	3.	सामान्य सेवा केन्द्र परियोजना (चॉइस सेन्टर)
	4.	ई–प्रोक्योरमेंट
	5.	स्टुडेंट लाईफ सायकल मैनेजमेंट परियोजना
	6.	लोक सेवा केन्द
17		**आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग**
	1.	राज्य छात्रवृत्ति (प्री0 मैट्रिक)
	2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
	3.	अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना
	4.	पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
	5.	मेरिट कम मीन्स अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम)
	6.	पोस्ट मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (कक्षा 11वीं से पी–एच.डी. तक)
	7.	प्री0 मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (कक्षा पहली से दसवी तक)
	8.	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना
	9.	छात्रावास योजना
	10.	आश्रम शाला योजना

	11.	छात्रगृह आवास योजना
	12.	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान
	13.	एकलव्य आवासीय विद्यालय
	14.	क्रीड़ा परिसर
	15.	छात्र भोजन सहाय योजना
	16.	स्वस्थ तन–स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना
	17.	युवाओं को निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना
	18.	रविदास चर्मशिल्प योजना
	19.	अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
	20.	देवगुड़ी विकास योजना
	21.	आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना
	22.	हॉस्पिटलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना
	23.	नर्सिंग पाठ्यक्रम में अध्ययन सुविधा योजना
	34.	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना
	25.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अंतर्गत राहत योजना सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष–2009
	26.	आर्यभट्ट विज्ञान–वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना
	27.	प्री इंजीनियरिंग एवं प्री मेडिकल की कोचिंग योजना
	28.	युवा कैरियर निर्माण योजना
	29.	मल्टी सेक्टोरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम
	30.	वन बन्धु कल्याण योजना
	31.	विशेष पिछड़ी जनजातियों के समेकित विकास हेतु मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम
	32.	
18		**वन विभाग**
	1.	तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना
	2.	तेन्दूपत्ता संग्राहको की निःशुल्क चरणपादुका वितरण
	3.	तेन्दूपत्ता संग्राहको हेतु निःशुल्क जनश्री बीमा योजना
	4.	तेन्दूपत्ता संग्राहको हेतु निःशुल्क सामूहिक सुरक्षा बीमा योजना
	5.	हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि पर क्षतिपूर्ति
	6.	हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा निजी पशुओं को मारे जाने पर उनके मालिकों को आर्थिक सहायता पौधा प्रदाय योजना
	7.	हरियाली प्रसार योजना
	8.	निस्तार व्यवस्था के अंतर्गत वनोपज प्रदाय
	9.	बंसोड़/कंडरा आदिवासी समाज/पान बरेजा परिवार को रियासती दर पर बांस प्रदाय
	10.	तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण योजना
	11.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अ. पेयजल योजना हैण्डपम्प आधिरित जल प्रदाय योजना नल जल आधारित जल प्रदाय योजना
	12.	ब. अभिनव योजनाएं सोलर पम्प के माध्यम से जल प्रदाय समूह नलजल योजना भू–जल संवर्धन योजना जल गुणवत्ता के कार्य
19		**जल संसाधन**
	1.	सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (पी.आई.एम.)
	2.	नहरों का लाईनिंग कार्य
	3.	निविदा की पद्धति
20		**उर्जा**
	1.	कृषक जीवन जयोति योजना
	2.	सिंचाई पंपों का विद्युतीकरण
	3.	बी.पी.एल. कनेक्शन
	4.	मुख्यमंत्री एल.ई.डी. लैंप वितरण योजना (राष्ट्रीय उजाला स्कीम के अंतर्गत)
	5.	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (D.D.U.G.J.Y)
	6.	एकीकृत विद्युत विकास योजना (I.P.D.S)
	7.	मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना
	8.	स्कूलों एवं अस्पतालों के विद्युतीकरण के साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों का विद्युतीकरण
	9.	मुख्यमंत्री मजरा–टोला विद्युतीकरण योजना
	10.	

	11.	छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय उर्जा विकास अभिकरण Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency (CREDA)
	12.	सोलर होम लाईट संयंत्र
	13.	सौर गर्म जल संयंत्र
	14.	सोलर रूफटॉप सिस्टम
	15.	घरेलू बायोगैस योजना
	16.	संस्थागत बायोगैस योजना
		ऊर्जा संरक्षण योजना
21		**खनिज**
	1.	गौण खनिजों में रायल्टी से छूट तथा उत्खनन के लिए पट्टा
	2.	खनिज सर्वेक्षण, अन्वेषण
22		**लोक निर्माण विभाग**
	1.	प्रदेश के बेरोजगार इंजीनियरों एवं राजमिस्त्रियों के लिए अभिनव योजना
23		**नगरीय प्रशासन विकास विभाग**
	1.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
	2.	मुख्यमंत्री राज्य शहरी आजीविका मिशन
	3.	मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना
	4.	पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना
	5.	महिला समृद्धि बाजार योजना
	6.	हाट बाजार समृद्धि का आधार योजना
	7.	मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना
	8.	अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र
	9.	भागीरथी नल–जल योजना
	10.	हर घर शौचालय हर घर नल योजना
	11.	श्रद्धांजलि योजना
	12.	ऑन लाईन शिकायत निवारण प्रणाली निदान – 1100
	13.	सिटी बस परियोजना
	14.	प्रधानमंत्री आवास योजना
24		**आवास एवं पर्यावरण**
	1.	अटल आवास योजना
	2.	दीनदयाल आवास योजना
	3.	अटल विहार योजना
	4.	मुख्यमंत्री आवास योजना
	5.	प्रधानमंत्री आवास योजना
25		**उद्योग विभाग**
	1.	ब्याज अनुदान योजना
	2.	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान योजना
	3.	विद्युत शुल्क से छूट (केवल पात्र नवीन उद्योगों की स्थापना पर)
	4.	औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत
	5.	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान योजना
	6.	गुणवत्ता प्रतिवेदन अनुदान योजना
	7.	तकनीकी पेटेंट अनुदान योजना
	8.	प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान योजना
	9.	मार्जिन मनी योजना
	10.	औद्योगिक पुरस्कार योजना (राज्य शासन की किसी औद्योगिक नीति में अपात्र/संतृप्त उद्योगों की श्रेणी को
	11.	छोड़कर)
	12.	औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना
	13.	कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 की योजनाएं
	14.	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनाएं
	15.	खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के तकनीकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण की योजना
	16.	उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी क्षेत्रों में नवीन कोल्डचेन हेतु मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अधोसंरचना का विकास
	17.	ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र/संग्रहण केन्द्र की स्थापना
	18.	रीफर वाहन योजना
	19.	ऑटोमोटिव उद्योग नीति 2012 के तहत पात्र उद्योगों के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना
	20.	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
		प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
	21.	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
	22.	

	23.	
26		**ग्रामोद्योग विभाग**
	1.	स्व. श्री बिसाहू दास महंत पुरस्कार योजना
	2.	सर्वश्रेष्ठ दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
	3.	रिवाल्विंग फण्ड योजना
	4.	राष्ट्रीय हाथ करघा विकास कार्यक्रम
	5.	महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना
	6.	अनुसंधान एवं विकास योजना
	7.	शासकीय वस्त्र प्रदाय योजना
	8.	समग्र हाथकरघा विकास के तहत
	9.	नवीन बुनाई प्रशिक्षण योजना
	10.	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण
	11.	अधोसंरचना निर्माण हेतु सहायता
	12.	करघागृह हेतु सहायता
	13.	उन्नत/सहायक उपकरण प्रदाय योजना
	14.	प्राथमिक बुनकर समितियों के वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार हेतु सहायता
	15.	बुनकर आवास क्षेत्र में बुनायादी सहायता
	16.	छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
	17.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
	18.	परिवार मूलक योजना
	19.	कारीगर प्रशिक्षण कार्यक्रम
	20.	खादी वस्त्र का विकास
	21.	बांस की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण
	22.	विपणन व्यवस्था
		रेशम प्रभाग
	23.	पालित डाबा टसर ककून उत्पादन योजना
	34.	टसर धागाकरण योजना
	25.	मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार योजना
		हस्तशिल्प विकास बोर्ड
	26.	प्रशिक्षण योजना
	27.	हस्तशिल्पियों की पंजीयन योजना
	28.	औजार उपकरण अनुदान योजना
	29.	कर्मशाला निर्माण अनुदान योजना
	30.	सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता योजना
	31.	हस्तशिल्पियों के लिए अध्ययन प्रवास योजना
	32.	शिल्पियों हेतु डिजाईन एवं शिक्षा विकास योजना
	33.	हस्तशिल्पियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना
	34.	विपणन सहायता योजना
	35.	जन श्री बीमा योजना
	36.	शिल्पियों को मासिक आर्थिक सहायता/पेंशन योजना
27		**माटीकला बोर्ड**
	1.	कुंभकारों को निःशुल्क विद्युत/बैरिंग चाक वितरण
	2.	ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना
28		**राजस्व विभाग**
	1.	भुईयां कार्यक्रम
	2.	दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना
	3.	राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के तहत प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को आर्थिक सहायता
	4.	सूखा प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता
29		**गृह विभाग**
	1.	नक्सल पीड़ित व्यक्ति/परिवार तथा आत्म समर्पित नक्सली पुर्नवास (अ) नक्सल पीड़ित एवं आत्म समर्पित परिवार के लिये राहत राशि– (ब) शास्त्रों के साथ आत्मसमर्पण वाले नक्सलियों के लिए अनुग्रह राशि– (स) अन्य सुविधाएं
	2.	पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना (वर्ष 2011)
	3.	नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों के परिवार को दी जाने वाली सुविधाएं शासकीय निधि से
	4.	अशासकीय निधि से सहायता अनुदान
30		**जेल विभाग**
	1.	पुर्नवास योजना
	2.	जेल में निरूद्ध कैदियों की शिक्षा

	3.	स्वास्थ्य योजना
	4.	उर्जा संयंत्रों की स्थापना
	5.	विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कैदियों के मामलों की सुनवाई
31		**विधि एवं विधायी कार्य विभाग**
	1.	विधिक सहायता और विधिक सलाह
	2.	विधिक साक्षरता/विधिक जागरूकता शिविर
	3.	लोक अदालत
	4.	स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएं)
	5.	अभिरक्षाधीन बंदियों को विधिक सहायता अधिवक्ता योजना
	6.	निःशुल्क विधिक सेवा
	7.	सेवानिवृत्ति पश्चात की परिलब्धियों की प्राप्ति हेतु स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत योजना
	8.	पैरा लीगल वांलिटियर्स योजना
	9.	लीगल एंड क्लीनिक योजना
	10.	प्रबंध कार्यालय
32		**खेल युवा कल्याण विभाग**
	1.	खिलाड़ियों को प्रशिक्षण
	2.	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता
	3.	महिला खेल प्रतियोगिता
	4.	राज्य स्तरीय संघ एवं संस्थाएं
	5.	खिलाड़ियों को प्रोत्साहन
	6.	राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार
	7.	युवक कल्याण गतिविधियॉ
	8.	मुख्यमंत्री युवा भारत दर्शन योजना
	9.	खेल अकादमी
	10.	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोल
	11.	पर्यटन विभाग (पृष्ठ संख्या–267)
	12.	छत्तीसगढ़ पर्यटन प्रोत्साहन योजना 2006
33		**संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग**
	1.	मासिक वित्तीय सहायता (पेंशन) योजना
	2.	छत्तीसगढ़ कलाकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता
	3.	अशासकीय संस्थाओं के संवर्धन विकास हेतु आर्थिक अनुदान योजना
34		**जनसम्पर्क विभाग**
	1.	पत्रकार कल्याण कोष
	2.	संचार प्रतिनिधि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना
	3.	वरिष्ठ पत्रकारों के लिए सम्मान निधि योजना

अध्याय–16

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर में वित्तीय आबंटन एवं व्यय विवरण

क.	वित्तीय वर्ष	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	शेष राशि
1	**2019–20**	2,06,40,000	1,85,23,963	21,16,037